स्वाध्याय स्वमन्थन स्वावलम्बन

# उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

उत्तर प्रदेश सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय

।। सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् ।।

## B.Ed. E 21

**Vocational and Work Education**

**(व्यावसायिक एवं कार्य शिक्षा)**

शान्तिपुरम् (सेक्टर-एफ), फाफामऊ, प्रयागराज - 211013

www.uprtou.ac.in

टोल फ्री नम्बर- 1800-120-111-333

# कुलपति

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
प्रयागराज

उत्तर प्रदेश सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय

## संदेश

प्रयागराज की पवित्र भूमि पर भारत रत्न राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन के नाम पर वर्ष 1999 में स्थापित उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज उ0प्र0 का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय उ0प्र0 जैसे विशाल जनसंख्या वाले राज्य में उच्च शिक्षा के प्रत्येक आकांक्षी तक गुणात्मक तथा रोजगारपरक उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने में निरन्तर अग्रसर एवं प्रयत्नशील है। तत्कालीन देश की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में एक वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा व्यवस्था के रूप में भारत में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का पदार्पण हुआ था, परन्तु वर्तमान परिस्थितियों तथा तकनीकी का सार्थक प्रयोग करते हुये मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा आज की सर्वोत्तम पूरक शिक्षा व्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुकी है।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली के सामने व्याप्त पाँच मुख्य चुनौतियों - (i) पहुँच (Access), (ii) समानता (Equity), (iii) गुणवत्ता (Quality), (iv) वहनीयता (Affordability) तथा (v) जवाबदेही (Accountability) को केन्द्र में रखकर घोषित देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने में उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय कृत संकल्पित है। उ0प्र0 की माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति की सद्इच्छाओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, शैक्षिक दायित्वों के साथ-साथ सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में भी लगातार नवप्रयास कर रहा है। चाहे वह गाँवों को गोद लेकर उनके समग्र विकास का प्रयास हो या ग्रामीण महिलाओं, ट्रान्सजेन्डर व सजायाफ्ता कैदियों को शुल्क में छूट प्रदान कर उनमें आत्मविश्वास जागृति व उच्च शिक्षा के प्रति अलख जगाने का प्रयास हो।

राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा एक मूलभूत जरूरत है। ज्ञान-विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्रों में हो रहे तीव्र परिवर्तनों व वैश्विक स्तर पर रोजगार की परिस्थितियों में आ रहे परिवर्तनों के कारण भारतीय युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा। इसीलिए विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हेतु शिक्षा को सर्वसुलभ, समावेशी तथा गुणवत्तापरक बनाना समसामयिक अपरिहार्य आवश्यकता है। वर्तमान परिस्थितियों ने परम्परागत शिक्षा को और भी सीमित कर दिया है जिसके कारण मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था ही एकमात्र पूरक एवं प्रभावी शिक्षा व्यवस्था के रूप में सार्थक सिद्ध हो चुकी है। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय का दायित्व और भी बढ़ जाता है। इस दायित्व को एक चुनौती स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालय ने प्राचीन तथा सनातन भारतीय ज्ञान, परम्परा तथा सांस्कृतिक दर्शन व मूल्यों की समृद्ध विरासत के आलोक में सभी के लिए समावेशी व समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने तथा जीवन पर्यन्त शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए अपने शैक्षिक कार्यक्रमों में जागरूकता में प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, परास्नातक डिप्लोमा, स्नातक, परास्नातक तथा शोध उपाधि के समसामयिक शैक्षिक कार्यक्रमों की संख्या तथा गुणात्मकता में वृद्धि की है।

शैक्षिक कार्यक्रमों में संख्यात्मक वृद्धि, गुणात्मक वृद्धि तथा रोजगारपरक बनाने के साथ-साथ प्रत्येक उच्च शिक्षा आकांक्षी तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए अध्ययन केन्द्रों व क्षेत्रीय केन्द्रों के विस्तार के साथ-साथ प्रवेश परीक्षा, प्रशासन तथा परामर्श (शिक्षण) में आनलाइन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया है। विश्वविद्यालय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चियन की दृष्टि से तकनीकी के प्रयोग को बढ़ाया गया है। 'चुनौती मूल्यांकन' की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्य किया गया है, तो शिक्षार्थी सहायता सेवाओं में भी वृद्धि की जा रही है। शिक्षार्थियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु शिकायत निवारण प्रकोष्ठ को सुदृढ़ करने के साथ-साथ पुरातन छात्र परिषद को गतिशील किया गया है।

"गुरुकुल से छात्रकुल" के सूक्त वाक्य को आत्मसात करते हुए विश्वविद्यालय ने शिक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किये गये गुणवत्तापूर्ण स्वअध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के साथ-साथ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है। छात्रहित को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों द्वारा तैयार व्याख्यान को भी ऑनलाईन उपलब्ध कराया गया है।

शोध और नवाचार के क्षेत्र में अग्रसर होते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) नई दिल्ली तथा माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति, उ0प्र0 की अनुमति से विश्वविद्यालय में शोध कार्यक्रम पुनः प्रारम्भ किया गया है तथा वर्ष पर्यन्त समसामयिक विषयों पर व्याख्यान, सेमिनार, वेबिनार तथा आनलाइन संगोष्ठियों आदि की श्रृंखला भी प्रारम्भ की गयी है। विभिन्न क्षेत्रों में रिसर्च प्रोजेक्ट सम्पादन पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है। पुस्तकालय को अत्याधुनिक तथा सुदृढ़ बनाने हेतु कदम उठाये गये हैं। शिक्षकों व कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा कल्याण की योजनायें क्रियान्वित की गयी हैं।

**प्रो0 सत्यकाम**
कुलपति

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन
मुक्त विश्वविद्यालय,
प्रयागराज

# B.Ed. E-21

## Vocational and Work Education

## (व्यावसायिक एवं कार्य शिक्षा)


**खण्ड– 01 व्यावसायिक शिक्षा**

इकाई–1 व्यावसायिक शिक्षा– प्रकृति, प्रासंगिकता एवं प्रकार 5–18

इकाई–2 व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र एवं आवश्यकता 19–29

इकाई–3 व्यावसायिक शिक्षा के अभिकरण 30–45

**खण्ड– 02 कार्य शिक्षा**

इकाई–4 कार्य शिक्षा की प्रकृति 47–55

इकाई–5 कार्य शिक्षा के सिद्धांत 56–65

इकाई– 6 समाजोपयोगी उत्पादक कार्य 66–81

**खण्ड–03 व्यावसायिक एवं कार्य शिक्षा**

इकाई–7 व्यवसाय एवं कार्य की पहचान 83–94

इकाई–8 व्यवसाय एवं कार्य का चयन 95–105

इकाई–9 अनुवर्ती सेवा 106–116

**खण्ड– 04 व्यावसायिक एवं कार्य शिक्षा में विद्यालय की भूमिका**

इकाई–10 कैरियर सूचना 118–124

इकाई–11 कैरियर निर्देशन 125–132

इकाई–12 विशिष्ट समूहों का प्रशिक्षण 133–144

**खण्ड– 05 व्यावसायिक एवं कार्य शिक्षा की नवीन प्रवृत्तियाँ**

इकाई–13 अन्य एजेंसियों की भूमिका 146–152

इकाई–14 स्थानन सेवाएं 153–162

इकाई–15 व्यावसायिक एवं कार्य शिक्षा की नवीन प्रवृत्तियाँ 163–178

# B.Ed. E-21

## Vocational and Work Education (व्यावसायिक एवं कार्य शिक्षा)


**संरक्षक एवं मार्गदर्शक**

प्रोफेसर सत्यकाम — कुलपति, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

**विशेषज्ञ समिति**

| | |
|---|---|
| प्रोफेसर पी० के० स्टालिन | निदेशक, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज |
| प्रोफेसर पी० के० पाण्डेय | आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज |
| प्रोफेसर छत्रसाल सिंह | आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज |
| प्रोफेसर के० एस० मिश्रा | पूर्व कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज |
| प्रोफेसर धनन्जय यादव | विभागाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज |
| प्रोफेसर मीनाक्षी सिंह | आचार्य, शिक्षा संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी |
| डॉ० जी० के० द्विवेदी | सह आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज |
| डॉ० दिनेश सिंह | सह आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज |
| डॉ० सुरेन्द्र कुमार | सहायक आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज |



**लेखक**

| | |
|---|---|
| डॉ० सरोज यादव | सहायक आचार्य, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद (इकाई– 1,2,3 एवं 12) |
| डॉ० ममता भटनागर | सहायक आचार्य, बी० एड० विभाग, एस. एस. खन्ना गर्ल्स पी. जी. कॉलेज, प्रयागराज (इकाई– 4,5,6) |
| डॉ० उपेन्द्र नाथ तिवारी | हायक आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज (इकाई– 7,8,9) |
| डॉ० रंजना श्रीवास्तव | पूर्व सहायक आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज (इकाई– 10,11) |
| डॉ० शालिनी सिंह | सहायक आचार्य, बी० एड० विभाग, शहीद मंगल सिंह राजकीय महाविद्यालय, मेरठ (इकाई– 13,14,15) |

**सम्पादक**

प्रोफेसर सुषमा पाण्डेय — आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर

**परिमापक**

प्रोफेसर पी० के० पाण्डेय — आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

**समन्वयक**

डॉ० सुरेन्द्र कुमार — सहायक आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज



**© उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।** **2024 (मुद्रित)**



**ISBN : 978-93-48270-68-9**



उ० प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पाठ्यसामग्री का कोई भी अंश उ० प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

नोट : पाठ्य सामग्री में मुद्रित सामग्री के विचारों एवं आकड़ों आदि के प्रति विश्वविद्यालय, उत्तरदायी नहीं है।



प्रकाशन : उ० प्र० राजर्षि टण्डन विश्वविद्यालय, प्रयागराज

प्रकाशक : कुलसचिव, कर्नल विनय कुमार, उ० प्र० राजर्षि टण्डन विश्वविद्यालय, प्रयागराज – 211021

मुद्रक : चंद्रकला यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड, 42/7 जवाहरलाल नेहरू रोड, प्रयागराज

# खण्ड– 01 : व्यावसायिक शिक्षा

**खण्ड परिचय :**

प्रस्तुत खण्ड में व्यावसायिक शिक्षा के विषय में वर्णन किया गया है। इस खण्ड को तीन इकाईयों में बाँटा गया है जिसका विवरण निम्न है–

**इकाई– 1 : व्यावसायिक शिक्षा–प्रकृति, प्रासंगिकता एवं प्रकार**

**इकाई– 2 : व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र एवं आवश्यकता**

**इकाई– 3 : व्यावसायिक शिक्षा के अभिकरण**

**इकाई– 1** में व्यावसायिक शिक्षा के अर्थ, प्रकृति, विशेषताओं आदि का वर्णन किया गया है। व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित समितियों, प्रासंगिकता एवं प्रकारों का विस्तृत वर्णन किया गया है।

**इकाई– 2** में व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र एवं आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला गया है। वर्तमान समय में व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित चुनौतियों एवं उनके समाधान के उपाय भी बताए गए हैं। व्यावसायिक शिक्षा के इतिहास का भी वर्णन किया गया है।

**इकाई– 3** में व्यावसायिक शिक्षा के अभिकरणों का विस्तृत विवरण दिया गया है। व्यावसायिक शिक्षा के क्रियान्वयन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में भी बताया गया है। प्रमुख रूप से राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उड़ान योजना, आई0टी0आई0, जन शिक्षण संस्थान, व्यावसायिक विद्यालय आदि के बारे में बताया गया है।

# इकाई– 1 : व्यावसायिक शिक्षा– प्रकृति, प्रासंगिकता एवं प्रकार

## इकाई की संरचना


1.1 प्रस्तावना

1.2 इकाई के उद्देश्य

1.3 व्यावसायिक शिक्षा का अर्थ एवं प्रकृति

1.4 व्यावसायिक शिक्षा के सिद्धान्त

1.5 व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख तत्व

1.6 व्यावसायिक शिक्षा की प्रकृति

1.7 व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न समितियों एवं शिक्षा आयोगों के सुझाव

1.8 व्यावसायिक शिक्षा प्रासंगिकता

1.9 व्यावसायिक शिक्षा के प्रकार

1.10 सारांश

1.11 अभ्यास के प्रश्न

1.12 चर्चा के बिन्दु

1.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

1.14 कुछ उपयोगी पुस्तकें


## 1.1 प्रस्तावना

प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजीविका चलाने हेतु किसी एक व्यवसाय की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संस्थाएँ होती है। विषय विशेषज्ञ की हर क्षेत्र में आवश्यकता होती हैं चाहे वह कार्यालय हो, कारखाना हो या शैक्षिक संस्थान हो। किसी विशिष्ट व्यावसायिक क्षेत्र में प्रशिक्षित व्यक्ति अन्य व्यक्ति से अधिक योग्य होता है। तकनीकी रूप से विकसित देशों जैसे–इग्लैण्ड, अमेरिका, जर्मनी, जापान आदि में सामान्य शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगो की संख्या बहुत कम होती है। वहाँ तकनीकी विद्यालय एवं व्यवसायिक विद्यालय होते है जहाँ उन्हें विभिन्न कौशलों से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्राप्त होता है। हमारे देश में व्यावसायिक शिक्षा को अधिक लोकप्रिय बनाने की अत्यन्त आवश्यकता है। बहुत कम छात्र ही 10+2 में व्यवसायिक शिक्षा धारा की ओर जाते है। हमारे देश में इसकी व्यवस्था भी परिपूर्ण नहीं है। अतः आज के समय में विशिष्ट कौशलों के विकास पर जोर दिया जा रहा है। कुछ विद्यालय ऐसे होने चाहिए जो व्यक्ति को विशेषज्ञ बनाए अन्यथा वह अपनी सम्मानजनक अजीविका प्राप्त करने से अपने को असमर्थ समझेगी।

## 1.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो जाएगें कि–

1. व्यावसायिक शिक्षा का अर्थ एवं प्रकृति के बारे में बता सकेगें।
2. व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित समितियाँ के बारे में बता सकेगें।
3. व्यावसायिक शिक्षा की प्रासंगिकता के विषय में बता सकेगें।
4. व्यावसायिक शिक्षा के प्रकार के विषय में बता सकेगें।

## 1.3 व्यावसायिक शिक्षा का अर्थ एवं प्रकृति

व्यावसायिक अथवा कौशल आधारित शिक्षा वह शिक्षा है जो छात्रों को उन कौशलों को प्राप्त करने में छात्रों की सहायता करती है जो परम्परागत रूप से गैर अकादमिक (NonAcademic) होता है तथा पूर्ण रूप से विशिष्ट व्यवसाय या व्यापार आदि से सम्बन्धित होता है। इन्हें तकनीकी शिक्षा भी कहते है। वृत्तिक एवं तकनीकी शिक्षा (Career & Technical education CTE) अथवा व्यवसायिक शिक्षा से प्रशिक्षण (Vocational Education Training-VET) के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रायोगिक क्रिया कलापों के द्वारा किसी विशिष्ट तकनीकी में पारंगतता विकसित करने का प्रयास किया जाता है।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को मुख्यतः इस प्रकार संरचित किया जाता है कि उनके द्वारा अनुप्रयोग आधारित अध्ययन प्रदान किया जा सके। इसके द्वारा किसी विशिष्ट व्यवसाय के तकनीकी व संक्रियात्मक (Operational) पक्षों की समझ प्रदान की जाती है।

व्यवसायिक शिक्षा का प्रारम्भ वास्तव में प्रारम्भिक रूप से लघु उद्योग प्रशिक्षण अभ्यास (Apprentship Training Practices) से हुआ है। व्यवसायिक शिक्षा मुख्यतः माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा है जिससे व्यावसायिक या तकनीकी स्वरूप की शिक्षा दी जाती है। व्यावसायिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का स्थान नहीं ले सकती है परन्तु उसकी पूरक (Supplement) हो सकती है। क्राफ्ट आधारित शिक्षा में किसी एक विशिष्ट या व्यवसाय या क्राफ्ट से सम्बन्धित विशिष्ट अनुदेशन दिया जाता है। इस प्रकार के शिक्षण एवं प्रशिक्षण में शिक्षा के अकादमिक (academic) तथा सांस्कृतिक पक्ष का अभाव होता है अतः इस प्रकार की क्राफ्ट या व्यवसाय केन्द्रित शिक्षा समान्य शिक्षा से भिन्न हो जाती है। ऐसे अधिगमकर्ता जो सामान्य शिक्षा से लाभ नहीं पातें, वे व्यवसायिक पाठ्यक्रम का चुनाव कर लेते हैं। अतः व्यावसायिक शिक्षा उत्पादक कार्यो या समाजोपयोगी कार्यो के प्रशिक्षण से सम्बन्धित होता है।

आधुनिक परिप्रेक्ष्य में यह माना जाता है कि व्यक्ति शिक्षा एवं प्रशिक्षण के द्वारा कार्य करने के नवीन एवं उन्नत तरीके खोजता है। उत्पादक कार्यो के लिए व्यावसायिक शिक्षा एक ऐसी व्यवसायिक प्रकृति का अधिगम अनुभव प्रदान करती है जो प्रशिक्षित अधिगम कर्त्ताओं को क्रमागत कार्य बल (Heirachical Work Force) की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होता है। यह संकल्पना आधुनिक समय के व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए शिक्षा के अनुसार है। व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य ऐसे व्यक्ति तैयार करना है जो औद्योगिक, कृषि एवं व्यवसायिक क्षमताओं से युक्त है। इसके माध्यम से सक्षम कारीगर तथा अच्छे नागरिक तैयार हों।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में व्यवसायिक शिक्षा के विकास के चरण निम्न है–

1. व्यक्तिगत पहल एवं संसाधन युक्तता (Individual initiative & resourcefulness)
2. अचेतन युक्त अनुकरण (Unconcious immitation)
3. चेतनयुक्त अनुकरण एवं घर पर योजनाबद्ध प्रशिक्षण (Concious immitation and organized training at home)
4. लघु उद्योग प्रशिक्षण द्वारा चेतनयुक्त एवं योजनाबद्ध प्रशिक्षण (Concious and organized training through apprenticeship training)
5. अधिगम को विशिष्टकरण की ओर ले जाना (Pick up learning towards specialization)
6. व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं आधुनिक लघु उद्योग प्रशिक्षण द्वारा योजनाबद्ध प्रशिक्षण (Organized training through vocational training institutions and modern small scale industrial training)

विगत वर्षों से व्यावसायिक शिक्षा में आधुनिक तकनीकों एवं वैज्ञानिक आविष्कारों का अधिक प्रयोग करके प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिन कार्यों को पूर्व में मनुष्य के द्वारा सम्पादित किया जाता था उन्हें अब मशीनों के द्वारा किया जा रहा है। अतः अब प्रशिक्षण में कौशलों (Manipulative Skills) के स्थान पर व्यवसाय से सम्बन्धित तकनीकी ज्ञान व कौशलों की प्राप्ति पर बल दिया जा रहा है। इससे व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण एवं कार्य स्थल पर आधुनिक प्रशिक्षण के द्वारा योजनाबद्ध शिक्षा प्रणाली तरीके से दिए जाने पर बल दिया गया। अनुदेशन प्रक्रियाओं को चेतन युक्त एवं योजनाबद्ध कहा जाएगा यदि ज्ञान संचरण की विधियाँ शिक्षा कौशल

सैद्धान्तिक एवं प्रशासनिक रूप से सुसंगठित हों। शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली अनुदेशन विधियाँ औद्योगिक कारखानों में दिए जाने वाले प्रशिक्षणों से अधिक संगठित एवं नियोजित होते हैं। परन्तु प्रशिक्षण के लिए प्रतिभागी अनुभव (Participating experience) के संबंध में प्रशिक्षण संस्थानों में कमी होती है। दुकान या कार्यालयों में दिए जाने वाले प्रशिक्षण कम सैद्धान्तिक होते है। यहाँ पर प्रशिक्षण में अधिगमकर्त्ता की प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं एवं व्यावसायिक मनोविज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है।

उद्देश्यों की दृष्टि से देखा जाय तो समूह विशेषताओं की पहचान एवं वास्तविक अनुभव प्रदान कराने के कारण कारखानों में प्रशिक्षण अधिक प्रभावी एवं सफल हो सकता है। व्यावसायिक शिक्षा के सिद्धान्तों के द्वारा इसकी नीतियों, प्रक्रियाओं एवं तरीकों को समझने में सहायता मिलती है। व्यावसायिक शिक्षा के सिद्धान्त पूर्व अनुभवों एवं निर्णयों से निर्गत किए गए है।

इस प्रकार हम देखते है कि व्यवासयिक शिक्षा के कई अर्थ है। कुछ लोग इसे किसी विशिष्ट व्यवसाय में प्रशिक्षण के रूप में देखते हैं एवं कुछ अन्य दृष्टिकोण के अनुसार यह व्यावसायिक एवं सामान्य शिक्षा का समावेशन है। व्यावसायिक शिक्षा का अर्थ कार्य संसार (World of Work) में प्रवेश करना है। इसके द्वारा छात्रों के व्यावहारिक अभिरुचियों को बढ़ाया जाता है। यूनेस्कों के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा एक व्यापक प्रत्यय है जो नवचारों से युक्त शिक्षा प्रक्रिया है। इसमें तकनीकि एवं सम्बन्धित विज्ञानों का बहुतायत से प्रयोग होता है। इसके माध्यम से अधिगमकर्त्ता को किसी व्यवसाय से सम्बन्धित कौशलों, अभिवृत्तियों, अवबोध आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। ये व्यवसाय देश के विभिन्न सेक्टरों के लिए उपयुक्त हैं। इसके द्वारा अधिगमकर्त्ता आत्म–निर्भर हो जाता है क्योंकि उसे व्यवसाय विशेष से सम्बन्धित ज्ञान, कौशल एवं क्षमताये प्राप्त हो जाती है जो उसे व्यवसाय प्राप्ति के लिए उपयुक्त बनाती है। व्यावसायिक शिक्षा औसत एवं औसत से कम बुद्धि–लब्धि वाले बच्चों के लिए अधिक उपयोगी हैं क्योंकि इसमें मानसिक कार्यों के साथ–साथ श्रमयुक्त कार्यों को भी प्रधानता दी जाती है। इसक द्वारा समाज व राष्ट्र के उत्पादन में वृद्धि होती है क्योंकि कौशलयुक्त कार्यों से उत्पादकता में वृद्धि होती हैं। व्यवसाय के लिए व्यावहारिक रूप से उपयोगिता नहीं होती है। यद्यपि प्रति व्यक्ति लागत को कम करने के उचित प्रयास किए जाने चाहिए परन्तु एक निम्नतम सीमा के नीचे प्रभावी एवं गुणवत्ता युक्त व्यावसायिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है।

## 1.4 व्यावसायिक शिक्षा के सिद्धान्त

व्यावसायिक शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त निम्न हैं जो व्यावसायिक शिक्षा को प्रभावशाली बना सकते हैं–

1. व्यावसायिक शिक्षा तब प्रभावी होता है जब अधिगमकर्त्ता को ऐसे वातावरण में प्रशिक्षण चाहिए जो भविष्य में कार्य करने वाले वातावरण के अनुपात में हो।
2. व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण उसी तरीके से दिया जाय तथा उन्हीं उपकरणों एवं मशीनों के माध्यम से दी जाय जो वास्तविक व्यवसाय में प्रयुक्त किए जाते हैं।
3. यह अधिगमकर्त्ता को प्रत्यक्ष एवं विशिष्ट रूप से उन्ही विचार आदतों (thinking habits) के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दे जो उस विशिष्ट व्यावसाय के लिए आवश्यक हों।
4. यदि अधिगमकर्त्ता अपनी रुचियों, अभिरुचियों तथा अर्न्तनिहित बुद्धिमता का पूरी तरह से उपयोग करें तो व्यावसायिक शिक्षा प्रभावी होगी।
5. किसी भी व्यवसाय, व्यापार या नौकरी किसी विशिष्ट एवं चुने हुए व्यक्तियों को ही दी जा सकती है जिसे इसकी आवश्यकता हो तथा इससे वह लाभ प्राप्त कर सके।
6. जब कार्य करने एवं विचार मंथन करने की सही आदतों के विकास के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण अनुभवों की बार–बार पुनरावृत्ति हो। जिससे लाभपूर्ण व्यवसाय के लिए आवश्यक इन आदतों का स्थायीकरण हो जाय।
7. जब अनुदेशक (Instructor) के पास प्रशिक्षण से सम्बन्धित ज्ञान एवं कौशलों का अनुभव हों।
8. अधिगमकर्त्ता के पास किसी व्यवसाय विशेष से सम्बन्धित आवश्यक न्यूनतम उत्पादन क्षमता हो जिससे वह व्यवसाय में कुलतापूर्वक बना रहे।
9. व्यावसायिक शिक्षा में उन परिस्थितियों की पहचान की जानी चाहिए जो श्रम बाजार (labour market) की

मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक हों। प्रभावी कार्य सम्पादन के लिए बेहतर कार्य परिस्थितियाँ (work conditions) आवश्यक हैं।

10. यदि व्यावसायिक शिक्षा पूर्णतः दृढ़ व मानकीकृत न होकर लचीली एवं गतिशील बहावयुक्त होगी।
11. व्यावसायिक शिक्षा सामाजिक रूप से अधिक उत्पादक होगी यदि अधिगमकर्त्ता के साथ इसके व्यक्तिगत सम्बन्धों में विशिष्ट समूह की विशेषताओं का ध्यान रखा जाएगा।
12. यदि किसी विशिष्ट प्रशिक्षण समूह को आवश्यकता के समय विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त होता है और वे अनुदेशन के द्वारा उपयुक्त लाभ प्राप्त कर रहे हों तो प्रभावी सामाजिक कार्यों में तेजी आती है।

प्रत्येक व्यावसाय के लिए विशिष्ट विषयवस्तु होती है जिसका अन्य व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में मानसिक एवं शारीरिक कार्यों (Mental & Manual Work) के लिए निम्न अन्तर दिए गए है–

| | |
|---|---|
| ज्ञान (Knowledge) | कौशल (Skill) |
| मानसिक (Mental) | शारीरिक (Manual) |
| शैक्षणिक (Academic) | व्यावसायिक (Vocational) |
| सैद्धान्तिक (Theoretical) | प्रायोगिक (Practical) |
| अमूर्त (Abstract) | मूर्त (Concrete) |

## 1.5 व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख तत्व

किसी भी व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित तत्व होते हैं–

1. कार्य अनुभव (Work Experience)
2. औद्योगिक क्षेत्रों का भ्रमण (IndustrialArea Visit)
3. प्रवेश के पूर्व एवं कोर्स अवधि में व्यावसायिक परामर्श
4. समस्या समाधान एवं प्रायोगिक कार्यों से सम्बन्धित कौशल एवं ज्ञान प्रदान करना।
5. पाठ्यक्रम एवं व्यवसाय की उपलब्धता के मध्य स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर सम्बन्ध।
6. नए पाठ्यक्रम तथा आँकलन विधियाँ।

## 1.6 व्यावसायिक शिक्षा की प्रकृति

व्यावसायिक शिक्षा की निम्न प्रकृति होती है–

1. व्यावसायिक शिक्षा में सैद्धान्तिक पक्ष के स्थान पर व्यावहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। जिससे इसका प्रयोग वास्तविक कार्य क्षेत्र में किया जा सके।
2. व्यावसायिक शिक्षा द्वारा किसी व्यवसाय विशेष से सम्बन्धित ज्ञान, कौशलों एवं क्षमताओं की विशिष्ट शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिया जाता है।
3. यह व्यक्ति को अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है।
4. व्यावसायिक शिक्षा की विधियां एवं प्रक्रियाएं सामान्य शिक्षा से भिन्न होती हैं।
5. व्यावसायिक शिक्षा से उत्पादकता में वृद्धि होती है।
6. यह व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए शिक्षा पर आधारित है।
7. व्यावसायिक शिक्षा में नवीनता एवं गतिशीलता होती है।
8. किसी विशिष्ट व्यवसाय के सम्बन्ध में दी जाने वाली शिक्षा एवं प्रशिक्षण अन्य व्यवसायों के लिए अनुपयोगी

होती है।

9. यह जीवन वृत्त के लिए व्यक्ति को तैयार करती है।
10. यह व्यवसाय सम्बन्धी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए व्यक्ति को उपयुक्त बनाती है।
11. इसके माध्यम से व्यक्ति को सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं एवं उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल प्राप्त होता है।
12. अधिगमकर्त्ता को दी जाने वाली शिक्षा एवं प्रशिक्षण समय की मांग के अनुसार होनी चाहिए।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. व्यावसायिक शिक्षा में सैद्धान्तिक पक्ष के स्थान पर व्यावहारिक पक्ष पर अधिक बल क्यों दिया जाता है?

.....

.....

....

2. व्यावसायिक शिक्षा का क्या अर्थ है?

.....

.....

....

3. व्यावसायिक शिक्षा से राष्ट्र की उत्पादकता में वृद्धि किस प्रकार होती है?

.....

.....

....

4. व्यावसायिक शिक्षा के कोई चार प्रमुख तत्व बताइए?

.....

.....

....

## 1.7 व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न समितियों एवं शिक्षा आयोगों के सुझाव

व्यावसायिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो किसी व्यक्ति को किसी व्यवसाय में प्रवेश पाने एवं उसमें सफल होने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशलों, क्षमताओं, अवबोध, दृष्टिकोण, कार्य–आदतों आदि के विकास के लिए संगठित की जाती है। भारत में व्यावसायिक शिक्षा को प्रारम्भ करने एवं लागू करने से सम्बन्धित, सुझाव देने वाली समितियाँ निम्नलिखित हैं–

1. वुड डिस्पैच (1854) इसमें भारतीयों को प्रायोगिक एवं व्यावहारिक शिक्षा देने पर बल दिया गया जो राष्ट्रीय विकास करने में उनकी सहायता कर सके।
2. इण्टर आयोग (1882) ने माध्यमिक स्तर विभिन्निकृत पाठ्यक्रमों (diversified courses) का सुझाव दिया था।
3. हर्टोग समिति (1929) ने माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति पर अधिक से अधिक छात्रों को औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में भेजने की सलाह दी है।

4. एबॉट तथा वुड ने सामान्य शिक्षा के समानान्तर व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम चलाने सम्बन्धी सुझाव दिया। उन्होंने पॉलिटेक्निक नामक नए प्रकार की तकनीकी संस्थाएं खोलने का सुझाव दिया।

5. बेसिक शिक्षा योजना (Basic Education Plan)- गाँधी जी ने अपनी बेसिक शिक्षा योजना में श्रमयुक्त एवं उत्पादक कार्यों से युक्त शिक्षा पर बल दिया है।

6. माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53) ने सुझाव दिया कि माध्यमिक स्तर पर विभिन्निकृत पाठ्यक्रम (Diversified Courses) लागू हो तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना व्यवसायिक शिक्षा के लिए भी हों। माध्यमिक शिक्षा स्तर पर आर्थिक व सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित व्यवसायों के लिए आवश्यक तकनीकों का ज्ञान प्रदान करना तथा विभिन्न कौशलों को व्यावहारिक रूप से सीखाना ही शिक्षा का व्यावसायिकरण है।

7. शिक्षा आयोग (1964–66) ने भी विद्यालयी स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने का सुझाव दिया। आयोग द्वारा प्रस्तावित 10 + 2 + 3 शैक्षिक संरचना में + 2 स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण पर बल दिया गया है। कृषि एवं तकनीकी शिक्षा पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। आयोग ने भी + 2 पर सुरक्षा के विभिन्नीकरण पर बल दिया।

8. पटेल समिति (1977) द्वारा कक्षा 10 तक के पाठ्यक्रम में लोचनीयता तथा वास्तविकता (Reality & Fieribiesty) पर बल दिया जिससे पाठ्यक्रम को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरुप ढ़ाला जा सकें। इस समिति ने पाठ्यक्रम में मानविकी (Humanities) विज्ञान (Sciences) तथा समाजोपयोगी उत्पादक कार्य (SUPW) को स्थान देने की सिफारिश की।

9. डा0 मेलकॉम एस0 आदिशेषैया की अध्यक्षता में 1978 में 10+2 स्तर के पाठ्यक्रम के पुर्ननिरीक्षण का कार्य किया गया। समिति ने NCERT द्वारा प्रकाशित ''उचित माध्यमिक शिक्षा एवं इसका व्यावसायिकरण'' नामक रिर्पोट की पुर्ननिरीक्षण किया। इस समिति को सी0बी0एस0ई0 तथा कुल राज्य परिषदों के पाठ्यक्रमों का अध्ययन चुने हुए व्यवसायों के विशेष संदर्भ में करने एवं उपर्युक्त पाठ्यक्रम का सुझाव देने की भी जिम्मेदारी दी गई। इस समिति को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यवासायीकरण को प्रारम्भ करने के लिए कार्यन्वयन योजना (Implimentation Plan) भी तैयार करने का कार्य सौपा गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट करने के लिए सीखना–सीखने व करने के लिए समाज की ओर'' (Learning To do : Towards a learning and working society) शीर्षक के अन्तर्गत दी, इस समिति की प्रमुख संस्तुतियाँ निम्न है–

   1. उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की दो धाराएँ– (i) सामान्य शिक्षा धारा एवं (ii) व्यावसायीकृत शिक्षा (General Education StreamAnd Vocational Education Streem) होनी चाहिए।

   2. सामान्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्र को विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए तैयार करना होना चाहिए। इसमें भाषा, समाजोपयोगी उत्पादन कार्य तथा प्राकृतिक, समाजिक तथा मानवीय विज्ञानों की शिक्षा दी जानी चाहिए।

   3. व्यावसायिकृत शिक्षा धारा का उद्देश्य +2 के उपरान्त छात्र को रोजगार के लिए योग्य बनाना है। इसके अन्तर्गत तकनीकों, सम्बन्धित विज्ञानों आदि के अध्ययन अथवा अन्य प्रयोगात्मक कार्यो से सम्बन्धित कौशलों को से तकनीकी शिक्षा को भिन्न समझा जाना चाहिए।

   4. कक्षा आठ के उपरान्त जन परीक्षा लेने एवं व्यवसायिक शिक्षा को कक्षा नौ से प्रारम्भ करने का विचार वांछनीय नहीं है।

      व्यवसायिकृत धारा में समय का विभाजन निम्न प्रकार से होना चाहिए–

      (i) भाषा– 15 प्रतिशत

      (ii) समाजोयोगी उत्पादक कार्य– 15 प्रतिशत

      (iii) चयनित विषय–70 प्रतिशत

चयनित विषयों में कृषि आधारित उद्योग, अन्न संग्रह, कृषि यन्त्र मरम्मत व रख–रखाव, भूमि व जल संरक्षण, भूमि परीक्षण, कृषि रसायन, सहकारिता विपणन, कृषि अर्थशास्त्र, कृषि प्रबन्धन, ईधन, जंगल उत्पादन, वाणिज्यिक फसल, बैंकिग, कार्यालय प्रबन्ध, कार्यालय यन्त्र संचालन, टैक्सटाइल डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, रेशम कीड़ा पालन आदि हैं।

छात्रों को सामान्य शिक्षा अथवा व्यवसायिक शिक्षा धारा में जाने के लिए पर्याप्त लचीलापन होना चाहिए।

5. सेमेस्टर प्रणाली एवं क्रेडिट प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए।
6. विभिन्न पंचवर्शीय येाजनाओं में भी व्यावसायिकृत शिक्षा पर बल दिया गया।
7. द्वितीय पंचवर्शीय योजना में 90 जूनियर तकनीकी विद्यालयों की स्थापना की संस्तुति की गई।
8. पाँचवी पंचवर्षीय योजना में उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा की बात कही गई जिसकी योजना केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार की गई।
9. छठवीं पचंवर्षीय योजना में विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रयास करने पर बल दिया गया।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

5. व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में लोचनीयता एवं वास्तविकता क्यों होनी चाहिए?

.....

.....

6. आदिशेषैया समिति ने अपनी रिपोर्ट किस शीर्षक के अन्तर्गत दी?

.....

.....

7. सामान्य शिक्षा धारा व व्यावसयिक शिक्षा धारा के क्या उद्देश्य होने चाहिए?

.....

.....

8. व्यासायिकृत शिक्षा धारा के प्रमुख व्यवसायिकृत क्षेत्र कौन–कौन से है?

.....

.....

## 1.8 व्यावसायिक शिक्षा की प्रांसंगिकता

शिक्षा के व्यावसायिक का अर्थ मात्र व्यावसयिक शिक्षा देने तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना भी है। शिक्षा के व्यावसायिकरण के लिए सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक ज्ञान कौशल तकनीकों आदि को सम्मिलित करना होगा जिससे छात्र अपना अध्ययन पूरा करके

जीविकोपार्जन के लिए सक्षम हो सकें। व्यावसायिक शिक्षा, व्यक्ति को जीवन के लिए तैयार करती है जिससे शिक्षा व जीवन में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो जाता है एवं शिक्षा व्यक्ति के जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध होती है।

व्यावसायिक शिक्षा में छात्रों को तकनीकी, सम्बन्धित विज्ञानों, कृषि एवं अन्य प्रयोगात्मक कार्यों का अध्ययन करके कौशलों की सिखाया जाता है। छात्रों के लिए उच्च माध्यमिक स्तर औपचारिक शिक्षा का समापन बिन्दु होने के कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण होता है। माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के बीच का सेतु होने के कारण भी यह महत्वपूर्ण है। उच्च माध्यमिक शिक्षा को व्यापक उपयोगी व अन्तर्राष्ट्रीय सहभागिता के सिद्धान्तों के साथ–साथ बेरोजगारी उन्मूलन, गरीबी हटाने, ग्रामीण विकास आदि के राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप होना चाहिए। व्यावसायिक की उपयोगिकता को इससे होने वाले लाभों से भी आँका जा सकता है। व्यवसायिक शिक्षा की आधुनिक समय में निम्न प्रसागिकता है–

1. व्यावसायिक शिक्षा स्वरोजगार की क्षमता को विकसित करने में सहायक है।
2. कृषि एवं घरेलू उद्योग धन्धों से सम्बन्धित व्यवसायों को व्यावसायिक शिक्षा में सम्मिलित करके ग्रामीण परिवेश में रोजगार के व्यापक अवसर खोजे जा सकते हैं।
3. छात्र उच्च माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति करके आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बन सकते हैं।
4. वर्तमान समय में शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने में व्यावसायिक शिक्षा अत्यन्त सहायक है।
5. भौतिक संसाधनों का सही ढंग से उपयोग हो सकेगा, इससे राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होगी तथा राष्ट्र के आर्थिक विकास हो गति मिलेगी।
6. व्यवसायिक शिक्षा में छात्र करके सीखते हैं। इसलिए उनमें शारीरिक श्रम की आदत एवं श्रम के प्रति आदर भाव विकसित होता है।
7. व्यावसायिक शिक्षा ग्रामीण विकास में अत्यन्त सहायक है।
8. यह बेरोजगारी तथा निर्धनता उन्मूलन के राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है।
9. व्यावसायिक शिक्षा श्रम के लिए निष्ठा एवं सामाजिक बदलाव लाने में सहायक है।
10. यह राष्ट्रीय उत्पादकता, राष्ट्रीय विकास तथा व्यक्तिगत समृद्धि की प्राप्ति के लिए आवश्यक है।
11. व्यावसायिक शिक्षा नए–नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए मध्यम स्तर की जनशक्ति तैयार करने के लिए आवश्यक है।
12. छात्रों का एक बड़ा वर्ग विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को करके व्यवसाय प्राप्त कर सकता है। इससे देश की बेरोजगारी को दूर करने की समस्या समाप्त होगी।
13. छात्र स्वरोजगार के लिए तैयार हो सकेंगे इससे उनमें आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास जागृत होगा।

इस प्रकार व्यावसायिक शिक्षा आधुनिक समय की माँग है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए भी यह आवश्यक है। व्यवसाय से सम्बन्धित ज्ञान, कौशल, अभिरूचि आदि प्राप्त होने पर व्यक्ति व्यवसाय में अपनी पूरी क्षमता दे सकता है। कौशलपूर्ण ढंग से कार्य करने पर उत्पादकता में भी वृद्धि होती है जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती है। व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा व्यवसाय विशेष से सम्बन्धित ज्ञान, कौशल, तकनीकों आदि को सीखकर व्यक्ति जीविकोपार्जन के योग्य बन सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा व्यक्ति को जीवन के लिए तैयार करती है जिससे शिक्षा व जीवन के मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित होता है, व्यावसायिक शिक्षा ही वास्तविक अर्थों में जीवनोपयोगी शिक्षा है।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

9. छात्रों के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण क्यों है?

.....

.....

10. व्यावासायिक शिक्षा से छात्रों में श्रम के प्रति आदर–भाव कैसे विकसित होता है?

.....

.....

11. व्यावसायिक शिक्षा किन राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है?

.....

.....

12. व्यावसायिक शिक्षा ग्रामीण विकास में किस प्रकार सहायक है?

.....

.....

## 1.9 व्यावसायिक शिक्षा के प्रकार

शिक्षा के +2 स्तर पर व्यावसायिकरण हेतु कृषि वाणिज्य, गृह विज्ञान, चिकित्सोत्तर, तकनीकी जैसे मुख्य क्षेत्रों का चयन करके स्थानीय आवश्यकतानुसार व्यावसायिक पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। तकनीकी आधारित पाठ्यक्रम जैसे– स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर अनुप्रयोग, मल्टीमीडिया, वेब निर्माण, सूचना एवं सम्प्रेषण अनुप्रयोग, इंजीनियरिंग से सम्बन्धित क्षेत्र आदि आते हैं जो वर्तमान समय की आवश्यताओं के अनुरूप है आन्तरिक गृह सज्जा, होटल मैनेजमेन्ट, गृह प्रबन्ध आदि भी उपयोगी व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं।

### I. वाणिज्य आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रम–

इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से कार्यालय प्रबन्ध लेखा पालन कर कानून आयात–निर्यात, टंकण आदि सम्मिलित है, जो इस प्रकार है–

1. **स्टेनोग्राफी एवं कम्प्यूटर अनुप्रयोग** : कम्प्यूटर हार्डवेयर व साफ्टवेयर से सम्बन्धित ज्ञान, कौशल एवं तकनीकी का उपयोग करके व्यक्ति आधुनिक व तकनीकी व्यवसाय प्राप्त कर सकता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग से सम्बन्धित विभिन्न नवीन व्यवसाय प्रारम्भ हो रहे हैं। स्टोनोग्राफी का पाठ्यक्रम करके भी व्यक्ति आजीविका प्राप्त कर सकता है।
2. **बैंकिग** : बैंकिग से सम्बन्धित विभिन्न नवीनतम ज्ञान व कौशल प्रदान करने के लिए से सम्बन्धित व्यावसायिक पाठ्यक्रम करना लाभप्रद होता है।
3. **रिटेल** : शोरूम से सम्बन्धित सहायक सेवाएँ, उपभोक्ता सेवाएँ आदि रिटेल से सम्बन्धित व्यावसायिक पाठ्यक्रम में सिखाई जाती है। शापिंग मॉल के बहु माध्यम आदि का ज्ञान भी दिया जाता है।
4. **ऑफिस सहायक** : विभिन्न प्रकार के ऑफिस के लिए ऑफिस सहायक के पद से सम्बन्धित ज्ञान एवं कौशल सिखाया जाता है।
5. **लेखा–जोखा तथा ऑडिटिंग** : इसके अन्तर्गत वित्तीय सूचनाओं के सम्प्रेषण, प्रबन्धन मापन, प्रक्रियाएं आदि सम्मिलित है। ऑडिटिंग के अन्तर्गत सम्बन्धित न्यायिक व्यक्ति भी तैयार किए जाते

हैं।

6. **मार्केटिंग तथा सेल्समैनशिप** : इसमें व्यक्ति को सम्प्रेषण कौशल, बाजार के उतार चढ़ाव, मुद्रा स्फीति, जोखिम प्रबन्धन आदि से सम्बधित जानकारी व कौशल दिए जाते हैं।

7. **वित्तीय बाजार प्रबन्धन** : इसमें वित्तीय बाजार के प्रबन्धन के लिए आवश्यक ज्ञान व कौशल दिय जाते हैं।

8. **व्यवसाय प्रशासन** : किसी व्यवसाय से सम्बन्धित प्रशासनिक कर्यों के लिए नेतृत्व क्षमता, सम्प्रेषण कौशल, सहयोग की भावना, कार्य कुशलता आदि आवश्यक गुण हैं। इन गुणों एवं कौशलों को विकसित करना आवश्यक होता है। इसके अन्तर्गत वित्तीय लेखा जोखा, जोखिम प्रबन्धन, नियन्त्रक, निवेशक आदि से सम्बन्धित ज्ञान व कौशल सिखाएँ जाते हैं।

II. **इन्जीनियरिंग आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रम–**

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में नए नए अविष्कार होने से नए व्यवसायिक क्षेत्र प्रारम्भ हो रहे हैं जिसका विवरण इस प्रकार है–

1. **इलेक्ट्रिकल तकनीकी** : इसके अन्तर्गत इलेक्ट्रिक यन्त्रों के निर्माण, रख–रखाव एवं मरम्मत आदि से सम्बन्धित ज्ञान एवं कौशल सम्मिलित है।

2. **ऑटोमोबाइल** : ऑटोमोबाइल के यन्त्रों के निर्माण, रख–रखाव एवं मरम्मत से सम्बन्धित ज्ञान व कौशल आता है।

3. **सिविल इन्जीनियरिंग** : भवनों, पुलों, आदि की डिजाइन, उनके निर्माण से सम्बन्धित ज्ञान व कौशल प्रदान किया जाता है।

4. **इलेक्ट्रानिक तकनीको** : इलेक्ट्रानिक यन्त्रों के निर्माण, रख–रखाव एवं मरम्मत से सम्बन्धित ज्ञान व कौशल आते है।

5. **सूचना तकनीकी अनुप्रयोग** : सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी से सम्बन्धित अनुप्रयोग के ज्ञान व कौशल प्रदान किए जाते हैं।

**III. स्वास्थ्य एवं पैरा मेडिकल आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रम–**

इसमें फार्मेसी, एक्सरे, बहु उपयोगी स्वास्थ्य सेवाएं, दन्त चिकित्सा, नर्सिंग दन्तचिकित्सा आदि आते हैं इसके अन्तर्गत आने वाले पाठ्यक्रम का विवरण निम्न है–

(i) एक्सरे तकनीकी

(ii) स्वास्थ्य सेवा विज्ञान

(iii) स्वास्थ्य एवं सौन्दर्य विज्ञान

(iv) चिकित्सा उपचार

(V) चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीकी

**IV. गृह विज्ञान आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रम–**

वर्तमान समय की मांग के अनुसार होटल मैनेजमेन्ट, होम मैनेजमेन्ट, टेक्सटाइल, सौन्दर्य सेवाओं आदि से सम्बन्धित पाठ्यक्रम होता है। इससे सम्बन्धित पाठ्यक्रम का विवरण निम्न हैं–

1. फैशन डिजाइनिंग तथा परिधान निर्माण

2. टेक्सटाइल डिजाइन

3. बाल विकास एवं परिवार परिचर्या

4. सौन्दर्य सेवायें
5. संगीत तकनीकी उत्पादन
6. आन्तरिक संख्या
7. गृह प्रबन्ध
8. शिशु शिक्षा
9. आधार संरक्षण
10. बेकरी, कुकरी व कन्फेक्शनरी
11. कैन्टीन प्रबन्धन
12. पोषण

**V. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान आधारित पाठ्यक्रम–**

पुस्तकालय से सम्बन्धित सेवाओं की जानकारी एवं कौशल प्रदान किए जाते हैं।

**VI. जीवन सुरक्षा आधारित पाठ्यक्रम–**

1. फसल विज्ञान
2. मछली पालन,
3. फल संरक्षण

**VII. कृषि आधारित पाठ्यक्रम–**

1. फसल विज्ञान
2. मछली पालन मुर्गी पालन
3. फल संरक्षण
4. कृषि यान्त्रिक उर्वरक
5. कीटनाशक दवाईयाँ
6. भूमि संरक्षण
7. दुग्ध विज्ञान

**VIII. टूरिज्म आधारित पाठ्यक्रम–**

वर्तमान समय में टूरिज्म आधारित व्यवसायों की बहुत माँग है। अतः सम्बन्धित आवागमन एवं बहु माध्यम अध्ययन आदि पर बल दिया जा रहा है। इससे सम्बन्धित पाठ्यक्रम का विवरण निम्न हैं–

1. खाद्य उत्पादन
2. बहु माध्यम अध्ययन
3 आवागमन एवं टूरिज्म
4. टूरिज्म गाइड

**IX. फोटोग्राफी–**

वन्य जीवन, प्राकृतिक दृश्यों की फोटोग्राफी की बहुत माँग है। मॉडलिंग क्षेत्रों में भी फोटोग्राफी की व्यावसायिक पाठ्यक्रम करके इसके द्वारा जीविकापार्जन किया जा सकता है। इसके अन्तर्गत फोटोग्राफी के नवीनतम ज्ञान एवं कौशल प्रदान किया जा सकते हैं।

**X. मुद्रण कला–**

प्रीटिंग प्रेस एवं कम्प्यूटर के माध्यम से मुद्रण कला के सम्बन्ध में ज्ञान एवं कौशल प्रदान किए जाते हैं। मुद्रण कला से सम्बन्धित एडिटिंग, बेटिंग फार्मेटिंग आदि सिखायी जाती है।

**XI. चित्रकला–**

चित्रकला से सम्बन्धित ज्ञान, कौशल एवं अभिरूचि में विकास किया जाता है। चित्रकला के विभिन्न प्रकारो के बारे में बारिकी से बताया जाता है। इसके अतिरिक्ति मूर्तिकला, शिल्पकला, वास्तुकला, ललित कला आदि से सम्बन्धित व्यवस्थित पाठ्यक्रम भी होते हैं।

ऑडिटिंग के अन्तर्गत किसी संख्या के पुस्तकों लेखा, अभिलेख रिपोर्ट आदि का व्यवस्थित एवं स्वतन्त्र परीक्षण होता है। इसमें वित्तीय एवं अवित्तीय दोनो ही व्यवस्थाओं को देखा जाता है। इसके निम्न भाग है–

1. जोखिम प्रबन्धन (RiskMangment)
2. नियन्त्रण (Control)
3. गुणवत्ता प्रबन्धन (Quality Mangement)
4. न्यायिक मामले (Legal Matters)

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

13. वाणिज्य आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत कौन–कौन से क्षेत्र सम्मिलित हैं?

.....

.....

14. कुछ प्रमुख स्वास्थ्य एवं पैरामेडिकल आधारित व्यवसाओं के नाम बताइए।

.....

.....

15. आधुनिक समय में गृह विज्ञान आधारित कौन से व्यवसायिक पाठ्यक्रम अधिक प्रचलित हैं?

.....

.....

## 1.10 सारांश

व्यावसायिक शिक्षा का अर्थ मात्र व्यावसायिक शिक्षा देने तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगिक विकास है। यह ऐसी शिक्षा है जिसके द्वारा छात्र व्यवसाय विशेष से सम्बन्धित ज्ञान, कौशल, अभिरूचि तकनीकी आदि की शिक्षा प्राप्त करता है। व्यासायिक शिक्षा व्यक्ति को जीवन के लिए तैयार करती है। यह स्वरोजगार की क्षमता को विकसित करने में भी सहायक है छात्र उच्च माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति पर आर्थिक रूप से स्वालम्बी बन सकते हैं। व्यासायिक पाठ्यक्रमों के द्वारा व्यक्ति कौशलपूर्ण तरीके से व्यवसाय में अपनी सेवाएं प्रदान करता है जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। इससे राष्ट्र के आर्थिक विकास की भी वृद्धि होती है। माध्यमिक शिक्षा में करके सीखते है अतः उनमें शारीरिक श्रम की आदत एवं श्रम के प्रति आदर भाव विकसित होते है। पटेल समिति (1977) द्वारा +2 की शिक्षा का पाठ्यक्रम दो धाराओं– समान्य शिक्षा धारा एवं व्यवसायिक शिक्षा धारा में विभक्त करने का सुझाव दिया गया।

## 1.11 अभ्यास के प्रश्न

1. व्यावसायिक शिक्षा के अर्थ एवं प्रकृति का वर्णन कीजिए?
2. व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित पटेल समिति द्वारा दिए गये प्रस्तावों का विवरण कीजिए।
3. व्यावसायिक की वर्तमान समय में क्या प्रसांगिकता है?
4. वाणिज्य आधारित प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्र कौन –कौन से हैं?
5. कुछ प्रमुख इन्जीनियरिंग के क्षेत्र के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के नाम बताइए।
6. व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख सिद्धान्त बताइए।

## 1.12 चर्चा के बिन्दु

1. वर्तमान समय के नवीन व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए।
2. गृह विज्ञान से सम्बन्धित वर्तमान समय में कौन–कौन से व्यवसायिक पाठ्यक्रम अधिक प्रचलित है? चर्चा कीजिए।

## 1.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. व्यावसायिक शिक्षा में सैद्धान्तिक पक्ष के स्थान पर व्यवसायिक पक्ष पर अधिक बल इसलिए दिया जाता है जिससे इसका प्रयोग वास्तविक कार्य क्षेत्र में किया जा सके।
2. व्यावसायिक शिक्षा का अर्थ किसी व्यवसाय विशेष से सम्बन्धित ज्ञान कौशल एवं अवबोध प्रदान करना है जिससे उस व्यवसाय में उनकी अभिरूचियों एवं क्षमताओं को बढ़ाया जा सके।
3. व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में अधिक कौशलपूर्ण ढंग से कार्य कर सकता है जिससे व्यवसाय में उत्पादकता बढ़ने से राष्ट्र की उत्पादकता भी बढ़ती है।
4. व्यावसायिक शिक्षा के चार प्रमुख तत्व हैं (1) कार्य अनुभव (2) औद्योगिक क्षेत्रों का भ्रमण (3) नए पाठ्यक्रम एवं ऑकलन विधियॉ (4) व्यावसायिक परामर्श
5. व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में लोचनीयता एवं वास्तविक इसलिए होनी चाहिए जिससे पाठ्यक्रम को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जा सके।
6. आदिशेषैया समिति ने अपनी रिपोर्ट ''करने के लिए सीखना सीखने व करने के लिए समाज की ओर'' शीर्षक के अन्तर्गत दी।
7. सामान्य शिक्षा धारा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए तैयार करता है तथा व्यावसायिक शिक्षा धारा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को +2 के उपरान्त व्यवसाय के लिए योग्य बनाना है।
8. व्यावसायिक शिक्षा धारा के मुख्य व्यवसायिक क्षेत्र कृषि, वाणिज्य गृह विज्ञान, चिकित्सा एवं पैरामेडिकल आदि हैं।
9. माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के बीच का सेतु होने के कारण उच्च माध्यमिक शिक्षा महत्वपूर्ण है।
10. व्यावसायिक शिक्षा में छात्र स्वयं करके सीखते हैं। अतः उनमें श्रम के प्रति आदर भाव विकसित होता है।
11. व्यावसायिक शिक्षा बेरोजगारी तथा निर्धनता उन्मूलन जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है।
12. व्यावसायिक शिक्षा से ग्रामीण छात्र व्यवसाय प्राप्त करके जीविकोपार्जन कर सकते हैं। व्यवसाय में कौशलयुक्त कार्य करने से ग्रामीण क्षेत्र की उत्पादकता में भी वृद्धि होगी।
13. वाणिज्य आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत कार्यालय प्रबन्ध लेखा पालन, कर कानून, आयात निर्यात, टंकण आदि सम्मिलित है।
14. स्वास्थ्य एवं पैरामेडिकल आधारित व्यवसाय फार्मेसी, एक्सरे, बहु उपयेगी स्वास्थ्य सेवाएँ, दन्त चिकित्सा,

नर्सिग आदि हैं।

15. आधुनिक समय में गृह विज्ञान आधारित प्रमुख व्यावसायिक पाठ्यक्रम होटल, मैनेजमेन्ट, होम मैनेजमेन्ट, आन्तरिक सज्जा, टेक्सटाइल, सौन्दर्य सेवाएं आदि हैं।

## 1.14 कुछ उपयोगी पुस्तकें


1. **गुप्ता, एस.पी. एवं गुप्ता अलका** (2016), आधुनिक भारतीय शिक्षा की समस्याए, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
2. **उपाध्याय, प्रतिभा** (2013), भारतीय शिक्षा में उदीयमान प्रवृत्तियाँ, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
3. **संगीता** (2014), शिक्षा के नूतन आयाम, अनुभव पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद।
4. **राव वी.के.** (2003), वोकेशन एजुकेशन, ए.पी.एच. पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
5. **कुमार कौशल** (2001), वोकेशन एजुकेशन, ए.वी.डी. पब्लीशर्स, नई दिल्ली।

# इकाई– 2 : व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र एवं आवश्यकता

## इकाई की संरचना


2.1 प्रस्तावना

2.2 इकाई के उद्देश्य

2.3 भारत में व्यावसायिक शिक्षा का इतिहास

2.4 व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र

2.5 व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता

2.6 वर्तमान समय में व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित चुनौतियाँ

2.7 व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित चुनौतियों के समाधान के उपाय

2.8 सारांश

2.9 अभ्यास के प्रश्न

2.10 चर्चा के बिन्दु

2.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

2.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें


## 2.1 प्रस्तावना

आज जीवन और समाज का हर एक क्षेत्र तकनीकी से प्रभावित है। अतः आधुनिक समय में परम्परागत शिक्षण को व्यावसायिक एवं तकनीकी से युक्त करने की अत्यन्त आवश्यकता है। इससे न केवल देश का विकास होगा अपितु इन तकनीकी व व्यावसायिक कौशलों से युक्त व्यक्ति भी जीविकोपार्जन के योग्य हो सकेगा, तकनीकी ज्ञान व कौशल रखने वाले व्यक्ति को कभी भी व्यवसाय की कमी नहीं होती है। अतः व्यावसायिक शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा समाज को उन्नत बनाने में सहायक है। तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा उस शिक्षा का एक प्रकार है जो विभिन्न उद्योग धन्धों के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति से सम्बन्धित है। संगठित एवं असंगठित दोनों प्रकार के उद्योगों के लिए व्यावसायिक शिक्षा आवश्यक है। कृषि, इंजीनियरिंग, गृहविज्ञान, वाणिज्य, पैरामेडिकल आदि क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है इससे देश के उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है तथा व्यक्ति का विकास हो रहा है।

## 2.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो जाएंगे कि–

1. भारत में व्यावसायिक शिक्षा के इतिहास के विषय में जानकारी दे सकेंगे।
2. व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र के विषय में बता सकेगें।
3. व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता के बारे में बता सकेगें।
4. वर्तमान समय में व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित चुनौतियाँ के बारे में बता सकेगें।

5. व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित चुनौतियों के समाधान के उपाय के बारे में बता सकेगें।

## 2.3 भारत में व्यावसायिक शिक्षा का इतिहास

भारत में ब्रिटिश शासन ने तकनीकी केन्द्रों की स्थापना की क्योंकि उन्हें सड़कों, भवनों आदि के निर्माण एवं अन्य कार्यों के लिए कुशल कामगारों की आवश्यकता थी। ब्रिटिश सेना की सहायता के लिए भी कुशल क्राफ्ट्समैन की आवश्यकता थी, यद्यपि इंजीनियर व उच्च अधिकारी इग्लैण्ड से आते थे, परन्तु भारतीय कामगारों को कम वेतन पर रखा जाता था। इन कामगारों की क्षमताओं को बढाने के लिए उन्हें प्रमुख बातें लिखित मौखिक, ज्यामितीय और यांत्रिकी रूप बताई जाती थी।

औद्योगिक क्रान्ति के उपरान्त तकनीकी शिक्षा के महत्व को महसूस किया गया क्योंकि कम समय में मशीनों के प्रयोग द्वारा कार्यो को कौशलात्मक ढंग से करने की आवश्यकता थी। अतः शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आने लगा। भारत में उस समय की शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व विकास पर अधिक केन्द्रित थी जो धीरे–धीरे कौशल विकास में बदलने लगी।

यद्यपि 1825 में कलकत्ता तथा बम्बई में तकनीकी विद्यालय उपलब्ध थे, परन्तु 1842 में मद्रास में औद्योगिक विद्यालय स्थापित हुआ। सिविल इन्जीनियरों को प्रशिक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश में पहला इंजीनियरिंग कालेज खोला गया। नवम्बर 1856 में बंगाल में कलकत्ता कालेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की स्थापना हुई। एक वर्ष बाद इसका नाम बदलकर बंगाल इंजीनियरिंग कालेज हो गया। समय व आवश्यकता के अनुसार इस प्रकार के अनेक संस्थान भारत में खुलने प्रारम्भ हो गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सभी प्रकार के इंजीनियरों की आवश्यकता हुई। अतः अनेक इंजीनियरिंग कालेज व संस्थान खोले जाने लगे।

### सरकारी पहल

कौशल विकास को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार ने नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की स्थापना की। ये राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के अनुरूप हैं। राधाकृश्णन समिति (1948) ने सुझाव दिया कि कक्षा–10 की समाप्ति पर छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए बड़ी संख्या में इण्टरमीडिएट कालेजों की स्थापना की आवश्यकता होगी। मुदालियर आयोग (1952) ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा अपने आप में एक सम्पूर्ण इकाई होनी चाहिए न कि केवल भविष्य की तैयारी का एक चरण। यदि छात्र चाहें तो वह जीवन की जिम्मेदारियों को निभा सके एवं किसी व्यवसाय में संलग्न हो सके। आयोग ने माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम के विभिन्नीकरण का भी सुझाव दिया, इसके परिणाम स्वरूप बहु–उद्देश्यीय विद्यालयों की स्थापना हुई।

इसके उपरान्त 1955 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। इसका प्रमुख कार्य तकनीकी पाठ्यक्रमों के डिग्री व डिप्लोमा कोर्स के सभी पक्षों के लिए सलाह देना है। इसी समय औद्योगिक कामगारों को आधारभूत स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का नेटवर्क तैयार हो रहा था। आई0टी0आई0 तथा पॉलीटेक्निक के बीच की दूरी को पूरा करने के लिए जूनियर या तकनीकी विद्यालय खोले गए, परन्तु पर्याप्त प्रोत्साहन न मिलने के कारण इस प्रकार के केवल 200 विद्यालय ही वर्तमान समय में भारत में है।

कोठारी आयोग (1964–66) ने भी महसूस किया कि अधिकांश व्यवसायों के लिए विश्वविद्यालयी डिग्री की आवश्यकता न होकर प्रशिक्षित हाईस्कूल छात्रों की आवश्यकता है। आयोग ने सुझाव दिया कि माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की दो धाराएँ हों– पहली धारा जो छात्रों को विश्वविद्यालयी शिक्षा तथा प्रोफैशनल कॉलेज की उच्च शिक्षा के लिए तैयार करे तथा दूसरी व्यावसायिक शिक्षा की धारा हो जो छात्र को विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के लिए तुरन्त तैयार करे। 1977 में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में शिक्षा के व्यावसायीकरण पर जोर दिया गया। उपयुक्त आन्तरिक संरचना एवं पाठ्यवस्तु के पुर्ननिर्माण के द्वारा गुणवत्ता उन्नयन की बात कही गयी। शिक्षा का मजबूत सम्बन्ध विभिन्न औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों कृषि, स्वास्थ्य एवं सामुदायिक विकास के साथ करने पर बल दिया गया।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. ब्रिटिश सरकार ने भारत में तकनीकी केन्द्रों की स्थापना क्यों की?

.....

.....

2. बहु–उद्देशीय विद्यालयों की स्थापना किस आयोग की संस्तुति पर की गयी?

.....

.....

3. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का प्रमुख कार्य क्या है?

.....

.....

## 2.4 व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र

भारत में सम्पूर्ण शिक्षा को सामाजिक, आध्यात्मिक एवं व्यावसायिक शिक्षा में बाँटा जा सकता है। समाज के विभिन्न मुद्दों से सम्बन्धित शिक्षा सामाजिक शिक्षा के अन्तर्गत आती है। व्यक्तित्व विकास आध्यात्मिक शिक्षा का भाग है एवं व्यावसायिक शिक्षा का सम्बन्ध मुख्यतः तकनीकी आधारित शिक्षा से है जो आगे कृषि चिकित्सा, इंजीनियरिंग तथा वाणिज्य क्षेत्रों में विभक्त होता है। तकनीकी शिक्षा एक कौशल आधारित शिक्षा है जो मुख्य रूप से व्यवसाय जगत को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। इसके द्वारा विशिष्ट क्षेत्र में व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया जाता है।

भारत में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के दो संरचनात्मक धाराएँ हैं–

1) औपचारिक

2) अनौपचारिक

पॉलीटेक्निक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र आदि प्रमुख तकनीकी व्यावसायिक संस्थाएँ हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ किया गया माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्रीय योजना भी व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने का एक प्रमुख औपचारिक स्रोत है। लघु अवधि तकनीकी पाठ्यक्रम के अन्तर्गत स्व–अधिगम वाले एवं छोटी प्राइवेट संस्थाएँ आती हैं। व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित है–

1) **इंजीनियरिंग शिक्षा** – इलेक्ट्रिकल तकनीकी इसके अन्तर्गत इलेक्ट्रिक यन्त्रों के निर्माण रख रखाव मरम्मत आदि से सम्बन्धित ज्ञान एवं कौशल सम्मिलित है।

- ऑटोमोबाइल तकनीकी– ऑटोमोबाइल के यन्त्रों के निर्माण, रख रखाव एवं मरमम्त से सम्बन्धित ज्ञान व कौशल आता है।
- सिविल इन्जीरिंग– भवनों, पुलों, आदि की डिजाइन, उनके निर्माण से सम्बन्धित ज्ञान व कौशल प्रदान किया जाता है।
- इलेक्ट्रानिक तकनीकी– इलेक्ट्रानिक यन्त्रों के निर्माण, रख–रखाव एवं मरम्मत से सम्बन्धित ज्ञान व कौशल आते हैं।

- सूचना तकनीकी अनुप्रयोग–
  i. सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी से सम्बन्धित अनुप्रयोग के ज्ञान व कौशल प्रदान किए जाते हैं।
  ii. तकनीकी शिक्षा व्यवस्था की योजनाएँ बनाना एवं उसका समन्वित विकास।
  iii. तकनीकी शिक्षा सम्बन्धी मानक तथा प्रमाणीकरण का नियंत्रण व आंकलन।

2) **कृषि आधारित शिक्षा** –

- फसल विज्ञान
- मछली पालन, मुर्गी पालन
- फल संरक्षण
- कृषि यान्त्रिक उर्वरक
- कीटनाशक दवाईयाँ
- भूमि संरक्षण
- दुग्ध विज्ञान

3) **अध्यापक शिक्षा** – अध्यापक शिक्षा के अन्तर्गत बी.एड., एम.एड., बी.टी.सी., डी.एल.एड. एवं एल.टी. जैसे प्रमुख पाठ्यक्रम हैं।

4) **स्वास्थ्य शिक्षा** –

- एक्सरे तकनीकी
- स्वास्थ्य सेवा विज्ञान
- स्वास्थ्य एवं सौन्दर्य विज्ञान
- चिकित्सा उपचार
- चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीकी

5) **गृह–विज्ञान आधारित शिक्षा** –

- फैशन डिजाइनिंग तथा परिधान निर्माण
- टेक्सटाइल डिजाइन
- बाल विकास एवं परिवार परिचर्या
- सौन्दर्य सेवायें
- संगीत तकनीकी उत्पादन
- गृह प्रबन्ध
- शिशु शिक्षा
- आधार संरक्षण
- बेकरी, कुकरी व कन्फेक्शनरी
- कैन्टीन प्रबन्धन
- पोषण

6) **ग्राफिक एवं वेब डिजाइनिंग**– इससे सम्बन्धित ज्ञान, कौशल एवं अभिरूचि का विकास किया जाता है।

7) **होटल मैनेजमेंट**– इससे ज्ञान, कौशल एवं अभिरूचि का विकास किया जाता है।

8) **फिल्म व टेलीविजन**– इससे सम्बन्धित ज्ञान, कौशल एवं अभिरूचि का विकास किया जाता है।

9) **कम्प्यूटर शिक्षा**– इससे सम्बन्धित ज्ञान, कौशल एवं अभिरूचि का विकास किया जाता है।

10) **टूरिज्म** – इससे सम्बन्धित ज्ञान, कौशल एवं अभिरूचि का विकास किया जाता है।

11) **सौन्दर्य विज्ञान**– इससे सम्बन्धित ज्ञान, कौशल एवं अभिरूचि में विकास किया जाता है।

12) **टेक्सटाइल** – इससे सम्बन्धित ज्ञान, कौशल एवं अभिरूचि में विकास किया जाता है।

13) **ऑफिस मैनेजमेंट**– विभिन्न प्रकार के ऑफिस के लिए ऑफिस सहायक के पद से सम्बन्धित ज्ञान एवं कौशल सिखाया जाता है।

14) **औद्योगिक शिक्षा**– किसी व्यवसाय से सम्बन्धित प्रशासनिक कर्यों के लिए नेतृत्व क्षमता, सम्प्रेषण कौशल, सहयोग की भावना, कार्य कुशलता आदि आवश्यक गुण हैं। इन गुणों एवं कौशलों को विकसित करना आवश्यक होता है। इसके अन्तर्गत वित्तीय लेखा जोखा, जोखिम प्रबन्धन, नियन्त्रक, निवेशक आदि से सम्बन्धित ज्ञान व कौशल सिखाएँ जाते हैं।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

4. तकनीकी शिक्षा से आप क्या समझते हैं?

.....

.....

5. व्यावसायिक शिक्षा के चार प्रमुख क्षेत्र बताइए?

.....

.....

6. कृषि आधारित शिक्षा के अन्तर्गत कौन–कौन से पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं?

.....

.....

7. अध्यापक शिक्षा के अन्तर्गत कौन–कौन से प्रमुख पाठ्यक्रम हैं?

.....

.....

## 2.5 व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता

आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) के अनुसार 15 से 29 वर्ष के बीच की आयु को 30 प्रतिशत से अधिक युवा रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण में नहीं है। ''रोजगार में नहीं'' का अभिप्राय है कि अनुपलब्धता के कारण रोजगारों के लिए तलाश नहीं कर रहे हैं अथवा वे अपने कौशलों के अनुरूप किसी रोजगार में नहीं है। हर महीने लाखों की संख्या में लोगों के कार्यबल से जुड़ने के साथ ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा मानव संसाधन विकास क्षेत्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इन लाखों लोगों को विशिष्ट व्यवसाय में ज्ञान व कौशलों से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता है।

प्रशिक्षुता उत्पादन स्थापनाओं में उपलब्ध सुविधाओं का प्रयोग करते हुए उद्योग अनुकूल कौशल अर्जित

करने का सबसे दक्ष मार्ग होता है। प्रशिक्षुता प्रशिक्षण में बुनियादी प्रशिक्षण घटक एवं प्रत्येक ट्रेड के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल होता है। इसकी पाँच प्रकार की श्रेणियाँ हैं–

1. ट्रेड प्रशिक्षुता,
2. स्नातक प्रशिक्षुता,
3. तकनीशियन प्रशिक्षुता,
4. व्यावसायिक प्रशिक्षुता,
5. वैकल्पिक ट्रेड प्रशिक्षुता

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीसी) का उद्देश्य संचयी प्रशिक्षुता संलग्नता को 2020 तक 31 लाख से 50 लाख करना है।

योजना में नियोक्ता के साथ जुड़ने वाले सभी प्रशिक्षुओं को निर्धारित वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करने का प्रावधान है। प्रति अभ्यर्थी प्रतिमाह रू0 1500/– की सीमा है। भारत में व्यावसायिक शिक्षा की निम्न आवश्यकता है–

1. व्यावसायिक शिक्षा विषय ज्ञान के साथ–साथ व्यावसायिक कौशलों को भी प्रदान करती है।
2. व्यावसायिक शिक्षा विशिष्ट प्रयोगात्मक कौशलों पर केन्द्रित करते हैं।
3. ये पाठ्यक्रम व्यवसाय के विशिष्ट प्रकार की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में सूझ विकसित करने में सहायक होते हैं।
4. विशिष्ट अधिगम प्रदान करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा आवश्यक है।
5. संगठित क्षेत्रों में कौशलयुक्त मानव शक्ति प्रदान करने के लिये विभिन्नीकृत पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

8. व्यावसायिक प्रशिक्षण की प्रमुख श्रेणियां कौन–कौन सी है?

.....

.....

9. व्यावसायिक शिक्षा की कोई दो प्रमुख आवश्यकताएँ बताइए?

.....

.....

10. राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीसी) का क्या उद्देश्य है?

.....

.....

## 2.6 वर्तमान समय में व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित चुनौतियाँ

वर्तमान समय में व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं–

1. माध्यमिक शिक्षा में शाला त्याग दर बहुत अधिक है। भारत में विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या 220 मिलियन है। इनमें से केवल 12 प्रतिशत छात्र ही विश्वविद्यालय तक पहुँचते हैं। 18–24 आयु वर्ग के अधिकांश बच्चें कॉलेज नहीं जा पाते हैं। अन्य समस्त स्तर वाले देशों की तुलना में भारत में प्राथमिक शिक्षा

में कमी नहीं है बल्कि माध्यमिक शिक्षा में तुलनात्मक रूप से कमी है।

2. वर्तमान समय में 10+2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा देने का प्रावधान है, किन्तु इस स्तर पर आने वाले अधिकांश छात्र उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित होते हैं। 11वीं तथा 12वीं के व्यावसायिक पाठ्यक्रम में नामांकन उच्च माध्यमिक शिक्षा का केवल 3 प्रतिशत ही होता है। व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था में लगभग 6800 विद्यालयों के 4,00,000 विद्यार्थी ही नामांकन कराते हैं जो इन विद्यालयों के उपलब्ध विद्यार्थियों का केवल 40 प्रतिशत ही होता है।

3. अन्तर्गराष्ट्रीय अनुभव यह बताता है कि अधिकांश नियोक्ता केवल व्यावसायिक कौशलों वाले ही नहीं बल्कि सुदृढ़ मौलिक अकादमिक कौशलयुक्त युवा चाहते हैं। वर्तमान व्यवस्था सामान्य अकादमिक कौशल पर जो नहीं देती है।

4. व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 11 एवं 12 में दी जाती है, परन्तु इस स्तर पर छात्र तकनीकी प्रशिक्षण के बजाय उच्च शिक्षा की ओर अधिक ध्यान देते हैं। अधिकांश नियोक्ता भी अभ्यर्थियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के बजाय उनके शैक्षणिक रिकार्ड पर अत्यधिक ध्यान देते हैं।

5. व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं में भी प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव होती है। अधिकांश शिक्षक जो मूलभूत तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं वे अधिक योग्य नहीं होते हैं।

6. हमारे देश में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण संस्थानों का अभाव है वे आवश्यक मानक पूरे नहीं करते हैं।

7. भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों का आपस में समन्वय भी एक बड़ी चुनौती है। जिसके कारण इन संस्थाओं का विकास नहीं हो पा रहा है।

8. भारत में व्यवसाय के दौरान कौशलों के उन्नयन पर भी बल नहीं दिया जाता है।

9. अद्यतन पाठ्यक्रमों का अभाव है।

10. विशिष्ट तकनीकी शिक्षा का अभाव है।

11. शिक्षकों में शिक्षण के प्रति उदासीनता है।

12. व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों को शाला–त्याग एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए ही स्थान नहीं मानना चाहिए। यह अत्यन्त आवश्यक है कि व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों के सम्बन्ध में हमारे भीतर क्रान्तिकारी परिवर्तन आने चाहिए। लोगों में व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं एवं शाला–त्याग करने वाले छात्रों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए।

13. व्यावसायिक शिक्षा की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि कोर्स समाप्त करने पर छात्र स्वतंत्र रूप से व्यवसाय के लिए योग्य हो सके और सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ–साथ व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाना चाहिए।

14. व्यावसायिक पाठयक्रम प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भविष्य में पुनः प्रशिक्षण के भी प्रावधान होने चाहिए जिससे उसे उद्यतन छात्र एवं कौशल प्राप्त हो सके। वे अपनी क्षमता से अपने व्यवसाय में और तरक्की कर सके।

15. ग्रामीण कामगारों के लिए कृषि आधारित शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। कृषि में नए उपागमों की जानकारी प्राप्त करने के लिए लघु अवधि रिफ्रेशर कोर्स की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

16. सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कार्य–आधारित शिक्षा एवं क्राफ्ट आधारित शिक्षा व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से दी जानी चाहिए।

17. छात्रों में व्यावसायिक ज्ञान के प्रति अभिरूचि विकसित करने हेतु पूर्व व्यावसायिक शिक्षा एवं व्यावसायिक परामर्श दिए जाने चाहिए।

18. राज्य स्तर पर एक संस्था खोलनी चाहिए जो छात्रों के व्यावसायिक विद्यालय से औद्योगिक कारखानों में स्थानान्तरण के उद्देश्यों की पूर्ति करे।

19. व्यवसाय में रहते हुए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।

20. व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के शिक्षकों के भी प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। सभी विकसित एवं औद्योगिक देशा में इसकी विशेष व्यवस्था होती है।

21. विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यपुस्तकों एवं अध्ययन सामग्री को अद्यतन करते रहना चाहिए।

22. नवयुवकों को व्यावसायिक शिक्षा के प्रति आकर्षित करने हेतु लघु–उद्योग की योजनाओं के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है।

23. व्यावसायिक शिक्षा के सभी कोर्स के लिए कम से कम फीस होनी चाहिए। सरकार द्वारा भी इसमें सहायता की जानी चाहिए।

24. व्यावसायिक शिक्षा का विकास मानवीय, सामाजिक एवं औद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

25. राज्य एवं जिला स्तरीय व्यावसायिक शिक्षा समिति होनी चाहिए जो पाठ्यक्रम निर्धारण एवं अन्य प्रशिक्षण सुविधाओं के सम्बन्ध में निर्णय ले सके।

26. विद्यालय तथा उद्योग के मध्य सम्बन्ध स्थापित करनाा चाहिए। अवकाश के दिनों में विद्यालय के संसाधनों का प्रयोग व्यावसायिक शिक्षा के लिए किया जा सके। व्यावसायिक विद्यालयों के छात्रों को औद्योगिक कारखानों में ले जाना चाहिए जिससे उन्हें व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हो सके। तृतीयक स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

27. व्यावसायिक शिक्षा के निरीक्षण एवं प्रशासन के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर विभाग होने चाहिए।

28. केवल व्यावसायिक विशेषज्ञ व्यक्ति ही प्रभावी ढंग से व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर सकता है। अतः उन्हें समय–समय पर व्यावसायिक संस्थाओं में आकर विशिष्ट ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना चाहिए।

29. नई आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम को पुनः संरचित किया जाना चाहिए।

30. वित्त विभाग का व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के साथ समन्वय होना चाहिए।

31. वंचित वर्ग के छात्रों के लिए व्यावसायिक शिक्षा में विशेष प्रावधान होने चाहिए।

## बोध प्रश्न

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

11. व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों से सम्बन्धित दो प्रमुख चुनौतियाँ बताइए?

.....

.....

12. व्यावसायिक पाठ्यक्रम से सम्बन्धित प्रमुख चुनौतियाँ क्या है?

.....

.....

13. व्यावसायिक शिक्षा में शिक्षकों से सम्बन्धित प्रमुख चुनौतियाँ बताइए?

.....

.....

## 2.7 व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित चुनौतियों के समाधान के उपाय

व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित चुनौतियों के समाधान के निम्न उपाय हो सकते हैं–

1. व्यावसायिक शिक्षा में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि पुराने पाठ्यक्रम को नया एवं विकसित रूप प्रदान किया जाय।
2. नवीनतम ज्ञान एवं कौशल प्रदान करने के लिए नए संस्थान खोले जांय।
3. औद्योगिक क्षेत्रों की सहभागिता के साथ कक्षाओं को अधिक मनोरंजक एवं अन्तःक्रियात्मक बनाया जाय।
4. चुने हुए व्यावसायिक क्षेत्र में छात्र को उनके वृद्धि पथ के सम्बन्ध में जागरूक होना चाहिए।
5. भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई, 2015 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना की गयी जिसका उद्देश्य नए भारत के निर्माण के लिए समाज के विभिन्न वर्गो को युवाओं का सशक्तिकरण है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने नीति, ढाँचा एवं मानदण्डों के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। साथ–ही साथ यह मंत्रालय नए कार्यक्रमों और योजनाओं की शुरूआत, नए बुनियादी ढ़ाँचों का सृजन और मौजूदा संस्थानों का उन्नयन, राज्यों के साथ भागीदारी, उद्योगों के साथ जुड़ाव, सामाजिक स्वीकार्यता और आकांक्षाओं के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
6. विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का निर्धारण जिला स्तर पर किये गए व्यावसायिक सर्वेक्षण के आधार पर किया जाना चाहिए। इसमें सम्भावित नियोक्ताओं, विशेषज्ञों, अध्यापकों, आदि से परामर्श के आधार पर किया जाना चाहिए।
7. छात्रों को वास्तविक कार्य परिस्थितियों में व्यावहारिक प्रशिक्षण देने तथा प्रशिक्षुत्व के प्रावधान करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
8. शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विभिन्न संस्थानों, संगठनों एवं प्रतिष्ठानों के सहयोग प्राप्त करने से ही व्यावसायिक शिक्षा सफल हो सकती है।
9. व्यावसायिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक जागरूकता अनुस्थापन, पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षण सामग्री की उपलब्धता, कार्यक्रमों का मूल्यांकन जैसे उत्तरदायित्व परिषद को उठाने होंगे।
10. छात्रों को सामान्य शिक्षा अथवा व्यावसायिक शिक्षा धारा में जाने के लिए पर्याप्त नम्यता (Flexibility) होनी चाहिए। इन दोनों धाराओं में अनेक क्रॉस–ओवर बिन्दु होने चाहिए।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

14. पाठ्यक्रम से सम्बन्धित चुनौतियों को दूर करने के उपाय बताइये।

.....

.....

15. कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का प्रमुख उद्देश्य बताइए।

.....

.....

16. व्यावसायिक शिक्षण–प्रशिक्षण के गुणवक्ता उन्नयन के कोई दो उपाय बताइए।

.....

.....

17. व्यावसायिक शिक्षा के क्रियान्वयन में सुधार के उपाय बताइए।

.....

.....

## 2.8 सारांश

आधुनिक समय में परम्परागत शिक्षण को व्यावसायिक एवं तकनीकी से युक्त करने की अत्यन्त आवश्यकता है। इससे न केवल देश का विकास होगा अपितु इन तकनीकी व व्यावसायिक कौशलों से युक्त व्यक्ति भी जीविकोपार्जन के योग्य हो सकेगा, तकनीकी ज्ञान व कौशल रखने वाले व्यक्ति को कभी भी व्यवसाय की कमी नहीं होती है। अतः व्यावसायिक शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा समाज को उन्नत बनाने में सहायक है। तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा उस शिक्षा का एक प्रकार है जो विभिन्न उद्योग धन्धों के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति से सम्बन्धित है। संगठित एवं असंगठित दोनों प्रकार के उद्योगों के लिए व्यावसायिक शिक्षा आवश्यक है। कृषि, इंजीनियरिंग, गृहविज्ञान, वाणिज्य, पैरामेडिकल आदि क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है इससे देश के उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है तथा व्यक्ति का विकास हो रहा है। भारत में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के दो संरचनात्मक धाराएँ हैं– औपचारिक व अनौपचारिक पॉलीटेक्निक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र आदि प्रमुख तकनीकी व्यावसायिक संस्थाएँ हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ किया गया माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्रीय योजना भी व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने का एक प्रमुख औपचारिक स्रोत है। इंजीनियरिंग शिक्षा, कृषि आधारित शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, गृह–विज्ञान आधारित शिक्षा, ग्राफिक एवं वेब डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, फिल्म व टेलीविजन, कम्प्यूटर शिक्षा, टूरिज्म, सौन्दर्य विज्ञान, टेक्सटाइल, ऑफिस मैनेजमेंट, औद्योगिक शिक्षा। प्रशिक्षुता प्रशिक्षण में बुनियादी प्रशिक्षण घटक एवं प्रत्येक ट्रेड के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल होता है। इसकी पाँच प्रकार की श्रेणियाँ हैं– ट्रेड प्रशिक्षुता, स्नातक प्रशिक्षुता, तकनीशियन प्रशिक्षुता, व्यावसायिक प्रशिक्षुता, भारत में विद्यालय जाने वाले बच्चों की तुलना में भारत में प्राथमिक शिक्षा में कमी नहीं है बल्कि माध्यमिक शिक्षा में तुलनात्मक रूप से कमी है। वर्तमान समय में 10+2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा देने का प्रावधान है, किन्तु इस स्तर पर आने वाले अधिकांश छात्र उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित होते हैं। चूंकि वर्तमान व्यवस्था लम्बवत, गतिशीलता को लागू नहीं करती है। अतः प्राप्त कौशल बेकार हो जाते हैं, 11वीं तथा 12वीं के व्यावसायिक पाठ्यक्रम में नामांकन उच्च माध्यमिक शिक्षा का केवल 3 प्रतिशत ही होता है। व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था में लगभग 6800 विद्यालयों के 4,00,000 विद्यार्थी ही नामांकन कराते हैं जो इन विद्यालयों के उपलब्ध विद्यार्थियों का केवल 40 प्रतिशत ही होता है।

## 2.9 अभ्यास के प्रश्न

1. भारत में व्यावसायिक शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास बताइए।
2. वर्तमान समय में व्यावसायिक शिक्षा की क्या आवश्यकता है?
3. वर्तमान समय में व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?
4. व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित चुनौतियों के समाधान के उपाय बताइए।

## 2.10 चर्चा के बिन्दु

1. व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित वर्तमान समय में भारत में व्याप्त चुनौतियों एवं उनके समाधान के उपायों पर चर्चा कीजिए।

## 2.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. ब्रिटिश सरकार ने भारत में तकनीकी केन्द्रों की स्थापना इसलिए की जिससे उन्हें सड़कों, भवनों आदि के निर्माण एवं अन्य कार्यों के लिए कुशल कामकार मिल सकें।
2. बहुउद्देश्यीय विद्यालयों की स्थापना मुदालिकर आयोग की संस्तुति पर की गयी।

3. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का महत्वपूर्ण कार्य तकनीकी पाठ्यक्रमों के सभी डिग्री व डिप्लोमा कोर्स के सभी पक्षों के लिए सलाह देना है।

4. तकनीकी शिक्षा एक कौशल आधारित शिक्षा है जो मुख्यरूप से व्यवसाय जगत को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है।

5. इंजीनियरिंग शिक्षा, कृषि आधारित शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, गृह–विज्ञान आधारित शिक्षा।

6. फसल विज्ञान, मछली पालन, मुर्गी पालन, फल संरक्षण, कृषि, यान्त्रिक, उर्वरक, कीटनाशक, दवाईयाँ भूमि संरक्षण एवं दुग्ध विज्ञान।

7. अध्यापक शिक्षा के अन्तर्गत बी.एड., डी.एल.एड., एम.एड., एन.टी.सी.टी. प्रमुख पाठ्यक्रम हैं।

8. व्यावहारिक प्रशिक्षण की पाँच प्रमुख श्रेणियाँ हैं – ट्रेड प्रशिक्षुता, तकनीशियन प्रशिक्षुता, व्यावसायिक प्रशिक्षुता, स्नातक प्रशिक्षुता, वैकल्पिक ट्रेड प्रशिक्षुता।

9. व्यावसायिक शिक्षा विषय ज्ञान के साथ–साथ व्यावसायिक कौशलों को भी प्रदान करती है। व्यावसायिक शिक्षा विशिष्ट प्रयोगात्मक कौशलों पर केन्द्रित करते हैं।

10. राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीसी) का उद्देश्य संचयी प्रशिक्षुता संलग्नता को 2020 तक 31 लाख से 50 लाख करना है।

11. हमारे देश में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण संस्थानों का अभाव है। वे आवश्यक मानक पूरे नहीं करते हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों का आपस में समन्वय भी एक बड़ी चुनौती है। जिसके कारण इन संस्थाओं का विकास नहीं हो पा रहा है।

12. अद्यतन पाठ्यक्रमों का अभाव है। नई आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम को पुनः संरचित किया जाना चाहिए।

13. शिक्षकों में शिक्षण के प्रति उदासीनता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं में भी प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव होता है। अधिकांश शिक्षक जो मूलभूत तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं वे अधिक योग्य नहीं होते हैं।

14. पुराने पाठ्यक्रम को नया एवं विकसित रूप प्रदान किया जाय।

15. कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का प्रमुख उद्देश्य नए भारत के निर्माण के लिए समाज के विभिन्न वर्गों को युवाओं का सशक्तिकरण है।

16. शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विभिन्न संस्थानों, संगठनों एवं प्रतिष्ठानों के सहयोग प्राप्त करने से ही व्यावसायिक शिक्षा सफल हो सकती है।

17. व्यावसायिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक जागरूकता अनुस्थापन, पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षण सामग्री की उपलब्धता, कार्यक्रमों का मूल्यांकन जैसे उत्तरदायित्व परिषद को उठाने होंगे।

# इकाई– 3 : व्यावसायिक शिक्षा के अभिकरण

## इकाई की संरचना


3.1 प्रस्तावना

3.2 इकाई के उद्देश्य

3.3 व्यावसायिक शिक्षा के क्रियान्वयन से सम्बन्धित संस्थाएँ

3.4 व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख अभिकरण

3.5 राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान

3.6 राष्ट्रीय कौशल विकास निगम

3.7 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एवं उड़ान योजना

3.8 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.)

3.9 जन शिक्षण संस्थान

3.10 व्यावसायिक विद्यालय या ट्रेड स्कूल

3.11 सारांश

3.12 अभ्यास के प्रश्न

3.13 चर्चा के बिन्दु

3.14 बोध प्रश्नों के उत्तर

3.15 कुछ उपयोगी पुस्तकें


## 3.1 प्रस्तावना

वर्तमान समय में व्यावसायिक शिक्षा ने लोगों का बहुत अधिक ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, परन्तु सबसे बड़ा कारण हमारे देश में कौशलयुक्त मानव शक्ति की कमी है। कई सरकारी एवं गैर–सरकारी अभिकरणों ने इस पर अध्ययन किया है। राष्ट्रीय कौशल विकास नीति, 2009 के अनुसार देश की अधिकांश कार्यबल असंगठित क्षेत्र में है। ये सेक्टर शहरी तथा ग्रामीण दोनों के आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पादन जी.डी.पी. का 60 प्रतिशत इसके द्वारा प्राप्त होता है। इन असंगठित क्षेत्रों के कौशल सुदृढ़ीकरण से इनकी उत्पादकता, कार्य परिस्थितियों, श्रमिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा और रहन–सहन के स्तर में सकारात्मक बदलाव आएंगे। भारत में व्यावसायिक शिक्षा के विकास से सम्बन्धित प्रमुख अभिकरण राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम आदि हैं।

## 3.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो जाएंगे कि–

1. व्यावसायिक शिक्षा के क्रियान्वयन से सम्बन्धित संस्थाओं के विषय में जानकारी दे सकेंगे।
2. व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख अभिकरणों के विषय में बता सकेंगे।
3. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के विषय में विवरण दे सकेंगे।
4. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के विषय में बता सकेंगे।
5. उड़ान योजना के विषय में जानकारी दे सकेंगे।
6. आई.टी.आई. एवं जन शिक्षण संस्थान के विषय में जानकारी दे सकेंगे।

## 3.3 व्यावसायिक शिक्षा के क्रियान्वयन से सम्बन्धित संस्थाएँ

माध्यमिक शिक्षा के 10 +2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन में अनेक संस्थाओं का सक्रिय योगदान होता है। व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न प्रमुख संस्थाएँ निम्न हैं–

1) मानव संस्थान विकास मंत्रालय
2) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
3) अखिल भारतीय व्यावसायिक शिक्षा परिषद
4) क्षेत्रीय प्रशिक्षु परिषदें
5) राज्य तकनीकी शिक्षा निदेशालय
6) राज्य व्यावसायिक शिक्षा निदेशालय
7) राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय
8) राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदें
9) राज्य व्यावसायिक शिक्षा परिषद्

माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिकरण का प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायित्व वहन करने वाली उपरोक्त संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं का भी अप्रत्यक्ष रूप से योगदान है जो निम्न हैं–

1) तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान
2) उन्नत प्रशिक्षण संस्थान
3) कृषि विश्वविद्यालय तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संस्थान
4) बैंकिग संस्थान
5) अस्पताल व चिकित्सा महाविद्यालय व संस्थान
6) औद्योगिक संस्थान
7) गृह विज्ञान संस्थान
8) इंजीनियरिंग कालेज
9) तकनीकी संस्थान एवं पॉलीटेक्निक
10) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थान
11) राज्यों के कृषि, पशुपालन, मछली–पालन, सहकारिता, उद्योग आदि विभाग
12) विभिन्न उद्योग धन्धे

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. व्यावसायिक शिक्षा के क्रियान्वयन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी किन्हीं चार राष्ट्रीय संस्थाओं के नाम बताइए?

.....

.....

2. व्यावसायिक शिक्षा के क्रियान्वयन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी किन्हीं चार राज्य संस्थाओं के नाम बताइए?

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

3. व्यावसायिक शिक्षा के क्रियान्वयन में अप्रत्यक्ष रूप से सहायक किन्हीं चार संस्थाओं के नाम बताइए?

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

## 3.4 व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख अभिकरण

तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण का स्वरूप बहु–आयामी है। केन्द्र तथा राज्य सरकार के प्रत्येक मंत्रालय तथा विभाग उस सेक्टर के मानव शक्ति विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। उच्चतर माध्यमिक व्यावसायिक कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वारा कौशलयुक्त मानव–शक्ति का विकास करना है, जिससे असंगठित क्षेत्रों में इसकी कमी को पूरा किया जा सके। इसके द्वारा स्व–रोजगार आधारित पाठ्यक्रमों की सहायता से लोगों को कार्य जगत के लिए तैयार किया जा सकता है। उत्पादन एवं सेवा केन्द्रित पाठ्यक्रमों के विभिन्नीकरण के द्वारा उद्देश्यविहीन उच्च शिक्षा प्राप्ति को कम किया जा सकता है।

सन 1989–90 में देश के विभिन्न राज्यों में 150 से भी अधिक ऐसे पाठ्यक्रम थे जो कृषि, वाणिज्य, अभियांत्रिकी तथा तकनीकी, स्वास्थ्य एवं पराचिकित्सा, गृह–विज्ञान आदि से सम्बन्धित थे, इसकी संरचना सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक कार्यो से सम्बन्धित व्यावसायिक विषयों पर आधारित थी उस समय द्वि–वर्षीय कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में 168,680 छात्रों ने नामांकन कराया।

एक उत्तम व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था में सैद्धान्तिक ज्ञान से अधिक प्रायोगिक ज्ञान एवं कौशल विकास पर जोर देना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में अधिक सक्षम बनता है। जिस प्रकार एक प्रशिक्षित शिक्षक अन्य अप्रशिक्षित शिक्षक की अपेक्षा अधिक सक्षम होता है उसी प्रकार किसी कौशल में प्रशिक्षित व्यक्ति अपने व्यवसाय में अधिक योग्य होता है। वर्तमान समय में हमारे देश में व्यावसायिक विद्यालयों के नेटवर्क के विकास की आवश्यकता है। आज यदि किसी को वायरलेस टेलीग्राफी की उच्च तकनीकी को सीखना है तो उसे पुणे जाना पड़ेगा, एयरोनॉटिक्स आदि के लिए बंगलौर जाना होगा। अतः आवश्यकता के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र सीमित हैं। विभिन्न औद्योगिक संगठनों को प्रशिक्षण कक्षाओं से जोड़ना बेहतर परिणाम दे सकता है। व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित सैद्धान्तिक कक्षाएँ विद्यालय में आयोजित हो एवं प्रायोगिक कार्य इन संस्थाओं में आयोजित हों।

वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के सुझाव के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा में नामांकन कराने वाले छात्रों की संख्या 10+2 के सामान्य वर्ग के छात्रों की तुलना में 3 प्रतिशत कम है। लगभग 350,000 से 40,000 छात्र व्यावसायिक पाठ्यक्रम में नामांकन कराते हैं, जो कक्षा 11 एवं 12 में पढ़ने वाले 14 मीलियन छात्रों से 3 प्रतिशत कम है। इससे यह पता चलता है कि कक्षा–1 में नामांकन कराने वाले छात्रों के 1 प्रतिशत से भी कम छात्र व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करते हैं।

एक शोध के अनुसार 2020 तक विश्व में 47 मिलियन कार्यशील व्यक्तियों की कमी होगी, परन्तु भारत में 56 मिलियन व्यक्ति अधिक होंगें, अतः भारत को इस बड़े जनसंख्या वर्ग को प्रशिक्षित करने की अत्यन्त आवश्यकता है। फेडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्वारा 2011 में किए गए अध्ययन का परिणाम निम्नवत् है–

- 121 करोड़ वाली जनसंख्या का भारत 17 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है तथा विश्व के आर्थिक बाजार में तेजी से फैल रहा है।
- भारत विश्व के नौजवान देशों में है जहाँ 15–59 आयु वर्ग की कार्य बल जनसंख्या की वृद्धि हो रही है।
- भारत की 65 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या 3 साल से कम आयु की है इस आयु वर्ग के लिए भविष्य में कौशल प्रशिक्षण एवं प्रमाणन व्यवस्था की आवश्यकता होगी, इन्हें उत्पादक कार्यबल में बदलने की आवश्यकता है।
- भारत की भौगोलिक विभिन्नता को देखते हुए योजनाएँ बनाने की आवश्यकता है।
    1) व्यावसायिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय संस्थान
    2) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क
    3) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
    4) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षण संस्थान
    5) व्यवसाय एवं तकनीकी महानिदेशालय

पूर्व में व्यावसायिक प्रशिक्षण से सम्बन्धित मुद्दे श्रम मंत्रालय, अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों एवं विभिन्न राज्य स्तरीय संस्थाओं के अन्तर्गत आते थे। दिसम्बर 2013 में व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता उन्नयन के लिए नेशनल विकल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क की स्थापना दिया गया। यह एक दक्षता आधारित फ्रेमवर्क है। जो ज्ञान, कौशल एवं अभिक्षमता के स्तरों को व्यवस्थित करता है, ये स्तर एक से दस तक है जो अधिगम प्रदा के रूप में होते हैं। अधिगमकर्ता को ये अव"य प्राप्त होने चाहिए चाहे वे इसे औपचारिक, अनौपचारिक या निरौपचारिक अधिगम द्वारा प्राप्त करें। नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क का उद्देश्य सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा को जोड़कर नए प्रतिमान स्थापित करना है। फ्रेमवर्क में सात चरण हैं तथा सभी चरणों पर औपचारिक शिक्षा के साथ कुछ व्यावसायिक शिक्षा भी सम्मिलित है।

## अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

इसकी स्थापना तकनीकी शिक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने, आंकलन करने, योजनाएँ बनाने एवं समन्वयन स्थापित करने के उद्देश्य से हुई थी, इसकी स्थापना नवम्बर 1945 में राष्ट्रीय स्तर पर सलाहकार निकाय के रूप में की गई। यह तकनीकी शिक्षा से सम्बन्धित सुविधाओं के लिए सर्वेक्षण कार्य करती है एवं देश में समन्वित एवं एकीकृत रूप में इसके विकास को प्रेरित करती है। इसके लिए संस्थाओं का प्रत्यांकन भी करती है।

### प्रमुख उद्देश्य–

1) तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में उन्नयन
2) तकनीकी शिक्षा व्यवस्था की योजनाएँ बनाना एवं उसका समन्वित विकास
3) तकनीकी शिक्षा सम्बन्धी मानक तथा प्रमाणीकरण का नियंत्रण व आंकलन

नवम्बर 2014 में कौशल विकास तथा लघु उद्योग मंत्रालय की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य लघु उद्योगों तथा कौशल विकास को प्रोत्साहन देना था। विकसित देशों में भी कौशल युक्त मानव शक्ति को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके उपरान्त कौशल विकास क्रियाओं को पूरे भारत में सन्तुलित करने के लिए 15 जुलाई 2015 को भारत सरकार

द्वारा प्रथम राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन प्रारम्भ किया गया।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

4. भारत में तृतीयक शिक्षा पर दबाव को किस प्रकार कम किया जा सकता है?

.....

.....

5. उच्चतर माध्यमिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम का क्या उद्देश्य है?

.....

.....

6. नेशनल स्किम क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क कब घोषित हुआ?

.....

.....

7. कौशल विकास एवं लघु उद्योग मंत्रालय की स्थापना का क्या उद्देश्य है?

.....

.....

## 3.5 राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान

यह एक सलाहकार निकाय है जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1956 में की गयी। इसका कार्य एवं जिम्मेदारी क्राफ्ट्समैन प्रशिक्षण के लिए मानक एवं पाठ्यक्रम निर्धारित करना, सम्पूर्ण नीतियों एवं कार्यक्रमों के लिए भारत सरकार को सलाह देना, अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षाएँ सम्पन्न कराना तथा राष्ट्रीय वाणिज्य प्रमाणपत्र प्रदान करना आदि है।

**प्रमुख उद्देश्य–**

1) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क की संरचना, विकास एवं क्रियान्वयन करना जिसके अन्तर्गत क्षमता मानक के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना, पाठ्यक्रमों की संरचना, क्रेडिट संरचना, प्रमाणपत्र आदि सम्मिलित है।

2) संस्थाओं के सम्बद्धता एवं प्रत्यांकन के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना।

3) गुणवक्ता नियंत्रण प्रणाली विकसित करना।

4) श्रम बाजार सूचना तंत्र विकसित करना तथा राष्ट्रीय स्तर पर सूचनाओं को प्रसारित करना।

5) उपयुक्त रिपोर्टिंग एवं सम्प्रेषण तत्व के द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास के उपायों की प्रभाविकता एवं क्षमताओं का मूल्यांकन।

6) भारत की व्यावसायिक नीतियों के सम्बद्ध में सरकार को सलाह देने वाली केन्द्रीय अभिकरण के रूप में कार्य करना।

7) भारत के सभी व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना।

**प्रमुख कार्य–**

1) इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय वाणिज्य प्रमाणपत्र प्रदान करता है।

2) पाठ्यवस्तु, उपकरणों, स्थान, कोर्स की अवधि, प्रशिक्षण की विधि एवं सुविधाओं आदि के सम्बन्ध में मानक निर्धारण करता है।

3) विभिन्न वाणिज्यिक पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षण की व्यवस्था करता है।

4) वाणिज्यिक परीक्षणों में निपुणता के मानक स्थापित करना जिससे राष्ट्रीय वाणिज्य प्रमाणपत्र दिया जा सके।

5) राष्ट्रीय वाणिज्य प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए सरकारी एवं प्राइवेट प्रशिक्षण संस्थाओं की पहचान करता है तथा इन प्रमाण पत्रों के लिए शर्तें निर्धारित करती है।

6) प्रशिक्षण संस्थाओं के तकनीकी स्टाफ के लिए योग्यताएँ निर्धारित करती है।

7) क्राफ्ट्समैन प्रशिक्षण योजना के खर्चो के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को सुझाव देती है तथा राज्य सरकारों में इसके वितरण के सम्बन्ध में भी सुझाव देती है।

8) भारत सरकार द्वारा दिए गए इस प्रकार के सम्बन्धित कार्यों को करती है।

अब तक राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान ने रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय की देख–रेख में 9,297 संस्थाओं को प्रमाणित किया है जिनमें से 2041 सरकारी संस्थान है तथा 7456 प्राइवेट संस्थान है। इन संस्थानों के 282 वाणिज्यिक पाठ्यक्रमों में छात्र प्रशिक्षण ले रहे हैं। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि भारत में व्यावसायिक स्थिति अच्छी है तथा शैक्षणिक कार्यक्रमों के साथ–साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भी तेजी आ रही है। इससे छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ रही है तथा वे आसानी से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं।

## बोध प्रश्न

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

8. राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब एवं किसके द्वारा हुई?

.....

.....

9. राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान के कोई दो प्रमुख उद्देश्य बताइये?

.....

.....

10. राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान के कोई दो प्रमुख कार्य बताइये?

.....

.....

11. राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान की प्रमुख उपलब्धियाँ बताइये।

.....

.....

## 3.6 राष्ट्रीय कौशल विकास निगम

कौशल एवं ज्ञान किसी देश की आर्थिक वृद्धि एवं सामाजिक विकास का संचालन करते हैं। कुशल कार्यबल के उच्चतर स्तरों और बेहतर मानकों वाले राष्ट्र घरेलू और वैि"वक बाजारों में चुनौतियों एवं अवसरों से निपटने में सक्षम है।

भारत वर्तमान में विश्व में तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और सवा सौ करोड़ की जनसंख्या में से दो तिहाई लोग 30 वर्ष से नीचे की आयु के हैं। देश एक आर्थिक महाशक्ति बनने और 2025 तक विश्व के कुल कार्यबल का करीब 25 प्रतिशत योगदान करने में सक्षम है।

अगले पाँच वर्षों में 500 मिलियन कुशल कामगारों की विशेषकर विनिर्माण के क्षेत्र में आवश्यकता होगी, परन्तु आँकड़ों के अनुसार केवल 4.69 प्रतिशत ने ही औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इन्हीं आवश्यकताओं को देखते हुए आजादी के 68 वर्षों के उपरान्त कौशल रोजगार क्षमता वृद्धि पर केन्द्रित कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का गठन किया गया।

15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नए भारत के निर्माण के लिए समाज के विभिन्न वर्गों से युवाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वाकांक्षी कौशल भारत की पहल का शुभारंभ किया। देश मेक इन इण्डिया और कौशल भारत के जरिए शुरू किये गए रोजगार सृजन पर फोकस के साथ विश्व की कौशल पूंजी के तौर पर उभरने की व्यापक क्षमता रखता है।

### राष्ट्रीय कौशल विकास नीति के उद्देश्य–

1) बड़े पैमाने पर कौशलीकरण से सशक्तिकरण की परिस्थिति का निर्माण करना।

2) उद्यमशीलता पर आधारित नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना है।

3) नागरिकों के लिए स्थाई आजीविका को सुनिश्चित करने के लिए रोजगार और सम्पत्ति का सृजन करना।

### क्रियान्वयन–

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अक्टूबर 2015 से सितम्बर 2016 तक विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से 34 क्षेत्रों में प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए सघन विचार–विमर्श किया। इसके निष्कर्ष में बढ़ते कौशल अन्तर एवं सर्वोच्च 10 क्षेत्रों में 2017 से 2022 तक की अवधि के दौरान प्रशिक्षण की आवश्यकता की बात कही गई। इन सर्वोच्च 10 क्षेत्रों में प्रशिक्षण की आवश्यकता समूची आवश्यकताओं की गणनाका 80 प्रतिशत है जिसे सारणी 2.1 में दर्शाया गया है।

रोजगार भूमिकाओं को परिभाशित करने एवं कौशल कार्य योजना में निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने की कार्यनीति के कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय प्राथमिकता कौशल कार्य योजना (एन0पी0एस0एपी) पर कार्य चल रहा है। यह योजना विभिन्न 25 क्षेत्रों के सम्बन्ध में 41 मंत्रालयों और विभागों के साथ सलाह करके तैयार की जा रही है। इसका पहला संस्करण 31 जनवरी, 2017 को प्रकाशित किया गया था जिसमें सात क्षेत्र : कृषि, इलेक्ट्रानिक्स, आई0टी0, आई0टी0एस0, टेलीकॉम, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण आदि है।

**सारणी 2.1 सर्वोच्च क्षेत्रों में प्रशिक्षण की आवश्यकता**

| क्षेत्र | प्रशिक्षण आवश्यकताएँ (लाख में) (2017–2022) |
|---|---|
| 1. निर्माण | 320 |
| 2. खुदरा | 107 |
| 3. सौन्दर्य और स्वास्थ्य | 82 |
| 4. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग | 62.2 |
| 5. वस्त्र हथकरघा और हस्तशिल्प | 60 |
| 6. इलेक्ट्रानिक्स | 5.3 |
| 7. फर्नीचर और फिटिंग्स | 52.6 |
| 8. पर्यटन और आतिथ्य | 49 |
| 9. संचार तत्र | 42.9 |
| 10. ऑटोमोटिव और ऑटो कम्पनी | 4.1 |

## राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन0एस0डी0सी0) की भूमिका

यह एक सार्वजनिक निजी भागीदारी है जो प्रशिक्षणकर्ताओं के सघन नेटवर्क के जरिए युवाओं को अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के जरिए रोजगार के नए अवसर प्रदान कर रहा है। इस प्रकार यह बेहतर जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक मुख्य स्रोत के रूप में कार्य कर रही है। एनएसडीसी पर कौशल भारत मिशन के अधीन योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए वित्तपोषण की जिम्मेदारी है। इनके क्रियान्वयन और उद्योग सहभागिता के जरिए रोजगारों के लिए सम्पर्क सृजन करने की जिम्मेदारी है। पिछले वर्ष एन0एस0डी0सी0 ने कुल 290 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की थी देश भर में 514 से अधिक जिलों में 5224 प्रशिक्षण केन्द्रों के जरिए 2000 से अधिक रोजगार भूमिकाओं में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए, इससे लगभग 10.18 लाख अभ्यर्थी लाभान्वित हुए।

## बोध प्रश्न

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

12. राष्ट्रीय कौशल विकास नीति के कोई दो प्रमुख उद्देश्य बताइए।

.....

.....

13. भारत में प्रशिक्षण की सर्वाधिक आवश्यकता वाले कोई चार क्षेत्र बताइए।

.....

.....

14. वर्ष 2016 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने कितनी परियोजनाओं की अनुमति प्रदान की?

.....

.....

## 3.7 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एवं उड़ान योजना

यह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख कौशल प्रशिक्षण योजना है। इस योजना का शुभारम्भ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा दिवस के अवसर पर किया था। पी0एम0 के0वी0वाई0 योजना (2016–2020) को केन्द्र द्वारा राज्यों के साथ मिलकर कार्यान्वित किया जाएगा। इसके दो घटक होंगे–

1) केन्द्र प्रायोजित केन्द्रीय प्रबन्धित (सी.एस.सी.एम.)– पी.एम.के.वी.वाई. की 75 प्रतिशत (2016–2020) निधियाँ मंत्रालय को एन.एस.डी.सी. के जरिए कौशल हेतु उपलब्ध होगी।

2) केन्द्रीय प्रायोजित राज्य प्रबंधित (सी.एस.एस.एम.) – पी.एम.के.वी.वाई. की 25 प्रतिशत निधियाँ राज्यों को आवंटित की जाएंगी।

**उद्देश्य**

1) यह एक कौशल प्रमाणीकरण एवं पुरस्कार योजना है।

2) बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के योग्य बनाना।

3) आजीविका अर्जित करने के लिए परिणाम आधारित कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए युवाओं को समर्थ बनाना एवं उन्हें एकजुट करना।

**प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन**

इस योजना के सफल प्रथम वर्ष को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय मंत्रीमण्डल ने 12000 करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ एक करोड़ युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए योजना को चार अन्य वर्षों (2016–2020) के लिए मंजूरी प्रदान कर दी। इसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के जरिए क्रियान्वित किया जा रहा है।

**योजना के लाभ**– पी.एम.के.वी.वाई. केन्द्रों में संचालित अल्पावधि प्रशिक्षण से वे लोग लाभान्वित होते हैं जिन्होंने या तो स्कूल कालेज छोड़ दिया है या बेरोजगार हैं। राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढ़ाँचा के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा ये केन्द्र सॉफ्ट कौशल, उद्यमिता, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता में भी प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। उनका सफल मूल्यांकन करने के पश्चात अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण साझेदारी से प्लेसमेंट सहायता भी दी जाती है। समूची प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन फीस का भुगतान सरकार करती है। इस योजना के द्वारा अनियमित कार्यबल (Unstrucuted Workforce) की क्षमताओं को राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढ़ाँचे (National Skill Eligibility Framework) के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके एक विशेष परियोजना घटक में सरकारी संस्थाओं, निगमों या उद्योग संस्थाओं के लिए विशेष क्षेत्रों में प्रशिक्षण की सुविधा प्रयत्न करने के लिए एक मंत्र के सृजन का प्रावधान है।

**उड़ान योजना**– उड़ान जम्मू एवं कश्मीर में शिक्षित बेरोजगारों की आवश्यकताओं को पूरा करने की एक विशेष पहल है। इसका उद्देश्य निम्न है–

1) स्नातकों, स्नातकोत्तरों एवं तीन वर्षीय डिप्लोमा इंजीनियरों को कौशल और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

2) राज्य में उपलब्ध धनी प्रतिभा पूल के प्रति भारत के निगमित क्षेत्र को जागरूक करना है।

3) पाँच वर्षों की अवधि के दौरान 40,000 युवाओं तक पहुंच कायम करना।

**क्रियान्वयन**–

नवम्बर 2016 तक कुल 24,312 अभ्यर्थी प्रशिक्षण में शामिल हुए जिनमें से 5480 देश भर में 18 शहरों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं कुल 17,111 अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षण पूरा किया है जिनमें से 9632 को खुदरा, आई0टी0, आई0टी0एस0, विनिर्माण, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा, ऑटो, रियल स्टेट, इन्फ्रास्टक्चर, वस्त्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों

में रोजगार प्रदान किया गया।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

15. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का प्रारम्भ कब हुआ?

.....

.....

16. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दो प्रमुख उद्देश्य बताइए?

.....

.....

17. उड़ान योजना क्यों शुरू की गई?

.....

.....

## 3.8 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.)

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (Direcorate General of Employment & Training) के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दस्तकारों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 28.47 लाख सीटों की क्षमता के साथ 13350 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भारत में हैं जो 126 ट्रेडों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा 1950 में क्राफ्ट्समैन प्रशिक्षण योजना प्रारम्भ की जिसकी अवधि 6 माह से 2 वर्ष की थी। यह 130 विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करती थी। प्रशिक्षण की समाप्ति पर अभ्यर्थी अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षण दे सकते थे। सफल अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र दिया जाता था। इसमें प्रवेश मेरिट आधारित अथवा लिखित परीक्षा के द्वारा होता है इसके प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र निम्न हैं–

1) अभियांत्रिकी ट्रेड (Engineering Trade)
2) इलेक्ट्रानिक मैकेनिक्स (ELectronic Mechanics)
3) इलेक्ट्रिशियन (Electrician)
4) वायरमैन (Wireman)
5) मैकेनिकल मोटर वेहिकल (Mechanical Motor Vehicle)
6) रेडियो, टीवी व कम्प्यूटर मैकेनिक (Radio, T.V. and Computer Mechanic)
7) ऑटोमोबाइल (Automobile)

### क्रियान्वयन

विभिन्न संस्थाओं के मध्य तुलना करने एवं सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान के लिए बेंचमार्क के सृजन के लिए एक ग्रेडिंग योजना शुरू की गयी है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सर्वोच्च औद्योगिक संस्थाओं के बीच साझेदारी को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रबन्धन समितियाँ बनाई गयी हैं। ये स्नातकों को विभिन्न उद्योगों में प्लेसमेन्ट प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेंगी।

कामगारों को अधिक उत्पादक बनाने एवं तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप युवाओं को बहु कौशल से युक्त करने के लिए पाठ्यक्रमों को अद्यतन किया जा रहा है। अंग्रेजी बोलना एवं कम्प्यूटर शिक्षा सहित सॉफ्ट कौशलों को सभी विकास प्रशिक्षणों का अभिन्न अंग बनाया गया है। प्रशिक्षण महानिदेशालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान ने आई.टी.आई. अर्हता को शैक्षणिक सक्षमता के लिए एक प्रणाली खडी करने तथा आई.टी.आई. प्रणाली के उन उम्मीदवारों की आकांक्षाओं को पूरा करने के विकल्प प्रदान करने के लिए हाथ मिलाया है जो अपने कौशलों के अलावा उच्चतर शैक्षिक अर्हता प्राप्त करना चाहते हैं। इस साझेदारी ने राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र धारक आई.टी.आई. के पूर्व प्रशिक्षुओं के लिए माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक अर्हता प्राप्त करने के लिए मार्ग खोला है। समझौता ज्ञापन के अधीन निम्न प्रावधान किए गए हैं–

1) प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (आई.टी.आई. क्लासरूम और उद्योग दोनों में प्रशिक्षण)

2) एम.एस.डी.ई. के लिए स्पेस आधारित दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम (एस.एल.डी.पी.)

एम.एस.डी.ई. भारत की कौशल प्रशिक्षण व्यवस्था की क्षमता बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट व्यवहारों के आदान–प्रदान, बेंचमार्किंग मानदण्डों, प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विदेशी सरकारों एवं संस्थानों के साथ सक्रियता के साथ जुड़ा है। युवाओं को वैश्विक बाजारों में रोजगार के अवसरों के लिए तैयार करने के लिए 16 इंटरनेशनल कौशल सेंटर शुरू किए गए हैं।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

18. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान किसके अधीन कार्य करता है?

.....

.....

19. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के दो प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों के नाम बताइए।

.....

.....

20. इंडिया इंटरनेशनल कौशल सेन्टर क्यों शुरू की गई?

.....

.....

## 3.9 जन शिक्षण संस्थान

यह भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रयोजित है। इसका उद्देश्य 15 से 35 साल तक के युवाओं को अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करके स्वावलंबी बनाना है। इस संगठन का कार्य शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के नए साक्षरों, अर्द्ध साक्षरों, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों, बालिकाओं आदि का शैक्षिक और व्यावसायिक विकास करना है। यह संस्थान झुग्गी–झोपडियों के लोगों, प्रवासी श्रमिकों तथा सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े और शैक्षिक सुविधाओं से वंचित समूहों के लिए अत्यन्त लाभप्रद है। वर्तमान में देश में 221 जन–शिक्षण संस्थान है जहाँ अनेकों व्यावसायिक कार्यक्रमों चलाए जा रहे हैं। विभिन्न प्रशिक्षणों की अवधि अलग–अलग होती है। लगभग 380 व्यावसायिक पाठ्यक्रम इन संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं। इन संस्थाओं में प्रशिक्षण दिए जाने वाले प्रमुख व्यावसायिक पाठ्यक्रम निम्न है–

1) कढ़ाई, सिलाई और परिधान बनाना
2) बुनाई और कढ़ाई
3) सौन्दर्य वर्धन
4) स्वास्थ्य देखभाल
5) हस्तशिल्प
6) कला
7) चित्रकारी
8) इलेक्ट्रानिक्स
9) वेल्डिंग
10) मोबाइल फोन रिपेयरिंग
11) ऑटोमोबाइल्स
12) मधुमक्खी पालन
13) मशरूम उत्पादन
14) फूलों की खेती
15) कृषि खाद उत्पादन आदि

**लाभ**– इसके द्वारा सालाना लगभग 17 लाख युवा विभिन्न व्यवसायों के प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

21. जन शिक्षण संस्थान का क्या उद्देश्य है?

.....

.....

22. जन शिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण देने वाले दो प्रमुख व्यवसाय पाठ्यक्रमों के नाम बताइए।

.....

.....

## 3.10 व्यावसायिक विद्यालय या ट्रेड स्कूल

व्यावसायिक विद्यालय वे उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान हैं जो विशिष्ट व्यवसाय से सम्बन्धित कौशल प्रदान करते हैं। यह व्यावसायिक शिक्षा या तकनीकी कौशल विशिष्ट रोजगार के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हें तकनीकी विद्यालय व वाणिज्य विद्यालय भी कहते हैं।

व्यावसायिक विद्यालय में छात्र सूचना तकनीकी, नर्सिंग, स्वास्थ्य विज्ञान, ऑटोमोटिव टेक्निशियन ट्रेनिंग, चिकित्सा सहायता आदि क्षेत्रों में डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। ये मुख्यतः आठ माह से दो वर्ष की अवधि के होते हैं। इन विद्यालयों से कोर्स करने के उपरानत डिप्लोमा एवं ट्रेड प्रमाणपत्र प्राप्त होता है जो प्रमाणित करते हैं कि छात्र

ने कोर्स को सफलतापूर्वक समाप्त किया है। कुछ कोर्स के लिए सम्बन्धित डिग्री भी प्राप्त होती है जो दो वर्षीय पाठ्यक्रमों में प्राप्त होते हैं।

इन कोर्स को करने के उपरान्त छात्र उस कोर्स से सम्बन्धित व्यवसाय प्राप्त कर सकता है जिसे उसने व्यावसायिक विद्यालय से किया है। व्यावसायिक विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं–

1. इलेक्ट्रिशियन 2. दन्त चिकित्सा 3. प्लम्बर 4. पैरालिगल 5. नर्सिंग 6. ग्राफिक डिजाइनर 7. शेफ 8. फार्मेसी टेक्नीशियन 9. सौन्दर्य चिकित्सा 10. एयरक्राफ्ट मैकेनिक्स 11. कम्प्यूटर टेक्नीशियन 12. वेल्डर

इन विद्यालयों में छात्रों को व्यवसाय विशेष से सम्बन्धित कार्य अनुभव प्राप्त होते हैं। इसके द्वारा छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान, एक दूसरे के प्रति सम्मान के भाव, सामाजिक संस्कृति आदि का विकास होता है।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

23. व्यावसायिक या ट्रेड विद्यालय किसे कहते हैं?

.....

.....

24. व्यावसायिक विद्यालयों में पढ़ाएँ जाने वाले दो प्रमुख क्षेत्र बताएँ

.....

.....

## 3.11 सारांश

भारत की भौगोलिक विभिन्नता को देखते हुए योजनाएँ बनाने की आवश्यकता है। भारत में व्यावसायिक व तकनीकी कौशलों की शिक्षा की आवश्यकताओं को देखते हुए इससे सम्बन्धित कई योजनाएँ बनाई जा रही है। व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख अभिकरण है व्यावसायिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय संस्थान, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा संस्थान, व्यवसाय एवं तकनीकी महानिदेशालय नवम्बर 2014 में कौशल विकास तथा लघु उद्योग मंत्रालय की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य लघु उद्योगों तथा कौशल विकास को प्रोत्साहन देना था। विकसित देशों में भी कौशल युक्त मानव शक्ति को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके उपरान्त कौशल विकास क्रियाओं को पूरे भारत में सन्तुलित करने के लिए 15 जुलाई 2015 को भारत सरकार द्वारा प्रथम राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन प्रारम्भ किया गया। अगले पाँच वर्षों में 500 मिलियन कुशल कामगारों की विशेषकर विनिर्माण के क्षेत्र में आवश्यकता होगी, परन्तु आँकड़ों के अनुसार केवल 4. 69 प्रतिशत ने ही औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इन्हीं आवश्यकताओं को देखते हुए आजादी के 68 वर्षों के उपरान्त कौशल रोजगार क्षमता वृद्धि पर केन्द्रित कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का गठन किया गया।

पिछले वर्ष एन0एस0डी0सी0 ने कुल 290 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की थी देश भर में 514 से अधिक जिलों में 5224 प्रशिक्षण केन्द्रों के जरिए 2000 से अधिक रोजगार भूमिकाओं में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए, इससे लगभग 10.18 लाख अभ्यर्थी लाभान्वित हुए एवं उनके जीवन में परिवर्तन आया। यह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख कौशल प्रशिक्षण योजना है। 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नए भारत के निर्माण के लिए समाज के विभिन्न वर्गो से युवाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वाकांक्षी कौशल भारत की पहल का शुभारंभ किया। देश मेक इन इण्डिया और कौशल भारत के जरिए शुरू किये गए रोजगार सृजन पर फोकस के साथ विश्व की कौशल पूंजी के तौर पर उभरने की व्यापक क्षमता रखता है। इस योजना का शुभारम्भ प्रधानमंत्री

नरेन्द्र मोदी ने विश्व युवा दिवस के अवसर पर किया था। उड़ान जम्मू एवं कश्मीर में शिक्षित बेरोजगारों की आवश्यकताओं को पूरा करने की एक विशेष पहल है। रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (Direcorate Genral of Employment & Training) के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दस्तकारों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 28.47 लाख सीटों की क्षमता के साथ 13350 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भारत में हैं जो 126 ट्रेडो में कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

## 3.12 अभ्यास के प्रश्न

1. व्यावसायिक शिक्षा के क्रियान्वयन से सम्बन्धित प्रमुख संस्थाओं के बारे में बताइए।
2. व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख अभिकरणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
3. राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं?
4. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के क्रियान्वयन का वर्णन कीजिए।
5. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रमुख लाभ क्या हैं।
6. उड़ान योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
7. जन–शिक्षण संस्थान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

## 3.13 चर्चा के बिन्दु

1. व्यावसायिक शिक्षा के अभिकरणों के द्वारा क्रियान्वयन कार्यक्रम की समस्याओं एवं उनके निराकरण पर चर्चा कीजिए।
2. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के क्रियान्वयन पर चर्चा कीजिए।

## 3.14 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. व्यावसायिक शिक्षा के क्रियान्वयन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी चार केन्द्रीय संस्थाएँ– मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, अखिल भारतीय व्यावसायिक शिक्षा परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् आदि हैं।
2. व्यावसायिक शिक्षा के क्रियान्वयन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी चार राज्य संस्थाएँ– i). राज्य तकनीकी शिक्षा निदेशालय, ii). राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय, iii). राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदें एवं iv). राज्य व्यावसायिक शिक्षा परिषद्।
3. व्यावसायिक शिक्षा के क्रियान्वयन में अप्रत्यक्ष रूप से सहायक चार संस्थाएँ तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, उन्नत प्रशिक्षण संस्थान, बैंकिंग संस्थान, औद्योगिक संस्थान आदि हैं।
4. भारत में तृतीयक शिक्षा पर दबाव को उत्पादन एवं सेवा केन्द्रित पाठ्यक्रमों के विभिन्नीकरण द्वारा कम किया जा सकता है।
5. उच्चतर माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वारा मानव–शक्ति का विकास करना है।
6. NSQF की स्थापना 2013 में हुई।
7. कौशल विकास एवं लघु उद्योग मंत्रालय का उद्देश्य लघु उद्योगों तथा कौशल विकास को प्रोत्साहन देना है।
8. राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1956 में की गयी।
9. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क की संरचना, विकास एवं क्रियान्वयन करना संस्थाओं के सम्बद्धता एवं प्रत्यांकन के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना।
10. इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय वाणिज्य प्रमाणपत्र प्रदान करता है। पाठ्यवस्तु, उपकरणों, स्थान, कोर्स की अवधि, प्रशिक्षण की विधि आदि के सम्बन्ध में मानक निर्धारण करता है।

    राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान ने रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय की देखरेख में 9,297 संस्थाओं को प्रमाणित किया है जिनमें से 2041 सरकारी संस्थान है तथा 7456 प्राइवेट संस्थान है। इन संस्थानों के 282 वाणिज्यिक पाठ्यक्रमों में छात्र प्रशिक्षण ले रहे हैं।

11. राष्ट्रीय कौशल विकास नीति के दो प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं–
    (i) बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के योग्य बनाना।
    (ii) आजीविका अर्जित करने के लिए परिणाम आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना।
12. भारत में प्रशिक्षण की सर्वाधिक आवश्यकता वाले चार क्षेत्र– निर्माण, सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य, खुदरा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग हैं।
13. वर्ष 2016 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने लगभग 290 परियोजनाओं को मंजूरी दी।
14. इस योजना का शुभारम्भ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा दिवस के अवसर पर किया था।
16. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दो प्रमुख उद्देश्य हैं–
    i. यह एक कौशल प्रमाणीकरण एवं पुरस्कार योजना है।
    ii. बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के योग्य बनाना।
17. उड़ान जम्मू एवं कश्मीर में शिक्षित बेरोजगारों की आवश्यकताओं को पूरा करने की एक विशेष पहल है।
18. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन अधीन कार्य करता है।
19. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के दो प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र निम्न है–
    i. अभियांत्रिकी ट्रेड
    ii. इलेक्ट्रानिक मैकेनिक्स

    युवाओं को वैश्विक बाजारों में रोजगार के अवसरों के लिए तैयार करने के लिए 16 इंटरनेशनल कौशल सेंटर शुरू किए गए हैं।
20. जन शिक्षण संस्थाओं के उद्देश्य 15 से 35 साल तक के युवाओं को अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करके स्वावलंबी बनाना है।
21. जन शिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण दिए जाने वाले दो प्रमुख व्यावसायिक पाठ्यक्रम निम्न है–
    i. कढ़ाई, सिलाई और परिधान बनाना
    ii. बुनाई और कढ़ाई

23 व्यावसायिक विद्यालय वे उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान हैं जो विशिष्ट व्यवसाय से सम्बन्धित कौशल प्रदान करते हैं। यह व्यावसायिक शिक्षा या तकनीकी कौशल विशिष्ट रोजगार के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हें तकनीकी विद्यालय व वाणिज्य विद्यालय भी कहते हैं।

24 व्यावसायिक विद्यालयों में पढाएँ जाने वाले दो प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं–
    i. इलेक्ट्रिशियन
    ii. दन्त चिकित्सा

## 3.15 कुछ उपयोगी पुस्तकें


1. **गुप्ता, एस0पी0 एवं0 गुप्ता अलका** (2016), आधुनिक भारतीय शिक्षा की समस्याए, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
2. **उपाध्याय, प्रतिभा** (2013), भारतीय शिक्षा में उदीयमान प्रवृत्तियाँ, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
3. **संगीता** (2014), शिक्षा के नूतन आयाम, अनुभव पब्लिशिंग हाउस इलाहाबाद।
4. **राव वी.के.** (2003), वोकेशन एजुकेशन, ए.पी.एच. पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
5. **कुमार कौशल** (2001), वोकेशन एजुकेशन, ए.वी.डी. पब्लीशर्स, नई दिल्ली।

# खंड– 02 : कार्य शिक्षा

## खण्ड परिचय

इस खंड में व्यवसायिक एवं कार्य शिक्षा से संबंधित कार्य शिक्षा की प्रकृति कार्य शिक्षा के सिद्धांत एवं समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों का समावेश किया गया है। इस खण्ड में चार इकाईयाँ हैं, जो इस प्रकार हैं–

**इकाई 4** में कार्य शिक्षा की प्रकृति किस प्रकार की होनी चाहिए तथा बालक के शिक्षा के स्तर के अनुरूप कौन–कौन से उद्देश्य होने चाहिए, इसका वर्णन किया गया है। कार्य मनुष्य को सक्रिय बनाए रखने का साधन है। कार्य द्वारा मनुष्य स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कार्य जीविकोपार्जन का माध्यम है। कार्य द्वारा ही मनुष्य लक्ष्य प्राप्ति तक पहुंचता है। कार्य चरित्र निर्धारण करता है। कार्य द्वारा ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास संभव है तथा कार्य शिक्षा द्वारा बालकों के कौशल ज्ञान को विकसित किया जा सकता है। अतः यह आवश्यक है कि कार्य शिक्षा का संप्रत्यय स्पष्ट हो।

**इकाई 5** में कार्य शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। उद्देश्यों का स्तरवार निर्धारण किया जाता है। तथा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य शिक्षा के दार्शनिक मनोवैज्ञानिक तथा समाजशास्त्रीय आधारों का ज्ञान भी नितांत आवश्यक है। कार्य शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष के द्वारा व्यवहारिक पक्ष को सफल बनाना ताकि अधिकतम सकारात्मक परिणाम प्राप्त किया जा सके, इसके लिए सिद्धांतों की जानकारी पाठकों को दी जानी अति आवश्यक है।

**इकाई 6** में कार्य शिक्षा द्वारा बालकों को किस प्रकार के कार्यों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिया जाए जो स्वयं उनके लिए ही नहीं अपितु समाज के लिए भी उत्पादक कार्यों के रूप में प्रस्तुत किए जा सकें, इसका विस्तार से वर्णन किया गया है कक्षा, आयु एवं मानसिक स्तर के अनुसार कार्यों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जो कि समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों के रूप में जाने जाते हैं।

# इकाई– 4 : कार्य शिक्षा की प्रकृति

## इकाई की संरचना


4.1 प्रस्तावना

4.2 इकाई के उद्देश्य

4.3 कार्य शिक्षा का सम्प्रत्यय

4.4 गाँधी जी की बुनियादी शिक्षा एवं कार्य शिक्षा

4.5 कार्य शिक्षा की परिभाषा

4.6 कार्य शिक्षा के कार्य

4.7 कार्य शिक्षा की प्रकृति

4.8 कार्य शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

4.9 कार्य शिक्षा के उद्देश्य

4.9.1 कार्य शिक्षा के सामान्य उद्देश्य

4.9.2 कार्य शिक्षा के समग्र उद्देश्य

4.10 कार्य शिक्षा के अन्य उद्‌देश्य

4.11 सारांश

4.12 अभ्यास के प्रश्न

4.13 चर्चा के बिन्दु

4.14 बोध प्रश्नों के उत्तर

4.15 कुछ उपयोगी पुस्तकें


## 4.1 प्रस्तावना

शिक्षा मानव जीवन को सभ्य एवं सुसंस्कृति बनाती है। शिक्षा द्वारा ही बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है। परम्परागत भारतीय शिक्षा व्यवस्था पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित है जो कि शिक्षा द्वारा बालक के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को बहुत कम ही पूर्ण कर पाती है। अतः शिक्षा में ऐसी क्रियाओं को सम्मिलित करना आवश्यक हो गया जो व्यावहारिक ज्ञान पर आधारित हो एवं बालक के सम्पूर्ण पक्षों पर प्रभाव डाले। गाँधी जी ने बुनियादी शिक्षा एवं नई तालीम का सम्प्रत्यय दिया साथ ही स्वअनुभव द्वारा सीखने के उद्देश्य के रूप में कार्य शिक्षा को पुस्तकीय ज्ञान के साथ जोड़ा, जिसमें समाज के लिए उत्पादक कार्यों को सम्मिलित किया। कालान्तर में कार्य शिक्षा को हर स्तर पर शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया गया एवं प्रशिक्षु शिक्षकों को भी कार्य शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण देने की आवश्यकता महसूस की गई, जिससे बालाकों का उचित मार्गदर्शन किया जा सके। प्रस्तुत अध्याय में कार्य शिक्षा की प्रकृति के विषय में चर्चा की गई है।

## 4.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो जायेंगे कि

1. कार्य शिक्षा के सम्प्रत्यय को समझ सकेंगे।
2. गाँधी जी की बुनियादी शिक्षा की विशेषताओं को जानकर कार्य शिक्षा का अधार समझ सकेंगे।

3. कार्य शिक्षा को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परिभाषित कर सकेंगे।

4. कार्य शिक्षा के इतिहास को जान सकेंगे एवं विशेषआओं को समझते हुए कार्य शिक्षा के उद्देश्य की व्याख्या कर सकेंगे।

## 4.3 कार्य शिक्षा का सम्प्रत्यय

कार्य जीविकोपार्जन के लिए क्यों आवश्यक है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है कुछ आवश्यकताएं तो बिना धन के उपयोग के ही पूरी हो जाते हैं किंतु बहुत सारी आवश्यकता है ऐसी होती हैं जिनकी पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है और धन की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अतिरिक्त श्रम एवं कार्य करने पड़ते हैं। जिन कार्यों के द्वारा मनुष्य धन जुटाता है और फिर उस धन से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वे कार्य जीविकोपार्जन से संबंधित होते हैं तथा आजीविका कहलाते हैं मनुष्य विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करता है सामान की खरीद–फरोख्त करता है, किसान खेतों में फसल उगाता है, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाकर अपनी आजीविका चलाता है, बड़ी–बड़ी फैक्ट्रियों में तमाम जरूरत की वस्तुओं का निर्माण होता है, उस निर्माण कार्य को हजारों मनुष्यों के श्रम द्वारा ही पूरा किया जाता है। यहां तात्पर्य यह है कि कार्य द्वारा ही मनुष्य विभिन्न संसाधन जुटाता है केवल आर्थिक लाभ के लिए ही नहीं वरन मनुष्य अपने खाली समय के सदुपयोग के लिए अपनी संतुष्टि एवं सुख के लिए अपने आनंद के लिए भी कार्य करता है। अतः कार्य का बहुत महत्व है इसलिए कार्य एवं श्रम के महत्व को समझने के लिए कार्य आधारित शिक्षा का समावेश अति महत्वपूर्ण है। शिक्षा का सार्वभौमिक उद्देश्य भी इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली का विकास है जिसमें बालक की अंतर्निहित एवं जन्मजात प्रतिभा एवं क्षमताओं को विकसित करने का अवसर सम्मिलित हो अतः कार्य शिक्षा को शिक्षा का अभिन्न अंग अनिवार्य किया गया।

कार्य शिक्षा का अर्थ है कोई भी ऐसा कार्य (हस्तकार्य) जो कि उद्देश्यपूर्ण एवं सार्थक हो, जो शिक्षा का अभिन्न अंग हो, जो मनुष्य को संतुष्ट करे एवं समाज के लिए उत्पादक एवं उपयोगी वस्तुएं प्रस्तुत हो।

## 4.4 गाँधी जी की बुनियादी शिक्षा एवं कार्य शिक्षा

कार्य शिक्षा का आधार गाँधी जी की बुनियादी शिक्षा के सम्प्रत्यय से जुड़ा है। गाँधी जी ना केवल एक महान दार्शनिक थे, अपितु वे एक महान शिक्षाशास्त्री भी थे। उनका मानना था कि शिक्षा मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। शिक्षा द्वारा मनुष्य के शरीर हृदय एवं आत्मा का विकास किया जा सकता है, देश की तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए गाँधी जी ने नवीन भारतीय समाज की संकल्पना की एवं उन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप सन् 1937 में बुनियादी शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ। गाँधी जी की बुनियादी शिक्षा के प्रमुख सिद्धान्त हैं।

1. प्राथमिक शिक्षा जो कि बालक के छः वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात 14 वर्ष की आयु तक यानि प्रथम 7 वर्ष की शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क होनी चाहिए।

2. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए जिससे भावाभिव्यक्ति सरल सहज होगी साथ ही बालक ज्ञान को सहजता से ग्रहण करेगा।

3. गाँधी जी व्यवहारिक ज्ञान के पक्षधर थे, अतः वे चाहते थे कि शिक्षा ऐसी हो जो मनुष्य को सामाजिक, आर्थिक एवं बौद्धिक स्वावलम्बन प्रदान कर सके।

4. गाँधी जी ने उत्पादक कार्यों पर शिक्षा को केन्द्रित किया।

गाँधी जी के अनुसार शिक्षा उद्योग केन्द्रित होनी चाहिए, यथा हस्तशिल्प, गृहकार्य, दस्तकारी इत्यादि। इस प्रकार की शिक्षा बालक को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनायेगी एवं श्रम के महत्व को बढ़ायेगी।

स्वतन्त्रता के उपरान्त विभिन्न आयोग एवं समितियाँ गठित की गई। सभी ने अपनी संस्तुतियों में गाँधी जी की बेसिक शिक्षा नीति को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्थान दिया। शिक्षा आयोग (1964–66) ने शिक्षा को उत्पादकता से जोडने के लिए कार्य शिक्षा को सम्मिलित किए जाने पर बल दिया।

## 4.5 कार्य शिक्षा की परिभाषा

गाँधी जी ने पूर्व में ही उद्योग आधारित हस्तकला केन्द्रित शिक्षा को बेसिक शिक्षा में सम्मिलित किया था।

उसी आधार पर शिक्षा आयोग ने कहा कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था पूर्वरूप से पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित है एवं जीवन के व्यवहारिक पक्ष से अवगत नहीं कराती है। अतः परिवर्तन वांछनीय है, ताकि देश की आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन किया जा सके। आयोग ने कार्य शिक्षा को जो उस समय कार्यानुभव के नाम से जानी गई, परिभाषित किया।

"Work experience involves participation in some form of productive work under conditions approximating to those found in real life stuations."

-Report of Education Commission, 1964-65 p.2d.

आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा, भारत ऐसे समाज से है, जिसमें शिक्षा एक अल्पसंख्या का विशेषाधिकार है, ऐसे समाज में परिवर्तन हो रहा है, जिसमें शिक्षा को जनसाधारण के लिए सुलभ बनाया जा सकेगा। शिक्षा के इस कार्यक्रम के लिए जिन विशाल साधनों की आवश्यकता है, उनको तभी उत्पन्न किया जा सकता है जब शिक्षा का उत्पादन से सम्बन्ध स्थापित कर दिया जाए, जिससे कि शिक्षा के विस्तार के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय की वृद्धि हो और इस वृद्धि को शिक्षा पर अधिक धन व्यय करने का साधन बनाया जाय।

NCERT, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित Seminar on Primary and work education (Nov. 1970) के एक लेख में कार्यानुभव की यह परिभाषा दी गई–

"Work experience has been defined as participate in productive work in school, in the home in the workshop on a farm, in a factory or in any productive situation."

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने कार्य शिक्षा का इस प्रकार उल्लेख किया कि– एक सोद्देश्य अर्थपूर्ण हस्तकार्य, जो सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होना चाहिए एवं जिससे या तो उत्पादक वस्तुओं का निर्माण होना चाहिए अथवा समाजोपयोगी सेवाएं प्रदान होनी चाहिए। इसे शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर भी अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए एवं इसे संकुचित एवं श्रेणीबद्ध कार्यक्रमों के रूप में सम्पादित किया जाना चाहिए।

## 4.6 कार्य शिक्षा के कार्य

आवश्यकता आधारित जीवन क्रियाओं के माध्यम से शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर ज्ञान अवबोध, कौशल एवं मूल्यों इत्यादि का विकास सम्भव है। कुछ प्रमुख कार्य–क्षेत्रों सें सम्बन्धित क्रियाओं को कार्य शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए उनमें से कुछ इस प्रकार है–

1. बालक की आवश्यकताओं से सम्बन्धित कार्य उदाहरण स्वरूप– स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान, साफ–सफाई इत्यादि।
2. परिवार के सदस्य के रूप में घर में किए जाने वाले कार्य यथा– खाना बनाना, सफाई करना, व्यवस्था करना, घरेलू बजट बनाना इत्यादि।
3. विद्यालयी जीवन को एकीकृत करने वाले कार्य जो कक्षा, विद्यालय एवं विद्यालय के बाहर किए जा सकें।
4. दूसरे विषयों जैसे– शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा, सामाजिक अध्ययन विज्ञान एवं अन्य विषयों से सम्बन्धित कार्यों के माध्यम से अधिगम अनुभव प्राप्त करना।
5. ऐसे सामुदायिक कार्य, जिनमें परोपकार की भावना निहित हो एवं जो व्यक्तिगत स्वार्थ से विरत हो।
6. ऐसे कार्य जो व्यावसायिक मार्गों को प्रशस्त करें, उत्पादकता को बढ़ावा देने वाले हो समाज के लिए उपयोगी हों, अवसरों को ढूंढ निकालने वाले हों एवं देखभाल के मार्ग खोलते हों।

## 4.7 कार्य शिक्षा की प्रकृति

कार्य शिक्षा की प्रकृति को हम कार्य की कुछ विशेषताओं के माध्यम से समझ सकते हैं–

1. कार्य शिक्षा स्वयं में वास्तविक परिस्थितियों में किये जाने वाले कार्यों का एक स्वाभाविक अनुभव है। किन्तु शिक्षाविद् इस अनुभव को किसी उद्योग/श्रमिक अथवा कारीगरों द्वारा किए गये कार्यों से भिन्न मानते हैं। कार्य शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा बालक में उत्पादन शीलता सम्बन्धी समझ का विकास होता

है।

2. प्रकृतिवादी विचारधारा वाले सभी शिक्षाविदों का मानना है कि बालक को यदि स्वतन्त्र वातावरण में स्वयं से सीखने का मौका मिले तो वह अपनी क्षमताओं से अधिक करने का प्रयास करता है। शिक्षा में यदि कुछ कार्यों के माध्यम से इसी प्रकार के वातावरण को उत्पन्न किया जाता है तो बालक के निष्पादन मे वृद्धि पाई जाती है।

3. कार्य शिक्षा को पृथक विषय के रूप में ना लेकर इसे अन्य विषयों से सम्बन्धित करते हुए समझना चाहिए। क्योंकि, कार्य शिक्षा में विभिन्न प्रकार के उत्पादक एवं हस्तकार्य सम्मिलित है, जिनका प्रत्यक्ष एंव परोक्ष रूप से अन्य विद्यालयी विषयों से सम्बन्ध हो सकता है, अतः कार्य शिक्षा बालक में स्वंय करने की प्रवृत्ति को विकसित करती है, जिसके द्वारा बालक विभिन्न विषयों को सीखने की ओर अग्रसर होता है।

4. कार्य शिक्षा प्रमुख रूप से उत्पादकता एवं औद्योगिक मानसिकता को बढाने पर बल देती है। बालक विभिन्न हस्त कौशल सीखकर एक उत्पादक नागरिक के रूप में विकसित हो सकता है। भावी जीवन की तैयारी कार्य शिक्षा के द्वारा एक प्रयास है जिसके पश्चात बालक स्वयं शारीरिक एवं मानसिक रूप से एक निश्चित दिशा में कार्य करने के लिए प्रयन्तशील हो सकता है।

5. बालक कुछ जन्मजात योग्यताओं के साथ जन्म लेता है। बालक की रूचियाँ एवं अभिक्षमताएं भिन्न होती है कार्य शिक्षा का सम्प्रत्यक्ष भी बालक को अपनी अभिरूचियों एवं अभिक्षमताओं को नैसर्गिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करती है।

6. कार्य शिक्षा का स्वरूप व्यवसायिक नही है, अपितु यह तो उत्पादकता कैसे की जाये ऐसा सिखाने का एक प्रयत्न है। यह अवश्य है कि हस्त कार्य एवं अन्य लघु उद्योगों सम्बन्धी शिक्षा द्वारा बालक जो भी उत्पादक क्रियाएं करते हैं वह केवल एक अतिरिक्त लघु लाभ के रूप में ली जानी चाहिए।

7. कार्य शिक्षा वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा है। बालक एक ही समय में विभिन्न क्रिया कलाप द्वारा विभिन्न अंगों एवं मस्तिष्क के मध्य तालमेल बिठाता है।

8. कार्य शिक्षा बालक में श्रम के महत्व को सिखाती है। बालक विभिन्न कार्यों के महत्व एवं उपयोगिता समझता है। कार्य शिक्षा द्वारा बालक कार्यों को व्यवस्थित, क्रमबद्ध, श्रेणीबद्ध एवं परिणामजनक बनाता है।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. कार्य शिक्षा का प्रत्यय क्या है?

.....

.....

2. कार्य शिक्षा की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

## 4.8 कार्य शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

समाज उपयोगी उत्पादक कार्य शिक्षा की संकल्पना प्राचीन काल से जुडी हुई है। कभी शिल्प कार्य के रूप में, कभी उत्पादक क्रियाओं द्वारा एवं कभी शारीरिक श्रम के रूप में। मानव के विकास के साथ–साथ ही कार्य शिक्षा भी किसी न किसी रूप में साथ साथ चलती रही है। पुरापाषाण काल में मानव ने अपने लिये पत्थर तोड़ कर

औजार बनाने सीखे, जिन्हें उसने शिकार के लिये तथा कालान्तर में कृषि के लिये इस्तेमाल किया। मध्यपाषाण काल में औजार अधिक धारदार एवं बर्तन बनने शुरू हुए। सिन्धुघाटी की सभ्यता में भी कृषि, पशुपालन, व्यवसाय हुआ करते थे। अतः प्राचीन काल में भी उत्पादक कार्यों का शिक्षा में प्रमुख स्थान हुआ करता था। वैदिक काल में जिस प्रकार की सामाजिक एवं राजनैतिक व्यवस्था थी उसमें आत्मनिर्भर बनने के लिये उत्पादक कार्यों की शिक्षा अवश्य दी जाती थी। तत्कालीन शिक्षा आध्यात्मिक एवं ज्ञानात्मक के साथ साथ हस्तकलाओं पर भी आधारित थी। लोग ग्रामों में निवास करते थे तथा कृषि एवं पशुपालन द्वारा जीवनयापन करते थे। शिक्षा का लक्ष्य शारीरिक श्रम के प्रति श्रद्धा की भावना उत्पन्न करना था और शिक्षा के पाठयक्रम में ऐसे विषयों का समावेश था, जिनको सीखने के लिये शारीरिक श्रम आवश्यक था। उस समय तांबा, लोहा, मिट्टी के बर्तन, कढ़ाई, बुनाई इत्यादि शिल्प प्रचलित थे।

तत्पश्चात बौद्धकाल में प्रसिद्ध हस्तउद्योग था, कृषि शिल्प। कृषक द्वितीय व्यवसाय के रूप में हस्तशिल्प आधारित कार्य करते थे जैसे – बटाई, टोकरी, चटाई बुनना, कताई, मिट्टी के खिलौने आदि बनाना। दस्तकारी एवं कसीदाकारी भी प्रमुख थे। अतः यह कहा जा सकता है कि बौद्धकाल समाजउपयोगी उत्पादक श्रम का कार्य, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समय के सदुपयोग के साथ जीविकोपार्जन के रूप में अपनाया जाता था। हस्तशिल्प प्रशिक्षण केन्द्र चम्पा, श्रावस्ती, साकेत, वाराणसी, राजगृह एवं कौशाम्बी आदि थे। हस्तशिल्प के क्षेत्रों में भवन निर्माण शिल्प – जिसके अन्तर्गत ईंट, लकड़ी एवं पत्थर के कार्य, कृषिशिल्प – जिसके अन्तर्गत कृषि सम्बन्धित यंत्रों का निर्माण, तथा काष्ठशिल्प सम्मिलत थे।

मध्यकाल में भी हस्त उत्पाद कार्य के उदाहरण हैं। बालिकाओं को नृत्य, संगीत, बुनाई, कढ़ाई, सुनारगिरी, जूते बनाना इत्यादि की शिक्षा दी जाती थी। जिन लोगों को विद्यालय के माध्यम से शिक्षा नहीं मिल पाती थी, उनकी शिक्षा गावों के कारीगर, हस्तशिल्पों द्वारा हो जाती थी। भारत में विदेशियों के काल में 16वीं से 20वीं शताब्दी के पूर्व में विदेशी शासकों द्वारा भारतीय ग्रामीण घरेलू, आर्थिक, सांस्कृतिक, उद्योगधन्धों को अपनी शोषणकारी व दमनकारी प्रवृतियों से नष्ट कर दिया था। गाँधी जी ने 1937 में बुनियादी शिक्षा की योजना रखी जिसमें उद्योग को प्रमुख स्थान दिया। दस्तकारी, कताई, बुनाई, बागवानी लकड़ी के कार्य इत्यादि को बुनियादी पाठशालाओं में प्रारम्भ किया।

स्वतन्त्र भारत में वर्ष 1966 में कोठारी आयोग की रिपोर्ट में बुनियादी शिक्षा में सम्मिलित कार्यों की शिक्षा के स्थान पर कार्य–अनुभव की अवधारणा रखी। वर्ष 1977 में ईश्वर भाई पटेल कमेटी ने अपनी रिर्पोट में समाज उपयोगी उत्पादक कार्य के सम्प्रत्यय को प्रस्तुत किया। आदिशेषैया कमेटी ने स्वीकार किया तथा यह सुझाव दिया कि पाठशाला के समय का आधा भाग उत्पादक अथवा सृजनात्मक कार्यों में लगाया जाए और उसका आधा क्रियाओं के लिये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किए। इसमें भी कार्य शिक्षा को पाठयक्रम के प्रत्येक स्तर पर उपयोगी माना तथा सामुदायिक एवं समाजोपयोगी कार्यों के रूप में शामिल करने की अनुशंसा की गई ताकि बालक स्वयं को स्थापित करने आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वयं को तैयार कर सकें। वर्ष 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करने में भी स्तर वार कार्य शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार किया गया। नई शिक्षा नीति की रूपरेखा तो संपूर्ण रूप से कौशल आधारित है। नई शिक्षा नीति 2020 के संस्तुतियों के लागू होने पर शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन होना सुनिश्चित है।

## 4.9 कार्य शिक्षा के उद्देश्य

शिक्षा आयोग (1964–66) ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि नई सामाजिक व्यवस्था की प्रकृति के अनुसार ही कार्यानुभव को आगे की ओर देखने वाला अर्थात प्रगतिशील होना चाहिए। परिर्वतन समाज का एक अभिन्न अंग है। समाज में हो रहे बदलाव एवं सोच को शिक्षा में बदलाव के साथ सम्मिलिति किया जाना चाहिए कार्य शिक्षा में भी नई सोच एवं परिवर्तन का स्थान होना चाहिए। वैसे भी विज्ञान एवं तकनीकी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

सामाजिक परिवर्तन के लिए प्राथमिक शिक्षा एन.सी.ई.आर.टी. (1996) में प्रकाशित एक लेख में एस0 एल0 गजवानी ने लिखा था, शिक्षा आयोग (1964–66) की संस्तुतियों के अनुसार कार्य शिक्षा को विद्यालयी शिक्षा में अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए। कार्य शिक्षा का लक्ष्य शिक्षा के स्वरूप को परिवर्तित करना है और उसे केवल पुस्तक आधारित नहीं बनाना है, वरन् शिक्षा को विद्यालय परिवार एवं समाज की आवश्यकताओं से जोड़ना है एवं उत्पादकता को बढ़ाना है। कार्य शिक्षा बालकों में वांछित मनोवृत्तियों एवं मूल्यों का विकास करेगी एवं बालक के चरित्र निर्माण में सहायक होगी। लेख में आगे कहा गया कि कार्य शिक्षा द्वारा विभिन्न कार्यों में लगे लोगों के प्रति

आदर भाव जागृत होगा, बालक तकनीकि एवं कार्य के मध्य सामन्जस्य स्थापित कर पायेंगे, बालक कार्य क्षेत्र में जाने से पूर्व ही स्वयं को मानसिक एवं सामाजिक रूप से तत्पर कर पायेंगे एवं समूह में कार्य करने की भावना का विकास होगा।

एन.सी.ई.आर.टी. (1985) नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर प्राईमरी एण्ड सेकण्डरी एजुकेशन में कार्य शिक्षा एवं समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों को समान मानते हुए वर्णित किया है कि कार्य शिक्षा एवं सामाजिक रूप से उत्पादक कार्य को सीखने वाले हस्तकार्य सहयोग आत्मनिर्भरता, स्वावलम्बन, सतत क्रियाशील, समूह में कार्य करना, सहायता करना जैसी प्रवृत्ति को विकसित करना चाहिए। बालक अपने उत्तरदायित्वों के वहन हेतु उत्पादक परिस्थितियों को समझ सके, कार्यों की प्रकृति, तथ्यों एवं शब्दावलियों को जान सके, नवाचार को अपना सके एवं अपनी उत्पादकुशलता को बढ़ा सके।

कार्य शिक्षा के क्षेत्र में विकसित की जाने वाली क्षमता में आवश्यकता आधारित जीवन क्रियाओं के माध्यम से बालक में ज्ञान समझ, कौशल एवं मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए।

### 4.9.1 कार्य शिक्षा के सामान्य उद्देश्य

बालकों की सहायता हेतु शिक्षा के कुछ सामान्य उद्देश्य इस प्रकार है–

1. हाथ से किए जाने वाले कार्य एवं श्रमिकों के प्रति सम्मान विकसित करना
2. वांछित सामाजिक मूल्यों का विकास करना यथा स्वयं पर विश्वास करना, सहायतापूर्ण होना, सहकारिता, सहनशीलता, समूह में कार्य करना, संचय करना इत्यादिं।
3. उचित कार्य आदतों एवं मूल्यों को विकसित करना जैसे नियमितता, समय निष्ठता, अनुशासन ईमानदारी, योग्यता, उत्कृष्ठता के प्रति प्रेम एवं कार्य के प्रति समर्पण।
4. उत्पादक कार्यों एवं सेवाओं में उपलब्धि के द्वारा आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास को विकसित करना।
5. पर्यावरण के प्रति आंतरिक लगाव एवं समाज के प्रति निष्ठा, प्रेम एवं उत्तरदायित्व को विकसित करना।
6. समाज की आर्थिक सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता विकसित करना।
7. सामुदायिक सेवाओं एवं उत्पादक कार्यों की उपयोगिता को प्रोत्साहित करना एवं बढ़ाना

### 4.9.2 कार्य शिक्षा के समग्र उद्देश्य

कार्य शिक्षा के समग्र उद्देश्यों को ज्ञानात्मक मनःचालित एवं भावात्मक क्षेत्रों के रूप में हम इस प्रकार समझ सकते है–

**ज्ञानात्मक क्षेत्र (ज्ञान एवं अवबोध)**

1. कार्य शिक्षा द्वारा स्वंय की परिवार एवं समुदाय की भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास, मनोरंजन, सामुदायिक कार्यों सम्बन्धी आवश्यकताओं का पता लगाना एवं निर्धारण करना।
2. बालक में समुदाय में होने वाली विभिन्न प्रकार की उत्पादक क्रियाओं से परिचित करना।
3. बालक को वस्तु निर्माण से पूर्व विभिन्न कच्चे माल के स्रोतों की जानकारी देना एवं उत्पादन के लिए प्रयुक्त उपकरणों एवं सामान से अवगत कराना एवं उनका उपयोग समझाना।
4. विभिन्न उत्पादक एवं हस्त कार्यों से सम्बन्धित वैज्ञानिक तथ्यों एवं तकनीकि का ज्ञान कराना।
5. कार्य को नियोजित करने की प्रक्रिया एवं उत्पादक कार्यों के व्यवस्थापन को जानना एवं समझना।
6. कार्यों की विभिन्न परिस्थितियाँ हो सकती है, उन्हीं के अनुरूप भूमिका भी अलग–अलग हो सकती हैं, कार्य शिक्षा द्वारा इन्ही विभिन्न भूमिकाओं को समझना।
7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समाज को प्रगतिशील बनाता है, उत्पादक प्रक्रियाओं एवं कौशल द्वारा समाज की उन आवश्कताओं को पहचानना जिनके द्वारा समाज को अग्रोन्मुख किया जा सकता है।

### मनः चलित क्षेत्र (कौशल)

कार्य की सफलता एवं उत्पादकता कार्य के प्रति विकसित कौशल पर निर्भर करती है। मनोचालक क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य शिक्षा बालक के विभिन्न पक्षों को कुशलता प्रदान करने में सहायता करती है।

1. विभिन्न उत्पादक एवं उद्योग सम्बन्धी कार्यों में प्रयुक्त उपकरण एवं अन्य सामग्री का चयन, प्राप्ति व्यवस्था एवं उपयोग के लिए बालक में कुशलताओं का विकास करना।
2. उत्पादक कार्यों एवं समाजिक सेवा परिस्थितियों में समस्या समाधान सम्बन्धी प्रक्रियाओं एवं अनुप्रयोग के लिए बालक में कौशल का विकास करना।
3. बालक में उत्पादक क्षमता का विकास हो, इस प्रकार के कौशल का विकास करना।
4. नवाचार विधाओं एवं सामग्री की सृजनात्मक विधाओं का अनुप्रयोग करना।

### भावात्मक क्षेत्र (दृष्टिकोण एवं मूल्य)

छात्रों में भावात्मक रूप से उचित दृष्टिकोण एवं मूल्यों के विकास हेतु कार्य शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार हो सकते हैं–

1. कार्य शिक्षा द्वारा बालक में श्रमिकों एवं हस्तकार्य की महत्ता को समझते हुए आदर एवं सम्मान विकसित करना।
2. वाँछनीय सामाजिक मूल्यों यथा– स्वावलम्बन, सहायता करने की भावना, सहयोग की भावना, समूह कार्य, सहनशीलता आदि का विकास करना।
3. उचित कार्यों सम्बन्धी आदतों एवं मूल्यों का विकास करना यथा– नियमितता, पाबन्दी, अनुशासन, दक्षता, उत्कृष्टता से प्रेम, कार्य के प्रति समर्पण, सतर्कता इत्यादि।
4. समाजोपयोगी कार्यों एवं सेवाओं द्वारा महत्वाकांक्षा एवं आत्मविश्वास का विकास करना।
5. पर्यावरण के प्रति गहरा लगाव, समाज के प्रति अपनापन, उत्तरदायित्वता एवं समर्पण की भावना का विकास करना।
6. समाज में व्याप्त आर्थिक सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता विकसित करना।
7. समुदाय के प्रति किए गए उत्पादक कार्यों एवं सेवाओं की उपयोगिता समझना एवं सराहना करना।

## 4.10 कार्य शिक्षा के अन्य उद्देश्य

एच.बी. मजूमदार (1977) ने कन्सेंट एण्ड अप्रोच नामक लेख में कार्य शिक्षा के निम्न उद्देश्यों का वर्णन किया–

1. शिक्षा के जीवन से सम्बन्धित करना एवं बालक को विभिन्न कार्य क्षेत्रों से अवगत कराना।
2. आत्मनिर्भरता एवं परिश्रम के महत्व को व्यवहारिक रूप से समझना।
3. विभिन्न कार्य सम्बन्धी जिज्ञासा एवं निरीक्षण करने की क्षमता को विकसित करना।
4. बालक को कार्य के महत्व को समझाना, अच्छी आदतों का निर्माण करना, एवं श्रम के प्रति लगाव उत्पन्न करना।
5. बालक में अर्न्तदृष्टि द्वारा समस्या के समाधान की ओर अग्रसर करना एवं साधन सम्पन्नता का विकास करना।
6. सामुदायिक कुशलता के रूप में सहयोग, नेतृत्व, उदारता, सहनशीलता, कर्तब्यों का बोध, समूह कार्य इत्यादि मानवीय मूल्यों का विकास करना।
7. भावी जीवन के लिए व्यावसायिक कुशलता हेतु तत्परता का विकास करना।
8. उत्पादक कार्यों द्वारा समाज को पास लाना एवं एकीकरण की भावना को बढ़ाना।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

3. कार्य शिक्षा के सामान्य उद्देश्य क्या है?

.....

.....

4. मूल्यों के विकास हेतु कार्य शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

## 4.11 सरांश

इस इकाई में हमने कार्य शिक्षा के अर्थ एवं प्रकृति का अध्ययन किया। गांधीजी की बुनियादी शिक्षा को जाना जिस प्रकार एक शिक्षा आधारित है एवं कार्य शिक्षा की विशेषताओं को का उल्लेख किया गया कार्य शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला तथा कार्य शिक्षा के सामान्य एवं समग्र उद्देश्य जो बालक के ज्ञानात्मक, मनः चालित एवं भावात्मक पक्ष से संबंधित हैं उनको भी समझने का प्रयास किया गया।

## 4.12 अभ्यास के प्रश्न

1. कार्य शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट कीजिए।
2. कार्य शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।
3. कार्य शिक्षा के समग्र उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए।

## 4.13 चर्चा के बिन्दु

1. कार्य शिक्षा को पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से क्यों सम्मिलित किया जाना चाहिए। चर्चा कीजिए।

## 4.14 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. कार्य शिक्षा एक ऐसा कार्य यह कार्य है जो कि उद्देश्य पूर्ण एवं सार्थक हो वह शिक्षा का अभिन्न अंग हो तथा समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के रूप में हो।
2. कार्य शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं–

   क) वास्तविक परिस्थितियों में किए जाने वाला एक वास्तविक अनुभव।

   ख) उत्पादकता एवं औद्योगिक मानसिकता को बढ़ाने वाली।

   ग) पृथक विषय के रूप में ना होकर अन्य विषयों से संबंधित।

   घ) स्वतंत्र वातावरण में स्वयं सीखने पर आधारित।

   ङ) बालक की जन्मजात योग्यताओं के प्रदर्शन का अवसर।

   च) वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान पर आधारित।

3. उद्देश्य निम्न हैं–

क) हस्त कार्य कार्य एवं श्रमिकों के प्रति सम्मान विकसित करना।

ख) वांछित सामाजिक मूल्यों का विकास करना।

ग) उचित आदतों एवं नैतिक मूल्यों का विकास करना।

घ) आर्थिक समस्याओं के प्रति जागरूकता।

ङ) उत्पादक कार्यों को प्रोत्साहन।

4. मूल्यों के विकास हेतु कार्य शिक्षा के निम्न उद्देश्य हैं–

क) श्रम एवं हस्त कार्य की महता द्वारा आदर एवं सम्मान विकसित करना।

ख) स्वावलंबन सहयोग समूह कार्य आदि का विकास।

ग) नियमितता, अनुशासन प्रेम, कार्य के प्रति समर्पण का विकास।

घ) उत्तरदायित्व की भावना का विकास।

## 4.15 कुछ उपयोगी पुस्तकें


1. गुप्ता एस.पी. 2015, भारतीय शिक्षा का इतिहास विकास एवं समस्यायें, इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन।
2. रूहेला सत्यपाल, देवेन्द्र (1998), कार्यानुभव की शिक्षा, दिल्ली : डायमण्ड बुक्स।

# इकाई– 5 : कार्य शिक्षा के सिद्धान्त

## इकाई की संरचना


5.1 प्रस्तावना

5.2 इकाई के उद्देश्य

5.3 कार्य शिक्षा के दार्शनिक आधार

5.4 कार्य शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार

5.5 कार्य शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार

5.6 कार्य शिक्षा के सिद्धान्त

- 5.6.1 निश्चित उद्देश्यों का सिद्धान्त
- 5.6.2 वास्तविक जीवन से सम्बन्ध का सिद्धान्त
- 5.6.3 परम्परा संरक्षण का सिद्धान्त
- 5.6.4 सक्रियता का सिद्धान्त
- 5.6.5 श्रम के महत्व का सिद्धान्त
- 5.6.6 रुचि का सिद्धान्त
- 5.6.7 नियोजन का सिद्धान्त
- 5.6.8 बाल केन्द्रियता का सिद्धान्त
- 5.6.9 लचीलेपन का सिद्धान्त
- 5.6.10 पूर्वज्ञान एवं अनुभव का सिद्धान्त
- 5.6.11 व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धान्त
- 5.6.12 अन्य विषयों से सम्बन्ध का सिद्धान्त
- 5.6.13 प्रभावपूर्ण व्यूहरचना एवं अनुदेशन सामग्री का सिद्धान्त

5.7 शिक्षण–सूत्र

5.8 सारांश

5.9 अभ्यास के प्रश्न

5.10 चर्चा के बिन्दु

5.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

5.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें


## 5.1 प्रस्तावना

कार्य शिक्षा के सम्प्रत्यय को स्थापित करने से पूर्व विस्तृत अध्ययन, चिन्तन एवं विश्लेषण किया गया। अतः इसके दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय आधारों का जानना आवश्यक है। सोद्देश्य प्रयास द्वारा की गयी

क्रिया कार्य कहलाती है। कार्य शिक्षा एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। जिस प्रयोजन या उद्देश्य की प्राप्ति के लिये कोई कार्य किया जाता है उसकी प्रकृति, गम्भीरता, विशेषता एवं उपादेयता के अनुसार ही श्रम की आवश्यकता होती है। अतः कार्य शिक्षा के सिद्धान्त सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। कार्य शिक्षा को उचित दिशा देने हेतु एवं उनकी प्रभावशीलता को ध्यान में रखते हुए इस इकाई में कार्य शिक्षा के उद्देश्यों एवं उन शिक्षण सूत्रों की चर्चा की गयी है जिनके द्वारा शिक्षा प्रक्रिया सुचारु रूप में चलाई जा सके।

## 5.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप इस योग्य हो जाएंगे कि–

1. कार्य शिक्षा के दार्शनिक मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय आधारों को समझ सकेंगे।
2. अपनी क्षमताओं, रूचियों एवं समय के अनुसार विभिन्न कार्यों का चयन कर सकेंगे।
3. प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे और समाज के लिए उत्पादक कार्यों को करने में अपना योगदान देने में सक्षम हो सकेंगे।
4. विभिन्न शिक्षण सूत्रों के ज्ञान के द्वारा बालक कार्य शिक्षा से संबंधित कार्यों को ना केवल समझ सकेंगे अपितु इनको व्यावहारिक रूप में करने में भी सक्षम हो सकेंगे।

## 5.3 कार्य शिक्षा के दार्शनिक आधार

मनुष्य चिंतनशील प्राणी है और दर्शन चिंतन की उच्चतम सीमा है। दर्शन एवं शिक्षा के मध्य गहरा संबंध है जिसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि दर्शन मानव जीवन की व्याख्या करता है तथा मानव के जीवन के अंतिम लक्ष्य एवं लक्ष्य प्राप्ति के साधन मार्गों पर विचार करता है। लक्ष्य प्राप्ति के साधन मार्गों पर चलाने का कार्य शिक्षा करती है मनुष्य अपने ज्ञान एवं कौशलों के आधार पर नवीन विचारधारा को प्रस्तुत करता है। शिक्षा ही दार्शनिक विचार धारा को मूर्त रूप देती है। जहां एक ओर प्रकृतिवादी मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों का मार्गान्तिकरण एवं उदात्तीकरण करता है, मनुष्य को प्राकृतिक जीवन जीने योग्य बनाता है वहीं दूसरी ओर प्रयोजनवाद मानव को क्रियाशील एवं व्यावहारिक बनाने पर बल देता है। एस. पीयर्स एवं विलियम जेम्स ने मनुष्य के अनुभवों के महत्व को बताया कि मानव ही है जो समस्त वस्तुएं एवं क्रियाओं की सत्यता की कसौटी है। जॉन डीवी ने भी इसी विचारधारा का समर्थन किया और कहा कि शिक्षा के उद्देश्य सामाजिक कुशलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। सामाजिक कुशलता से उनका तात्पर्य था कि बालक की शक्तियों और क्षमताओं को इस प्रकार विकसित किया जाए कि वह सामाजिक रूप से कुशल और सजग हो जाएं एवं सामाजिक कार्यों एवं उत्तर दायित्व का निर्वहन करने योग्य बन जाए। उन्होंने शिक्षा के पाठ्यक्रम में हस्तशिल्प एवं समाज उपयोगी व्यावहारिक क्रियाओं को सम्मिलित करने की अनुशंसा की। कार्य शिक्षा भी इसी प्रयोजन वादी विचारधारा पर सर्वाधिक आधारित है। इसमें बालक को स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के अवसर दिए जाने एवं जीवन की विषम परिस्थितियों का सामना करने हेतु आवश्यक कौशलों के विकास को प्रोत्साहन दिया गया है। प्रकृतिवादी रूसो ने भी प्राकृतिक वातावरण में व्यवसायिक एवं कार्य अनुभव आधारित शिक्षा का समर्थन किया। प्रसिद्ध दार्शनिक गीजू भाई पटेल ने भी बाल केंद्रित शिक्षा का ही समर्थन किया तथा बालक के उपयुक्त सामाजीकरण हेतु बालक से छोटे–छोटे कार्यों को करने वाली शिक्षा का प्रावधान रखा। यदि प्रारंभ से ही विद्यार्थियों को इस प्रकार की कार्य शिक्षा दी जाए तो उसे भावी जीवन में सामाजीकरण करने में कठिनाई नहीं होगी।

## 5.4 कार्य शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार

मनोविज्ञान के अनुसार बालक का मस्तिष्क कोई कोरी तख्ती (Tabularasa) नहीं है जिस पर कुछ भी लिखा जा सके मनोविज्ञान यह बतलाता है कि बालक का विकास उसकी जन्मजात विशेषताओं, मूल प्रवृत्तियों और रुचिओं के अनुसार होता है। अतः शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह बालक के मानसिक स्तर, रुचियां, जन्मजात योग्यताओं सवेंग, मूल प्रवृत्तियों एवं आवश्यकताओं का अध्ययन कर सकें ताकि उसके आधार पर बालक का सर्वांगीण विकास किया जा सके। मनोवैज्ञानिक विधियों के अनुसरण के द्वारा अधिगम को प्रभावी बनाने वाले नियम, ध्यान केंद्रीयकरण, स्मरण की विधियां, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का निर्माण और इन सभी से संबंधित वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं नियमों का निर्माण एवं निरूपण करना सम्मिलित है। बालकेंद्रित पाठ्यक्रम में आवश्यक है बालक की रुचियां किस क्षेत्र में हैं, उसकी अभिक्षमता किस प्रकार की है, किन विषयों एवं कौशलों में उसे विशेष रूप से

प्रशिक्षित किया जा सकता है। चरित्र निर्माण एवं संवेग नियंत्रण में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कार्य शिक्षा भी शिक्षा के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। बाल केंद्रित शिक्षा में इंद्रियों का प्रशिक्षण, कर के सीखने के अवसर पर बल दिया जाता है।

प्राकृतिक वातावरण में बालक को अपनी क्षमता एवम् अभिव्यक्ति के अधिक अवसर मिलते हैं। प्रत्येक बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। खेल खेल में अनेक गुणों को ग्रहण करता है। समूह में कार्य करता है। बालक की मूल प्रवृत्तियाँ उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। विभिन्न उत्पादक कार्यों की शिक्षा उसकी आयु मानसिक क्षमताओं आदि को ध्यान में रखते हुए दी जा सकती हैं। बालक ज्ञान अर्जन करता है तो वह सर्वप्रथम अपने को एक अधिगमकर्ता के रूप में स्थापित करता है। फिर वह एक व्यक्ति के रूप में विकसित होता है। सामाजिकता के गुणों को धारण करता है तथा स्वयं को जीविकोपार्जन के लिए तैयार करता है। अनुभव एवं ज्ञान में वृद्धि करता है। कार्य शिक्षा बालक के हर क्षेत्र में उसका मार्गदर्शन करती है बालक की प्रत्येक स्तर की आवश्यकताएं कार्य शिक्षा के द्वारा भली प्रकार संपादित की जा सकती हैं। सत्यप्रकाश रुहेला ने अपनी पुस्तक "कार्यानुभव की शिक्षा" में सरवत महमूद के लेख का उद्धरण किया है जो इस प्रकार है, "क्रियाओं के माध्यम से दी गई शिक्षा विशुद्ध शैक्षिक और सैद्धांतिक कार्यों को निरंकुशता से मुक्ति दिलाती है यह बौद्धिक और अनुभव के व्यावहारिक तत्वों में संतुलन स्थापित करती है और बालक को जिज्ञासु बनाने और अपनी जिज्ञासा को स्वयं शांत करने तथा खोजने के द्वारा पूर्ण करने में समर्थ होती है"।

## 5.5 कार्य शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन ही समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन अगस्त काम्टे ने प्रारंभ किया। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य अंतः क्रिया होना स्वाभाविक है। इस प्रकार से अनेक व्यवहार प्रतिमान स्थापित होते हैं। उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन ही समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। एक समूह विशेष पर व्यक्ति का तथा एक व्यक्ति का समूह विशेष पर प्रभाव का शिक्षा के द्वारा अध्ययन किया जाना संभव है क्योंकि शिक्षा ही मनुष्य के विकास की आधारशिला है। शिक्षा के अभाव में समाज का निर्माण अथवा विकास संभव नहीं है। निरीक्षण, चिंतन, मनन, विश्लेषण शिक्षा द्वारा ही संभव है। तर्क, भाषाई विकास, कौशल, प्रशिक्षण, उचित निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व के गुण यह सभी समाज के विकास के लिए आवश्यक अंग है समाज में मनुष्य को स्थापित होने के लिए किसी ना किसी प्रकार की विशेष या व्यावसायिक शिक्षा की भी आवश्यकता पड़ती है। कार्य शिक्षा भी समाज में मनुष्य के स्थापन का अति आवश्यक पहलू है। अतः कार्य शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार को समझना भी नितांत आवश्यक है। परिवार, जाति, समुदाय, राज्य सभी की आवश्यकता और अपेक्षाओं की पूर्ति कार्य द्वारा ही होती है। उन कार्यों से संबंधित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि शिक्षा में कार्य, प्रशिक्षण, कौशल विकसित करने वाली शिक्षण विधियों का ज्ञान छात्रों को कराया जाए। विद्यालय भी समाज का ही एक लघु रूप होता है जहां हर सदस्य के कार्य क्षेत्र का विभाजन है। छात्र विद्यालय से निकलकर जिस समाज में प्रवेश करते हैं उस समाज में वह अपना योगदान उसी शिक्षा के आधार पर करते हैं जो उन्होंने विद्यालय अथवा अन्य शिक्षण संस्थानों से प्राप्त की है। अतः कार्य शिक्षा समाज को आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन की नई दिशा देने में सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करती है।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. कार्य शिक्षा में मनोविज्ञान किस रूप में विद्यमान है?

.....

.....

2. कार्य शिक्षा का समाज के प्रति क्या योगदान है?

.....

.....

## 5.6 कार्य शिक्षा के सिद्धान्त

कार्य शिक्षा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक सिद्धान्तों का जानना नितांत आवश्यक है। यह भी विचारणीय है कि किस प्रकार की कार्य शिक्षा हो जो विभिन्न शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करती हो। शैक्षिक प्रक्रिया में कार्य की प्रकृति, कार्य की विषयवस्तु, कार्य का वातावरण, कार्य से सम्बन्धित अधिगम विधियां, कार्य का उपयोग एवं व्यवहारिक पक्ष इत्यादि प्रभावित करते हैं। साथ ही विकास के क्रम में बालक की विभिन्न मानसिक शक्तियों, रुचियों, क्षमताओं इत्यादि में परिवर्तन होता है। विभिन्न कार्यों की प्रकृति भिन्न हो सकती है, कार्य के विभिन्न स्तर हो सकते हैं। विभिन्न परिस्थितियों के सन्दर्भ में कार्य का उद्देश्य भी भिन्न हो सकता है। शिक्षण विधियां कार्य के प्रकृति के अनुसार निर्धारित की जाती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण कार्य के प्रभाव एवं परिणाम अलग – अलग हो सकते हैं। शिक्षण में यह आवश्यक है कि पाठ्यवस्तु का प्रारम्भ कहां से हो, किस प्रकार से हो, किस प्रकार रुचिकर बनाया जाए ताथा अर्जित ज्ञान की उपयोगिता सुनिश्चित हो, इन आवश्यक बातों के लिये अनेक प्रकार के शिक्षण सिद्धान्तों का निरुपण किया गया है, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं–

### 5.6.1. निश्चित उद्देश्यों का सिद्धान्त

शिक्षा का निश्चित उद्देश्य होता है, किन्तु शिक्षा के स्तर के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्यों में परिवर्तन होता रहता है। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का सैद्धान्तिक पक्ष होना चाहिये कि बालक को ज्यादा से ज्यादा सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने के अवसर दिये जाएं। उत्पादक क्रियाओं में बालक की सहभागिता, श्रम का महत्व समझना, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, समूह में कार्य करने की प्रवृति को बढाना, समय की महत्ता समझाना, व्यवस्थापन, रचनात्मक क्रियाओं में लिप्त करना कार्य शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिये। कार्य शिक्षा में जिन भी उत्पादक एवं उपयोगी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, उनका उद्देश्य निर्धारित होता है। यथा मिट्टी के बर्तन बनाना, सरल औजारों एवं उपकरणेां का प्रयोग, विद्यालय एवं घर की साफ – सफाई, स्वच्छता, राष्ट्रीय दिवसों को मनाना इत्यादि। उच्च प्राथमिक स्तर पर आते – आते क्योंकि बालक का पर्याप्त विकास हो जाता है, अतः वह उत्पादन क्रियाओं में उचित सहभागिता के साथ दक्षता प्राप्त कर सकता है। निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अवलोकन, व्यवस्थापन, रूपांतरण, वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान प्रदान करने वाले कार्यों की शिक्षा दी जानी चाहिये। माध्यमिक स्तर पर कार्य शिक्षा के उद्देश्य के रूप में विश्लेषणात्मक एवं बौद्धिक क्रियाओं सम्बन्धी कार्यों का समावेश होना चाहिये। कार्य का निश्चित उद्देश्य कार्य को आगे बढाने के लिये दिशा, कार्य का प्रारूप, कार्य की अवधि, कार्य का परिणाम तथा उत्पादकता एवं कार्य की उपादेयता सुनिश्चित करता है। अतः कार्य शिक्षा निश्चित उद्देश्यों के सिद्धान्त पर आधारित होनी चाहिये।

### 5.6.2. वास्तविक जीवन से सम्बन्ध का सिद्धान्त

कार्य शिक्षा का समावेश इस प्रकार होना चाहिये कि वे वास्तविक जीवन एवं समाज के लिये उपयोगी हो। कार्य उपयोगी, सार्थक एवं लाभप्रद होने चाहिये, ताकि बालक में उत्तरदायित्व की भावना, सामाजिक गुणों एवं मूल्यों

का विकास हो सके। समाज के आर्थिक स्तरानुरूप उपयोगी उद्योगों की शिक्षा को सम्मिलित किया जाना चाहिये। नई उपयोगी एवं तकनीकि क्रियाओं को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिये। गांधी जी की कढ़ाई बुनाई एवं अन्य दस्तकारी की परम्परागत शिक्षा को वर्तमान एवं भावी समाज की आवश्यकता के अनुरुप नई तकनीकी क्रियाओं के साथ परिवर्तन कर देना चाहिये। किसी भी प्रकार की कार्य शिक्षा अपनेआप में पर्याप्त नहीं है। उनका आधुनिकीकरण एवं वर्तमान सन्दर्भ में उपादेयता सुनिश्चित करना आवश्यक है। यदि कार्य शिक्षा वास्तविक एवं सामाजिक रूप से सम्बन्धित एवं उपयोगी नहीं है तो इस प्रकार की निरर्थक शिक्षा निरुद्देश्य हो जायेगी।

### 5.6.3. परम्परा संरक्षण का सिद्धान्त

किसी भी राष्ट्र का वर्तमान उसके अतीत पर निर्भर होता है एवं उससे प्रभावित होता है और भविष्य के लिये क्रियाशील होता है। अतः किसी भी समाज के अतीत वर्तमान एवं भविष्य पर विचार अत्यन्त आवश्यक है। जिस प्रकार हमारे पूर्व की घटनाएं एवं तथ्य हमारे वर्तमान को प्रभावित करती हैं, उन्ही में से चुनाव करके हम अतीत के सकारात्मक पक्ष को आगे बढाते हैं एवं नकारात्मक पक्ष को या तो सुधारने का प्रयास करते हैं या उसे वहीं छोड देते हैं। पूर्व में जो ज्ञान उपयोगी एवं लाभदायक था वह आज के युग में कितना सार्थक है इसकी जानकारी हर पीढी आने वाली पीढी को उपलब्द्ध कराती है। अतः शिक्षा के उद्देश्य के रूप में यह कर्तव्य हो जाता है कि यह परम्पराओं, उनके ज्ञान एवं व्यवहारिक मानदण्डों को संरक्षित करें एवं उनके आने वाली पीढ़ी को सौंप दे। इस प्रकार हम अपनी सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। अतः कार्य शिक्षा में उन कार्यों को अवश्य ही सम्मिलित करना चहिये जो हमारी संस्कृति विरासत एवं धरोहर के प्रतीक हैं और जिनकी शिक्षा द्वारा हम बालक को कार्य कुशल एवं दक्ष बना सकते हैं, यथा– दस्तकारी, फुलकारी ज़रदोज़ी की कढाई, मिट्टी के खिलौने, कताई, कृषि सम्बन्धी कार्य इत्यादी।

### 5.6.4. सक्रियता का सिद्धान्त

फ्राबेल ने कहा है कि क्रिया द्वारा सीखना ही शिक्षा है। बालक स्वभाव से ही क्रियाशील होते हैं। बालक अपनी प्रकृति के अनुसार सदैव किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं। कार्य शिक्षा के इस सिद्धान्त के अनुसार बालक को ऐसे कार्य करने के लिये प्रेरित किया जाये जो ना केवल उसका शारीरिक विकास करें वरन् ज्ञानेन्द्रियों को भी सकारात्मक दिशा में कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करें। बालक जिन कार्यों को स्वयं सक्रिय रह कर करता है, उन कार्यों का अधिगम स्थायी होता है बालक सम्बन्धित कार्यों के प्रति अभिप्रेरित हो कर अपने जीवन लक्ष्यों को भी निर्धारित कर सकता है। अतः कार्य शिक्षा में बालक को स्वयं करके सीखने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिये। दस्तकारी, बुनाई, सिलाई अन्य उत्पाद कार्य, कृषि सम्बन्धी कार्य, साफ – सफाई सम्बन्धी कार्य बालक के भावी जीवन में लघु उद्योगों एवं अन्य व्यवसाय को स्थापित करने में सहायक हो सकते हैं।

### 5.6.5 श्रम के महत्व का सिद्धान्त

श्रम सफलता की कुंजी है और मानव की सबसे कीमती सम्पत्ति उसका श्रम ही है। श्रम दो प्रकार के होते हैं – शारीरिक तथा मानसिक। किसी वस्तु, धन अथवा उद्देश्य की प्राप्ति के लिये किये गये परिश्रम का नाम श्रम है। श्रम स्वयं में एक लक्ष्य है। इसके द्वारा बालक के मन को प्रसन्नता मिलती है एवं शरीर भी स्वस्थ रहता है। श्रम के द्वारा बालक सदैव उन्नति करता है एवं श्रम के द्वारा ही अति साधारण छात्र भी चकित करने वाले परिणाम दे सकते हैं, कार्य शिक्षा का सिद्धान्त बालक के श्रम के महत्व को विस्थापित करना है। बालकों को इस प्रकार कार्य करने दिये जाने चाहिये जिनके द्वारा वह शारीरिक एवं मानसिक शक्ति विकसित कर सकें। कठिन मेहनत एवं लगन वाले कार्य बालक के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होंगे। बालकों की रुचि एवं क्षमताओं के आधार पर उन्हें उपयुक्त शारीरिक एवं मानसिक कार्यों को चयन करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये। मूर्ति गढ़ना, चित्र बनाना, मशीनों को चलाना, कृषि उपकरणों का प्रयोग जहां बालक को शारीरिक श्रम के लिये प्रेरित करते हैं वहीं दूसरी ओर समस्या समाधान सम्बन्धी कार्य, कम्प्यूटर कार्य, लेखन कार्य बालक से मानसिक श्रम करवातें हैं। अतः कार्य शिक्षा में ऐसे विषयों का समावेश होना आवश्यक है।

### 5.6.6 रुचि का सिद्धान्त

प्रभावशाली शिक्षण के लिये आवश्यक है कि शिक्षण सामग्री रुचिकर हो साथ ही छात्रों की विषयवस्तु को ग्रहण करने के प्रति रुचि हो। दोनों ही परिस्थितियों में छात्र विषयवस्तु के प्रति आकर्षित होंगे। रुचि द्वारा बालक

अवधान केन्द्रीकरण एवं एकाग्रचित रहना सीखता है। कार्य शिक्षा के अन्तर्गत ऐसी विषयवस्तु का समावेश करना चाहिये जो या तो छात्रों में रुचि जागृत करने में सक्षम हो अथवा उनकी रुचियों के अनुरूप हो। पुस्तकीय शिक्षा में कुछ समय के बाद नीरसता एवं अरुचि की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वहीं कार्य सम्बन्धित शिक्षा सदैव छात्रों को आकर्षित करती है। खिलौने बनाना, सजावट करना, कढ़ाई इत्यादि छात्रों को व्यक्तिगत रुचियों के आधार पर आकर्षित करते हैं एवं परम्परागत पुस्तकीय शिक्षण से उत्पन्न थकान एवं अरुचि को भी कम करते हैं। कार्य शिक्षा छात्रों में कार्य के प्रति रुचि जागृत करने का एक सशक्त माध्यम है। इसके द्वारा छात्र विभिन्न हस्त शिल्प, गृह उद्योग, कृषि एवं अन्य कार्यों के प्रति रुचि प्रदर्षित करते हैं जो कि उनके भावी जीवन के लक्ष्य निर्धारण में भी सहायक हो सकती है। कार्य शिक्षा में सम्मिलत क्रियाओं के प्रति रुचि प्रदर्शित करते हुए, उनसे सम्बन्ध स्थापित कर के छात्रों की जिज्ञासा प्रवृति में वृद्धि होती है तथा विभिन्न दृष्टिकोण से अध्ययन करने की विश्लेषणात्मक प्रवृति का विकास होता है।

### 5.6.7 नियोजन का सिद्धान्त

नियोजन का अर्थ है पूर्व योजना अर्थात किसी कार्य को आरम्भ करने से पूर्व निस्चित एवं व्यवस्थित क्रमबद्ध योजना बनाना आवश्यक है। किसी कार्य को करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि कार्य कितनी मात्रा में करना है तथा किस प्रकार का करना है। किन विधियों द्वारा कार्य को सरलता पूर्वक किया जा सकता है। कार्य शिक्षा में नियोजन का बहुत महत्व है। नियोजन के बिना कार्य में अव्यवस्था होती है एवं असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण अनावश्यक अपव्यय होता है। नियोजित कार्य के द्वारा अपव्यय को कम किया जा सकता है। व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध कार्य बालक को कार्यकुशल एवं निपुण बनाने में सहायक होते हैं। अतः बालक को उनकी शिक्षा के स्तर के अनुसार सरल से कठिन की ओर जाते हुए कार्यों के नियोजन की शिक्षा दी जानी चाहिये ताकि वे प्रारम्भ से ही छोटे–छोटे कार्य यथा– फर्नीचर को यथा स्थान रखना, आकार के अनेसार वस्तुओं को पहचानना एवं क्रमबद्ध रुप से रखना, उपयोगी कार्यों की जानकरी देना एवं उत्पादक कार्यों के नियोजन को स्पष्ट सीख सकें।

### 5.6.8 बाल केन्द्रियता का सिद्धान्त

वर्तमान शिक्षा व्यवस्था बाल केन्द्रित है। अतः विभिन्न प्रकार के शैक्षिक पाठ्यक्रम भी बाल केन्द्रित ही होने चाहिये। पाठ्यक्रम बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं, योग्यताओं, बुद्धि, मनोवृत्तियों एवं आयु के अनुकूल होनी चाहिये। व्यक्तिगत विभिन्नता होते हुए भी बालकों में कुछ रुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं, इत्यादि समान हो सकती हैं। इस आधार पर उनको वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे– जिन बालकों की साहित्यिक रुचि हो उनका एक वर्ग, जो विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन करते हों उनका अलग वर्ग, जो यान्त्रिक कार्यों में निपुण हों उनका अलग वर्ग। इसी प्रकार रचनात्मक कार्य एवं हस्त कार्यों में रुचि वाले छात्रों का वर्ग बालकों के अनुरूप विभिन्न वैकल्पिक वर्ग उनकी कार्य कुशलता एवं कौशल को सकारात्मक रूप देते हों अतः कार्य शिक्षा में भी इसी प्रकार कार्यों के अलग–अलग वर्ग होने चाहिये ताकि छात्र अपनी रुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं, का उचित प्रयोग कर सकें। ग्रामीण परिवेश में कृषि सम्बन्धित कार्य छात्रों को आकर्षित कर सकते हैं, कार्य की उपयोगिता के आधार पर भी छात्र स्वयं को संलग्न कर सकते हैं। यह पूर्णता छात्रों पर छोड़ दिया जाना चाहिये कि वे किस प्रकार के कार्यों को चुने जिन्हें वे रुचि से, मनोयोग से एवं दक्षतापूर्वक कर सकें।

### 5.6.9 लचीलेपन का सिद्धांत

नियोजित कार्य निश्चित रूप से दिशा युक्त होते हैं किंतु परिस्थितियों के अनुरूप यथोचित परिवर्तन किया जा सकता है और यही लचीलेपन का सिद्धांत है। कार्य शिक्षा के संदर्भ में तो इस सिद्धांत का अनुपालन समय–समय पर किया जा सकता है। कार्य शिक्षा एक जटिल और सजीव प्रक्रिया है। क्रियान्वयन के समय आवश्यक परिवर्तन कार्य को नवीन एवं सृजनात्मक रूप प्रदान कर सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुपालन द्वारा बालक की कल्पना शक्ति, मौलिक चिंतन, रचनात्मक प्रवृत्ति एवम् कार्य के प्रति रुचि जागृत की जा सकती है।

### 5.6.10 पूर्व ज्ञान एवं अनुभव का सिद्धांत

बालक प्रतिदिन अनुभव ग्रहण करता है और यह अनुभव नवीन ज्ञान को ग्रहण करने के लिए बालक का आधार बनते हैं तथा उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन एवं सुधार लाने में सहायक होते हैं। अतः शिक्षा व्यवस्था में

इन अनुभवों के द्वारा नवीन संपत्तियों को सिखाना अधिक श्रेयस्कर होता है। कार्य शिक्षा में बालक के पूर्व अनुभव उसके कौशल एवं प्रशिक्षण में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। बालक दैनिक जीवन में बहुत सी वस्तुओं का उपयोग करता है तथा विभिन्न क्रियाएं देखता है। उन्हीं दैनिक उपयोग से संबंधित कार्य शिक्षा को वह अधिक सरलता एवं सहजता से ग्रहण करता है।

### 5.6.11 व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत

प्रत्येक बालक दूसरे बालक से शारीरिक एवम् मानसिक शक्तियों में भिन्न होता है। सीखने की गति बालक के ज्ञानात्मक भावात्मक एवं क्रियात्मक विकास दर के अनुरूप अलग–अलग होती है शैक्षिक नियोजन में यदि व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति को समझते हुए विषय–वस्तु, शिक्षण विधियां, मूल्यांकन विधियां निश्चित की जाए तो अवश्य ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। कार्य शिक्षा में इस सिद्धांत का अत्यंत महत्व है क्योंकि बालक में छिपी जन्मजात योग्यताओं प्रतिभाओं एवं अभिक्षमताओं को क्रियात्मक रूप देने का यह सर्वाधिक सशक्त माध्यम है।

### 5.6.12 अन्य विषयों से सहसंबंध का सिद्धांत

शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास है इसी उच्चतम ध्येय को लेकर ज्ञान को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विषयों एवं उपविषयों के रूप में विभाजित किया गया है। एक विषय अथवा उप विषय की प्रकृति इस प्रकार होनी चाहिए कि वह दूसरे विषय अथवा उपविषय से किसी ना किसी रूप में सह संबंधित हो। एक विषय को जानते हुए दूसरे विषयों से संबंधित जानकारी भी स्वतः हो जाए ऐसा शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। विभिन्न परिस्थितियों में शिक्षण हस्तांतरण भी होता है। कार्य शिक्षा में भी किसी कार्य की विषय वस्तु, प्रक्रिया, उत्पादक वस्तुओं का निर्माण किसी ना किसी रूप में किसी अन्य विषय से अवश्य ही संबंधित होता है। अतः यह सिद्धांत भी अपने आप में महत्वपूर्ण है।

### 5.6.13 प्रभावपूर्ण व्यूह रचना एवं अनुदेशन सामग्री का सिद्धांत

कार्य शिक्षा शिक्षा के व्यावहारिक पक्ष पर सीधे तौर पर आधारित है क्योंकि यह क्रिया एवं उत्पादन से संबंधित है। अतः क्रियाएं करते समय किन युक्तियों, साधन एवं सामग्री का उपयोग किया जाए जाए ताकि कम समय, श्रम एवं लागत में उचित उत्पादक एवं उपयोगी वस्तुओं का निर्माण कराया जा सके यह पूर्व में ही सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। यह भी आवश्यक नहीं है कि जिन व्यूहरचनाओं, विधियों अथवा सामग्री का चयन एक प्रकार की कार्य शिक्षा के लिए किया गया है, वह दूसरे प्रकार की कार्य शिक्षा पर भी लागू होगा। अतः कार्य शिक्षा की प्रकृति पर आधारित ही व्यूह रचनाओं एवं अनुदेशन सामग्रियों का चयन किया जाना चाहिए।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

3. कार्य शिक्षा का वास्तविक जीवन से सम्बन्धित उद्देश्य क्या है?

.....

.....

4. रुचि के सिद्धान्त के अनुसार कार्य शिक्षा की विषय वस्तु क्या हो सकती है?

.....

.....

## 5.7 शिक्षण–सूत्र

कार्य शिक्षा को प्रभावशाली बनाने एवं उचित दिशा देने हेतु आवश्यक है कि विषय वस्तु का प्रारंभ कहां से किया जाए, कैसे किया जाए एवं किस क्रम में किया जाए। इस संबंध में निम्नांकित शिक्षण सूत्रों का अनुपालन करने से

कार्य शिक्षा के सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं–

1. **ज्ञात से अज्ञात की ओर** – इस सूत्र के अनुसार बालक को पूर्व में सीखी गई विषय वस्तु का संबंध नवीन ज्ञान से जोड़ कर दिया जाता है सीखने का क्रम इसी प्रकार आगे बढ़ता है। ज्ञात से अज्ञात का अर्थ ही यही है कि जो व्यक्ति जानता है उससे आगे और क्या है वह जान जाए। सीखा हुआ ज्ञान आधार होता है और उसी आधार पर आगे बढ़कर बालक को नवीन ज्ञान सीखने हेतु प्रेरित किया जा सकता है। अध्यापक को शिक्षा व्यवस्था में सदैव पूर्ण पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हुए विषय वस्तु को प्रस्तुत करना चाहिए।

2. **सरल से कठिन की ओर** – पाठ्यवस्तु प्रारंभ से सदैव सरलतम रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। सरल भाग छात्रों को शीघ्र ही समझ आ जाते हैं जिससे उनकी विषय के प्रति रुचि बनी रहती है। सरल के पश्चात ही कठिनाई स्तर को बढ़ाना चाहिए इससे छात्रों को विषय वस्तु को क्रमबद्ध करने में भी सुविधा होगी साथ ही आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती रहेगी। यदि प्रारंभ में ही कठिन कार्यों को सिखाया जाए तो उसे सीखने में मिली असफलता छात्रों को निराश कर सकती है और आत्मविश्वास को भी कम कर सकती है। कार्य शिक्षा जो कि सीधे तौर पर क्रिया आधारित शिक्षा है वहां पर तो यह आवश्यक है कि सरल से कठिन के सूत्र का ही अनुपालन किया जाए।

3. **सरल से जटिल की ओर** – उपरोक्त सूत्र से यह थोड़ा ही भिन्न है कुछ कार्यों की प्रवृत्ति कठिन ना होकर जटिल होती है, पेचीदा होती है। कठिन कार्यों को अतिरिक्त श्रम श्रम के साथ पूर्ण किया जा सकता है किंतु जटिल कार्यों के लिए श्रम के अतिरिक्त अधिक मानसिक क्रियाशीलता की आवश्यकता पड़ती है। सरल एवं जटिल सूत्र के अनुसार छात्रों को विषय वस्तु का इस प्रकार ज्ञान कराना चाहिए कि वह साधारण मानसिक क्रियाओं से उच्चतर मानसिक क्रियाओं की ओर अग्रसर हो तभी व जटिल विषय वस्तु को संपूर्ण रूप से सीख पाएगा। क्योंकि जब कार्य में जटिलता आने लगती है तब बालक कुछ समय तक तो कठिनाई स्तर तक कार्य करेगा किंतु यदि मानसिक रूप से वह क्रियाओं को वृहद एवं ग्रुप में नहीं समझेगा तो जटिलता को नहीं समझ पाएगा।

4. **स्थूल से सूक्ष्म की ओर** – पेस्टॉलॉजी के अनुसार बालक जिन चीजों के संपर्क में आता है उनमें उसकी रूचि बढ़ जाती है तथा वह भावात्मक तथा बौद्धिक स्तर से उनसे जुड़ जाता है अतः सर्वप्रथम ऐसी ही वस्तुओं से संबंधित शिक्षा दी जानी चाहिए ना कि नियम एवं परिभाषा द्वारा। स्थूल से ही बालक सूक्ष्म तक पहुंचता है क्योंकि स्थूल मूर्त रूप में विद्यमान होता है और सूक्ष्म तक जाने के लिए अमूर्त की योग्यता विकसित करनी होती है। अमूर्त ज्ञान के लिए भी बालक को पहले मूर्त रूप की जानकारी दी जानी आवश्यक है।

5. **विशिष्ट से सामान्य की ओर** – शिक्षण में कुछ तथ्य सिद्धांत अथवा संप्रत्ययों की प्रकृति कठिन होती है। यदि छात्रों को उसी स्वरूप में प्रस्तुत कर दिया जाए तो उसे ग्रहण करने में अवश्य ही कठिनाई का अनुभव होगा। यदि सिद्धांतों, तथ्यों से संबंधित उदाहरणों एवं प्रयोगों को प्रस्तुत किया जाए तथा फिर व्याख्या की जाए तो ही शिक्षण की प्रभावशीलता अधिक होगी किसी भी कार्य को सीखने से पहले यदि उसे प्रयोगात्मक रूप से या उचित दृष्टांत द्वारा पढ़ाया जाए तो सभी छात्रों के लिए सरल ग्रहणशीलता होगी। उदाहरण एवं प्रयोग विशिष्ट तथ्य को सामान्य रूप से समझाने में सहायक होते हैं। अतः शिक्षण में विशिष्ट से सामान्य की ओर सूत्र को अवश्य ही अपनाया जाना चाहिए।

6. **पूर्ण से अंश की ओर** – इस शिक्षण सूत्र के अनुसार बालक के सम्मुख सर्वप्रथम पूर्ण वस्तुओं या तथ्यों को रखना चाहिए उसके बाद ही उसके विभिन्न अंगों की ओर अग्रसर होना चाहिए क्योंकि पूर्ण अंश की अपेक्षा ना केवल बड़ा होता है अपितु रुचिकर एवं बहुत गहरा भी होता है मनुष्य की प्रकृति भी सर्वप्रथम समग्र उसके पश्चात उसके भागों अथवा अंशों को प्रत्यक्षीकरण करने की होती है, जैसे– यदि छात्रों को पेड़ के भागों से परिचित कराना है तो सर्वप्रथम संपूर्ण पेड़ का चित्र या मॉडल प्रस्तुत करना होगा उसके पश्चात की विभिन्न भागों टहनी, पत्ती, फूल, फल इत्यादि की जानकारी दी जानी चाहिए।

7. **अनुभव से तर्क की ओर** – वातावरण में व्याप्त उद्दीपक को पहचानना तो बालक के लिए सरल होता है

क्योंकि उसकी ज्ञानेंद्रियां इस प्रकार के अनुभव के लिए प्रशिक्षित होती हैं किंतु वह उद्दीपक उस प्रकार का क्यों है यह जानना उसके लिए प्रथम दृष्टया सरल नहीं होता किंतु बार–बार के निरीक्षण एवं परीक्षण द्वारा बालक उस क्यों का उत्तर जानने का प्रयास करता है। इस प्रकार वह कुछ समय के पश्चात जान भी जाता है। अतः कहा जा सकता है कि बार–बार का निरीक्षण उसके लिए अनुभव बन जाता है तथा वह नियमों, सिद्धांतों एवं विषय वस्तु को तार्किक रूप से समझने लगता है। शिक्षण में भी अनुभव से तर्क की और नियम को यथोचित प्रयोग किया जाना चाहिए। इससे बालक में गहन सीखने की प्रवृत्ति विकसित होती है।

8. **वास्तविक से प्रतिरूप की ओर** – शिक्षण अधिगम में अनेक प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है ताकि शिक्षण को सरल, रुचिकर एवं अधिक बोधगम्य बनाया जा सके। सर्वाधिक प्रभाव वास्तविक पदार्थ, प्रत्यक्ष अनुभव का पड़ता है। जिस विषय वस्तु में वास्तविक पदार्थ लाना या दिखा पाना संभव ना हो वहीं पर ही प्रतिरूप का प्रयोग करना चाहिए तथा वास्तविक के साथ–साथ प्रतिरूप को प्रस्तुत करने से भी शिक्षण की ग्रहणशीलता एवं प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है।

9. **आगमन से निगमन की ओर** – आगमन विधि के अनुसार हम सामान्यीकरण के नियमों का निर्माण करते हैं तथा यह तय कर सकते हैं कि यदि एक कथन का परिणाम किसी एक परिस्थिति के अनुरूप है तो वह कथन या परिणाम उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों पर भी लागू किया जा सकता है आगमन में इसी प्रकार शिक्षक अनुभव या प्रमाण प्रस्तुत कर के छात्रों को गुणों की समानता तथा कार्यों की पुनरावृत्ति के आधार पर सामान्य नियमों और सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं। किंतु निगमन विधि में पहले नियम आधारित तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है तत्पश्चात उचित उदाहरणों से नियमों, तथ्यों की सत्यता को परखने का प्रयास किया जाता है। शिक्षण आगमन से निगमन की ओर ही प्रभावशील होता है।

10. **विश्लेषण से संश्लेषण की ओर** – जटिल तथ्य एवं प्रक्रियाओं को विश्लेषण द्वारा समझाया जाता है। विश्लेषण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी तथ्य या प्रशिक्षण या प्रक्रिया को भागों या अव्यय में विभाजित किया जाता है, तत्पश्चात समस्या के क्षेत्र में तथ्य एवं किसी घटना या व्यवहार के घटित होने वाले कारणों का पता लगाया जाता है। इस प्रकार जटिल का सरलीकरण किया जाता है। विश्लेषण द्वारा कठिन विषय वस्तु भी रुचिकर एवं बोधगम्य बनाई जा सकती है संश्लेषण में विभिन्न तत्वों एवं भागों को पूर्ण रूप में प्रस्तुत कर पूर्ण समस्या को समझा जाता है। अनुसंधान की दृष्टि से इस सूत्र का अधिक महत्व है। शिक्षक को विषय वस्तु को विश्लेषण से प्रारंभ कर संश्लेषण द्वारा समाप्त किया जाना चाहिए।

11. **मनोविज्ञान से तर्क की ओर** – शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक ही होता है। शैक्षिक नियोजन बालक की रूचि, आवश्यकताओं, योग्यताओं, अभिक्षमता पर ही निर्धारित किया जाता है। समस्त शिक्षण पाठ्यक्रम व्यूहरचनाएं, विधियां, अधिगम वातावरण बाल मनोविज्ञान के अनुसार संगठित किए जाते हैं। अतः सर्व प्रथम मनोवैज्ञानिक आधार पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए, किंतु मनोवैज्ञानिक आधार भी तार्किक क्रम में ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए क्योंकि मनोवैज्ञानिक आधार को समग्र रूप में क्रमबद्ध करने के लिए तार्किक आधार का होना आवश्यक है।

12. **इंद्रियों के प्रशिक्षण द्वारा शिक्षा** – माण्टेसरी, किंडरगार्डन, डाल्टन विधियां बालकों की ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करने पर बल देती हैं। करके सीखना भी इसी पर आधारित है। अतः शिक्षण में इंद्रियों के प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए।

13. **प्रकृति आधारित शिक्षा** – प्रकृतिवादी रूसो सदैव इस बात के समर्थक रहे कि बालकों को शिक्षा इस प्रकार मिले जो उसके प्राकृतिक विकास में न केवल सहायक हो अपितु उपयोगी भी हो। स्वाभाविक परिस्थितियों के विपरीत बालक को स्वयं अपने अनुभवों द्वारा सीखने के अवसर वाली शिक्षा होनी चाहिए।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

5. ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र को स्पष्ट किजिये।

.....

.....

6. पूर्ण से अंश की ओर विषय–वस्तु कैसे प्रेषित की जा सकती है?

.....

.....

## 5.8 सारांश

इस इकाई में हमने कार्य शिक्षा के दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय आधारों का अध्ययन किया। जिन शिक्षण सूत्रो द्वारा कार्य शिक्षा को सरल एवं सहज रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। कार्य शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों एवं सिद्धान्तों की चर्चा भी इस इकाई में की गई जैसे – निश्चित उद्देश्यों का सिद्धान्त, वास्तविक जीवन से सम्बन्ध का सिद्धान्त, श्रम के महत्व का सिद्धान्त, रुचि का सिद्धान्त, बाल केन्द्रियता का सिद्धान्त आदि। उन शिक्षण सूत्रों की जानकारी प्राप्त की जिनके अनुपालन से शिक्षण प्रक्रिया को उचित दिशा प्राप्त होती है, जैसे– ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन एवं जटिल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशेष से सामान्य की ओर इत्यादि।

## 5.9 अभ्यास के प्रश्न

1. कार्य शिक्षा के दार्शनिक आधारों पर प्रकाश डालिये।
2. कार्य शिक्षा देते समय किन शिक्षण सूत्रों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, स्पष्ट कीजिए।
3. कार्य शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न उद्देश्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिये।

## 5.10 चर्चा के बिन्दु

1. कार्य शिक्षा के सिद्धांत किस प्रकार उपयोगी हैं? चर्चा कीजिए।
2. कार्य शिक्षा में शिक्षण सूत्र किस प्रकार उपयोग किये जा सकते हैं? चर्चा कीजिए।

## 5.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. कार्य शिक्षा की विषय वस्तु एवं विधियां मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित है। बालक की रुचियों, अभिवृत्ति, मूल प्रवृतियां, अभिक्षमतायें, बौद्धिक स्तर जानकर उसी के अनुरूप कार्य शिक्षा देना छात्रों के हित में होगा।
2. कार्य शिक्षा समाज को आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन की नई दिशा देने में सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करती हैं। कार्य शिक्षा द्वारा समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों का निर्माण कराया जा सकता है तथा छात्रों को जीविकोपार्जन के लिए तैयार किया जा सकता हैं।
3. ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का अर्थ है कि छात्रों को पूर्व में सीखी गयी विषय वस्तु का सम्बन्ध नवीन ज्ञान से जोड़कर बताया जाय।
4. पूर्ण से अंश के अनुसार बालक को पूर्ण वस्तु एवं तथ्यों को पहले प्रस्तुत करना चाहिए उसके पश्चात् उसके भागों अथवा अंश के प्रत्यक्षीकरण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
5. कार्य शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह वास्तविक जीवन एवं समाज के लिए उपयोगी, सार्थक एवं लाभप्रद हों।

6. रुचि के सिद्धान्त के अनुसार बालक को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जो उसकी रुचियों के अनुरूप हो जिससे ध्यान केन्द्रीकरण तथा एकाग्रचितता बढ़ती है। खिलौंने बनाना, सजावट कार्य, कढ़ाई बुनाई इत्यादि कार्य छात्रों की विभिन्न रुचियों से सम्बन्धित हो सकते है।

## 5.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें


1. गुप्ता एस.पी. 2015, भारतीय शिक्षा का इतिहास विकास एवं समस्यायें, इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन।
2. रूहेला सत्यपाल, देवेन्द्र (1998), कार्यानुभव की शिक्षा, दिल्ली : डायमण्ड बुक्स।

# इकाई– 6 : समाजोपयोगी उत्पादक कार्य

## इकाई की संरचना


6.1 प्रस्तावना

6.2 इकाई के उद्देश्य

6.3 पाठ्यक्रम में केन्द्रीय भूमिका

6.4 ईश्वर भाई पटेल समिति (1977)

6.5 समाजोपयोगी उत्पादक कार्य का क्षेत्र

6.6 समाजोपयोगी उत्पादक कार्य की विषय–वस्तु

6.6.1 प्राथमिक स्तर कक्षा एक से पांच तक

6.6.2 उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक

6.6.3 माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 10 तक

6.6.4 उच्चतर माध्यमिक स्तर कक्षा 11 एवं 12 तक

6.7 समाजोपयोगी उत्पादक कार्य का मूल्यांकन

6.8 समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों की विषय–वस्तु एवं क्रियान्वयन संबंधी समस्याएं

6.9 समाजोत्पादक कार्यों में सुधार संबंधी सुझाव

6.10 सारांश

6.11 अभ्यास के प्रश्न

6.12 चर्चा के बिन्दु

6.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

6.14 कुछ उपयोगी पुस्तकें


## 6.1 प्रस्तावना

पिछली इकाइयों में आपने शिक्षा की प्रकृति एवं सिद्धांतों के बारे में जाना। कार्य शिक्षा की पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए अनेक समितियों ने अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत की, जिनमें ईश्वर भाई पटेल समिति प्रमुख हैं। समिति के सुझावों को इस इकाई में जानेंगे। कार्य शिक्षा की विषय वस्तु के रूप में समाजोपयोगी उत्पादक कार्य किस प्रकार के होने चाहिए, शिक्षा के स्तर के अनुसार क्या परिवर्तन किए जाने चाहिए, समाजोपयोगी उत्पादक कार्यो का मूल्यांकन किस प्रकार का हो, इन सभी का अध्ययन इस इकाई में किया जाएगा। समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक समस्याएं कौन–कौन सी हैं तथा उनसे संबंधित सुझावों की जानकारी भी प्राप्त करेंगे।

## 6.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप इस योग्य हो जायेंगे कि –

1. समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों के अर्थ को समझ सकेंगे।
2. समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों की पाठ्यक्रम में भूमिका जान सकेंगे।
3. समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों की विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
4. समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों की मूल्यांकन प्रविधियों को समझ सकेंगे।

5. अपनी रुचियां, क्षमताओं एवं प्रतिभाओं के अनुरूप समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों का चयन कर सकेंगे।

## 6.3 पाठ्यक्रम में केन्द्रीय भूमिका

यदि हम वर्तमान शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करें तो ये पता चलता है कि आज भी हमारी शिक्षा व्यवस्था पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित है और समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करने मे सक्षम नहीं है। पुस्तकीय ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान के सापेक्ष नहीं हो पा रहा है।

महात्मा गाँधी ने कार्य आधारित शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। वे नहीं चाहते थे कि शिक्षा केवल उच्च वर्ग तक ही सीमित रहे। उनका मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जो बालक को इस प्रकार शिक्षित करे कि वह समाज मे अपने लिये उत्पादक कार्य कर सके।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तित एवं संशोधित करने के लिये विभिन्न समितियों एवं आयोगों का गठन किया गया। सभी समितियों एवं आयोगों ने महात्मा गाँधी की बुनियादी शिक्षा को ही आधार बनाकर संस्तुतियाँ प्रस्तुत की। गाँधी जी का मानना था कि शिक्षा उत्पादक, शिल्प आधारित होनी चाहिये जो कि बालक को भावी जीवन मे स्वावलम्बी बनाने मे सहयोगी हो सकती है। हमारी शिक्षा व्यवस्था मे व्याप्त कमियों एवं समस्याओं का समाधान तभी उचित रूप से हो सकता है, जब हम कार्य आधारित शिक्षा को पाठ्यक्रम में उचित स्थान दें, क्योंकि केवल पुस्तकीय ज्ञान बालक को समाज की आवश्यकताओं की ना तो समझ देता है और ना ही उनकी पूर्ति करने मे सहभागी रहता है। अतः कार्य आधारित ऐसी शिक्षा जो समाज के लिये उत्पादक कार्यों के रूप मे हो, उन्हें शिक्षा मे केन्द्रीय भूमिका के रूप में रखना चाहिये।

## 6.4 ईश्वर भाई पटेल समिति (1977)

शिक्षा द्वारा ही समाजिक परिर्वतन सम्भव है। शिक्षा द्वारा ही प्रजातंत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष समाज का निर्माण सम्भव है। अतः विद्यालयों में समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों को कार्यान्वित करना आवश्यक हो गया था। सन् 1977 मे केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के अध्यक्ष की हैसियत से श्री ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में एक पुनरीक्षण समिति का गठन किया गया जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी) द्वारा तैयार किये गये पाठ्यक्रम एवं पाठ्य–पुस्तकों का पुनरीक्षण करना था। एन.सी.ई.आर.टी द्वारा तैयार पुस्तकों में कार्यानुभव को उचित स्थान न देने के कारण अभिभावक, छात्र, शिक्षक एवं सामान्य लोगों में विरोध के भाव एवं असंतुष्टि थी। इस कारण पाठ्य–पुस्तकों के वस्तुनिष्ठ आंकलन के लिए एक पुनरीक्षण समिति बनाई गई। इस समिति मे 27 सदस्य थे।

**समिति के सुझाव –**

1. शिक्षा बालक की जन्मजात योग्यताओं, क्षमताओं एवं प्रकृति पर आधारित है जिसमें बालक के अन्दर वास्तविक आनन्द प्राप्त करने की योग्यता विकसित हो एवं बालक में आवश्यक ज्ञान, आदतें, कौशल एवं मूल्यों का विकास हो।
2. औपचारिक तथा अनौपचारिक साधनों द्वारा संस्थागत तथा व्यक्तिगत माध्यम द्वारा शिक्षा को व्यवस्थित किया जाये एवं इतना कठोर न रखा जाए कि छात्र उनका पूर्ण उपयोग न कर सकें, साथ ही समय सीमा के पश्चात एवं आयु बढ़ने पर छात्रों को अनौपचारिक रूप से पढ़ने की व्यवस्था भी संस्थाओं में की जाए।
3. छात्रों में धर्मनिर्पेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद, स्वतंत्रता, समानता, न्याय तथा भाईचारा इत्यादि का विकास हो।
4. समीति ने प्राथमिक शिक्षा के सार्वमौमिकरण हेतु जो उद्देश्य निर्धारित किए वो इस प्रकार हैं –

    - सात अथवा आठ वर्ष तक प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में अध्ययन, अवलोकन और प्रयोग के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना।
    - अक्षर ज्ञान, अंक ज्ञान, और शारीरिक कौशल अर्जित करना।
    - खेलकूद, व्यायाम द्वारा शारीरिक शक्ति तथा समूह भावना का विकास करना।

- उद्देश्यपूर्ण कौशल अर्जित करना।
- विद्यालय एवं समुदाय के सामाजिक कार्य कलापों में भाग लेना जिससे लोकतान्त्रिक मूल्यों का विकास हो एवं दुर्बल तथा वंचित वर्गों की सेवा कर सके।
- कक्षा एक से चार या पांच तक विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर संरचना, पाठ्यक्रम प्रारूप तथा समय आवंटन भी निर्धारित किया जाए।
- प्रकृति अध्ययन, सामाजिक अध्ययन एवं स्वास्थ्य शिक्षा 20% एक भाषा 20% एवं गणित 20%
- कक्षा चार या पांच से कक्षा सात या आठ तक नृत्य, चित्रकला, खेल, संगीत सम्बन्धित क्रियाएं 20%;
- भाषा सात घण्टा प्रति सप्ताह
- गणित चार घण्टा प्रति सप्ताह
- इतिहास, नागरिकशास्त्र तथा भूगोल चार घण्टा प्रति सप्ताह
- विज्ञान का एकीकृत पाठ्यक्रम चार घण्टा प्रति सप्ताह
- कला, नृत्य, चित्रकला, संगीत तीन घण्टा प्रति सप्ताह
- सामुदायिक सेवा छः घण्टा प्रति सप्ताह
- खेल शारीरिक शिक्षा चार घण्टा प्रति सप्ताह
- कक्षा आठ या नौ से कक्षा दस तक कुल 32 घण्टा प्रति सप्ताह;
- भाषांए आठ घण्टा प्रति सप्ताह
- गणित; विकल्प एक अथवा विकल्प दो, पांच घण्टा प्रति सप्ताह
- विज्ञान; विकल्प एक या विकल्प दो, पांच घण्टा प्रति सप्ताह
- इतिहास, नागरिकशास्त्र तथा भूगोल तीन घण्टा प्रति सप्ताह
- खेल तथा शरीरिक शिक्षा चार घण्टा प्रति सप्ताह
- समाजोपयोगी उत्पादक कार्य का उद्देश्य बच्चों को कक्षा में तथा इससे बाहर सामाजिक व आर्थिक क्रियाओं में सहभाग करने के अवसर देना है जिससे वे अपने भौतिक व सामाजिक वातावरण में निहित सिद्धान्तों व प्रक्रियाओं को समझ सकें।
- समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के अध्यापकों को अन्य अध्यापकों के बराबर मानना चाहिये और अंशकालीन प्रशिक्षत व्यक्ति भी रह सकते हैं।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. ईश्वर भाई पटेल समिति ने विद्यालय शिक्षा के स्तर के अनुसार एस.यू.पी.डब्ल्यू. को कुल पाठ्यक्रम में कितना स्थान दिया?

.....

.....

2. गांधीजी के अनुसार शिल्प आधारित शिक्षा क्यों आवश्यक है?

.....

.....

## 6.5 समाजोपयोगी उत्पादक कार्य का क्षेत्र

ईश्वर भाई पटेल समिति ने समाज उपयोगी उत्पादक कार्यों को निम्नलिखित छः क्षेत्रों में विभाजित किया है।

1. **स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सम्बन्धी कार्य** – इस क्षेत्र के अन्तर्गत छात्रों को औषधीय पौधों की जानकारी देना एवं उगाना, विभिन्न बीमारियों की जानकारी देना एवं उगाना, उनके रोकथाम के उपाय बताना, व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सम्बन्धी कार्य तथा पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी कार्यों को शामिल किया गया है।
2. **भोजन** – दैनिक जीवन में प्रमुख खाद्य पदार्थों की जानकारी एवं उत्पादन करना, कृषि आधारित उद्योग, शाक–भाजी के लिए बगीचा तैयार करना, भूमि संरक्षण एवं भूमि क्षरण के रोकथाम के उपाय, मवेशियों की रक्षा, दुग्ध उत्पादन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन सम्बन्धी कार्य, बिस्कुट, ब्रेड बनाने की विधि एवं कार्य तथा पौष्टिक आहार के प्रति जागरुकता कार्यक्रम एवं अन्य सम्बन्धित कार्यों को शामिल किया गया है।
3. **आश्रय** – इस क्षेत्र के अन्तर्गत मशीनरी के कार्य, कार्यशालाओं में जाकर यांत्रिक एवं विद्युतीय अभ्यास करना, तकनीकी अभ्यास, बांस कार्य, गृह उद्योग, कालीन बुनना, गृह सज्जा एवं सफाई, दीवारों पर पुताई, रंगाई, वार्निश करना इत्यादि कार्य सम्मिलित हैं।
4. **वस्त्र** – सूती, रेशमी एवं गर्म धागे तैयार करना, कपड़ा बुनना, विभिन्न ड्रेस बनाना, होज़री के कार्य, फैशन डिज़ाइनिंग, दस्तकारी, कढ़ाई, बुनाई, कताई, धुलाई एवं रंगाई इत्यादि कार्यों को सिखाना इस क्षेत्र में सम्मिलित कार्य है।
5. **सांस्कृतिक एवं मनोरंजन कार्य** – विद्यार्थियों में देश प्रेम की भावना जागृत करने हेतु राष्ट्रीय पर्वों की जानकारी देना एवं मनाना, सामाजिक पर्वों यथा– होली, दीपावली, गुरू पर्व ईद, क्रिसमस इत्यादि के विषय में बताना एवं मनाने के लिए कार्य करवाना शामिल हैं। मनोरंजन के लिए खिलौने बनाना, खेल सामग्री के बारे में कार्य करवाना, खाली समय के सदुपयोग के लिए चित्रकारी करना, पुस्तक बांधना, छायाचित्र निकालना, संगीत सम्बन्धी कार्यक्रमों का आयोजन करना सम्मिलित हैं।
6. **सामुदायिक कार्य एवं समाज सेवा** – गली, नाली की सफाई, पानी को घरों के आसपास जमा न होने देना, जल स्त्रोतों की सफाई एवं रखरखाव, शौचालयों की सुविधाओं का निर्माण, जैविक खाद के निर्माण की विधि, कूड़ेदान रखवाना, खाद का वितरण, सामुदायिक विकास की योजना बनाना, जर्जर भवनों की मरम्मत करवाना, विभिन्न प्रदर्शनी का आयोजन करना यथा– क्राफ्ट मेला, सांस्कृतिक प्रदर्शनी, विद्यालय संसद का संचालन करना, वृक्षारोपण करना, गौशाला की व्यवस्था करना इत्यादि कार्यों की जानकारी देना एवं क्रियान्वित करवाना।

उपर्युक्त क्षेत्रों से सम्बन्धित कार्यक्रम घर, विद्यालय एवं समुदाय में एक दूसरे की सहायता से सम्पन्न करवाये जा सकते हैं।

## 6.6 समाजोपयोगी उत्पादक कार्य की विषय–वस्तु

एन.सी.ई.आर.टी. की मार्गदर्शिता पुस्तक स्कूल शिक्षा के कार्यानुभव में शिक्षा के विभिन्न स्तरों के अनुरूप विषयवस्तु का विभाजन किया है।

**प्रार्थमिक स्तर** – इस स्तर पर पर्यावरण अध्ययन, उपयोग, औजार एवं प्रविधियों से प्रयोग तथा कार्याभ्यास।

**माध्यमिक स्तर** – दैनिक आवश्यकता पूर्ति हेतु अनिवार्य क्रियाएं तथा उत्पादक कार्य एवं सेवाओं का वैकल्पिक

कार्यक्रम जिनके क्रियान्वयन उपरान्त मुद्रा अथवा वस्तु रूप में पारिश्रमिक प्राप्त हो सके।

**उच्चतर स्तर** – उच्चतर स्तरों पर उत्पादक कार्य एवं सेवाओं के वैकल्पिक कार्यक्रम के लिये एन.सी.ई.आर.टी. की मार्गदर्शिका पुस्तक में उत्पादक कार्याभ्यास घर को प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर कार्य शिक्षा कार्यक्रमों को प्रायः जो पूर्ण समय का क्रमशः 20, 50, 70 प्रतिशत देना चाहिये।

### 6.6.1 प्राथमिक स्तर कक्षा एक से पांच तक

प्राथमिक स्तर पर उन क्रियाओं का समावेश होना चाहिये जो बालक के लिये सरल एवं आनन्ददायक हों। बालक पर्यावरण का अध्ययन एवं उपयोग करना सीख सके। सामग्री एवं औजारों का प्रयोग कर सके, सामूहिक कार्य विभाजन कर सके एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सके। सभी क्रियाएं बालक की परिपक्वता के अनुरुप होनी चाहिये। समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों का क्षेत्र बहुत व्यापक है समाज के हर वर्ग से संबंधित क्रियाओं का समावेश करना जिसके द्वारा उपयोगी एवं उत्पादक कार्यों का निर्माण किया जा सके यह एक जटिल कार्य है साथ ही भौगोलिक सांस्कृतिक आर्थिक सामाजिक विभिन्नताओं के कारण कार्यों की मांग एवं प्रकृति भी परिवर्तित होती रहती है। ऐसे में समावेशी क्रियाओं का संकलन स्वयं में एक दुरुह प्रक्रिया है अतः इस कार्य से संबंधित समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों की विषय–वस्तु का चयन करने में लचीलेपन की आवश्यकता है।

पटेल समीति ने समाजोपयोगी उत्पादक कार्य योजना के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के निम्न तीन चरण बताये हैं–

1. अवलोकन एवं जिज्ञासा द्वारा समाजोपयोगी उत्पादक कार्य से परिचित करना।
2. विभिन्न वस्तुओं, औजारों एवं तकनीकों का प्रयोग करना तथा।
3. कार्याभ्यास करना।

समाजोपयोगी कार्यों के लिये विभिन्न परिस्थितियों यथा– स्वास्थ्य, भोजन, पोशाक, आवास, सांस्कृतिक, मनोरंजन, सामुदायिक एवं सामाजिक कार्य इत्यादि से सम्बन्धित होना चाहिये।

#### पर्यावरण अध्ययन तथा उपयोग

पर्यावरण विषय से सम्बन्धित जिन क्रियाओं का समावेश किया गया है वे निम्नलिखित हैं–

1. किसी के मार्गदर्शन में घर और स्कूल की स्वच्छता, रखरखाव एवं सुन्दरीकरण में सहभागिता।
2. बड़ो के पर्यावरण स्वच्छता सम्बन्धित कार्यों में हाथ बंटाना जैसे– नालियों की सफाई, गड्ढों की सफाई, कूड़ा कचरा हटाना, खेतों में खरपतवार हटाना इत्यादि।
3. कपडों की सफाई एवं साफ सफाई की प्रक्रियाओं में भागीदारी।
4. सामान्य इस्तेमाल किये जाने वाले छोटे वस्त्र तथा रुमाल, तौलिया, इत्यादि की सफाई करना, जूते की सफाई एवं पालिश।
5. फूल एवं शाकभाजी के पौधों के संवारने में बड़ों की मदद करना।
6. कृषि सम्बन्धित कार्यों का अवलोकन करना।
7. लघु उद्योगों की कार्य प्रणाली का अवलोकन करना।
8. लोककला सम्बन्धित क्रियाओं एवं आयोजनों में भाग लेना।

#### सामग्री, औजारां तथा प्राविधियों से सम्बन्धित प्रयोग

वस्तुओं, औजारों एवं उनके उपयोग से सम्बन्धित कुछ क्रियाएं निम्न हैं –

1. मिट्टी, बांस, कपड़ा, गत्ते इत्यादि से दैनिक उपयोग की वस्तुएं एवं खिलौने बनाना।
2. घर एवं कृषि सम्बन्धित उपकरणों, बागवानी, सम्बन्धित सामानों का उपयोग।

3. घरेलू उपयोग के उपकरण तथा चाकू, सूई, कैंची, सिलाईयां इत्यादि का सावधानीपूर्वक प्रयोग।
4. सफाई में प्रयुक्त रसायन एवं साबुनों की जानकारी एवं प्रयोग।
5. भोजन पकाने सम्बन्धित सामग्री की पहचान एवं उपयोग।
6. पेंटिग में प्रयुक्त वस्तुओं की जानकारी यथा ब्रश, चार्ट इत्यादि का प्रयोग।
7. बर्तन बनाने की सामग्री जैसे– मिट्टी, लकड़ी, विभिन्न धातुओं की जानकारी।

**कार्य अभ्यास**

कार्य अभ्यास के अंतर्गत कुछ क्रियाओं को सूचीबद्ध किया गया है जो निम्नलिखित हैं–

1. कार्य शिक्षा बालक को लगातार कार्य करने के अवसर देती है एवं स्वयं अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करती है। कुछ अभिव्यक्तात्मक क्रियाएं हैं – कागज पर पेंट अथवा स्याही से नमूनों का निर्माण करना, धागों से रंग कलाकृति बनाना, सब्जी फल जैसे– भिंडी, शिमला मिर्च, काटकर छापे द्वारा डिजाइन बनाना, उंगली अंगूठे हथेली के प्रिंट, फिंगरप्रिंट बनाकर डिजाइन बनाना, मार्बल पेपर डिजाइन करना, सप्रे पेंटिंग करना इत्यादि।
2. कागज पर विभिन्न सृजनात्मक कार्यों को करवाना जैसे– निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र बनाना, विभिन्न आकारों एवं पेंटिंग द्वारा बुकमार्क बनाना, ज्ञानवर्धन हेतु विभिन्न राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय चिन्हों का निर्माण करना, कागज को मोड़ने के द्वारा विभिन्न पशु पक्षियों एवं वस्तुओं की आकृति बनाना, हवाई जहाज, ग्लाइडर बनाना, जानवरों, फूल फलों की आकृति बनाना, सजावटी झंडियां बनाना, विभिन्न उपयोग हेतु कई आकार के लिफाफे बनाना, खेलने की वस्तुएं जैसे– फिरकी, बॉल, सीटी, बूमरैंग इत्यादि का निर्माण करना।
3. मोटे कागज द्वारा वस्तुओं का निर्माण करना जैसे– फाइल कवर बनाना, मैगजीन होल्डर, पेन स्टैंड बनाना, विभिन्न आकारों में टोकरियों का निर्माण करना, गिलास, प्लेट, कटोरी बनाना, पत्र–पत्रिकाओं हेतु दीवार पर टांगने वाले होल्डर बनाना, पंखे बनाना इत्यादि।
4. मिट्टी द्वारा विभिन्न आकार की वस्तुओं का निर्माण करना जैसे– गुड्डे, गुड़िया, मूर्ति, खिलौने, फल सब्जी के आकार, घरेलू उपयोग की वस्तुएं जैसे– प्लेट, कटोरी, कढ़ाई, केवल सीखने हेतु एवं उनको विभिन्न रंगों द्वारा सजाना एवं सजीव रूप देना।
5. वस्तुओं को संग्रह करने के लिए छात्रों को प्रेरित करना जैसे– शंख, सीप, चूड़ी, फूल पत्तियां, माचिस की डिब्बी, पंख पेंसिल की छीलन इत्यादि।
6. बालकों को कुछ खाद्य पदार्थों के निर्माण की विधि बताना, जिन्हें वे सहर्ष करते हैं जैसे– चाय बनाना, नींबू पानी, शरबत बनाना इत्यादि। इसके अतिरिक्त कार्याभ्यास में उनकी आयु के अनुसार अपेक्षाकृत अधिक कठिन कार्य चावल, दाल, चपाती को बनाना भी सीखा सकते हैं।
7. घरेलू पौधों का रखरखाव इत्यादि।

### 6.6.2 उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक

प्रत्येक स्तर पर कुछ क्रियाओं को इस प्रकार चयन करना चाहिए कि वह समरूपता के साथ सभी विद्यालयों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जा सके ऐसी क्रियाएं अनिवार्य क्रियाओं के रूप में प्रस्तावित की जा सकती हैं। कुछ क्रियाओं का विवरण इस प्रकार हैं–

## अनिवार्य क्रियाएं–

अनिवार्य क्रियाओं के रूप में वे क्रियायें सम्मिलित करने की अनुशंसा की जिनके द्वारा समाज के स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण एवं विकास में बालक अपना लघु योगदान दे सके साथ ही उत्पादक क्रियाओं के द्वारा आर्थिक लाभ भी प्राप्त किया जा सके। उदाहरण के तौर पर–

1. छात्रों को अपने घर तथा आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने संबंधी कार्य करवाना।
2. कक्षा–कक्ष, विद्यालय परिसर, फर्नीचर आदि की साफ सफाई करवाना।
3. पीने के पानी का स्थान तथा खाने के स्थान की साफ–सफाई एवं स्वच्छता का ध्यान रखना।
4. विद्यालय के गणवेश का उचित रखरखाव एवं साफ–सफाई तथा इस्त्री करने पर विशेष ध्यान देना।
5. पर्वों पर की जाने वाली विशेष सफाई के उपरांत कचरे का उचित निस्तारण करवाना।
6. पारिवारिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत माता–पिता की गृह कार्यों में सहायता तथा छोटे सहोदरों की उचित देखभाल करना।
7. यदि छात्र ग्रामीण परिवेश में हो तो जानवरों के रखने के स्थान की साफ सफाई में बड़ों की सहायता करना।
8. विशेष अवसरों जैसे– जन्मोत्सव पर्व एवं अन्य सामाजिक उत्सवों के लिए सजावट एवं व्यवस्था के कार्य करना।
9. पेड़ पौधों को पानी देना, प्याऊ, पौधशाला जैसे कार्यक्रमों में सहायता करना।
10. परिवार में माता–पिता को आय–व्यय का ब्यौरा देने में मदद करना।
11. व्यक्तिगत खर्च का हिसाब रखना बाजार का छोटा बड़ा बिल जमा करना इत्यादि।
12. बाजार से सामान लाना।
13. कुछ सामान्य व्याधियों के कारण उपचार हेतु जागरूकता कार्यक्रम चलाना जैसे बचाव के उपाय, साफ–सफाई, दवाई का समय पर प्रयोग, दवाखाना की जानकारी एवं संबंधित जानकारी को पोस्टर पर प्रदर्शित करना।
14. छोटे बालकों की पढ़ाई में सहायता करना।
15. सामाजिक कार्यों के रूप में आस–पड़ोस के लोगों में जागरूकता अभियान हेतु समाज सेवा कार्यक्रम आयोजित करना।

## वैकल्पिक क्रियाएं

आयु के साथ–साथ बालक का मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है तथा वह समाज में स्थापित करने हेतु विभिन्न कौशलों का ज्ञान अर्जित करता है जो उसके भावी जीवन के निर्धारक भी हो सकते हैं। उच्चतर प्राथमिक स्तर पर बहुत सी क्रियाओं को परियोजनाओं के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। परियोजनाओं में क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप में एक निश्चित अवधि में पूरा किया जा सकता है। यह अवधि 1 वर्ष की भी हो सकती है और अधिकतम 3 वर्ष की भी। इस स्तर पर बालक प्राय 11 से 14 वर्ष की आयु के भीतर होते हैं, अतः परियोजनाओं का स्वरूप, प्रकृति एवं उद्देश्य भी मानसिक परिपक्वता के आधार पर ही निश्चित होना चाहिए। इस तरह समाज की आवश्यकताओं को और अधिक व्यवस्थित, उद्देश्यपरक एवं लाभदायक बनाया जा सकता है। परियोजनाओं के प्रस्तावित विषय इस प्रकार हो सकते हैं।

1. घर का रखरखाव करना जैसे– रंग रोगन, पॉलिश, सफेदी पेंट एवं मरम्मत के कार्य।
2. विद्यालय के भवन का रखरखाव जैसे– दीवारों पर सफेदी, खिड़की, दरवाजों, फर्नीचर जैसे– मेज, कुर्सियों का पेंट एवं पॉलिश कुर्सियों की बुनाई मरम्मत के कार्य इत्यादि।

3. पठन–पाठन से संबंधित नोट पुस्तिका, अभ्यास पुस्तिका, प्रायोगिक पुस्तिका, ड्राइंग एवं आर्ट पुस्तिका का निर्माण करना, जिल्दसाजी करना, सिलाई करना, कटिंग प्रथम एवं आवरण पृष्ठ की छपाई इत्यादि करना।

4. वस्त्रों की देखभाल से संबंधित कुछ कार्य जैसे– साबुन बनाना, डिटर्जेंट पाउडर बनाने की विधि जानना एवं अभ्यास करना, विभिन्न प्रकार के वस्त्रों की धुलाई, छोटी–मोटी मरम्मत, सिलाई, इस्त्री करना जो कि सूती एवं रेशमी के अनुसार अलग–अलग हो सकते हैं, कपड़ों को तह करना तथा उचित रूप से संभाल कर रखना।

5. विद्यालय प्रयोग हेतु चॉक डस्टर रद्दी कागज की टोकरी, कचरा डालने के डिब्बे इत्यादि का निर्माण करना।

6. बेकार एवं टूटी हुई वस्तुओं से उत्पादक वस्तुओं का निर्माण जैसे– खिलौने, कठपुतलियां, पेन होल्डर इत्यादि को बनाना।

7. निमंत्रण पत्र, बधाई संदेश बनाने हेतु एवं डिब्बों का प्रयोग करना।

8. घर में जल संबंधी छोटी–मोटी मरम्मत का कार्य करना जैसे– चोक नाली को खोलना, वासर बदलना, रिसते पानी के कारण को ढूंढ कर उसको रोकने के उपाय करना, टोटी बदलना इत्यादि।

9. कपड़े बनाना, कपास की धुनाई, धागा बनाना, बुनाई कढ़ाई सिलाई इत्यादि करना।

10. प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं क्लें द्वारा विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां बनाना।

11. लकड़ी का काम करना, मेज, साइड टेबल, ट्रे, जूता रैक, किताबों की रैक, नाम पट्टीका, लकड़ी पर पेंटिंग इत्यादि बनाना।

12. बागवानी करना सजावटी पौधों की जानकारी मौसम के अनुसार गमलों एवं जमीन में पौधे लगाना तथा रखरखाव करना औषधीय पौधों की जानकारी उनको उगाना एवं रखरखाव सब्जियों के लिए क्यारियों को तैयार करना मौसमी सब्जियों को उगाना एवं रखरखाव।

13. नए पौधे तैयार करने की विधियां जानना, कटिंग लगाना, आंख लगाना, कलम लगाना, बीज लगाना एवं पौध तैयार करना।

14. कुछ कार्यों द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु फलों का रस निकालना, शरबत बनाना, अचार मुरब्बा बनाना एवं विक्रय करने की जानकारी देना।

### 6.6.3 माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 10 तक

माध्यमिक स्तर पर छात्रों का मानसिक विकास जटिल प्रक्रियाओं को समझने के लिए और अधिक परिपक्व हो जाता है। अतः अन्य क्रियाओं का समावेश भी व्यवसायिक दृष्टिकोण को अधिक दृढ़ करने के अनुसार ही होना चाहिए। कुछ अनिवार्य क्रिया इस प्रकार है–

1. पोस्ट ऑफिस, बैंक की कार्यप्रणाली संबंधी कार्य जैसे खाता खुलवाना, पैसा निकासी एवं जमा, डॉक रजिस्ट्रेशन संबंधी कार्य।

2. प्राथमिक उपचार संबंधी कार्य, चोट लगने कटने गिरने पर दवा लगाना, पट्टी करना, मालिश करना, नाड़ी देखना, तापमान की जांच करना, क्रेप पट्टी बांधना, अस्थाई स्ट्रेचर बनाना इत्यादि।

3. रास्तों पर राहगीरों हेतु छायादार वृक्ष लगाना, इंधन के लिए उपयुक्त वृक्ष लगाना, घरों के सौंदर्यीकरण को बढ़ाने वाले पौधे लगाना, सामान्य और औषधीय गुणों वाले वृक्षों एवं पौधों को लगाना इत्यादि।

4. यात्रा हेतु आवश्यक दिशा निर्देशों संबंधी कार्य जैसे– समय सारणी को देखना टिकट की बुकिंग करना इत्यादि।

5. पेड़ पौधों के रखरखाव एवं संरक्षण हेतु आवश्यक जानकारी देना, सामान्य रोगों की जानकारी, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग संबंधित उपकरणों का उपयोग इत्यादि।

6. यातायात नियंत्रण संबंधी नियम का अनुपालन करना एवं स्वयं सहायता समूह का निर्माण करना।

7. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वच्छता की जानकारी देना जैसे– नालियों की सफाई, कचरा का उचित कारण निस्तारण।
8. आर्थिक रूप से पिछड़े एवं मलिन बस्तियों में स्वच्छता अभियान चलाना, कुपोषण के प्रभावों का अध्ययन एवं सुपोषण के लिए प्रेरित करना।
9. पर्व एवं उत्सव के दौरान एकत्रित समूह हेतु अस्थाई शौचालयों की व्यवस्था एवं निर्माण कराना तथा अपशिष्ट निस्तारण की उचित व्यवस्था करना।
10. प्राकृतिक आपदा अथवा दुर्घटना की स्थिति में समाज सेवा हेतु स्वयंसेवी संगठनों का निर्माण करना एवं कार्य प्रणाली को जानना।
11. विद्यालयों में विभिन्न आयोजनों की रूपरेखा तैयार करना तथा अतिथियों के स्वागत हेतु कार्यक्रम तैयार करना।
12. विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन तथा जलपान बनाने में सहायता करना एवं वितरण व्यवस्था देखना।
13. शैक्षिक भ्रमण प्रदर्शनी खेल समारोह आयोजित करने में शिक्षकों को अपना योगदान देना।
14. शिशु वाटिका में शिशुओं की देखभाल करना।
15. साक्षरता अभियान प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में योगदान देना।
16. विद्यालय में अपने से निचली कक्षा के छात्रों को पठन सामग्री एवं शिक्षण सहायक सहायक सामग्री की व्यवस्था एवं निर्माण करना।

**वैकल्पिक क्रियाएं**

माध्यमिक स्तर पर वैकल्पिक क्रियाओं के रूप में ऐसी परियोजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए जो व्यवसायपरक, उत्पादक एवं समाज सेवा को तत्पर होंगी। एन.सी.ई.आर.टी. के दिशा निर्देशानुसार प्रत्येक छात्र दो परियोजनाओं का चयन करेगा जो एक विद्यालय के अंदर एवं एक विद्यालय के बाहर पूरी करनी होगी। इनके चयन के लिए उपलब्ध संसाधन तथा समय की उपयोगिता को ध्यान में रखना होगा। इस प्रकार कम से कम 2 क्षेत्रों में छात्रों के व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति होगी। उदाहरण स्वरूप कुछ परियोजनाओं की दिशा इस प्रकार हो सकती है–

1. पौधों का संरक्षण उनके रखरखाव तथा उपकरणों की मरम्मत करना जो कि विद्यालय के बाहर भी चयनित की जा सकती है।
2. शाक पुष्प उगाना, मौसमी फूलों तथा सब्जियों की जानकारी के अनुसार गमले एवं तैयारियों को तैयार करना तथा पौध तैयार करना।
3. क्यारियों में पानी की व्यवस्था हेतु व्यवस्थित क्रम में नालियों को तैयार करना।
4. नई पौध तैयार करने हेतु उपायों को सीखना एवं अनुप्रयोग करना जैसे– आंख से नया पौधा तैयार करना, कलम लगाना, कटिंग लगाना, बीज से पौधे तैयार करना इत्यादि।
5. क्यारियों तथा गमलों का उचित रखरखाव करना जैसे– मिट्टी की गुड़ाई करना, खरपतवार हटाना इत्यादि।
6. मुर्गी पालन जिससे अंडा तथा मांस आर्थिक आय का साधन बन सके।
7. पाव रोटी, ब्रेड, केक, पेस्ट्री इत्यादि को बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त करना।
8. लघु उद्योगों से संबंधित कुछ गृह उत्पादों के निर्माण की जानकारी जैसे– जैम, जेली, टमाटर की सॉस अचार स्क्वैश शरबत इत्यादि बनाना।
9. प्राकृतिक संसाधनों जैसे– सूर्य, वायु, पानी, बायोगैस संबंधित परियोजनाओं का कार्य जैसे पवनचक्की, सोलर कुकर, सिंचाई के साधनों के बारे में जानकारी दी जा सकती है।

10. ग्रामीण परिवेश के लिए अति महत्वपूर्ण मधुमक्खी पालन जिसके द्वारा शहद का उत्पादन किया जा सकता है।
11. रेशम कीट का पालन तथा रेशम धागे का निर्माण करना।
12. मशरूम की खेती।
13. मत्स्य पालन हेतु छोटे–छोटे तालाबों का निर्माण एवं मछलियों की उचित देखभाल।
14. भूमि की उर्वरता हेतु खाद जैविक व संरक्षण की तकनीक का ज्ञान।
15. दुधारू पशुओं का पालन तथा दुग्ध पदार्थों का निर्माण।
16. फाइल, रजिस्टर, कवर, मोहर, स्याही आदि स्टेशनरी का सामान बनाने की जानकारी।
17. टाई एंड डाई बांधनी, स्प्रे पेंटिंग इत्यादि का कार्य।
18. बेकार वस्तुओं से उपयोगी तथा मनोरंजक वस्तुओं का निर्माण।
19. व्यावसायिक दृष्टिकोण से फोटोग्राफी की शिक्षा।
20. विद्युत उपकरणों की जानकारी मरम्मत एवं रखरखाव।
21. पत्ते एवं टहनीयों से टोकरी एवं चटाई का निर्माण।
22. पुराने कपड़ों से चटाई एवं कालीन का निर्माण।
23. दस्तकारी की जानकारी जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई जो कि क्षेत्रीय आधार पर अलग अलग हो सकती है।
24. नल एवं अन्य घरेलू उपकरणों को ठीक करना एवं बनाना।
25. गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक आहार की जानकारी एवं बनाने की विधि।
26. छात्रों की सहायता हेतु सहकारी बैंक, बुक बैंक चलाना।
27. छात्रों के अध्ययन हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करना।

### 6.6.4 उच्चतर माध्यमिक स्तर कक्षा 11 से 12 तक

उच्चतर माध्यमिक स्तर पर छात्रों का विकास एवं मानसिक स्तर पूर्णता की ओर अग्रसर होता है अतः इस स्तर पर कार्य शिक्षा से संबंधित विषय वस्तुओं के क्षेत्रों का विकल्प भी बढ़ जाता है। विद्यालयों को लचीलापन के साथ स्थानीय एवं समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप क्रियाएं जैसे अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, समाज सेवा जैसे कार्यों को अनिवार्य क्रियाओं के रूप में परियोजनाओं के माध्यम से छात्रों को दिया जाना चाहिए ताकि वह सीधे तौर पर समाज से जुड़े और समाज की आवश्यकताओं को समझें साथ ही छात्रों के विषयों से संबंधित योजनाएं भी शामिल होनी चाहिए जो उत्पादन कार्य एवं समाज के उत्थान से संबंधित हो। इस स्तर पर वैकल्पिक शिक्षा के आधार पर ही समाजोपयोगी उत्पादक कार्य संबंधी योजनाओं को रखना चाहिए जो कि उनकी व्यावसायिक दक्षता को स्थापित करती हो।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

3. समाजोपयोगी उत्पादक कार्य योजना के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के चरण कौन–कौन से हैं?

.....

.....

4. माध्यमिक स्तर पर किन्हीं दो अनिवार्य क्रियाओं के विषय में बताइए?

.....

.....

## 6.7 समाजोपयोगी उत्पादक कार्य का मूल्यांकन

कार्य शिक्षा में समाज उपयोगी उत्पादक कार्यों के मूल्यांकन के क्षेत्र भी निर्धारित हैं। छात्र इस प्रकार के कार्यों को किस सीमा तक सीखते हैं, उनके सीखने की गति क्या है, रुचि का क्षेत्र कौन सा है, और किस क्षेत्र के कार्य को वह कितनी कुशलता से सीखता है, इन सबका मूल्यांकन आवश्यक है। जिन तीन प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए वे हैं –

1. ज्ञान
2. अभिवृत्ति
3. कौशल

**1) ज्ञान**–

ज्ञानात्मक पक्ष के मूल्यांकन हेतु आवश्यक है कि – छात्रों को कार्यों से सम्बन्धित उपकरणों की बनावट एवं कार्य प्रणाली की पूर्ण जानकारी हो तथा कार्य प्रणाली से सम्बन्धित विज्ञान एवं सिद्धान्तों की भी जानकारी हो।

**2) अभिवृत्ति** –

इस पक्ष के मूल्यांकन हेतु छात्रों का समाज एवं समुदाय के विभिन्न पक्षों के विषय में कितना ज्ञान है, उपयोगिता एवं योगदान का पक्ष कितना है' श्रम का महत्व, आत्म निर्भरता एवं समूह में कार्य करने की भावना के विषय में जानना नितांत आवश्यक है।

**3) कौशल** –

इस पक्ष में मूल्यांकन का आधार है – छात्रों द्वारा किसी कार्य को क्रमबद्ध रूप में करना, उपकरणों का प्रयोग, समय नियोजन, गति एवं सही समय पर उचित नियमों एवं सिद्धान्तों का अनुप्रयोग।

**मूल्यांकन विधि** – मूल्यांकन की निम्न विधियाँ हो सकती हैं–

1. लिखित परीक्षा
2. मौखिक परीक्षा
3. प्रायोगिक परीक्षा
4. प्रोजेक्ट
5. अवलोकन

एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा सुझाई गई मूल्यांकन विधियाँ इस प्रकार हैं –

1. कार्यक्रम प्रारम्भ करने के दो वर्ष के उपरान्त स्थानीय व्यक्तियों द्वारा मूल्यांकन किया जाए तथा कार्यक्रम में मौजूद कठिनाईयों की जानकारी एवं निस्तारण किया जाये।
2. विद्यालय कार्य समूह का गठन करे जो कि मूल्यांकन का कार्य सम्पन्न कर सकें।
3. प्रचार एवं प्रसार को प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए आवश्यक है कि कार्य सम्बन्धी विभागों एवं

सामुदायिक संगठनों के मध्य आपसी सामन्जस्य हो।

## 6.8 समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों की विषय–वस्तु एवं क्रियान्वयन संबंधी समस्याएं

यद्यपि समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों का विभिन्न स्तर की पाठ्यचर्या में उचित उचित स्थान दिया गया है तथापि यह अपने उद्देश्यों को संपूर्ण रूप से पूर्ण करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। कार्य शिक्षा के क्रियान्वयन में अनेक बाधाएं आती हैं समाज ही इसे अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने की दृष्टि से न देख कर मजबूरी में स्वीकार करता है। कुछ समस्याएं जैसे विद्यालय छात्र एवं समाज के लोग प्रभावित हैं उनमें से कुछ इस प्रकार है–

### 1. समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों का दोषपूर्ण चयन

विकास विद्यालय में ही समाज उत्पादक कार्यों को पाठ्यक्रम में रखा जाता है जिनसे संबंधित शिक्षक सुविधा पूर्वक उपलब्ध हो जाते हैं फिर वह कार्य अनिवार्य रूप से लागू कर दिए जाते हैं फिर चाहे वे बालकों की व्यक्तिगत रूचि कौशल अभिक्षमता से संबंधित हो या न हो। साथ ही स्थानीय समुदाय की आवश्यकता उन कार्यों से पूर्ण हो यह भी आवश्यक नहीं है। अतः उपयुक्त कार्य का चयन विद्यालय नहीं कर पाते हैं।

### 2. कार्य शिक्षा की प्रक्रिया से संबंधित समस्याएं

कार्य शिक्षा से संबंधित विषय वस्तु को अधिकांश शिक्षक कार्य की विधि को बोल कर एवं लिखवा कर ही कार्य की इतिश्री समझ लेते हैं। यदि प्रायोगिक रूप में कार्य को सिखाते भी है तो केवल एक ही बार विधि का प्रदर्शन करके छोड़ देते हैं। ऐसे में छात्र न ही सही प्रकार से कार्य की प्रकृति तथा उसे पूर्ण करने की विधि समझ पाते हैं न ही उन्हें स्वयं करके सुधारने के अवसर प्राप्त होते हैं। इस तरह वह क्रियाशील नहीं रह पाते और ज्ञानात्मक स्तर पर न तो समझ पाते हैं न ही उनका वास्तविक जीवन में उपयोग कर पाते हैं साथ ही उन्हें अपनी कमियों को सुधारने के अवसर भी प्राप्त नहीं होते हैं।

### 3. कार्य शिक्षा कार्यक्रमों के संगठन की समस्याएं

विद्यालय प्रशासन की सबसे बड़ी समस्या समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों को उचित अनुभव अधिभार देने की है। समय सारणी में कार्य शिक्षा को कितने कालांश दिए जाएं, कालांश की अवधि क्या निश्चित की जाए, कार्यों के लिए प्रयोगशाला है या कार्यशाला किस प्रकार की हो, विद्यालय के बाहर की परियोजनाओं को पूर्ण करने की प्रक्रिया कैसे निर्धारित हो, विद्यालय से बाहर जनपद, प्रदेश या देश के स्तर पर चल रही कार्य शिक्षा के कार्यक्रमों एवं परियोजना को किस प्रकार संबंधित किया जाए, प्रामाणिक एवं ठोस जानकारी किस प्रकार प्राप्त हो, पाठ्यचर्या के निर्माण हेतु समिति कैसे हो, संचालित किए जा रहे कार्यों एवं परियोजनाओं की कमियों को किस प्रकार सुधार किया जाए, यह सभी क्षेत्र कार्य शिक्षा के विकास की राह में बाधक होते हैं। क्योंकि इनसे संबंधित न तो उचित निर्णय लिए जा सकते हैं और न ही उनके क्रियान्वयन के जो निर्णय लिए भी जाते हैं उनका क्रियान्वयन ही हो पाता है।

### 4. आवश्यक सुविधाओं का अभाव

समाजोपयोगी उत्पादक कार्य संबंधी शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक संसाधन जुटाना भी विद्यालयों के लिए एक चुनौती होता है। अधिकांश विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं का ही अभाव होता है भवन जर्जर होते हैं या रखरखाव नहीं होता, कार्यशाला ही नहीं होती हैं, कच्चा माल अनुपलब्ध होता है, कृत्रिम परिस्थितियों या भावपूर्ण परिस्थितियों में कार्य का सीखना या उत्पादन किसी प्रयोजन का नहीं होता है

### 5. योग्य शिक्षकों का अभाव

कार्य शिक्षा का क्षेत्र व्यापक है। कार्य शिक्षा का क्षेत्र व्यापक होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित प्रशिक्षित एवं योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं हो पाते विद्यालयों में भी इनके लिए अलग से नियुक्ति ना के बराबर होती है। ऐसे में सामान्य विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षकों पर ही कार्य शिक्षा का भी भार दे दिया जाता है जिसे वे न्याय संगत नहीं कर पाते हैं। केवल दो तीन कार्य ही चुनकर विषय की खानापूर्ति कर दी जाती है तथा कार्य शिक्षा का कार्य सभी छात्र एवं शिक्षक सभी के लिए विश्राम की अवधि का बनकर रह जाता है।

### 6. धन की कमी

कार्य शिक्षा से संबंधित वस्तुओं उपकरणों एवं व्यवस्था से संबंधित अतिरिक्त धन की आवश्यकता तथा विद्यालयों की वित्तीय व्यवस्था अति सोचनीय है। यद्यपि उत्पादक कार्यों द्वारा धन अर्जित किया जा सकता है किंतु संसाधन ना होने के कारण वस्तुओं का उत्पाद संभव नहीं हो पाता तथा धन की कमी से कार्य शिक्षा उद्देश्यहीन ही रह जाती है।

### 7. दोषपूर्ण मूल्यांकन

कार्य शिक्षा की गंभीरता को कहीं भी नहीं लिया जाता तथा कार्यों की खानापूर्ति के साथ ही मूल्यांकन भी अतिरिक्त विषय मानकर ही कर दिया जाता है। छात्र का कौशल विकास हुआ या नहीं यह पता ही नहीं चल पाता है क्योंकि मूल्यांकन की जो विधियां वास्तव में प्रयोग की जानी चाहिए वह प्रयोग ही नहीं की जाती है। उसके जगह पर सामान्य तरीके से मूल्यांकन कर दिया जाता है जिससे उत्पादक कार्यों का जिससे छात्रों की कार्य शिक्षा के विषयों के प्रति रुचि, कौशल क्षमता का विकास नहीं हो पाता।

## 6.9 समाजोत्पादक कार्यों में सुधार संबंधी सुझाव

समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों को उत्पादक शिक्षाप्रद तथा समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए। यद्यपि इन कार्यों से संबंधित कार्य शिक्षा के क्रियान्वयन जारी रखने एवं मनोनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते, तथापि विद्यालय प्रशासन शिक्षकों एवं सरकार के थोडे से प्रयासों के फलस्वरूप कार्य शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण किया जा सकता है। कार्य शिक्षा की विषय वस्तु को सोच समझकर बालक की व्यक्तिगत तथा समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही चयन करना चाहिए। उन क्रियाओं को शामिल करना चाहिए जिनके द्वारा बालक को आत्माभिव्यक्ति के अवसर मिले तथा बालक को समस्या समाधान तथा सृजनात्मक चिंतन के लिए प्रेरित किया जा सके। सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश 1987 के विचार पत्रक में कहा गया है– ''अधिकांश उच्च प्राथमिक स्तर के कार्यों को पोषण स्वच्छता उत्पादकता और समाज समुदाय की आर्थिक स्थिति के संवर्धन की ओर अग्रसर होना चाहिए'' कुछ सुझाव इस प्रकार है–

1. कार्यक्रमों को परियोजनाओं के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए तथा समय सीमा भी पहले ही निर्धारित कर दी जानी चाहिए।
2. परियोजनाओं को छात्रों की आयु कक्षा तथा मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए तभी वह समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति संबंधी कार्य कर सकेंगे।
3. कक्षा के बढ़ने के साथ–साथ कार्यों की प्रकृति भी आवश्यक नहीं है कि बदली जाए किंतु कार्यों की जटिलता को अवश्य बढ़ा देना चाहिए। इस प्रकार छात्र अपनी रूचि, क्षमता एवं कौशल के आधार पर अपने चयनित कार्यों में दक्षता प्राप्त कर सकते हैं तथा वे चयनित कार्य उनके भावी जीवन में व्यवसाय निर्धारण में भी सहायक हो सकते हैं
4. छात्रों को स्वयं कार्य परियोजनाओं का निर्माण करने के अवसर देने चाहिए। कार्य अभ्यास की तो लगभग को लगभग 50% अधिभार देना चाहिए क्योंकि यही उन्हें क्रियाशील रखेगा। बालक को क्रियाओं की आवश्यकता समझने एवं स्वीकार करने, उपयुक्त तकनीक चुनकर योजना के अनुसार काम करने, कार्य की प्रगति को नोट करनें, स्वयं मूल्यांकन करने तथा वातावरण व सामग्री के रखरखाव की कोशिश करनी चाहिए। उत्पाद के आर्थिक मूल्य निर्धारण कार्य अभ्यास के दौरान ही छात्रों को करवा दिए जाने चाहिए।
5. शिक्षक संबंधी समस्याओं को सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को आयोजित करके दूर किया जा सकता है जैसे– कार्यशाला, सेमिनार, गोष्ठी, रिफ्रेशर कोर्स इत्यादि एवं विषय विशेषज्ञों का व्याख्यान आयोजित किया जा सकता है अंशकालिक शिक्षकों की भी नियुक्ति समय–समय पर की जा सकती है।
6. आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति हेतु यह ध्यान रखा जा सकता है कि परियोजनाओं से संबंधित साधनों विशेषज्ञों सामग्री का स्थानीय सर्वेक्षण कर लिया जाए। समुदाय एवं विद्यालय के बीच सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। सड़क, पौधों का संरक्षण, सहकारी पशुपालन, कृषि व्यवसाय क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने वाली संस्थाएं उद्योग एवं अन्य सरकारी संस्थाओं से संपर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए।

7. कार्य शिक्षा द्वारा जिन उत्पादक वस्तुओं का निर्माण होता है उनकी बिक्री की व्यवस्था विद्यालय के सहकारी भंडार द्वारा विद्यालयों में विभिन्न प्रदर्शनों का आयोजन स्थानीय बाजार स्वयंसेवी संगठनों से संपर्क करके की जा सकती है। सरकार की तरफ से अनुदान राशि यथासंभव दी जानी चाहिए तथा कम से कम 75% अनुदान में सरकार की भागीदारी होनी चाहिए। उत्पादों में से जो बिक्री हो उसका 15% छात्रों को तथा 20% विद्यालयों को अंशदान निधि के रूप में तथा 65% सरकारी अनुदान के रूप में भावी प्रयोग हेतु सुरक्षित रखना चाहिए।

8. मूल्यांकन हेतु कार्य शिक्षा के अंगों को अन्य विषयों के अंकों के साथ समान रूप से जोड़ना चाहिए तभी छात्रों को इसका महत्व समझ आएगा। आंतरिक मूल्यांकन में छात्रों की दक्षताओं, कौशलों, गुणों, ज्ञान, समझ को सुधारने के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। मापन परिणामों का संचयी अभिलेख पत्र में अभीलेखन भी होना चाहिए। उत्पाद के मापन के लिए निष्पादन परीक्षणों, श्रेणी क्रम मापनी, चेक लिस्ट से, निरीक्षण मौखिक व लिखित परीक्षणों के प्रयोग द्वारा वैध एवं विश्वसनीय मूल्य निर्धारण करना चाहिए।

**अन्य सुझाव**

एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा संचालित कार्यशाला 1978 में जो सुझाव दिए गए उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं–

1. राज्य के शिक्षा निदेशालय में उच्च स्तरीय अधिकारी को कार्य शिक्षा कार्यक्रम का इंचार्ज बनाया जाए तथा नियमित अंतराल पर मूल्यांकन शिक्षण–प्रशिक्षण तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं देने के कार्य करवाए जाएं। समितियों का निर्माण किया जाए जो जनपद ब्लॉक ग्राम स्तर पर भी होनी। चाहिए क्षेत्रीय हस्त कला परिषद, खादी आश्रम एवं ऐसे ही संबंधित अभिकरणों की सहायता से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। वर्ष में कम से कम 3 बार अपनी बैठक करनी चाहिए तथा कार्यक्रमों की प्रगति की जांच करनी चाहिए।

2. हर आवश्यक स्तर पर पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाने चाहिए जो तत्काल निर्देश दे सकें तथा कार्यक्रमों को समन्वित कर सकें।

3. माध्यमिक शिक्षा परिषद में एस.यू.पी.डब्ल्यू. की यूनिट स्थापित होनी चाहिए जो राज्य स्तरीय समिति के साथ समन्वय से काम करें तथा पाठ्यचर्या लागू करने के लिए आवश्यक अनुदेशनात्मक सामग्री का निर्माण करे।

4. कार्य अभ्यास के लिए प्रत्येक कक्षा से छः कार्य क्षेत्रों से संबंधित किन्हीं दो परियोजनाओं का चुनाव किया जाना चाहिए जिनका उद्देश्य उत्पादक कौशलों को विकसित करना हो।

5. विद्यालय में समाजों के समाजों उत्पादक क्रियाओं को दिया जाने वाला समय इस प्रकार होना चाहिए कक्षा 1 से 5 विद्यालय का 20% कक्षा 6 से 8 प्रतिदिन एक घंटा कक्षा 9 से 10 प्रतिदिन एक घंटा कक्षा 11 से 12 विद्यालय समय का 15% रखा जाये।

6. संपूर्ण कार्यक्रम से संबंधित क्रियान्वयन एवं समय सारणी लचीली होनी चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर जरूरी परिवर्तन किया जा सके।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

5. समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों की मूल्यांकन विधियां कौन–कौन सी है?

.....

.....

6. समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के क्रियान्वयन संबंधी कुछ समस्याएं बताइए।

.....

.....

## 6.10 सारांश

इस इकाई में हमने समाजोपयोगी उत्पादक कार्यक्रमों की पाठ्यक्रम में केंद्रीय भूमिका के विषय में जाना। ईश्वर भाई पटेल समिति ने कार्य शिक्षा संबंधी आवश्यक संस्तुतियाँ प्रस्तुति जिनके द्वारा समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों को विद्यालय में लागू करने की रूपरेखा स्पष्ट हुई, समिति के सुझावों का अध्ययन भी इसी इकाई में किया गया। कार्य शिक्षा के रूप में किन क्षेत्रों से विषय वस्तु का चयन हो और विषय वस्तु विभिन्न कक्षा स्तरों के अनुरूप किस प्रकार की हो, इस विषय में भी जानकारी प्राप्त की गई। समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों के क्रियान्वयन संबंधी सुझाव की जानकारी भी प्राप्त की गई।

## 6.11 अभ्यास के प्रश्न

1. शिक्षा के विभिन्न स्तरों के अनुरूप कार्य शिक्षा की विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए स्पष्ट कीजिए।
2. समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों के क्रियान्वयन संबंधी प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए तथा एनसीईआरटी द्वारा दिए गए सुझावों को बताइए।

## 6.12 चर्चा के बिन्दु

1. समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों को पाठ्यक्रम में क्या स्थान मिलना चाहिए? इस विषय पर चर्चा कीजिए।
2. ईश्वर भाई पटेल समिति के प्रमुख सुझावों एवं संस्तुतियों पर चर्चा कीजिए।

## 6.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

(1) कक्षा 1 से चार पांच तक 20% कक्षा 5–6 से 8 तक 6 घंटा प्रति सप्ताह, कक्षा 8–9 से 10 तक 6 घंटा प्रति सप्ताह।

(2) गांधीजी के अनुसार केवल पुस्तक विज्ञान समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता अतः शिल्प आधारित शिक्षा होनी चाहिए जो कि उत्पादन कार्यों के द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।

(3) i. अवलोकन एवं जिज्ञासा द्वारा कार्य परिचय देना।

ii. विभिन्न वस्तुओं उपकरणों एवं तकनीकी का प्रयोग।

iii. कार्य अभ्यास कराना।

(4) i. प्राथमिक उपचार संबंधी शिक्षा।

ii. पेड़ पौधों के रखरखाव एवं संरक्षण की जानकारी।

(5) समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों के मूल्यांकन की विधियां निम्न हैं–

i. लिखित परीक्षा।
ii. मौखिक परीक्षा।
iii. प्रायोगिक परीक्षा।
iv. प्रोजेक्ट।
v. अवलोकन।

(6) समाजोत्पादक कार्य के क्रियान्वयन सम्बन्धी कुछ समस्यायें निम्न हैं–

i. कार्यों का दोषपूर्ण चयन।
ii. कार्य शिक्षा की दोषपूर्ण प्रक्रिया नंबर।
iii. कार्य शिक्षा कार्यक्रमों के संगठन की समस्या नंबर।
iv. धन एवं आवश्यक सुविधाओं का अभाव।
v. योग्य शिक्षकों की अनुपलब्धता।

## 6.14 कुछ उपयोगी पुस्तकें


1. गुप्ता एस.पी. 2015, भारतीय शिक्षा का इतिहास विकास एवं समस्यायें, इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन।
2. रूहेला सत्यपाल, देवेन्द्र (1998), कार्यानुभव की शिक्षा, दिल्लीः डायमण्ड बुक्स।
3. पाण्डेय रामशकल, (2014), भारतीय शिक्षा की सम–सामयिक समस्यायें, आगराः अग्रवाल पब्लिकेशन्स।

# खण्ड– 03 : व्यावसायिक एवं कार्य शिक्षा

## खण्ड परिचय

व्यावसायिक शिक्षा से अभिप्राय यह है कि शिक्षा का आधार व्यावसायिक होना चाहिए। व्यावसायिक ज्ञान पर आधारित शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा कहा जाता है। माध्यमिक स्तर पर इस प्रकार की शिक्षा के अन्तर्गत किसी विशेष व्यवसाय का प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसमें छात्रों में भविष्य के लिए जीविकोपार्जन के कार्य हेतु सकारात्मक सोच का निर्माण हो सके। अतः इस प्रकार की शिक्षा संसाधनों के अधिकतम प्रयोग के अवसर प्रदान करती है, जिससे कार्य कुशलता के साथ–साथ उत्पादकता में वृद्धि के साथ समकालीन संस्कृति के वैज्ञानिक पक्षों को जानने में सहायक होती है। इसके साथ ही व्यावसायिक शिक्षा कृषि और उद्योग के क्षेत्र में समाज में आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देती है। इसके माध्यम से उपयुक्त कौशलों का विकास किया जाता है। शिक्षा नौकरियों को सृजित नहीं करती, अपितु रोजगार प्राप्त करने की क्षमता का विकास करती है। स्वयं की क्षमताओं का आकलन करने के लिए छात्रों को व्यक्तिगत रूप से तैयार किया जाता है। ताकि वे अपनी क्षमताओं के अनुरूप भविष्य में जीविकोपार्जन के मार्ग को सुगम बना सकें।

अतः छात्र/छात्राएँ अध्ययनोपरान्त किसी न किसी व्यवसाय में लग जाये तथा अपने में विद्यमान चातुर्य एवं संसाधनों के अनुसार व्यावसायिक निष्पादन प्रस्तुत करें। ऐसा तभी संभव हो सकेगा जब उन्हें सही तरह से व्यवसाय चयन की जानकारी को एक निश्चित प्रक्रिया के रूप में प्रदान किया जाये। इस खण्ड में तीन इकाईयां हैं जो इस प्रकार हैं–

इकाई–7 उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस इकाई के अन्तर्गत व्यवसाय और कार्य के पहचान से सम्बन्धित स्वरूप की चर्चा की गई है। जिसमें कार्य का स्वरूप, व्यवसाय और कार्य की आवश्यकता तथा इसके पहचान से सम्बन्धित आधारों को व्याख्यायित किया गया है।

इकाई–8 व्यवसाय और कार्य के चयन पर आधारित है। प्रस्तुत इकाई में व्यवसाय चयन हेतु आवश्यक बिन्दुओं की चर्चा करते हुए, व्यवसाय चयन के सम्बन्ध में एली जिन्जबर्ग, सुपर और हालैण्ड जैसे विद्वानों द्वारा प्रतिपादित व्यवसाय चयन के विभिन्न सिद्धान्तों की चर्चा की गयी है।

इकाई–9 अनुवर्ती सेवा से सम्बन्धित है। इस इकाई में उस सेवा के बारे में जानकारी दी गई है, जिसके ज्ञान से छात्र यह जान पाता है कि छात्र अपने व्यवसाय से कितना सन्तुष्ट है तथा उसका समायोजन किस स्तर पर है। इस इकाई में अनुवर्ती सेवा के उद्देश्य, अभिप्राय, सार्थकता, तथा इसके सुचारू संचालन हेतु कार्यशाला प्रबन्धन, एवं उपकरण इत्यादि का वर्णन किया गया है। जिसके अध्ययन से छात्र अपने व्यवसाय से जुड़ी अनेक जानकारी को ज्ञात कर अपनी कमियों को दूर कर सकता है।

# इकाई– 7 : व्यवसाय एवं कार्य की पहचान

## इकाई की संरचना

7.1 प्रस्तावना

7.2 इकाई के उद्देश्य

7.3 कार्य का स्वरूप

7.4 व्यवसाय का स्वरूप

7.5 व्यवसाय और कार्य की आवश्यकता

7.6 व्यवसाय और कार्य का महत्व

7.7 व्यवसाय और कार्य की पहचान के आधार

7.8 सारांश

7.9 अभ्यास के प्रश्न

7.10 चर्चा के बिन्दु

7.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

7.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें

## 7.1 प्रस्तावना

प्रत्येक व्यक्ति को जीविका के लिए किसी न किसी व्यवसाय की आवश्यकता होती है। व्यक्ति प्रायः पारिवारिक व्यवसाय का अनुसरण करता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वह अपने पारिवारिक परम्परागत व्यवसाय का ही चुनाव करे। वह अपने लिए अपनी रूचि का व्यवसाय करना चाहता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यवसाय का विश्लेषण करना चाहिए। सामान्य रूप में व्यवसाय का अर्थ किसी व्यक्ति के द्वारा जीविकोपार्जन की विधि से लिया जाता है। अतः व्यावसायिक विश्लेषण को इस प्रकार से समझा जा सकता है– ''जब एक विशेष व्यवसाय के लिए विशिष्ट आशाओं अथवा अपेक्षाओं का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है तब वह व्यावसायिक विश्लेषण या पहचान कहलाता है''। इस व्यवस्थित अध्ययन में प्रस्तुत व्यवसाय हेतु वैयक्तिक गुणों पर ध्यान दिया जाता है। व्यवसाय चुनाव हेतु यूनेस्को ने यह परिभाषित करते हुए सुझाव दिया है कि ''विस्तृत रूप से शिक्षा कार्य में तकनीकी अध्ययन, सम्बन्धित विज्ञान और प्रायोजित कौशल, दृष्टिकोण, काम की जिम्मेदारी एवं आर्थिक और सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक ज्ञान को सामान्य शिक्षा के साथ सम्मिलित किया जाना है।''

व्यावसायिक शिक्षा के विषय में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने यह उल्लेख किया है कि– ''हम विद्यालय शिक्षा को भावी प्रवृत्ति में सामान्य और व्यवसायिक शिक्षा को लाभप्रद रूप से देखते हैं। सामान्य शिक्षा में पूर्व व्यवसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के कुछ तत्व होते हैं और व्यावसायिक शिक्षा में सामान्य शिक्षा के तत्व होते हैं। आने वाले वर्षों में जिस समाज में हम रह रहे होंगे उसमें सामान्य शिक्षा का पृथक्करण अनैच्छिक और असम्भव होगा।''

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह कहा जा सकता है कि व्यावसायिक शिक्षा से अभिप्राय यह है कि शिक्षा का आधार व्यावसायिक होना चाहिए एवं व्यावसायिक ज्ञान पर आधारित शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा कहा जाता है। माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत किसी विशेष व्यवसाय का वाणिज्यिक प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे छात्रों में भविष्य की जीविकोपार्जन के लिए सकारात्मक ज्ञान का निर्माण हो सके। इस प्रकार की शिक्षा सामान्य शिक्षा का ही एक हिस्सा है। इस प्रकार व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा को पृथक नहीं किया जा सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं शिक्षा प्रणाली का व्यवसाय और कार्य से घनिष्ठ सम्बन्ध है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लम्बे समय से हस्तकार्य को गरिमा प्रदान करने का एक प्रयास कर रहा है। पिछले दशकों से हाथ द्वारा किये गये कार्य को समाज में निम्न स्तर से देखा जाता था। कार्य शिक्षा ज्ञान के अतिरिक्त कौशल के विकास पर बल देता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम (2000) संरचना में कार्य की अवधारणा, दर्शन तथा इतिहास

पर पर्याप्त चर्चा की गई। व्यवसाय शिक्षा को कभी कैरियर शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के पर्याय के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। व्यावसायिक शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों को किसी प्रकार ट्रेड, क्राफ्ट की तकनीक सिखायी जाती है। अतः व्यवसाय शिक्षा वह शिक्षा है, जो लोगों को एक व्यापार एक शिल्प तकनीशियन के रूप में, या इंजीनियर के रूप में या एकाउन्टेशी, नर्सिग, चिकित्सा, आर्किटेक्चर, या कानून जैसे पेशेवर व्यवसायों में कार्य करने के लिए तैयार करता है। छात्र–छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे शिक्षा के उपरान्त किसी कार्य अथवा व्यवसाय की पहचान कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अतः यह आवश्यक है कि कार्य एवं व्यवसाय से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं का ज्ञान उसे पर्याप्त रूप से हो, जिससे वह अपनी रूचि, क्षमता, योग्यता के अनुकूल सही समय पर कार्य अथवा व्यवसाय को पहचान सके। प्रस्तुत इकाई में कार्य एवं व्यवसाय के स्वरूप, पहचान की आवश्यकता, पहचान के महत्व एवं पहचान के आधारों की चर्चा की गई है।

## 7.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

1. कार्य एवं व्यवसाय के स्वरूप को समझ सकेंगे।
2. कार्य एवं व्यवसाय के पहचान की आवश्यकता को जान सकेंगे।
3. कार्य एवं व्यवसाय के पहचान के महत्व को जान सकेंगे।
4. व्यवसाय और कार्य की पहचान के आधारों की व्याख्या कर सकेंगे।
5. व्यवसाय की आवश्यकता का वर्णन कर सकेंगे।
6. कार्य के आवश्यक तथ्यों एवं सूचनाओं को जान सकेंगे।
7. कार्य के प्रत्येक स्वरूप में निहित सिद्धान्तों को समझ सकेंगे।

## 7.3 कार्य का स्वरूप

कार्य छात्र छात्राओं की शारीरिक तथा मानसिक क्रियाओं का वह स्वरूप है जिसके आधार पर जीवन यापन करने के साधनों को जुटाता है। जिससे वह आत्मनिर्भर बनता है तथा वह समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। सामान्यतः किसी भी क्रिया का परिणाम कार्य होता है। अतः कार्य व्यक्ति की स्वाभाविक उर्जा के व्यय अथवा व्यक्ति की उस क्रिया का परिणाम है, जो व्यक्ति के शारीरिक अथवा मानसिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति के तथा समाज के हित में किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है।

कार्य से तात्पर्य प्रमुख रूप से शारीरिक कार्य से है। इसके अन्तर्गत ऐसे कार्य आते हैं, जिसमें शारीरिक श्रम लगता है तथा मांसपेशियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे– खेतों में कार्य करना, मजदूरी करना, मिस्त्री, धोबी कुम्हार आदि भी शारीरिक कार्य करते हैं, यह कौशल केन्द्रित होता है। प्रत्येक कार्य उद्देश्यपूर्ण होता है। कोई व्यक्ति जब कार्य करता है तो उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है, और उसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु वह क्रियाशील रहता है। कार्य में मानसिक एवं शरीरिक दक्षताएँ मौजूद रहती हैं, जैसे– एक फैक्ट्री में जो कार्य होता है, उसमें दोनों की आवश्यकता निहित होती है।

कार्य के लिए अभिप्रेणा भी आवश्यक होती है। कोई भी कार्य व्यक्ति तभी कर सकता है, जब वह उसके लिए अभिप्रेरित होता है जैसे– भूख से प्रेरित होकर ही व्यक्ति भोजन प्राप्त करने की दिशा में कार्य करता है या अपने परिवार की खुशी चाहने की अभिप्रेरणा से प्रेरित होकर ही व्यक्ति दिन–रात मेहनत करके पैसे कमाता है। जो भी कार्य हम करते हैं उसको मापा जा सकता है। वास्तव में कार्य का मापन व्यक्ति द्वारा प्राप्त उद्देश्यों के आधार पर किया जा सकता है। हम भलीभाँति जानते हैं कि कार्य का तात्पर्य हाथ से काम करने के अनुभव को कहते हैं, जिसका ज्ञान प्राप्त करना तथा उसके बारे में जानकारी होना बच्चे के लिए प्राथमिक स्तर पर ही आवश्यक है। अतः बच्चे को घर पर ही इस प्रकार की शिक्षा का ज्ञान कराना चाहिए। कोठारी आयोग (1964–66) ने हाथ से कार्य करने और उत्पादन कार्य–कलापों को कार्य अनुभव की संज्ञा दी है। महात्मा गांधी ने इसी कार्य की शिक्षा देने पर जोर दिया था। अतः विद्यार्थियों की आयु, योग्यता, क्षमता तथा रूचि के मानसिक स्तर तथा उसकी आवश्यकताओं के आधार पर कार्य का निर्माण किया जाना चाहिए।

कार्य के निम्नलिखित स्वरूप एवं उद्देश्य हो सकते हैं–

- बच्चों को क्रियात्मक कार्यों के प्रति रूचि पैदा करना ताकि वे हस्त कार्य करके स्वावलम्बी बन सकें।
- बच्चों में ज्ञानात्मकता की अभिवृद्धि करना क्योंकि कार्य करने से उनके ज्ञान का विकास होगा और उनका भविष्य उन्नत हो सकेगा।
- बच्चों द्वारा अपने हाथ से कार्य करने की भावना उत्पन्न होगी और वे कार्य की विभिन्न विधियों से परिचित होंगे।
- इस प्रकार की शिक्षा से बच्चे उत्पादन कार्यों में रूचि लेंगे।
- कार्य करने का ज्ञान सीखने पर बच्चों में आत्मनिर्भरता सहनशीलता तथा व्यावहारिकता की वृद्धि होती है।
- कार्य करने से नई पीढ़ी प्रगतिशील बनती है, पशुपालन कृषि, उत्पादन, पोल्ट्री आदि लगाना, जिससे व्यवसाय के प्रति जागरूकता बढ़ती है।

कार्य अनुभव के निम्नलिखित लक्ष्य इस प्रकार के होते हैं–

1. **ज्ञान**– बच्चों को सामाजिकता तथा व्यावहारिकता का ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि बच्चा समाज में अपना सामंजस्य बैठा सके। उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली चीजों की ठीक–ठीक जानकारी हो सके।
2. **कौशल**– बच्चों का कार्य इस बात को प्रदर्शित करता है कि उसमें विभिन्न प्रकार के कौशल विद्यमान रहे, जिससे बच्चा तत्परता से उसमें पारंगत होकर आगे बढ़े। कौशल का व्यावहारिक अर्थ दक्षता से है।
3. **अभ्यास व समस्या का निराकरण**– बच्चा कार्य अनुभव का अभ्यास स्वयं करता चले तथा इस कार्य में जो भी समस्या आये उसका निराकरण वह स्वयं करे।
4. **रूचि**– कार्य के द्वारा बच्चों में कार्य करने की रूचि को स्वयं में विकसित करना, ताकि जो भी कोई कार्य हो स्वयं रूचि लेकर करे।
5. **दृष्टिकोण**– कार्य का मुख्य लक्ष्य बच्चों में स्वस्थ दृष्टिकोण को विकसित करना है, ताकि बच्चों में कार्य के प्रति अनादर की भावना न पैदा हो, कार्य चाहें किसी भी प्रकार का हो, उनमें कार्य के प्रति स्वस्थ्य दृष्टिकोण होना चाहिए जिससे वे स्वावलम्बी तथा अच्छे नागरिक बन सकें। अतः कार्य अनुभव का अपना विशेष महत्व है। अध्यापक पर यह निर्भर करता है कि वह किस प्रकार का बच्चों को दिशा निर्देश देता है। यदि बच्चे को सही मार्गदर्शन मिल जाये तो वे अच्छे नागरिक बनकर भावी जीवन की नींव को मजबूत रख सकेगें।

## 7.4 व्यवसाय का स्वरूप

अध्ययन के उपरान्त प्रत्येक विद्यार्थी व्यवसाय में प्रवेश चाहता है। कार्य की भाँति व्यवसाय भी योग्यता, रूचि, व्यक्तित्व अथवा क्षमता आदि पर आधारित होता है। शैक्षिक संस्थान इस कार्य में विद्यार्थियों की पर्याप्त सहायता कर सकते हैं। छात्र/छात्रा या व्यक्ति चाहें किसी भी देश, परिस्थिति से सम्बन्ध रखते हों, उनके लिए आवश्यक होता है कि वह अपने जीवन यापन के लिए कोई न कोई व्यवसाय करें। इसके लिए यह आवश्यक होता है कि वह जो भी व्यवसाय करे वहाँ सफल रहें। अतः यह जरूरी है कि वह अपने संसाधनों को क्षमता, रूचि के आधार पर ऐसे व्यवसाय का चुनाव करे जिसमें समायोजित रहते हुए अपने कार्य का कुशलता के साथ सम्पादन कर सके। लेकिन व्यवससाय की पहचान के पूर्व कई तथ्यों/बिन्दुओं को जाँच लेना आवश्यक होता है, जिससे भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। व्यवसाय की पहचान के पूर्व जिस व्यवसाय मे हम जाना चाह रहे हैं या किसी को जाने के लिए परामर्श दे रहे हैं, उसका महत्व कितना है, व्यवसाय का स्वरूप और दशाएँ कैसी हैं, वेतन का आधार क्या है, प्रगति के अवसर किस प्रकार के हैं, व्यवसायरत अन्य कर्मचारी किस प्रकार के हैं, व्यवसाय की नियमितता कैसी है, जहाँ काम करना है वहाँ की भौतिक नियमितता कैसी है, जहाँ काम करना है वहाँ की भौतिक दशा किस प्रकार की है। अतः व्यवसाय पहचान के पूर्व उपर्युक्त तथ्यों के विषय में जानना जरूरी है।

जब छात्र–छात्राएँ अपने विभिन्न आयामों को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय का चुनाव करते हैं तो वे अपने लिए निर्धारित लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करके प्रगति की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। ऐसा न होने पर उन्हें जीवन के प्रत्येक मोड़ पर कठिनाई का सामना करना पडेगा। अतः व्यवसाय के लिए निम्नलिखित बातों की जानकारी आवश्यक है–

1. **प्रकृति**– व्यवसाय निरन्तर चलने वाला प्रक्रम है। इसमें समय–समय पर कुछ न कुछ परिवर्तन आते रहते हैं। इसलिए कोई भी व्यवसाय पूर्ण और अन्तिम नहीं हो सकता। निश्चित समय और निश्चित परिस्थितियों की सीमा में ही व्यवसाय की पूर्णता को स्वीकार किया जा सकता है। परिस्थितियों और समय के परिवर्तन के साथ व्यवसाय की प्रकृति भी परिवर्तित होती है।

2. **व्यवसाय पहचान के मनावैज्ञानिक पक्ष**– व्यवसाय विश्लेषण का मनोवैज्ञानिक पक्ष कार्य में लगे हुए व्यक्ति को महत्व देता है। किसी भी व्यवसाय को उसमें कार्यरत श्रमिक से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उसमें कार्य करने वाले का व्यक्तित्व गतिशील तथा वाह्य प्रभावों तथा आन्तरिक मनोवेगों से प्रभावित रहता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक स्तर पर व्यवसाय की प्रकृति उससे प्रभावित होती है। अतः व्यवसाय के विश्लेषण में मनोवैज्ञानिक वस्तुस्थिति का यथासम्भव निरपेक्ष एवं वस्तुगत अध्ययन आवश्यक है।

3. **व्यवसाय चुनाव का भौतिक तथा आर्थिक पक्ष**– व्यवसाय चुनाव में मनोवैज्ञानिक पक्ष को ध्यान में रखने के साथ–साथ भौतिक एवं आर्थिक पक्षों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। व्यवसाय एक मानवीय क्रिया है, जो जीवन की दशाओं, शारीरिक शक्ति एवं स्वास्थ्य तथा जीवन के परिवेशगत आवश्यकताओं तथा कार्य की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। व्यवसाय का आर्थिक पक्ष इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह व्यक्ति को कार्य विशेष की ओर आकर्षित करता है। इस भौतिक एवं आर्थिक पक्षों को भी व्यवसाय की पहचान में स्थान दिया जाना चाहिए।

4. **व्यवसाय पहचान की विधि**– व्यवसाय के पहचान की प्रारम्भिक आवश्यकता उसके प्रकृति का निर्धारण करना है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि व्यवसाय का विश्लेषण या चुनाव के लिए प्रस्तुत कार्य की पहले सामान्य रूपरेखा बना ली जानी चाहिए। तत्पश्चात व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों से उनके कार्यों की पद्धति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। किसी विशेष व्यवसाय में सामान्य दोष अथवा होने वाली भूलों के विषय में भी व्यवसाय में लगे श्रमिकों या अन्य व्यक्तियों से जानकारी उपलब्ध की जानी चाहिए। अतः कार्य की मुख्य–मुख्य विशेषताओं के बारे में अच्छे कर्मचारियों से जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए। व्यावसायिक विश्लेषण के मनोवैज्ञानिक, भौतिक एवं आर्थिक पक्षों क सम्बन्ध में क्रमबद्ध जानकारी अपेक्षित है।

## बोध प्रश्न

**टिप्पणी** :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. कार्य के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? संक्षिप्त रूप में व्याख्या कीजिए।

.....

.....

2. व्यावसायिक शिक्षा के अभिप्राय की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए।

.....

.....

## 7.5 व्यवसाय और कार्य की आवश्यकता

व्यावसायिक कार्य में बच्चों को केवल वे अनुभव दिये जाते हैं, जो उसे किसी व्यवसाय विशेष का बोध कराते हैं जो उन्हें व्यावसायिक जीवन के लिए तैयार करते हैं। व्यावसायिक कार्य एक विचारपूर्ण कार्य नीति है जिससे विभिन्न प्रकार के कार्यों में निहित तथ्यों और सिद्धान्तों की समझ बढ़ती है और कार्य करने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। व्यावसायिक कार्य अनुभव द्वारा विद्यार्थियों को उद्देश्यपूर्ण सार्थक मानव श्रम गतिविधियों से जोड़े रखती है।

कार्य स्थितियों के अवलोकन, कार्य में भागीदारी, उत्पादन वस्तुओं का निर्माण आदि गतिविधियों में बच्चों को प्रयुक्त किया जाता है। समुदाय को विभिन्न कार्य परिस्थितियों को जानने और उनमें भाग लेने से बच्चों के अन्दर वांछित मूल्यों और काम से जुड़ी अच्छी आदतें विकसित होती हैं। काम और कामगारों के प्रति सकारत्मक प्रवृत्ति का विकास होता है। उसे व्यापक जानकारी हासिल करने के अवसर प्राप्त होते हैं जो भविष्य में व्यावसायिक क्षेत्रों में छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होती है–

### व्यावसायिक कार्य की आवश्यकता

विद्यार्थी अपने भविष्य का निर्माणकर्त्ता स्वयं माना जाता है। व्यवसाय और कार्य को व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग माना गया है। अतः व्यावसायिक कार्य शिक्षा की आवश्यकता को निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है।

- विद्यार्थियों को शारीरिक श्रम करने की क्षमता को बढ़ाना और काम करने के लिए प्रेरित करना।
- व्यावसायिक कार्य के माध्यम से विद्यार्थियों में आवश्यक जीवन कौशलों का विकास करना।
- काम से जुड़ाव बच्चों को उनके सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के निकट लाता है। प्राकृतिक संसाधनों की पहचान करने और भावी व्यावसायिक जीवन की तैयारी का भी काम करता है। काम के आधार पर हुई सामाजीकरण की प्रक्रिया बच्चों को सामाजिक रिश्तों के ताने–बाने में जोड़ती चलती है।
- विद्यार्थियों को कार्य के प्रति व कार्य करने वाले के प्रति भावना को जागृत करने में सहायक होती है।
- विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की युक्तियों, तकनीकों व उपकरणों और पदार्थों के साथ कार्य करने के अवसर प्रदान करना।
- विद्यार्थियों में अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमित आदतों और सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना।
- विद्यार्थियों में सामूहिक रूप से वांछनीय मूल्यों जैसे– आत्मनिर्भरता, सहायता या सहयोग, सामूहिक कार्य, लगन, उदारता इत्यादि का विकास करना।
- उचित कार्य नैतिकता के मूल्यों जैसे– नियमितता, समयबद्धता, ईमानदारी, समर्पण, अनुशासन इत्यादि का विकास करना।
- छात्र/छात्राओं को अपने पूर्व निर्धारित जीवन लक्ष्यों की प्राप्ति होती है।
- छात्र/छात्राओं के भविष्य का निर्धारण करना।
- विद्यार्थियों की नियमित दिनचर्या की आदतों का विकास करना।
- विद्यार्थियों के आंकाक्षा स्तर में वृद्धि करना।
- विद्यार्थियों में समायोजित व्यवहार का विकास करना।
- विद्यार्थियों को सामाजिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति करना।

- समूह या समाज में अन्य सदस्यों की कार्य प्रणाली से परिचित करना।
- विद्यार्थियों को सामाजिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति करना।
- समाज या समूह के अन्य सदस्य उसके कार्यों का अनुसरण करना।
- छात्र/छात्राओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना।
- क्रय–विक्रय हेतु विभिन्न प्रकार के नवीन वस्तुओं का निर्माण होता है, अर्थात् व्यावसायिक अभिवृद्धि करना।

**व्यवसाय व कार्य में सम्बन्ध**

ऐसे कार्य जो मस्तिष्क के निर्देशन में हाथ द्वारा व्यवस्थित रूप से किया जाय, जो बच्चों के शारीरिक श्रम करने की क्षमता को बढ़ाए और काम करने के लिए प्रेरित करें। अर्थात् इससे बच्चे स्वयं कार्य–करके उस कार्य का अनुभव प्राप्त करते हैं।

व्यावसायिक शिक्षा में बच्चों को केवल वे ही अनुभव या पहचान कराये जाते हैं, जो किसी व्यवसाय विशेष का बोध कराते हैं और व्यावसायिक जीवन के लिए तैयार करते हैं। व्यवसाय व कार्य दोनों में ही विद्यार्थियों को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे वह अपने आने वाले जीवन में किसी भी कार्य को छोटा या बड़ा न समझे तथा सभी कार्यों को सकारात्मक दृष्टि से देखें। व्यवसाय व कार्य में सम्बन्ध को निम्न रूपों में देखा जा सकता है–

- व्यावसायिक कार्य और कार्यानुभव दोनों में ही विद्यार्थियों को उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण शारीरिक श्रम कराया जाता है, जिससे उनमें शारीरिक श्रम और शारीरिक श्रम करने वालों के प्रति सम्मान की भावना जागृत या विकसित की जा सके।
- व्यावसाय एवं कार्य में ऐसे कार्यों का निष्पादन कराया जाता है जो विद्यार्थियों में अनिवार्य जीवन कौशल का विकास सहायता तथा सहयोग, सामूहिक मूल्यों जैसे– आत्मनिर्भरता सहायता और सहयोग, सामूहिक कार्य, लगन, उदारता आदि का विकास सम्मिलित रहता है।
- दोनों ही प्रकार के कार्यों में उचित कार्य, नैतिकता के मूल्यों जैसे– नियमितता, समयबद्धता, ईमानदारी, समर्पण का अनुशासन इत्यादि का विकास करना।
- पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूकता तथा समाज के लिए अपनत्व, उत्तरदायित्व तथा समर्पण की भावना का विकास करना।
- कार्य–अनुभव की विषय–वस्तु का ताना–बाना रोजमर्रा की जिन्दगी के इर्द–गिर्द ही बुना गया होता है और व्यावसायिक कार्य में भी इसी प्रकार की विषय–वस्तु का समावेश होता है।
- ऐसे कार्य जो व्यावसायिक विकास, उत्पादन, सामाजिक उपयोगिता और कार्य जगत की खोज से जुड़े हों।

**कौशल**– हाथ, कान, आँख और मस्तिष्क में समन्वय की प्राप्ति विद्यार्थी को हो सके, उसे हाथों के प्रयोग में कौशल और दक्षता की प्राप्ति हो सके।

**ज्ञान**– इस लक्ष्य के अन्तर्गत विद्यार्थियों को सच्ची सामग्री यन्त्र तथा प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त हो सके।

**अभ्यास तथा समस्या समाधान**– बुनियादी आवश्यकताओं से सम्बन्धित समस्याओं का पता विद्यार्थी लगा सके, जिससे समस्या समाधान के लिए उपयुक्त साधनों का वह चुनाव कर सके।

**दृष्टिकोण**– श्रम और हस्त कार्य छात्रों को सम्मानित दृष्टि से देखना चाहिए। उनमें यह दृष्टिकोण पैदा हो तथा सभी प्रकार के हस्तकार्य को वह राष्ट्रीय आय तथा राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि करने का साधन माने।

अतः कार्य का लक्ष्य एवं उद्देश्य बहुत ही व्यापक है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर शिक्षक को प्रारम्भिक काल से ही अच्छे कार्य करने की प्रवृत्ति का निर्माण करना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में कार्य के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन होगा, उनमें अच्छे गुणों का विकास होगा तथा वह अपने व्यवसाय एवं कार्य की सही पहचान कर सकेगा।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

3. व्यवसाय और कार्य की आवश्यकता के आर्थिक पक्ष को समझाइए।

.....

.....

4. व्यवसाय और कार्य की आवश्यकता के सामाजिक पक्ष को स्पष्ट करें।

.....

.....

5. व्यवसाय के स्वरूप को समझाइए।

.....

.....

## 7.6 व्यवसाय और कार्य का महत्व

आज आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा को इस प्रकार का बनाया जाय ताकि बच्चें शिक्षा प्राप्त करके नौकरी के पीछे न भागें बल्कि अपना स्वयं का रोजगार पैदा करें। लेकिन हमारी शिक्षा की सबसे बड़ी कमजोरी यही रहीं है कि शिक्षा में कार्यानुभव नहीं करवाया जाता है। महात्मा गांधी का स्वप्न था कि शिक्षा में बालक को स्वाबलम्बी बनाया जाय। उन्होंने इस बात को लागू करने के लिए बुनियादी शिक्षा (Basic Education) चलाई। ताकि वे शिक्षा के मूल को समझे तथा अपनी झोपड़ी में भी अपना स्वयं का रोजगार चला लें। लेकिन ये तभी संभव हो पायेगा जब बालकों को विद्यालयों में इस प्रकार की शिक्षा दी जाय। वर्तमान युग कम्प्यूटर का युग है। प्रत्येक दफ्तर में तथा फैक्ट्री में मशीनों से काम हो रहा है। आज व्यक्ति हाथ से काम करने वाले को घटिया समझने लगा है। नौकरी करने वाला व्यक्ति अपने आप को काफी उच्च स्तर का समझने लगा है। इस प्रकार से समाज में इन दोनों के बीच जो मान–अपमान की खाई है वह चौड़ी होने लगी है। यह सही नहीं है। पुनः हस्त कौशल की महत्ता को पहचाना जा रहा है जिसका कोई विकल्प नहीं है।

हाथ से काम करने में बच्चों का शारीरिक विकास होगा, क्योकि केवल पढ़ने मात्र से तो उनका बौद्धिक विकास तो सम्भव है लेकिन शारीरिक नहीं। जब बच्चे हाथ से काम करेंगे तो उनका शारीरिक विकास होगा, मांसपेशियाँ सुदृढ़ होंगी। इस प्रकार हस्तकौशल छात्रों को उन्हें आत्म निर्भर बनाने में मदद करता है। जो बच्चे बचपन से ही कार्य करना सीख लेते हैं तथा उनकी सोच यदि काम करने में हो जाती है तो वे बड़े होकर दसवीं या बारहवीं कक्षा में स्टेनो या आई.टी.आई. में कोर्स करते हैं। कई बच्चें ऐसे घरानों से सम्बन्धित होते हैं जैसे– बढ़ई, मोची, पेंटर आदि वे बच्चे ऐसे काम घर पर करके घरवालों के काम में सहयोग दे सकते हैं। हाथ से काम करने की प्रवृत्ति में पारंगत बना देगी। जैसे–फूलों की खेती, कुर्सी बुनना, बढ़ई का काम करना, फोटोग्राफी का काम करना आदि। यह तभी सम्भव होगा जब उसको प्राथमिक स्तर पर कार्य अनुभव का ज्ञान करवाया गया होगा। इस प्रकार हस्तकौशल से बच्चे में सृजनात्मकता की भावना का विकास होगा।

वर्तमान 21वीं शताब्दी में सूचना एवं संचार क्रान्ति के युग में छात्र–छात्रायें अध्ययन पूरा करने के बाद यह समझ नहीं पाते कि किस क्षेत्र में व्यवसाय करें, जिससे सफल रहें। अतः इस बात की आवश्यकता है कि उन्हें किसी विद्यालय द्वारा इस बात की सहायता प्राप्त हो कि वे अध्ययनोपरान्त अपना व्यवसाय करते हुए आगे बढ़े। छात्र–छात्राओं का विद्यार्थी जीवन के बाद किसी व्यवसाय में प्रवेश का समय कठिनाई युक्त माना जाता है। जबकि व्यवसाय करते समय उन्हें अपने उत्तरदायित्वों का पालन करना पड़ता है, साथ ही समय की प्रतिवद्धता हो जाती

है। अर्थात् विद्यार्थी जीवन तथा व्यवसाय में प्रवेश के बाद वातावरण में अन्तर पाया जाता है। आज के प्रगतिशील व विशिष्टीकरण के युग में छात्र–छात्राओं को अपने लिए व्यवसाय को ढूँढ़ना कठिन हो जाता है। व्यवसाय उन्हें इस बात का ज्ञान कराती है कि आपके आशाओं के सम्बन्ध में यहाँ इस प्रकार के अवसर के द्वारा छात्र–छात्राओं को व्यवसाय/नियुक्ति उनकी योग्यता के अनुसार मिले जिससे उनका अपने व्यवसाय में ठीक तरह से समायोजन हो सके और वे अपने कार्यो को पूरी दक्षता के साथ करें जिसका अच्छा निष्पादन प्रस्तुत हो। उसके अच्छे निष्पादन का समाज पर भी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि यह माना जाता है कि किसी भी समाज के छात्र–छात्राओं के निष्पादन का समाज के आर्थिक पहलू पर सीधा प्रभाव पड़ता है। व्यवसाय जिस विद्यालय में छात्र–छात्रायें अध्ययनरत होते हैं का भी सम्मान बढ़ाते हैं। क्योकि लोग यह मानते हैं कि उसी विद्यालय के पढ़ाई व्यावसायिक निर्देशन के आधार पर ही इस छात्र को उसके आयामों के संदर्भ में व्यवसाय मिला है, जहाँ यह योजनाबद्ध तरीके से अच्छा निष्पादन प्रस्तुत करते हुए प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त है। इससे विद्यालय की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

6. हस्तकौशल का अभिप्राय स्पष्ट करें।

.....

.....

7. व्यवसाय छात्र की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है, स्पष्ट करें।

.....

.....

## 7.7 व्यवसाय और कार्य की पहचान के आधार

कार्य एवं व्यवसाय सम्बन्धी पहचान छात्र–छात्राओं के आनुवंशिक और संस्कृति, सभ्यता तथा व्यक्ति दबाव जैसे साथ रहने वाले हम उम्र के लोग, माता–पिता, घर के बड़े व्यक्ति, सामाजिक स्तर के अतिरिक्त वातावरण की क्रिया प्रतिक्रिया सम्बन्धी परिणाम होता है। अपने में विद्यमान अनुभवों के आधार पर छात्र–छात्रायें वातावरण के साथ एक विशेष तरह से व्यवहार करना सीख जाते हैं। इन्ही व्यवहारों के कारण वह ऐसे कार्य एवं व्यवसाय को करना चाहता हैं, जिसके द्वारा उसे सबसे अधिक सन्तोष प्राप्त होता है। इस कार्य हेतु वह सबसे पहले विभिन्न कार्यो एवं व्यवसायों को कुछ समूहों में बाँटता है। व्यवसाय के इन समूहों को कार्य व्यावसायिक वातावरण के रूप में उल्लेख किया जाता है। प्रत्येक व्यवसाय एवं कार्य सम्बन्धी वातावरण में एक निश्चित तरह की जीवन शैली अवश्य होती है। व्यवसाय के लिए आवश्यक गुणों के अनुसार जीवन शैली होने पर व्यक्ति को अपने कार्य में सन्तोष प्राप्त होता है और उसका व्यक्तित्व संतुलित होता है। प्रत्येक छात्र/छात्रा/व्यक्ति अपनी जीवन शैली के अनुसार उसी सन्दर्भ में अपने लिए व्यवसाय का चयन करता है। सबसे पहले छात्र/व्यक्ति अपने जीवन शैली के अनुसार मुख्य व्यावसायिक वातावरण को चुनता है। अपने संसाधनों/आयामों (मुख्यतः बुद्धि स्तर) के आधार पर वह मुख्य व्यवसाय समूह में से किसी एक व्यवसाय का चयन करता है। उपरोक्त दोनों प्रक्रियाओं के ऊपर छात्र/व्यक्ति के ज्ञान, व्यावसायिक सूचनाओं, परिवार और साथियों के परामर्श तथा उनके सामाजिक, आर्थिक स्तर आदि का प्रभाव पड़ता है। यदि किसी छात्र अथवा व्यक्ति की जीवन शैली का विकास किसी एक ही दिशा में होता है तो उसके द्वारा कार्य व्यवसाय का चयन शीघ्रता से कर लिया जाता है। लेकिन यदि जीवन शैली का विकास कई दिशाओं में या अनिश्चित होता है तो उसे व्यवसाय का चयन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। छात्र अथवा व्यक्ति की रूचियों के बीच समन्वय होने पर व्यवसाय चयन में आसानी होती है। जिनका आत्मज्ञान निश्चित और सही होता है, वे व्यवसाय को आसानी से चुन लेते हैं। आत्मज्ञान का अभाव होने पर वे व्यवसाय के दिशा और स्तर निर्धारित करने में परेशानी महसूस करते हैं। व्यवसाय निर्धारण के बारे में ठीक संज्ञान होने पर व्यवसाय का चयन

सरल होता है। व्यवसाय चयन के ऊपर कुछ बाह्य तत्वों जैसे उपलब्ध व्यवसाय, बेरोजगारी की मात्रा और उसकी स्थिति व्यवसाय को प्राप्त सामाजिक मूल्य और मान्यता का भी प्रभाव पड़ता है।

कार्य/व्यवसाय सम्बन्धी पसन्द तथा चयन के ऊपर कई तत्वों का प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये सिद्धान्त उस वक्त लागू होते हैं जहाँ पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। लेकिन यदि किसी देश में बेरोजगारी की अधिक स्थिति होती है तो वह मजबूरी में अपने पसन्द के बिना जो भी व्यवसाय मिल जाता है वह चुन लेता है।

कार्य एवं व्यवसाय की पहचान के निम्न आधार हैं–

- किसी भी समाज का प्रत्येक व्यक्ति/छात्र बौद्धिक रूचि, व्यक्तित्व और अभिक्षमता में एक दूसरे से भिन्न होता है।
- इस उपरोक्त भिन्नता के कारण छात्र–छात्राओं में अलग व्यवसायों हेतु पसन्द का विकास होता है।
- प्रत्येक व्यवसाय हेतु अलग–अलग बौद्धिक स्तर, अभिक्षमताओं एवं व्यक्तित्व सम्बन्धी गुणों की आवश्यकता होती है।
- समय और परिस्थिति के अनुसार व्यवसाय सम्बन्धी रूचियों और इच्छाओं में परिवर्तन होता रहा है।
- सुपर ने इस स्थिति को जीवन चक्र के निम्नलिखत रूप में परिवर्तित किया है–
  (क) कल्पनाएँ, सम्भाव्य पसन्द तथा व्यवसायों की वास्तविकता।
  (ख) बार–बार के प्रयास और व्यवसाय चयन का स्थायी स्तर।
- व्यवसाय सम्बन्धी जीवन की प्रगति में परिवार के सामान्य आर्थिक स्तर, व्यक्ति का बौद्धिक स्तर, रूचि, व्यक्तित्व विशेष, परिवार के अन्य सदस्यों का व्यवसाय और उपलब्ध अवसर का योगदान होता है।
- छात्र–छात्राओं को व्यवसाय सम्बन्धी निर्देशन में उसकी रूचि, अभिक्षमता, दक्षताओं की परिपक्वता और अनुभूति के बारे में बोध कराना जरूरी होता है। इसके अतिरिक्त आत्मानुभूति करा देना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है।

**काय अनुभव के आधार**– कार्य अनुभव के निम्न आधार हैं–

1. **कार्य अनुभव के दार्शनिक आधार**– इससे शिक्षा के साथ छात्र में ऐसे गुणों का विकास किया जा सकता है जो मानवतावादी समाज के निर्माण के अनुकूल होता है। इससे सहयोग सहनशीलता, समन्वय, स्वतन्त्रता सत्य एवं स्वानुशासन से गुणों का विकास होता है। महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा योजना इसी दर्शन से अनुप्राणित थी। वह चाहते थे कि शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान तक सीमित न रहकर सबके विकास में सहायक हो। भारतीय दर्शन व्यक्ति के इन्हीं गुणों पर अत्याधिक बल देता है।
2. **सामाजिक आधार**– भारत की परम्परागत शिक्षा प्रणाली पुस्तकीय ज्ञान पर केन्द्रित है। उसने शिक्षा को शारीरिक श्रम एव सामाजिक आवश्यकताओं से अलग कर दिया है। साक्षर व्यक्ति समाज के निरक्षर लोगों से श्रेष्ठ समझने लगा और शारीरिक श्रम को हेय की दृष्टि से देखने लगा। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय शिक्षा प्रणाली में ऐसे परिवर्तनों की आवश्यकता अनुभव की गई, जो स्वतन्त्र भारत की राष्ट्रीय एवं सामाजिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति कर सके। इसके लिए ईश्वर भाई पटेल समिति ने पाठ्यक्रम में कार्य अनुभव को सम्मिलित करने का सुझाव दिया, ताकि छात्रों में श्रम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो सके, छात्र सामाजिक आवश्यकताओं को समझ सके और अधिगम के साथ–साथ समाज के हित में उत्पादक या रचनात्मक कार्य कर सके। छात्रों द्वारा गाँवों में जाकर, मार्ग, निर्माण, जल निकासी प्रणाली का विकास, स्वच्छता एवं सफाई का कार्य, पशुपालन एवं कृषि की उन्नत विधियों का प्रसार एवं प्रदर्शन आदि कार्यों को सम्पन्न किया जा सकता है। इन कार्यों से छात्रों में रचनात्मक अभिरूचि के विकास के साथ–साथ सामाजिक दायित्व की भावना का विकास होगा।
3. **मनोवैज्ञानिक आधार**– उत्पादन कार्य का मनोवैज्ञानिक आधार यह है कि बालक सक्रिय होकर

सीखने के सिद्धान्त द्वारा शिक्षा ग्रहण करे। कार्य से बालक को ऐसे अनेक अवसर मिलते हैं जिससे उनका मानसिक एवं संवेगात्मक विकास होता है। इससे शिक्षण अधिगम प्रभावी होता हैं, तथा सिद्धान्त और व्यवहार के मध्य सम्बन्ध स्थापित होता है। कार्य करने से बालक में कौशल का विकास होता है। उसमें उत्सुकता और जिज्ञासा बढती है, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है और उसका समाधान होता है और शक्ति को रचनात्मक कार्य की ओर प्रवृत्त करने का अवसर मिलता है।

4. **आर्थिक आधार**– बालक शिक्षा पर परिवार एवं सरकार द्वारा भारी मात्रा में निवेश किया जाता है। अर्थात शिक्षा प्रदान करने में समाज का किसी न किसी रूप में आर्थिक योगदान होता है। समाज द्वारा अदा किये गये कर, दान तथा अन्य सहायता आदि से ही विद्यालय भवन निर्माण, साज–सज्जा तथा शिक्षकों के वेतन आदि की व्यवस्था की जाती है। अतः छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी गतिविधियों के माध्यम से समाज के इस आर्थिक सहयोग का कुछ प्रतिपादन करे। समाज के लिए मार्ग–निर्माण, वृक्षारोपण, निरक्षरों को शिक्षित कर, हस्तशिल्प द्वारा समाज के उपयोगी वस्तुओं का निर्माण कर वे समाज के उपर्युक्त ऋण से उऋण हो सकता है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से कार्य करके छात्र अधिगम के साथ–साथ धनार्जन भी कर सकते हैं।

कोई भी विद्यार्थी कार्य अनुभव के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। अतः कार्य की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं–

- कार्य उत्पादन के लिए एक नया आयाम विकसित करता है।
- श्रम के महत्ता को विकसित करता है। काम के प्रति आदर की भावना का विकास होता है।
- बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहायक है।
- भावी जीवन की तैयारी में काफी मदद करता है।
- बौद्धिक कार्य तथा शारीरिक श्रम की खाई को पाटने का कार्य करता है।
- स्वावलम्बी बनने का सबसे महत्वपूर्ण कारक है।
- हाथ से कार्य करने में बच्चों की कार्य करने की झिझक दूर होती है।
- कार्य करके कोई छात्र/व्यक्ति अपने भावी जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है।
- आर्थिक विकास करके बच्चे उन्नतशील बनते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में यह कहा जा सकता है कि कार्य शिक्षा काफी आवश्यक है अतः कार्यानुभव को बाल उपयोगी बनाया जाना चाहिए।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

8. ईश्वर भाई पटेल समिति ने कार्यानुभव को किस प्रकार परिभाषित किया है?

.....

.....

9. कार्यानुभव के आर्थिक आधारों को समझाइये।

.....

.....

## 7.8 सारांश

व्यवसाय को सामान्य अर्थ में किसी व्यक्ति द्वारा अपनाये गये जीविकोपार्जन की विधि से लिया जाता है। जब एक विशेष व्यवसाय के लिए विशिष्ट अपेक्षाओं का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है तब वह उस व्यवसाय का स्वाभाविक विश्लेषण या पहचान कहलाता है। चूँकि व्यवसाय की प्रकृति परिवर्तनशील है, इसलिए कोई भी व्यवसाय की पहचान निश्चित समय और निश्चित परिस्थितियों में ही पूर्ण हो सकता है।

किसी व्यवसाय की पहचान करते समय मनोवैज्ञानिक तथ्यों का यथासम्भव वस्तुगत वर्णन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उस व्यवसाय के भौतिक एवं आर्थिक पक्षों के अध्ययन पर ध्यान देना आवश्यक है। व्यवसाय पहचान की प्रारम्भिक अवस्था उसकी प्रकृति के निर्धारण पर निर्भर करती है। कार्य की विशेषताओं के सम्बन्ध में प्रस्तुत व्यवसाय में लगे हुए पूर्व के व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

व्यवसाय एवं कार्य की पहचान क्षेत्र विस्तार की सीमा के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कार्य का विश्लेषण व्यावसायिक विश्लेषण का ही अंग है। जहाँ तक अध्ययन की पद्धति एवं कार्य विधि का प्रश्न है, दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। किसी कार्य की पहचान में तीन प्रमुख बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। जैसे– 1. कार्य का सही एवं पूर्ण परिचय प्राप्त करना, 2. कार्य से सम्बन्धित सभी कार्यों का ठीक–ठीक वर्णन, 3. कार्य से अपेक्षाएँ। अतः छात्र/छात्राएँ, व्यक्ति वह चाहे जिस क्षेत्र से सम्बन्धित हो, उनके लिए यह आवश्यक है कि वे अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई न कोई व्यवसाय करें। यह तभी संभव है जब छात्र–छात्राओं को उनके विभिन्न आयामों के संदर्भ में उसे व्यवसाय मिल जाये।

## 7.9 अभ्यास के प्रश्न

1. व्यवसाय और कार्य की प्रकृति स्पष्ट कीजिए तथा इसकी आवश्यकता का भी वर्णन कीजिए।
2. व्यवसाय और कार्य के पहचान के आधारों की व्याख्या कीजिए।

## 7.10 चर्चा के बिन्दु

1. कार्य एवं व्यवसाय के स्वरूपों पर चर्चा कीजिए।
2. व्यवसाय और कार्य के महत्व की चर्चा कीजिए।

## 7.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

(1) कार्य के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं–

- बच्चों में क्रियात्मक कार्यों के प्रति रूचि पैदा करना।
- बच्चों में ज्ञानात्मकता की वृद्धि करना।
- हाथ से काम करने की भावना का विकास करना।
- आत्म निर्भरता, सहनशीलता तथा व्यवहारिकता जैसे गुणों का विकास करना।

(2) व्यावसायिक शिक्षा का प्रमुख अभिप्राय यह है कि अध्ययन के उपरान्त विद्यार्थी अपने जीवन–यापन हेतु कोई न कोई व्यवसाय करें। जिसके लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी जो भी व्यवसाय करे उसमें वह अपने संसाधनों को क्षमता तथा रूचि के आधार पर ऐसे व्यवसाय का चुनाव करे जिसमें समायोजित रहते हुए अपने कार्य का कुशलता के साथ सम्पादन कर सके।

(3) व्यवसाय का आर्थिक पक्ष इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह व्यक्ति को कार्य विशेष की ओर आकर्षित करता है।

(4) पर्यावरण के प्रति जागरूकता तथा समाज के लिए अपनत्व, उत्तरदायित्व तथा समर्पण की भावना का विकास करना।

(5) व्यवसाय निरन्तर चलने वाला प्रक्रम है, इसमें समय–समय पर कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए कोई भी व्यवसाय पूर्ण और अन्तिम नहीं हो सकता। इसलिए व्यवसाय के स्वरूप, दशाएँ, वेतन का आधार, प्रगति के अवसर, व्यवसाय में लगे कर्मचारियों इत्यादि के स्वरूप को जानना आवश्यक है।

(6) हाथ से काम करने से बच्चों में शारीरिक विकास के साथ मांसपेशियाँ सुदृढ़ होगी इस प्रकार हस्त कौशल छात्रों को आत्म निर्भर बनाने में सहायता प्रदान करता हैं।

(7) व्यवसाय के अच्छे निष्पादन से समाज पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि किसी भी समाज के आर्थिक पहलू पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है।

(8) ईश्वर भाई पटेल समिति ने पाठ्यक्रम में कार्य अनुभव को सम्मिलित करने का सुझाव दिया है।

(9) बच्चे की शिक्षा पर परिवार एवं सरकार द्वारा भारी मात्रा में निवेश किया जाता है। शिक्षा प्रदान करने में समाज का किसी न किसी रूप में योगदान होता है। जैसे– समाज द्वारा अदा किये गये कर, दान, तथा अन्य सहायता मुख्य है।

## 7.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें


1. पटनायक, के. पी. 2008, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।
2. वर्मा, आर. पी. एवं उपाध्याय, आर. बी., 1996, शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन, बिनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।

# इकाई– 8 : व्यवसाय एवं कार्य का चयन

## इकाई की संरचना


8.1 प्रस्तावना

8.2 इकाई के उद्देश्य

8.3 व्यवसाय और कार्य का चयन

8.4 व्यासाय और कार्य चयन के लाभ

8.4.1 वैयक्तिक समायोजन

8.4.2 चयन में आर्थिक कारक

8.4.3 श्रम परिवर्तन के मूल्य

8.5 व्यवसाय एवं कार्य चयन की विशेषताऐं

8.6 व्यवसाय चयन के सिद्धान्त

8.6.1 व्यवसाय चयन हेतु एली जिन्जवर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त

8.6.2 व्यवसाय चयन से सम्बन्धित सुपर का सिद्धान्त

8.6.3 हालैण्ड के व्यवसाय चयन का सिद्धान्त

8.6.4 व्यावसायिक चयन का हैवीघर्स्ट का सिद्धान्त

8.6.5 संरचनात्मक सिद्धान्त

8.7 व्यवसाय एवं कार्य चयन के समय विचारणीय तथ्य

8.8 सारांश

8.9 अभ्यास के प्रश्न

8.10 चर्चा के बिन्दु

8.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

8.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें


## 8.1 प्रस्तावना

कोई भी व्यवसाय अथवा कार्य अपने कुछ विशिष्ट विशेषताओं से युक्त होता है। व्यक्ति किस व्यवसाय में कितना अच्छा कर सकता है इसके लिए यह आवश्यक है कि वह उचित व्यवसाय का चयन सोच समझ कर करे। चयन के सिद्धान्त क्या हो, चयन से क्या लाभ है? तथा उसकी विशेषताएँ क्या हैं? इन सभी तथ्यों के सन्दर्भ में प्रस्तुत इकाई में प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।

## 8.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

1. व्यवसाय एवं कार्य का चयन के सम्प्रत्यय को बता सकेंगे।
2. व्यवसाय एवं कार्य चयन से लाभ का वर्णन कर सकेंगे।
3. व्यवसाय एवं कार्य चयन की विशेषताएँ बता सकेंगे।
4. व्यवसाय चयन के प्रमुख सिद्धान्तों को बता सकेंगे।

5. व्यवसाय एवं कार्य चयन में विचारणीय तथ्यों को जान सकेंगे।
6. आवश्यकाताओं की पूर्ति में कार्य के महत्वपूर्ण भूमिका से परिचित हो सकेंगे।
7. ज्ञान तथा व्यवहार में कुशलता को समझा सकेंगे।
8. दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में कार्य के महत्व से परिचित हो सकेंगे।

## 8.3 व्यवसाय और कार्य का चयन

व्यावसायिक चयन का अभिप्राय किसी धन्धे, व्यापार या व्यवसाय विशेष के विश्लेषण से है। इसमें व्यवसाय से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों तथा अन्य अनेक सम्बन्धित विषयों का वर्णन किया जाता है। व्यावसायिक विश्लेषण व्यवसाय के अनेक कार्य क्षेत्रों को समाहित कर सकता है, जैसे– कानून से सम्बन्धित धन्धे का उल्लेख किया जा सकता है, जिसके अन्तर्गत दीवानी, फौजदारी, रेवेन्यू आदि अनेक कार्यों को सम्मिलित किया जा सकता है। अतः प्रत्येक कार्य क्षेत्र में अनेक कार्य हो सकते हैं। व्यावसायिक विश्लेषण कार्य, क्षेत्रीय विश्लेषण एवं कार्य विश्लेषण में क्षेत्र विस्तार की मात्रा में अन्तर देखा जा सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि इनमें वृक्ष और शाखाओं का सम्बन्ध है, शाखाओं का अध्ययन करने के लिए वृक्ष को नहीं छोड़ा जा सकता है, और न वृक्ष का अध्ययन बिना शाखाओं के अध्ययन से पूर्ण हो सकता है। कार्य का विश्लेषण व्यावसायिक विश्लेषण का ही अंग है। दोनों में कोई विशेष भिन्नता नहीं है। जे0डी0 हैकेट के अनुसार ''कार्य के आधारभूर तत्वों एवं उसकी सफल कार्यान्विति के लिए श्रमिकों के लिए अपेक्षित गुणों का निर्धारण कार्य विश्लेषण के अन्तर्गत आता है।'' संयुक्त राज्य अमेरिका के ''वार मैन पावर कमीशन'' के अनुसार कार्य का विश्लेषण किसी कार्य की प्रकृति के बारे में निरीक्षण और अध्ययन द्वारा सम्बद्ध सूचना को पुष्ट करने एवं सूचित करने का प्रक्रम है। यह कृत्य के लिए वांछित कौशल, ज्ञान योग्यताओं तथा सफल श्रमिक के लिए आवश्यक उत्तरदायित्वों को निर्धारित करने वाले एवं कार्यों को अन्य कार्यों से भिन्न कार्य के विश्लेषण या चयन में तीन प्रमुख बातों पर ध्यान देना आवश्यक है– 1. कार्य का पूर्ण एवं सही परिचय प्राप्त करना, 2. कार्य से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यों का ठीक–ठीक वर्णन, 3. सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए श्रमिक में कौन–कौन से गुण अपेक्षित हैं। इसके अतिरिक्त शारीरिक एवं मानसिक दक्षतोओं का होना भी आवश्यक है।

रेडफील्ड ने व्यवसाय चयन के विषय में ऐसा उल्लेख किया है कि ''जिस तरह हम अपने कारखाने में कोई मशीन लगाने से पूर्व उसके कार्यों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, ठीक उसी प्रकार किसी भी कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने से पूर्व उसे अच्छी तरह से समझ लेना आवश्यक है। अतः व्यावसायिक चयन का तात्पर्य किसी व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य, लिंग इत्यादि के अतिरिक्त उसकी कार्य, योग्यता तथा उपयुक्तता से सम्बन्धित है।

औद्योगिक क्षेत्र में 'व्यवसाय चयन' एक महत्वपूर्ण विषय है। व्यक्ति के साथ–साथ उद्योग समाज और राष्ट्रीयता की भावना से भी इसका महत्व सर्वोपरि है। भारत में इस विषय पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता रहा है। संभवतः यही कारण है कि हमारी औद्योगिक उन्नति समुचित रूप से नहीं हो पा रही है। व्यवसायिक चयन की विधि के द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारियों का सदा आर्थिक रूप से लाभ मिलता है। उद्योग में असमायोजन के कारण जो व्यय होता है उसे रोका जा सकता है। अयोग्य कर्मचारियों के कारण उत्पादन पर लागत अधिक आती है। अतः स्वाभाविक है कि बाजार में अन्न उत्पादन की तुलना में मँहगा पड़ता है। जिसे बेचने के उद्देश्य से उत्पादनकर्ता को वस्तु की कीमत घटानी पड़ती है। इस प्रकार की आर्थिक हानि को व्यवसाय चयन की प्रक्रिया के माध्यम से रोका जा सकता है। अतः किसी उद्योग में वैयक्तिक क्षमता और समायोजन हेतु कर्मचारी का उसकी योग्यता, क्षमता और रूचि के अनुसार कार्य विशेष के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया को ही व्यावसायिक चयन कहा जाता है।

## 8.4 व्यवसाय और कार्य चयन के लाभ

कोई जब अपने व्यवसाय का चयन करता है या दूसरों को व्यवसाय चयन में सहायता करता है तो उसे कई बिन्दुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। बिना इन बिन्दुओं को ध्यान दिये यदि वह व्यवसाय का चयन कर लिया तो उसका निष्पादन निश्चित रूप से प्रभावित होगा। अतः आवश्यक है कि व्यवसाय चयन से पूर्व आवश्यक बिन्दुओं के विषय में जानकारी प्राप्त करने के पश्चात किसी व्यवसाय चयन का निर्धारण करना चाहिए जिससे विभिन्न संसाधनों का सदुपयोग कर उसे उपयोगी एवं लाभदायक बनाया जा सके। व्यवसाय चयन के लाभ को निम्नलिखित सन्दर्भों के माध्यम से व्याख्यायित किया जा सकता है।

### 8.4.1 वैयक्तिक समायोजन

व्यवसाय में योग्य एवं कुशल श्रमिक के अन्य साथी जब उपयुक्त होगें तो यह स्वाभाविक है कि उनका समायोजन बढ़ जायेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने कार्य में दक्ष व्यक्ति शीघ्र ही समायोजित हो जाते हैं। कार्य के लिए अनुपयुक्त व्यक्ति का चयन औद्योगिक अव्यवस्था को जन्म देगी। ऐसे व्यक्ति कार्य व्यवस्था में असमायोजित तो होंगे ही साथ ही अनेक समस्याओं को बढ़ावा देंगे। जिसके परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन प्रभावित होगा तथा आमदनी और लाभ के मध्य विकृति पैदा होगी। अतः कार्य क्षमता और समायोजन के लिए उचित कर्मचारी का चयन करना आवश्यक है।

### 8.4.2 चयन में आर्थिक कारक

उचित व्यवसाय में दक्ष कर्मचारियों का चयन उत्पादन वृद्धि का मुख्य कारक है। वहीं अयोग्य कर्मचारी के चयन से उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। जिससे उत्पादन मँहगा होगा और अन्त में उपभोक्ता को अधिक मूल्य का भुगतान करना पड़ता है। अयोग्य कर्मचारियों का चयन उद्योग की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करने के साथ ही दुर्घटनाओं का कारण बनती है।

### 8.4.3 श्रम परिवर्तन के मूल्य

उचित कर्मचारी का चयन व्यवसाय लाभ का प्रमुख कारक है, क्योंकि वह अपने कार्य को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए उसका बखूबी निर्वहन करेगा और काम को छोड़कर इधर–उधर भागने का प्रयत्न नहीं करेगा। यह निश्चित है कि स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति उद्योग को आर्थिक हानि पहुँचाती है। कर्मचारी के स्थान पर जब दूसरे कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है तो उस पर जो धनराशि खर्च होती है तो उसे श्रम परिवर्तन का मूल्य कहा जाता है। इस प्रकार श्रम परिवर्तन का प्रभाव उद्योग के साथ–साथ समाज पर भी पड़ता है।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. व्यवसाय चयन के प्रमुख लाभ के विषय में आप क्या जानते हैं?

   .....

   .....

2. श्रम परिवर्तन के मूल्य को समझाइये।

   .....

   .....

## 8.5 व्यवसाय एवं कार्य चयन की विशेषताएँ

सामान्यतः किसी कार्य के अनुसार शारीरिक दक्षता की उपयुक्तता पर ध्यान देना आवश्यक है। इसके अन्तर्गत शारीरिक अवस्था, हाथ–पैर, लम्बाई, भार इत्यादि विशेषताओं को महत्वपूर्ण समझा जाता है। किसी विशिष्ट कार्य हेतु योग्य व्यक्तियों का चयन करते समय निम्नलिखित चार विशेषताओं का परीक्षण करना उपयुक्त होगा– 1. प्रवीणता, 2. कुशलता, 3. स्वभाव एवं चरित्र तथा 4. अभिरूचि मुख्य हैं।

1. **प्रवीणता**– किसी व्यक्ति का 'उस कार्य में पूर्व परिपक्व ज्ञान उस व्यक्ति की प्रवीणता तो परिलक्षित करती है। प्रवीणता का ज्ञान किसी व्यवसाय के चयन की मनोवैज्ञानिक विधि का प्रथम कदम है।

2. **कुशलता**– कुशलता का अर्थ कार्य को सीखने के लिए व्यक्ति विशेष की सामान्य शक्ति से होता है। हज ने इसे परिभाषित करते हुए यह उल्लेख किया है कि– ''कुशलता किसी व्यक्ति विशेष की वह सामान्य

शक्ति है जिससे वह नौकरी में सफल होने के लिए आवश्यक ज्ञान और चातुर्य सीख सके।''

व्यावसायिक सफलता और असफलता के लिए व्यक्ति में एक विशेष प्रकार की क्षमता निहित रहती है। इसको क्षमता एकत्रित करने का सामर्थ्य, योग्यता, गुण, रूझान, बुद्धि और सामान्य बुद्धि भी कहते हैं। अतः कुशलता का अर्थ ''मनुष्य की वह शक्ति जिससे वह अपना प्रशिक्षण पूरा करे और अपने कार्य में पूर्ण रूपेण दक्षता प्राप्त कर सके।'' उपरोक्त के अनुसार इसके दो पक्ष, प्रथम सामान्य बुद्धि शक्ति, तथा द्वितीय उस व्यवसाय के लिए पाये जाने वाले विशेष गुण होंगे।

**सामान्य बुद्धि**– काउडरी के मतानुसार सामान्य बुद्धि व्यवसाय की सफलता में सहायक है। विभिन्न व्यवसायों के लिए सामान्य बुद्धि के स्तर निश्चित किये गये। सर्वेक्षणों से यह प्रमाणित किया गया है कि किसी उद्योग में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए उस कार्य के अनुसार एक निश्चित मात्रा में सामान्य बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। कुछ विद्वानों की ऐसी धारणा है कि व्यवसायों में निपुणता प्राप्त करने के लिए सामान्य बुद्धि का होना बहुत आवश्यक नहीं है।

3. **स्वभाव और चरित्र**– किसी व्यवसाय में व्यक्ति की सफलता उसके चरित्र, स्वभाव एवं उसके प्रकृति पर निर्भर करती है। साइमण्ड्स तथा फौइस्टर जैसे विद्वानों ने उपर्युक्त के सन्दर्भ में यह मत व्यक्त किया है कि स्वभाव, चरित्र, तथा ईमानदारी इत्यादि ऐसे गुण हैं जिनका व्यवसाय चयन में बहुत बड़ा योगदान है। इसके अतिरिक्त, फ्रेश्मर, लेयर्ड तथा माडरा जैसे विद्वानों ने व्यवसाय चयन हेतु विशेष गुणों के मापन में व्यक्तित्व से सम्बन्धित अपने महत्वपूर्ण अध्ययन को प्रस्तुत किया है।

4. **अभिरूचि**– व्यवसाय चयन के पश्चात् उसकी उपयुक्त सफलता के अनुसार कार्य में नियुक्त कर्मचारी अधिक से अधिक आय अर्जित कर सकता है। अतः चयन से पूर्व अभिरूचि का परीक्षण अत्यन्त आवश्यक है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मनुष्य की शक्ति का स्रोत जिसमें उसकी प्रवृत्ति 'कार्य', कारखाने या उद्योग की ओर होती है तथा किसी कार्य को करने की उसमें हार्दिक भावना का बोध होता है। यहाँ यह भी विचारणीय प्रश्न है कि यदि किसी व्यक्ति या कर्मचारी में कार्य करने की क्षमता अधिक हो तो यह जरूरी नहीं है कि उस कार्य को करने में उसकी अभिरूचि हो। अतः व्यवसाय चयन के पूर्व व्यक्ति की अभिरूचि का परीक्षण अत्यन्त आवश्यक है।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

3. व्यवसाय चयन के प्रमुख विशेषताओं के बारे में समझाइये?

.....

.....

4. कार्य कुशलता किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

## 8.6 व्यवसाय चयन के सिद्धान्त

व्यवसाय चयन के पूर्व कुछ प्रचलित सिद्धान्तों का अनुसरण आवश्यक है, क्योंकि व्यवसाय चयन सिद्धान्त के पीछे यह तथ्य रहा है कि व्यावसायिक विकास एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। एली जिन्जबर्ग के अनुसार 'व्यवसाय चयन एक प्रक्रिया है।'

### 8.6.1 व्यवसाय चयन हेतु एली जिन्जबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त

1951 ई0 में व्यवसाय चयन के सिद्धान्त से सम्बन्धित अध्ययन के आधार पर जिन्जबर्ग ने अपने मत का प्रतिपादन करते हुए उसे निम्नलिखित तीन स्तरों में विभक्त किया है– 1. कल्पनाएँ, 2. सम्भाव्य एवं 3. वास्तविक चयन।

व्यावसायिक चयन हेतु इस बात की जानकारी रखना आवश्यक है कि जिसे हम निर्देशन देने जा रहे हैं, वह व्यावसायिक विकास के किस स्तर का है। उसके अनुसार व्यावसायिक विकास की प्रक्रिया बालक के जन्म से लेकर जीवनपर्यन्त चलती रहती है। व्यावसायिक विकास सम्बन्धी अध्ययन सात वर्ष की आयु से प्रारम्भ होता है। कल्पनात्मक अवस्था का विकास प्रारम्भ से ग्यारह वर्ष माना जाता है। ग्यारह से सत्रह वर्ष की आयु सम्भाव्य चयन की आयु मानी जाती है जबकि सत्रह वर्ष से ऊपर की आयु वास्तविक चयन के लिए उपयुक्त है। जिन्जबर्ग ने व्यवसाय चयन के सम्भाव्य स्तर को 3 उपकालों में विभक्त किया है। जिसका वर्णन निम्नलिखित है–

**प्रथम उप–काल** : इसे अभिरूचि स्तर के नाम से भी जाना जाता है, किशोरावस्था के बालक अपनी रूचियों का विकास करते हैं।

**द्वितीय उप–काल** : इस उप–काल को क्षमता स्तर के नाम से भी जाना जाता है।

**तृतीय उप–काल** : इस स्तर पर बालक अपने मूल्यों के सम्बन्ध में अध्ययन करता है। विकास के इस सिद्धान्त को जिन्जबर्ग ने पुनः तीन उप–कालों में विभक्त किया है–

**i. खोज का स्तर**– इस स्तर पर छात्र–छात्राएँ सर्वप्रथम व्यवसाय की खोज करते हैं।

**ii. निश्चयात्मक स्तर**– इस स्तर पर वह अपने पसन्द का चुनाव करता है।

**iii. विशिष्टोकरण स्तर**– इस चरण तक आते–आते वह व्यवसायों के एक विशिष्ट समूह को ग्रहण करता है।

**जिन्जबर्ग द्वारा प्रतिपादित व्यवसाय चयन सम्बन्धी सिद्धान्त की आलोचना**– जिन्जबर्ग के सिद्धान्त सुपर की आलोचना का शिकार हुआ। सुपर ने व्यवसाय चयन और व्यावसायिक विकास के लिए निम्नलिखित तर्क को प्रस्तुत किया है–

i. सुपर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में योग्यता, रूचि तथा व्यक्तित्व की दृष्टि से भिन्नताओं का होना आवश्यक है।

ii. उपर्युक्त भिन्नताओं के परिणामस्वरूप ही विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न–भिन्न व्यवसायों के प्रति रूचियों का विकास होता है।

iii. सुपर ने यह भी सुझाव दिया है कि समय तथा कार्यानुभव के साथ–साथ व्यक्ति की रूचियों तथा व्यावसायिक साधनों में भी परिवर्तन आते रहते हैं। इन परिस्थितियों में प्रत्येक व्यवसाय भिन्न–भिन्न योग्यताओं, व्यक्तित्व सम्बन्ध विशेषताओं तथा कुशलताओं की अपेक्षा रखता है।

### 8.6.2 व्यवसाय चयन से सम्बन्धित सुपर का सिद्धान्त

डोनाल्ड ई0 सुपर ने व्यावसायिक चयन के अपने सिद्धान्त को निम्नलिखित आयु वर्गों ने बाँटकर अपने अध्ययन को प्रस्तुत किया है–

**(i) वृद्धि**– इस वर्ग को 15 वर्ष की आयु तक निर्धारित करते हुए इसे निम्नलिखित तीन अवस्थाओं में विभक्त किया है–

**(क)** 4–10 वर्ष की आयु (कल्पनात्मक अवस्था)

**(ख)** 11–12 वर्ष की आयु (रूचि अवस्था)

**(ग)** 13–15 वर्ष के मध्य आयु (क्षमता अवस्था)

**(ii) अन्वेषण**– सुपर ने इस अवस्था को 15 से 24 वर्ष के मध्य निर्धारित करते हुए इसे भी निम्नलिखित तीन अवस्थाओं में विभक्त किया है–

**(क)** सम्भाव्य अवस्था (15 से 17 वर्ष के मध्य)

**(ख)** संक्रमण अवस्था (18 से 21 वर्ष के मध्य)

**(ग)** प्रयास अवस्था (22 से 24 वर्ष के मध्य)

**(iii) स्थापना**– इस अवस्था को 25 से 40 वर्ष के मध्य निर्धारित करते हुए इसे भी दो चरणों में विभक्त किया है।

**(क)** प्रयास अवस्था (25 से 30 वर्ष के मध्य)

**(ख)** स्थायित्व अवस्था (31 से 40 वर्ष के मध्य)

**(iv) व्यवस्थापन**– इस अवस्था को 45 से 64 वर्ष के मध्य तक निर्धारित किया गया है।

**(v) पतन**– 65 वर्ष के उपरान्त की अवस्था को इस श्रेणी के अन्तर्गत रखा गया है।

अतः सुपर ने जिन्जबर्ग द्वारा प्रतिपादित व्यवसाय से सम्बन्धित सिद्धान्त के विपरीत निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किया है–

- समाज में प्रत्येक सदस्य, छात्र/छात्रा तथा व्यक्ति का बौद्धिक स्तर, रूचि, व्यक्तित्व और अभिरूचि एक दूसरे से भिन्न होती है।
- उपरोक्त विभिन्नताओं के परिणामस्वरूप छात्र/छात्राओं में अलग–अलग व्यावसायिक पसन्द होगी।
- प्रत्येक व्यवसाय में अलग–अलग बौद्धिक स्तर, रूचि अभिक्षमताओं एवं व्यक्तित्व सम्बन्धी गुणों की अपेक्षा की जाती है।
- समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप व्यवसाय सम्बन्धी रूझानों रूचियों तथा इच्छाओं में परिवर्तन होता रहता है।
- सुपर ने इस प्रकार के चक्रीय सिद्धान्त को निम्नलिखित रूप में व्याख्यायित किया है–

(अ) कल्पना, सम्भाव्य, पसन्द तथा व्यवसाय की वास्तविकता खोज।

(ब) बार–बार प्रयास और व्यवसाय चयन का स्थायी स्तर।

- सुपर ने व्यवसाय की प्रगति में परिवार के सामाजिक, आर्थिक स्तर, व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता, रूचि तथा व्यक्तित्व को उत्तरदायी कारक के रूप में स्वीकार किया है।
- छात्र/छात्राओं को व्यवसाय से सम्बन्धित निर्देशन में उनकी बौद्धिक क्षमता, रूचि, दक्षता और परिपक्वता का बोध जरूरी है।
- छात्र/छात्रा, व्यक्ति अपने जीवन के कार्य से कितना सन्तुष्ट हैं, वह इस बात पर निर्भर करती है कि वह उस व्यवसाय (जिसमें कार्यरत है) में अपनी व्यक्तिगत रूचियों का कितना उपयोग करता है।

## बोध प्रश्न

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

5. रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिये

(i) सुपर के अनुसार समय और परिस्थिति के अनुरूप व्यवसाय सम्बन्धी रूझान.....

होता है।

(ii) सुपर ने प्रतिपादित व्यावसायिक चयन में वृद्धि वर्ग को..... की आयु तक निर्धारित किया है।

### 8.6.3 हालैण्ड के व्यासाय चयन का सिद्धान्त

जार्ज हालैण्ड ने सुपर और जिन्जबर्ग द्वारा प्रतिपादित व्यावसायिक चयन के सिद्धान्तों की आलोचना करते हुए यह मत व्यक्त किया है कि उपर्युक्त विद्वानों के मतानुसार व्यवसाय चयन के बारे में कोई निर्णय लेना कठिन है। अतः हालैण्ड ने 1949 ई0 में व्यवसाय चयन से सम्बन्धित अपने मत का प्रतिपादन प्रस्तुत किया।

हालैण्ड ने व्यवसाय से सम्बन्धित चयन में छात्र–छात्राओं के आनुवांशिक, संस्कृति, सभ्यता, व्यक्तिगत दबाव जैसे– सहपाठी हम उम्र के लोग, माता–पिता, सामाजिक स्तर के अलावा वातावरण की क्रिया प्रतिक्रिया सम्बन्धी कारकों को उत्तरदायी माना है। उसके अनुसार अपने में स्वतः विद्यमान अनुभवों के आधार पर छात्र/छात्राएँ वर्तमान परिवेश के साथ एक विशेष तरह से व्यवहार करना सीख जाते हैं। इन्हीं व्यवहारों के कारण वह ऐसे व्यवसाय का चयन करता है, जिसके द्वारा उसे आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। इस कार्य हेतु वह विभिन्न व्यवसायों को कुछ समूहों में विभक्त करता है। व्यवसाय के इन समूहों को हालैण्ड ने व्यावसायिक वातावरण के रूप में उल्लेख किया है। हालैण्ड ने इस प्रकार के छः व्यावसायिक वातावरण का प्रतिपादन किया है। जैसे– बौद्धिक वातावरण के अन्तर्गत, चिकित्सक रसायनशास्त्री, गणितज्ञ तथा शरीर शास्त्री, तथा सौन्दर्यात्मक वातावरण के अन्तर्गत, कलाकार, कवि, लेखक तथा मूर्तिकार आते हैं। हालैण्ड के अनुसार प्रत्येक व्यवसाय सम्बन्धी वातावरण में एक निश्चित प्रकार की जीवन शैली आवश्यक है। व्यवसाय के लिए जरूरी गुणों के अनुसार जीवन शैली की उपलब्धता पर व्यक्ति को अपने कार्य से सन्तुष्टि प्राप्त होती है और सन्तुलित व्यक्तित्व से ओत–प्रोत होगा। अतः प्रत्येक छात्र/छात्रा/व्यक्ति अपनी जीवन शैली के अनुसार उसी सन्दर्भ में अपने व्यवसाय का चयन करता है।

उपर्युक्त तथ्यों के सन्दर्भ में हालैण्ड ने व्यवसाय चयन हेतु निम्नलिखित प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है–

(i) सर्वप्रथम छात्र/छात्रा/व्यक्ति अपनी जीवन शैली के अनुसार व्यवसाय का चुनाव करता है।

(ii) अपने संसाधनों/आयामों (मुख्यतः बौद्धिक स्तर) के आधार पर वह मुख्य व्यवसाय समूह में से किसी एक व्यवसाय का चयन करता है।

(iii) उपर्युक्त प्रक्रियाओं के अतिरिक्त, व्यक्ति का ज्ञान व्यावसायिक सूचना, परिवार और मित्रों का परामर्श तथा उनके सामाजिक आर्थिक स्तर आदि का भी प्रभाव प्रड़ता है।

(iv) हालैण्ड के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के जीवन शैली का विकास किसी एक ही दिशा में होता है तो उसके द्वारा व्यवसाय का चयन शीघ्रता से कर लिया जाता है।

(v) वहीं अगर उसकी जीवन शैली का विकास कई दिशाओं या अनिश्चितता से युक्त होता है तो उसे व्यवसाय चयन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

(vi) रूचि के समन्वय होने पर व्यवसाय चयन सरल होता है।

(vii) निश्चित आत्मज्ञान व्यवसाय चयन को आसान बनाता है।

(viii) आत्मज्ञान का अभाव व्यवसाय के दिशा तथा स्तर निर्धारण में परेशानी का कारण बनता है।

(ix) व्यवसाय निर्धारण के उचित ज्ञान से चयन आसान होता है।

(x) उम्र का प्रभाव व्यवसाय चयन को प्रभावित करता है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति के व्यवसाय सम्बन्धी रूचि तथा चयन के ऊपर कई कारकों का प्रभाव पड़ता है। लेकिन जहाँ बेरोजगारी की समस्या है वहाँ मजबूरी में अपनी पसन्द के बिना जो भी व्यवसाय मिलता है उसे व्यक्ति चुन लेता है।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

6. रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए–

(i) हालैण्ड ने व्यावसायिक चयन सम्बन्धी अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन.....में किया था

(ii) हालैण्ड के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन शैली के अनुसार.....को चुनता है।

(iii) एक पक्षीय जीवन शैली.....शीघ्रता से कर लिया जाता है।

(iv) अनेक दिशाओं में जीवन शैली का विकास.....कठिनाईयों को जन्म देती है।

(v) व्यवसाय समूहों के अन्तर्गत हालैण्ड ने..... वातावरण का वर्णन किया है।

(vi) हालैण्ड द्वारा व्यवसाय चयन में.....उप कल्पनाओं की चर्चा की है।

### 8.6.4 व्यावसायिक चयन का हैवीघर्स्ट का सिद्धान्त

व्यवसाय चयन के सम्बन्ध में राबर्ट हैवीघर्स्ट ने अपने मत का प्रतिपादन करते हुए व्यावसायिक विकास के निम्नलिखित अवस्थाओं का उल्लेख किया है–

**(i) व्यवसाय पहचान की अवस्था**– इस अवस्था की आयु को 5 से 10 वर्ष के मध्य निर्धारित करते हुए हैवीघर्स्ट ने यह सुझाव प्रस्तुत किया है कि इस अवस्था में बालक अपने परिवार के सम्पर्क में रहता है। अतः यह स्वाभाविक है कि वह अपने परिवार विशेषकर पिता की भूमिका का अनुसरण करने लगता है।

**(ii) उपार्जन अवस्था**– इस अवस्था को 10 से 15 वर्ष के मध्य निधारित करते हुए हैवीधर्स्ट ने यह मत प्रतिपादित किया है कि इस अवस्था में बालक उन सभी गुणों एवं योग्यताओं को ग्रहण करने में संलग्न रहता है, जिसके आधार पर वह सफल होने का स्वप्न देखता है। दायित्वों के निर्वहन में इस अवस्था को महत्वपूर्ण मानते हुए यह उल्लेख किया है कि इस अवस्था में बालक के अन्तर्गत कार्य के प्रति धारणा का विकास हो जाता है। उपर्युक्त संन्दर्भित तथ्य विद्यालय तथा धर के कार्यो से सम्बन्धित परिप्रेक्ष्य में वर्जित है।

**(iii) व्यावसायिक अवस्था**– इस अवस्था का निर्धारण 15 से 25 वर्ष के मध्य करते हुए यह उल्लेख किया है कि इस अवस्था में बालक अपने व्यवसाय के बारे में पूर्ण तथा स्पष्ट निर्णय लेता है। तथा उसकी सफलता हेतु तैयारी में जुट जाता है।

**(iv) उत्पादक अवस्था**– इस अवस्था की अवधि 25 से 40 वर्ष है। यह वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने कार्य कुशलता के उच्च शिखर पर पहुँचता है जिसे वह 40 से 70 वर्ष की आयु तक सन्तुलित रखना चाहता है।

### 8.6.5 संरचनात्मक सिद्धान्त

इस सिद्धान्त का आशय यह है कि कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट व्यवसाय में क्यों लगता है अर्थात् व्यवसाय चयन के पीछे ऐसे कौन से गुण या विशेषताएँ होती हैं जो किसी व्यक्ति को एक विशेष व्यवसाय के लिए प्रेरित करती है। इस सन्दर्भ में एनी रो जैसे विद्वान ने यह मत प्रतिपादित किया है कि ''बाल्यावस्था में बच्चे के माता–पिता के व्यवहार का अनुभव महत्वपूर्ण होता है।'' बाल्यावस्था के अनुभवों का सम्बन्ध इच्छाओं एवं

आवश्यकताओं से आबद्ध होते हैं। इन इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति बाल्यावस्था में ही होने से व्यक्ति को व्यवसाय चयन के लिए प्रेरणा मिलती है। रो के अनुसार व्यक्ति की योग्यता और कार्य कुशलता के निर्धारण में उसके बचपन की बौद्धिक योग्यता तथा परिवार की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। अतः संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि व्यवसाय चयन में बचपन से जुड़े संरचनात्मक कारक महत्वपूर्ण होते हैं।

## 8.7 व्यवसाय एवं कार्य चयन के समय विचारणीय तथ्य

व्यवसाय चयन से पूर्व कौन–कौन सी सूचना आवश्यक है इस सन्दर्भ में समय–समय पर विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग–अलग विचार प्रस्तुत किये हैं। फिर भी व्यावसायिक कार्य के चयन से पूर्व निम्नलिखित बातों पर विचार करना आवश्यक है–

1. **व्यवसाय एवं कार्य का महत्व**– इसके अन्तर्गत हम जिस व्यवसाय का चुनाव करने जा रहे हैं या किसी अन्य को अपनी राय दे रहे हैं तो यह जानना नितान्त आवश्यक है कि समाज में उसका क्या महत्व है, वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है, इसमें कितने लोग कार्य कर रहे हैं, इसका भविष्य कैसा है, अब तक उसका कितना विकास हुआ है इत्यादि।
2. **कार्य का स्वभाव**– इसके अन्तर्गत चुने गये व्यवसाय की प्रकृति के विषय में जानना आवश्यक है
3. **कार्य की दशा**– प्रस्तुत व्यवसाय किस प्रकार की परिस्थितियों में रहकर कार्य का सम्पादन करना है। कार्य का सुचारू सम्पादन किसी निश्चित स्थान या वाह्य यात्राओं द्वारा सम्पन्न होना है। कार्य–स्थल का वातावरणीय परिवेश कैसा है कार्य की अवधि कितने समय निर्धारित है, साथ में कार्यरत कर्मचारी कैसे होगें इत्यादि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी का होना आवश्यक है।
4. **आवश्यक योग्यताएँ**– जिस व्यवसाय का चुनाव करके उसमें कार्य करने की इच्छा रखते हैं तो उस व्यवसाय की आवश्यक अर्हता से सम्बन्धित तथ्यों की जानकारी आवश्यक है।
5. **आवश्यक तैयारी**– व्यवसाय चयन से पूर्व या चयनित व्यवसाय में जाने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि उक्त व्यवसाय में किस स्तर की शिक्षा आवश्यक है तथा किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
6. **प्रगति के अवसर**– इसके अन्तर्गत चयनित व्यवसाय में पदोन्नति तथा विभिन्न पदों पर रहते हुए कितने दिन कार्य करना पड़ता है, व्यवसाय के निरीक्षण इत्यादि कार्यों का अध्ययन आवश्यक होता है।
7. **वेतन**– व्यवसाय चुनाव के पूर्व यह जानना आवश्यक है कि प्रारम्भिक अवस्था में वेतन का क्या प्रारूप है, वेतन प्राप्ति के आधार क्या हैं, वेतन के साथ अन्य सुविधाएँ जैसे– मकान भत्ता, शहर भत्ता, वाहन भत्ता, चिकित्सा भत्ता आदि सुविधाएँ प्राप्त होती हैं या नहीं।
8. **कार्यदायी उपकरण**– किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करना है उसके विषय में जानना आवश्यक है। ऐसा देखने में आता है कि कभी–कभी व्यक्ति को ऐसे उपकरणों के साथ काम करना पड़ता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है।
9. **कार्य का स्थायित्व**– जिस व्यवसाय का हम चयन करने जा रहे हैं क्या वहाँ पर निरन्तर कार्य करने को मिलता रहेगा। अर्थात् यह जानना आवश्यक है कि कार्य स्थायी है या अस्थायी।
10. **व्यवसाय का प्रारम्भिक स्वरूप या इतिहास**– जिस व्यवसाय का चयन करने जा रहे हैं उसके प्रारम्भ के इतिहास को जान लेना आवश्यक है। इस व्यवसाय में विनियमीतिकरण की स्थिति क्या है। व्यवसाय की प्रगति का इतिहास क्या रहा है। क्या संस्था उन्नति के पथ पर है, अगर है तो किस गति से उसकी प्रगति हो रही है।
11. **कार्यरत व्यक्तियों की जानकारी**– इसके अन्तर्गत चयनित हुए व्यवसाय में कार्यरत कर्मचारियों के विषय में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है कि वहाँ पर कितने कर्मचारी है उनकी व्यवसाय के प्रति क्या सोच है।
12. **व्यवसाय का संगठन**– हम जिस व्यवसाय का चयन करने जा रहे हैं उसके संगठन का प्रारूप क्या है? क्या वह सरकारी है या अर्द्ध सरकारी अथवा प्राइवेट है तो उसका मालिक कौन है? एक व्यक्ति अथवा कई

व्यक्तियों द्वारा संचालित होता है, इत्यादि के विषय में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

7. व्यवसाय चयन के आवश्यक बिन्दुओं के महत्व को समझाइये?

.....

.....

## 8.8 सारांश

किसी व्यासाय के चयन से पूर्व किन बातों को जानना आवश्यक है, उसकी विशेषता क्या है? इसके चयन से क्या लाभ है? चयन के विभिन्न सिद्धान्तों तथा व्यवसाय चयन करते समय किन तथ्यों के विषय में जानना आवश्यक है? इन सब पर विचार करने का प्रयास किया गया है। अतः छात्र/छात्रा/व्यक्ति चाहें वह किसी भी क्षेत्र से सम्बन्धित हों उनके लिए आवश्यक है कि वे अपने संसाधनों को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यवसाय का चुनाव करें जिससे वह समायोजित रहते हुए तथा कार्य करते हुए अपने व्यवसाय का उचित निष्पादन कर सके। अतः जिस व्यवसाय का चयन किया जा रहा है, उसका महत्व, कार्य की दशा, तथा कार्य के स्वभाव से परिचित होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वेतनमान, प्रगति के अवसर, कार्य करने के उपकरण कैसे हैं, किन लोगों के साथ कार्य करना है, उनकी प्रकृति क्या है, कार्य की स्थिरता क्या है, व्यवसाय का इतिहास एवं उसका संगठन कैसा है इत्यादि बातों की जानकारी आवश्यक है। उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के सन्दर्भ में व्यवसाय चुनाव यदि उपयुक्त है तो निश्चित रूप से व्यवसाय विशेष में उसका निष्पादन ठीक होगा। इनके अभाव में निष्पादन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

## 8.9 अभ्यास के प्रश्न

1. व्यवसाय और कार्य के चयन से आप क्या समझते हैं? इसके क्या लाभ बताइए।
2. व्यावसायिक चयन के सिद्धान्तों की व्यख्या कीजिए।
3. व्यवसाय और कार्य के चयन की विशेषताएँ क्या हैं?

## 8.10 चर्चा के बिन्दु

1. व्यवसाय या कार्य चयन की कौन–कौन सी विशेषताएं हैं? चर्चा कीजिए।
2. व्यावसायिक चयन में उपयोगी हैवीघर्स्ट के सिद्धांतों की चर्चा कीजिए।

## 8.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

(1) व्यक्तिगत समायोजन, आर्थिक कारक, इत्यादि प्रमुख लाभ हैं।

(2) योग्य एवं अनुभवी कर्मचारी व्यवसाय लाभ का प्रमुख कारक होता है। अतः स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति उद्योग को हानि पहुँचाती है, कर्मचारी के स्थान पर जब दूसरे कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है तो इस पर खर्च धनराशि श्रम परिवर्तन का मूल्य कहलाती है।

(3) व्यवसाय चयन की प्रमुख विशेषताओं में प्रवीणता, कुशलता, स्वभाव एवं चरित्र तथा अभिरूचि का उल्लेख कया जा सकता है।

(4) कार्य को सीखने के लिए व्यक्ति विशेष की सामान्य शक्ति से होता है।

(5) (i) पसन्द

(ii) 15 वर्ष

(6) (i) 1951 में किया था।

(ii) व्यावसायिक वातावरण

(iii) व्यवसाय का चयन

(iv) व्यवसाय चयन में

(v) छः

(vi) आठ

(7) व्यवसाय एवं कार्य का महत्व, कार्य का स्वभाव, कार्य की दशा, योग्यता, प्रगति के अवसर तथा स्थायित्व सम्बन्धी बिन्दु मुख्य हैं।

## 8.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें


1. जायसवाल, सीताराम 2007/2008; (पन्द्रहवाँ संस्करण), *शिक्षा के निर्देशन और परामर्श,* अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।
2. एनीरो, (1956), *दि साइकोलॉजी ऑफ ऑक्यूपेशन,* जान विली एण्ड सन्स, न्यूयार्क।
3. सुपर डोनाल्ड, (1993), थियरी ऑफ वोकेशनल डेवलपमेन्ट, *अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट,* भाग (8), 1958–90
4. वर्मा, आर.पी. एवं उपाध्याय, आर.बी. (1986), शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन, विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा।

# इकाई– 9 : अनुवर्ती सेवा

## इकाई की संरचना


9.1 प्रस्तावना

9.2 इकाई के उद्देश्य

9.3 अनुवर्ती सेवा से अभिप्राय

- 9.3.1 अनुवर्ती सेवा की सार्थकता एवं उद्देश्य
- 9.3.2 अध्ययनरत छात्रों हेतु अनुवर्ती सेवा
- 9.3.3 स्नातक पूर्व छात्रों के लिए अनुवर्ती सेवा
- 9.3.4 भूतपूर्व छात्रों हेतु अनुवर्ती सेवा

9.4 अनुवर्ती सेवा की कार्य प्रणाली

- 9.4.1 अध्ययनरत विद्यार्थियों का सर्वेक्षण
- 9.4.2 स्कूल से जा चुके विद्यार्थियों का सर्वेक्षण
- 9.4.3 व्यावसायिक गोष्ठी, सम्मेलन, परिचर्चा तथा अन्य अध्ययन कार्यक्रम
- 9.4.4 कार्यशाला प्रबन्धन
- 9.4.5 विश्लेषण की विशेष योजना

9.5 अनुवर्ती क्रियाओं के उपकरण

- 9.5.1 सर्वेक्षण प्रपत्र
- 9.5.2 साक्षात्कार

9.6 अनुवर्ती अध्ययन की समस्याएँ तथा समाधान

9.7 सारांश

9.8 अभ्यास के प्रश्न

9.9 चर्चा के बिन्दु

9.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

9.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें


## 9.1 प्रस्तावना

अनुवर्ती सेवा से अभिप्राय उन सेवाओं से है जो प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा कार्य में लगने के पश्चात उत्तरोत्तर विकास के लिए की जाती है। इस संदर्भ में प्रसिद्ध विद्वान डाउनिंग ने अपने विचार व्यक्त करते हुए यह उल्लेख किया है कि– ''अनुवर्ती प्रक्रिया उस विधा से सम्बन्धित है जहाँ नौजवानों को उनके स्कूल में तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम या व्यवसाय में उत्तम समायोजन के लिए उसकी सहायता के लिए सूचनाएँ प्रदान करने हेतु तैयार किये गये निर्देशन कार्यक्रम का मूलभूत तत्व है।''

अनुवर्ती सेवा निर्देशन कार्यक्रम का एक प्रमुख अंग है। अनुवर्ती सेवा द्वारा उत्तरोत्तर विकास की अपनी प्रगति के स्वरूप को जानने में सहायता मिलती है। बिना अनुवर्ती सेवा या अध्ययन के निर्देशन कार्यक्रम अपूर्ण है। इसके द्वारा हमें यह पता लगाने में सहायता मिलती है कि विद्यार्थी किस क्षेत्र में सामंजस्य प्राप्त कर लिया है तथा अभी उसे किस क्षेत्र में निर्देशन या परामर्श की आवश्यकता है। वास्तव में अनुवर्ती अध्ययन परामर्श और निर्देशन

कार्यक्रम की सफलता के मूल्यांकन की एक विधि है। इस अध्ययन के पश्चात शिक्षा प्रदान करने के वक्त छात्रों के कार्यो में सहयोग करना आसान होगा, इसके साथ ही छात्र भी अपनी प्रगति के बारे में अवगत हो सकेगा।

## 9.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

1. अनुवर्ती सेवा का अभिप्राय बता सकेंगे?
2. अनुवर्ती सेवा के उद्देश्यों का वर्णन कर सकेंगे।
3. अनुवर्ती सेवा की कार्य प्रणाली से भी परिचित हो सकेंगे।
4. विभिन्न साधनों के माध्यम से अनुवर्ती सेवा के क्रिया–कलापों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

## 9.3 अनुवर्ती सेवा से अभिप्राय

अनुवर्ती अध्ययन निर्देशन कार्यक्रम का प्रमुख अंग है। इसके माध्यम से संस्था को अपने छात्रों के शैक्षिक, व्यावसायिक एवं वैयक्तिक क्षेत्रों के सामंजस्य की मात्रा तथा गति का पता लगाने में सहायक है। इस प्रकार की सेवा के अभाव में निर्देशन कार्यक्रम की प्रभावशीलता का सही अनुमान लगाना असम्भव है। अनुवर्ती सेवा के प्रमुख प्रयोजन के अन्तर्गत किसी भी शैक्षिक पाठ्यक्रम या व्यवसाय में प्रवेश पाने के उपरान्त तत्सम्बन्धी पाठ्यक्रम या व्यवसाय में व्यक्ति के समायोजन की सीमा का अनुमान सुव्यवस्थित एवं वस्तुनिष्ठ तरीके से प्राप्त करने की सम्मिलित प्रक्रिया समाहित है। इस सेवा द्वारा व्यक्ति स्वमूल्यांकन कर, अपनी प्रगति की प्रक्रिया को जारी रखता है। छात्र को रोजगार दिलाना, अध्ययन हेतु उचित विषयों का चुनाव कराना, अथवा किसी प्रशिक्षण में प्रवेश दिलाने मात्र तक सीमित नहीं है बल्कि छात्र को रोजगार से कितनी संतुष्टि मिल रही है, समायोजन का प्रतिशत क्या है, अथवा कार्यकुशलता कितनी है, इन सारी बातों का अध्ययन भी अनुवर्ती सेवा के अन्तर्गत सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त स्थानापन्न सेवाओं की प्रभावशीलता का आंकलन भी अनुवर्ती सेवाओं द्वारा सम्पन्न किया जाता है। क्योंकि निर्देशन कार्य का अन्तिम तथा महत्वपूर्ण सोपान अनुगामी सेवा है।

**अनुवर्ती सेवा का अर्थ** : निर्देशन तथा शिक्षण का सन्दर्भ बिन्दु, भविष्य की योग्यताओं एवं कार्यकुशलता के विकास से सम्बन्धित है। जिसके अन्तंर्गत छात्रों द्वारा विषय का चुनाव महत्वपूर्ण है जिससे भविष्य में वह उनमें दक्षता प्राप्त कर सके। छात्र को रोजगार सुलभ कराने, समायोजन, सन्तुश्टि तथा कार्य–कुशलता के मापन को अनुगामी सेवा द्वारा निर्देशन कार्यक्रम की सार्थकता तथा बैद्यता की जानकारी प्राप्त की जाती है।

छात्र द्वारा किये गये गलत व्यवसाय के चुनाव का पता लगाकर उसे सुधारने का कदम अनुवर्ती सेवा द्वारा सम्पन्न किया जा सकता है। इस सेवा के द्वारा अर्जित अनुभव एवं अपनी समझ के आधार पर परामर्शदाता ऐसी त्रुटियाँ न करने में छात्रों की सहायता कर सकता है। इस प्रकार व्यावसायिक निर्देशन के समय एक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। अर्थात इस सम्बन्ध में छात्र–छात्राओं के विषय में कई तथ्यों की जाँच करनी होती है। इस निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत उसे व्यवसाय विशेष के लिए सुझाव दिया जाता है। अतः अनुवर्ती सेवा द्वारा शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, परामर्श प्रवीणता, परीक्षण तथा छात्रों की अभिरूचि की सार्थकता तथा वैधता को ज्ञात किया जाता है।

### 9.3.1 अनुवर्ती सेवा की सार्थकता एवं उद्देश्य

अनुवर्ती सेवा की सार्थकता एवं उसके उद्‌देश्य को निम्नलिखित कारकों के अन्तर्गत विभाजित किया जा सकता है–

अ. **नियोजन से सम्बन्धित सामान्य जानकारी**– छात्र को व्यावसायिक जीवन की सामान्य स्थिति से परिचित कराना अनुवर्ती सेवा का प्रथम चरण है, जिसके परिणामस्वरूप छात्र व्यवसाय से सम्बन्धित घटकों की तैयारी के लिए अपने स्तर से तैयार कर सकता है। व्यावसायिक सूचना सेवा के माध्यम से भी इस कार्य को पूरा किया जा सकता है। अनुवर्ती सेवा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति या छात्र के शैक्षिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत क्षेत्रों में नियोजन तथा उसकी गति के सन्दर्भ में जानकारी प्राप्त करने के विभिन्न सोपानों पर केन्द्रित है।

ब. **शिक्षा तथा अनुभव के साक्षेप नियोजन**– शिक्षा एवं अनुभव के अनुसार व्यावसायिक क्षेत्र और छात्र को

उन्मुख करना इस सेवा का द्वितीय सोपान है।

स. **पाठ्यक्रम और छात्र सामंजस्य**– अनुवर्ती अध्ययन संस्था को अपने छात्रों के शैक्षिक व्यावसायिक एवं वैयक्तिक क्षेत्रों में सामंजस्य की मात्रा तथा गति के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायक है।

द. **छात्रों से सम्पर्क**– अनुवर्ती अध्ययन के माध्यम से संस्था अपने भूतपूर्व छात्रों से सम्पर्क करके उनके लिए अपयोगी सेवाएँ एकत्र करने एवं उन्हें प्रदान करने में सफल हो सकती है।

य. **विद्यालय पलायन के कारण**– अनुवर्ती सेवा द्वारा कोई संस्था अपने छात्रों द्वारा विद्यालय से पलायन अथवा छोड़ने के कारणों का पता लगा सकती है। इसके साथ ही विद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली नियोजन सेवा एवं उसके प्रभावों का मूल्यांकन कर सकती है।

र. **कार्य अवसरों की जानकारी**– अनुवर्ती सेवा का एक अन्य उद्देश्य छात्रों के लिए उनके भावी अवसरों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना भी सम्मिलित है। अतः छात्रों के कार्य अवसरों का पता लगाने के लिए अनुवर्ती अध्ययन सहायक हो सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध कार्य के अवसरों का पता लगाकर शैक्षिक पाठ्यक्रमों एवं पाठ्यचर्याओं में समय–समय पर सुधार एवं परिवर्तन लाया जा सकता है।

ल. **नियोजन सेवा का मूल्यांकन**– अनुवर्ती सेवा के माध्यम से स्कूलों में संचालित नियोजन सेवा की सफलता एवं उसके मूल्यांकन की दृष्टि से तथा व्यक्ति के समायोजन में अधिक सहायता के लक्ष्य से अनुवर्ती सेवाओं की व्यवस्था की जाती है। अतः नियोजन सेवा की प्रभावशीलता का समय–समय पर मूल्यांकन करने के लिए इस सेवा का होना अति आवश्यक है।

ब. **विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना**– अनुवर्ती सेवाओं के माध्यम से छात्रों को उत्साहित किया जा सकता है तथा उनके समायोजन के लिए उनकी सहायता की जा सकती है। अनुवर्ती सेवाएँ अपने कार्य से असन्तुष्ट व्यक्तियों का पता लगा सकती हैं एवं उनके कार्य परिवर्तन या बेहतर नियोजन में सहयोग प्रदान कर सकती हैं।

निर्देशन सेवाओं के अन्तर्गत अनुवर्ती सेवा के महत्व को व्याख्यायित करते हुए हम्फ्रीज एवं ट्रैक्सलर ने यह विचार व्यक्त किया है कि– ''वह परामर्शदाता, जो यह पता नहीं रखता है कि उसके उपबोध्य की स्थिति क्या है, उस चिकित्सक की भाँति है जो यह ज्ञात नहीं करता है कि क्या उसका मरीज रोगमुक्त हुआ है।'' इतना आवश्यक होते हुए भी अनुवर्ती समीक्षा की प्रायः उपेक्षा की जाती है। इसका प्रमुख कारण संसाधनों एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों का अभाव है। किन्तु अनुवर्ती समीक्षा के कार्यक्रम को बिना प्राथमिकता प्रदान किये निर्देशन कार्यक्रम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में यह आवश्यक है कि, अनेक कठिनाईयों के बावजूद यथा–सम्भव अनुवर्ती सेवाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। इन सेवाओं के माध्यम से निर्देशन कार्यक्रम में सुधार, अधिक सहायता की चाह रखने वालों की पहचान, विद्यार्थियों को उपयोगी सूचना, सामाजिक सम्बन्धों में सुधार, तथा व्यवसाय में लागत तथा उत्पादकता की दृष्टि से कार्यकुशलता जैसे तथ्यों की पहचान सुनिश्चित की जा सकती है।

### 9.3.2 अध्ययनरत छात्रों हेतु अनुवर्ती सेवा

शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन कर रहे छात्रों को व्यक्तिगत, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान किया जाता है। उपर्युक्त सन्दर्भों में दिये गये निर्देशन किस सीमा तक उपयोगी सिद्ध हुए इत्यादि तथ्यों की जानकारी हेतु अनुवर्ती सेवा के माध्यम से परामर्शदाता समीक्षा करता रहता है। अनुवर्ती समीक्षा एवं सेवा प्रदान करते समय परामर्शदाता को निम्नलिखित तीन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है–

(i) परामर्शदाता द्वारा तैयार की गई योजना या उनके सुझावों पर छात्र ने कहाँ तक अमल किया है?

(ii) वर्तमान परिवेश में वह अपने नियोजन में किस सीमा तक सफल हो सकता है?

(iii) नये परिवर्तनों के सन्दर्भ में क्या उसे अपनी योजना के पुनर्निर्माण या आगे समायोजन के लिए आगे सहायता की अपेक्षा है?

परार्मशदाता को अपनी सेवाएँ प्रदान करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। सामान्य रूप से छात्र जब भी कठिनाई का अनुभव करे और पिछले निर्देशन के बाद पुनः साक्षात्कार का इच्छुक हो तब उसके लिए ऐसी व्यवस्था

होनी चाहिए। निर्देशन के अन्य उपक्रमों की भाँति छात्रों के लिए अनुवर्ती सेवा का प्रबन्ध होना चाहिए।

परामर्शदाता को वर्ष के प्रारम्भ में ही अध्येताओं से साक्षात्कार करते समय उन विशिष्ट कठिनाइयों पर ध्यान देना चाहिए जो उनके बाद की परिस्थितियों में आ सकती है, उस सम्बन्ध में उन्हें निर्देशन प्रदान करना चाहिए। वर्ष के मध्यावधि में विशिष्ट कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों को पुनः साक्षात्कार लिया जाय और अनुवर्ती समीक्षा एवं परामर्श की व्यवस्था हो। चूँकि छात्रों को कतिपय नवीन कठिनाईयाँ नये प्रकार की अथवा नई स्थिति से उत्पन्न होती है, इसलिए उन्हें अनुवर्ती सेवा प्रदान करते समय परामर्शदाता को इस सन्दर्भ में ध्यान देना आवश्यक है।

### 9.3.3 स्नातक पूर्व छात्रों के लिए अनुवर्ती सेवा

सुसाध्य करने से आशय है संबर्द्धन करना, आगे बढने में सहायता करना, सरल बनाना। अतः शिक्षण के संदर्भ में अध्यापक की भूमिका है– अधिगम का संवर्द्धन करना, अधिगम द्वारा अधिकाधिक विकास में विद्यार्थियों की सहायता करना, अन्तः क्रिया के लिए ऐसा प्रेरक परिवेश प्रदान करना जिससे अधिगम तथा आगे विकास हो। अधिगम को सुसाध्य करने वाले के रूप में अध्यापक की इस भूमिका में विद्यार्थी को अन्तः क्रिया करने तथा आगे बढने की भूमिका पर बल दिया जाता है। अतः बहुत से छात्र अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं आर्थिक कारणों से अनिवार्य शिक्षा को पूर्ण करने के पश्चात अधूरी पढाई करके बीच में ही कालेज छोड़ देते हैं। ऐसे में स्नातक से पूर्व पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों को यथासम्भव उनकी आवश्यकतानुसार परामर्शदाता को सहायता करनी चाहिए। उसे सुसंगत शैक्षणिक घटकों के साथ विद्यार्थियों की अन्तः क्रिया के माध्यम से उसमें अधिगम घटित होने की उन सम्भावनाओं का पता लगाना चाहिए जिससे छात्र आगे की शिक्षा जारी रख सके। तथा उसको विद्यालय छोड़ने के बाद की स्थिति एवं योजना पर मार्गदर्शन कर अधिगम को सुसाध्य बनाकर आगे की स्थिति पर विचार करना चाहिए। बाद में यदि छात्र का विद्यालय छोड़ना आवश्यक हो तो परामर्शदाता को उससे विद्यालय बहिर्गमन पर साक्षात्कार करना चाहिए।

परामर्शदाता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बहिर्गमन साक्षात्कार केवल सम्बन्धित सूचनाओं के संग्रह तक सीमित न हो बल्कि छात्र को अपने विश्वास में लेकर उसके निर्णयों को पुनर्विचार के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। वह छात्र की समस्याओं के समाधान एवं नयी योजनाओं के विषय में अपने सुझाव भी दे सकता है। अतः एक उपबोधक के रूप में परार्मशदाता की भूमिका नितांत भिन्न है। शब्दकोष के अनुसार उपबोधन का अर्थ सलाह देना है। इस रूप में छात्र के साक्षात्कार की समाप्ति उत्साहबर्द्धक होनी चाहिए। निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं। परामर्शदाता को उपबोध्य के अच्छे भविष्य में विश्वास रखते हुए अपनी सहानुभूति प्रदान करनी चाहिए।

प्रभावी उपबोधक की दृष्टि से परामर्शदाता का महत्वपूर्ण गुण समस्या वाले विद्यार्थियों के अभिनिर्धारण के प्रति उसकी संवेदनशीलता है। समस्या के स्वरूप को जान लेने के पश्चात परामर्शदाता का यह कर्तव्य बनता है कि वह समस्या का हल पाने में विद्यार्थियों को उसकी सार्थकता का एहसास करा सके। उपबोधन इस सिद्धान्त पर कार्य करता है कि उचित मार्ग दर्शन मिलने पर प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही अपनी समस्या के समाधान की समर्थता प्राप्त कर सकता है।

## बोध प्रश्न

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

निम्नलिखित प्रश्नों का दो या तीन लाइनों में संक्षिप्त उत्तर लिखें।

1. अनुवर्ती सेवा का क्या तात्पर्य है?

.....

.....

2. अनुवर्ती सेवा के किन्हीं दो उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए।

.....

.....

3. भूतपूर्व छात्रों हेतु अनुवर्ती अध्ययन क्यों आवश्यक है?

.....

.....

4. स्नातक पूर्व छात्रों के लिए अनुवर्ती सेवा की उपयोगिता को समझाइये।

.....

.....

### 9.3.4 भूतपूर्व छात्रों हेतु अनुवर्ती सेवा

शिक्षा समाप्त कर चुके भूतपूर्व छात्रों को अनुवर्ती सेवा प्रदान करने का कार्य विद्यालयों को करना चाहिए। स्नातक शिक्षा से पूर्व अथवा स्नातक करने के पश्चात जीवन में प्रवेश करने वाले छात्रों के लिए अनुवर्ती सेवा के औचित्य को प्रमाणित करते हुए हम्फ्रीज तथा टैक्सलर ने इस प्रसंग में तीन कारणों का निर्देशन देते हुए यह सुझाव दिया है कि–

1. भूतपूर्व छात्रों से जो सूचनाएँ प्राप्त होती हैं, उनसे विद्यालय की शिक्षा एवं प्रशिक्षण उसकी उपयोगिता व उपलब्धि के विषय में जानकारी प्राप्त होती है।
2. विद्यालय के पाठयक्रमों की उपयोगिकता, प्रभावोत्पादकता, वांछनीयता एवं औचित्य का मूल्यांकन भूतपूर्व छात्रों की उपलब्धियों एवं उनकी समीक्षा करने से विद्यालय अपने प्रशिक्षण और उसके उपयोग के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके आधार पर कोई संस्था अपने प्रशिक्षण से सम्बन्धित योगदान में आवश्यक परिवतर्न कर सकती है।
3. भूतपूर्व छात्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर परामर्शदाता अपने वर्तमान कार्य में सुधार ला सकते हैं। वर्तमान छात्रों की समस्याओं के समाधान में भूतपूर्व छात्रों के अनुभवों से लाभ उठाया जा सकता है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में भूतपूर्व छात्रों के अनुवर्ती अध्ययन से अपने निर्देशन कार्यक्रमों को और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अनुवर्ती अध्ययन से भूतपूर्व छात्रों को लाभ के साथ उनकी समस्याओं का पता लगाकर उनके आवश्यक निर्देशन व्यवस्था के साथ प्रभावी शिक्षण हेतु यथोचित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था विद्यालय कर सकता है।

## 9.4 अनुवर्ती सेवा की कार्य प्रणाली

अनुवर्ती सेवा मुख्य रूप से निदानात्मक एवं मूल्यांकन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, जिसमें विद्यार्थी निरन्तर सीखता है तथा अपने आपको अपने कार्य की नई चुनौतियों के अनुकूलन ढ़ालता है। इसका मुख्य लक्ष्य व्यक्ति की व्यवसाय में समायोजन सम्बन्धी आवश्यकताओं का निदान, उसके द्वारा व्यक्ति की सफलता एवं प्रभावशीलता की जानकारी तथा व्यक्ति या छात्र को दिये गये परामर्श का मूल्यांकन करना होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आजकल विविध प्रकार की प्रणालियाँ अथवा विधियाँ प्रयुक्त की जा रही हैं। उनमें से कुछ प्रणालियों पर दृष्टि डालना काफी उपयोगी होगा, क्योकि उनसे कुछ इस प्रकार की जानकारी मिल सकेगी कि परामर्शदाता व्यावसायिक जीवन में आने वाली स्थितियों के प्रति अपने आपको तथा विद्यार्थियों को तत्पर रख सके।

### 9.4.1 अध्ययनरत विद्यार्थियों का सर्वेक्षण

सर्वप्रथम विद्यालयी शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों का सर्वेक्षण कर उनके शैक्षिक स्तर की जाचँ कर जटिल प्रक्रिया सरलीकरण पर केन्द्रित विभिन्न विधियों के माध्यम से यह देखना भी अनुवर्ती सेवा का कार्य है कि छात्रों के लिए कौन–कौन से विषय तथा कार्य के अलावा कौन–कौन सी क्रियायें सहायक हैं इसके लिए विभिन्न विधियों का

प्रयोग किया जाता है जैसे प्रश्नावली, पद्धति, साक्षात्कार, पड़ताल सूची इत्यादि मुख्य हैं इनमें निम्नलिखित क्रिया–कलाप सम्मिलित हैं–

(i) विषय वस्तु का विश्लेषण।

(ii) विद्यार्थियों का स्तर जानना।

(iii) उनका सामाजिक एवं सांस्कृति संदर्भ जानना।

(iv) शिक्षण के लिए विषयवस्तु का उपयुक्त चयन

(v) जानकारी के आधार पर चुनी हुई विषयवस्तु के शैक्षणिक उद्देश्य निश्चित करना।

(vi) निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयुक्त विभिन्न अनुभवों का अध्ययन करना।

(vii) पूर्वनिर्दिष्ट अधिगम की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम विकल्पों का चुनाव और उनके सर्वाधिक उपयुक्त अनुक्रम निश्चित करना जैसे व्याख्यान, परिचर्चा, दृश्य साधनों का प्रदर्शन इत्यादि।

(viii) मूल्यांकन विधि (लिखित परीक्षण, मौखिक परीक्षण, निष्पादन परीक्षण, इत्यादि) तथा मूल्यांकन के लिए विशिष्ट एकांश (मौखिक और लिखित परीक्षणों के लिए प्रश्न और निष्पादन परीक्षणों के लिए प्रेक्षणीय एवं निर्धारणीय पक्ष) के सम्बन्ध में निर्णय लेना।

उपर्युक्त क्रिया–कलापों में अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने की दृष्टि परामर्शदाता अपनी उपायकुशलता और स्वतः प्रवर्तिता के आधार पर अध्येताओं को आवश्यकता के अनुरूप कार्य विधि में परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित कर सकता है।

### 9.4.2 स्कूल से जा चुके विद्यार्थियों का सर्वेक्षण

इस प्रकार के विद्यार्थियों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है यथा–

**(क) किसी कारणवश बीच में स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थी**– इस वर्ग के अन्तर्गत वे विद्यार्थी आते हैं जो किसी कारणवश बीच में ही पढ़ाई पूरी किये बिना ही स्कूल छोड़कर किसी अन्य कामों में लग जाते हैं। भारतीय सन्दर्भ में समुदाय में विद्यालय अथवा अध्यापक की भूमिका में ऐसे विद्यार्थियों पर दृष्टि डालते समय यह आवश्यक है कि कुछ आधारभूत वास्तविकताओं को भी ध्यान में रखें।

2 प्राथमिक स्तर पर नामांकन और प्रतिधारण की स्थिति अब भी चिंतनीय बनी हुई है।

3 हमारी साक्षरता दर बहुत कम है।

4 हमारी जनसंख्या में भयावह वृद्वि होने से शैक्षिक सुविधायें अपर्याप्त हैं।

5 स्त्रियों में साक्षरता बहुत ही कम है।

6 स्वास्थ्य के प्रति बहुत कम जागरूकता है।

7 अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है और अधिकतर किसान हैं। जिनके कारण शिक्षा के प्रति आकर्षण कम है।

इस परिवेश को ध्यान में रखते हुए विद्यालय छोड़ चुके ऐसे विद्यार्थियों का सर्वेक्षण करके तथा साक्षात्कार द्वारा यह पता लगाना चाहिए कि उन्होनें किन परिस्थितियों के कारण विद्यालय छोड़ा और उनकी किस प्रकार से सहायता की जा सकती है। साथ ही उनकी भावी योजना पर भी विचार विमर्श किया जाना आवश्यक है। इस सन्दर्भ में परामर्शदाता की अत्यन्त सक्रिय भूमिका होती है जिसके अन्तर्गत उसे निम्नलिखित पक्षों पर ध्यान देना आवश्यक है जैसे–

I. अभिभावकों, विशेष रूप से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उन अभिभावकों को शिक्षा के महत्व का बोध कराना, जिनके बच्चे विद्यालय जाना छोड़ चुके हैं। ताकि वे अपने बच्चे को पुनः विद्यालय भेज सकें।

II. ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा कार्यक्रमों में यथा सम्भव जानकारी प्रदान करना।

III. ग्रामीण समुदाय में जहाँ अधिसंख्यक निरक्षर होने की सम्भावना हो वहाँ विद्यालय/अध्यापक को मार्गदर्शक और उपबोधक की भूमिका का निर्वहन करना होता है।

**(ख) शिक्षा पूरी कर स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थी**– इस वर्ग के अन्तर्गत उन छात्रों का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए जो स्कूली शिक्षा पूरी करके विद्यालय छोड़ते हैं। इसके लिए रजिस्टर में उनका नाम, पता, पढ़ाई छोड़ने की तिथि, पूर्व साक्षात्कार तिथि, निर्णय–योजना तथा भविष्य की कठिनाइयों का ब्यौरा दर्ज होना चाहिए। विद्यार्थियों के प्रभावी शिक्षण में सहायता की दृष्टि से विद्यालय/अध्यापक को निरन्तर व्यावसायिक विकास की दृष्टि से तथा परिवर्तन एवं नवाचारी उपागमों को आत्मसात करने और उनके समायोजन करने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए अत्यावश्यक है।

### 9.4.3 व्यावसायिक गोष्ठी, सम्मेलन परिचर्चा तथा अन्य अध्ययन कार्यक्रम

व्यावसायिक गोष्ठी, संगोष्ठी, सम्मेलन परिचर्चा आदि संस्थाओं द्वारा सामान्यतः प्रयुक्त अन्य प्रणालियाँ हैं। ये अपने समूह सदस्यों को लाभकारी सेवाकालीन शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराती हैं। विशिष्ट समस्याओं के बारे में लघु समूह गोष्ठी, निदर्शन, संगोष्ठी आदि के आयोजन से अध्यापकों/विद्यार्थियों को शिक्षण सुधार के अभियान में सहायता मिलती है। ऐसे आयोजनों से मिले विचारों, अन्तर्दृष्टि और कौशल से नवाचारी क्रिया–कलापों के परीक्षण के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैं।

संगोष्ठी विशिष्ट प्रकारणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए शिक्षा से सम्बन्धित संगठनों द्वारा प्रयुक्त एक सामान्य साधन है। संगोष्ठी का आयोजन कई प्रकार से हो सकता है। इसमें लघु समूह में परिचर्चा सत्र के उपरान्त आलेख या संदर्शक व्याख्यान प्रस्तुत किया जा सकता है, अथवा एक अल्पकालिक पाठ्यक्रम या अनेक सत्रों का एक सम्मेलन जिसमें विशेषज्ञों तथा प्रतिभागियों के बीच उच्च कोटि का विचार–विनिमय एवं सहभागिता हो। इस प्रकार की परिचर्चा से प्रतिभागियों को न केवल आवश्यक ज्ञान और अन्तर्दृश्टि ही मिलती है, बल्कि अपनी शंकाओं के समाधान के अवसर भी प्राप्त होते हैं।

विद्यालयी व्यवस्था भी तथा अन्य प्रकार की गोष्ठियों और परिचर्चाओं का उपयोग शैक्षणिक समस्याओं में विशिष्ट सहायता प्रदान करने के लिए कर सकती है। शिक्षण की सामान्य या विशिष्ट समस्याओं या विद्यार्थियों की दैनान्दिन समस्याओं पर एक दिवसीय आयोजन अध्येताओं के लिए निदर्शन, अध्यापकों द्वारा निर्मित शिक्षण सहायता साधन या शैक्षणिक सामग्री आदि कायक्रम कुछ अन्य उदाहरण हैं, जिनके द्वारा विद्यालयी व्यवस्था अपने विद्यालय के विद्यार्थियोंकी वृत्तिक क्षमता का उन्नयन कर सकती है। कुछ ऐसे कार्यक्रम भी आयोजित किये जा सकते हैं जिनमें अभिभावकों को सूचना प्रदान करने, विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने जैसे व्यवस्थापरक अथवा विद्यालयी समस्याओं में सहायता प्रदान करने के लिए जोर दिया गया हो।

उपर्युक्त कार्यक्रम विद्यार्थियों में सुधार लाने की दृष्टि से तभी लाभप्रद हो सकते हैं, जब इनका आयोजन साल में एवं स्वाभाविक वातावरण में सम्पन्न किया जाय जहाँ प्रतिभागी विद्यार्थियों को अपनी समस्याओं और उनके योगदान और प्रयोगों में भी सहभागी होने के अनुकूल अवसर दिये जाएँ। इसके लिए आवश्यक है कि आयोजनकर्ता मानव और भौतिक संसाधनों की उपलब्धता के लिए समुचित व्यवस्था करें।

### 9.4.4 कार्यशाला प्रबन्धन

अध्यापकों, सलाहकारों तथा विद्यार्थियों के लिए कार्यशालाओं का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण हेतु विचारों तथा सुझावों की यह अन्य प्रभावी विधि है। इसमें भाग लेने से अध्यापक तथा विद्यार्थी अपने सैद्धान्तिक ज्ञान के अतिरिक्त अपने सामने आने वाली समस्याओं के बारे में व्यावहारिक अनुभव अर्जित कर सकता है।

कार्यशालाओं का आयोजन सामान्यतः तब किया जाता है जब किसी संस्था को कुछ शैक्षिक समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। जब वह कार्यशालाओं के माध्यम से इन समस्याओं का हल ढूँढना चाहती है तो उसे प्रस्तुत समस्या की दृष्टि से अपेक्षित संसाधन जैसे परामर्शदाता सामग्री आदि का पता लगाना होता है। कार्यशाला के आयोजकों को व्यापक अधिगम–अनुभवों तथा चुनी हुई समस्याओं पर गहन कार्य के लिए पूरे अवसर दोनों ही के लिए सामान्यतः विविध प्रकार के क्रिया–कलापों की योजना बनानी पड़ती है। कार्यशाला सामान्य हितों तथा समस्याओं की पारस्परिकता आदि जैसे कुछ एक समान कारकों के लिए गठित छोटे समूहों के लिए पर्याप्त क्रिया–कलापों के अवसर देती है। जिससे परिचर्चा, आयोजन, और समस्या समाधान सम्बन्धित क्रिया–कलाप आसान

हो जाते हैं।

उपर्युक्त के आलोक में यह कह सकते हैं कि कार्यशाला अध्यापकों एवं विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान की क्षमता प्रदान करने की अन्य विधियों की तुलना में बेहतर विधि है। इसका मुख्य लाभ यह है कि इसमें विस्तृत और गहन अध्ययन और परिचर्चा के लिए अपेक्षाकृत तनावरहित अवसर मिलता है।

### 9.4.5 विश्लेषण की विशेष योजना

अनुवर्ती अध्ययन परामर्श और निर्देशन कार्यक्रम की सफलता एवं मूल्यांकन का आधारभूत अंग है। अतः इस सेवा को सुचारु ढ़ंग से क्रियान्वित करने के लिए यह आवश्यक है कि अनुवर्ती सेवा केन्द्र की स्थापना करके किसी भी साधनों से प्राप्त सूचनाओं, आधार सामग्रियों एवं अन्य तथ्यों का विश्लेषण तथा मूल्यांकन क्रमबद्ध ढ़ग से किया जाये।

## 9.5 अनुवर्ती क्रियाओं क उपकरण

अध्ययन की प्रकृति के आधार पर अनुवर्ती क्रियाओं के दौरान अनेक उपकरणों या साधनों का प्रयोग किया जाता है जिसका निर्धारण अध्ययन के उद्देश्यों द्वारा पूर्ण किया जा सकता है। यदि विद्यार्थियों से अच्छी तरह से प्रमाण संग्रह किया जाय तो अनुवर्ती सेवा हेतु बेहतर संकेत मिल सकते हैं कि विद्यार्थियों को क्या सुधारना है और कैसे सुधारना है। अतः अनुवर्ती सेवा द्वारा विद्यार्थियों का किया गया मूल्य निर्धारण अभिप्रेरण, अधिगम अवसर, सम्प्रेषण की मात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार के अध्ययनों में निम्नलिखित साधनों का प्रयोग किया जा सकता हैः

### 9.5.1 सर्वेक्षण प्रपत्र

सर्वेक्षण प्रपत्रों के माध्यम से विद्यार्थियों का मूल्य निर्धारण किया सकता है। सर्वेक्षण प्रपत्रों के सामान्य प्रारूप में विद्यार्थियों के सम्बन्ध में कथन अथवा प्रश्न द्वारा मूल्य निर्धारण की सूचक मापनी के साथ प्रस्तुत किये जाते हैं। कुछ प्रपत्रों में मुक्त उत्तर के लिए स्थान दिया होता है। उत्तर देने वाले व्यक्ति को उत्तर का चयन करना होता है। इस प्रपत्र का उपयोग विचार जानने, रूझानों का मूल्याकन तथा तथ्य प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन पपत्रों–सूचियों को कम समय में ही पूर्ण किया जा सकता है। कुछ प्रपत्रों में प्रश्नों के लिए भी स्थान निर्धारित रहता है, किन्तु इस प्रकार के प्रश्नों की व्याख्या करना कठिन होता है। परामर्शदाता/अध्यापक विद्यार्थियों द्वारा सोची जाने वाली अनेक बातों को जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं। जैसे सामग्री, कक्षा संरचना, अधिगम, अध्यापक व्यवहार, विद्यालय के बाहर अधिगम का वातावरण आदि विविध विषयों के कथन निर्मित किये जा सकते हैं। अतः लम्बे निर्धारण प्रपत्रों के प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि इससे विद्यार्थियों का ध्यान भंग होता है।

प्रश्नावली प्रपत्र के प्रयोग द्वारा विशिष्ट प्रकार की सूचनाओं का संकलन किया जा सकता है। इसकी सहायता से भूतपूर्व छात्रों से सम्पर्क स्थापित कर विद्यालय कार्यक्रम एवं निर्देशन सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर विद्यालय कार्यक्रम में सुधार करने का आधार बनाया जा सकता है।

### 9.5.2 साक्षात्कार

अनुवर्ती सूचनाएँ प्राप्त करने का एक साधन प्रत्येक छात्र से व्यक्तिगत साक्षात्कार करना है। साक्षात्कार के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय–कार्यक्रम, परामर्शदाता, एवं अध्यापकों के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। साक्षात्कार से विद्यालय में पढ़ने वाले एवं भूतपूर्व छात्रों से विद्यालय के शैक्षिक स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

विद्यार्थियों का साक्षात्कार प्रश्नोत्तर सत्रों में अर्धसंरचात्मक रूप में किया जा सकता है। वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जो अध्यापक, प्रशासक, प्रधानाचार्य अथवा विद्यालय में सहकर्मी अध्यापक न हो। साक्षात्कार द्वारा विद्यार्थियों की अनुक्रियाओं का अभिलेखन किया जा सकता है तथा एक संक्षिप्त प्रतिवेदन तैयार किया जा सकता है।

साक्षात्कार का स्वरूप समूह में या वैयक्तिक दानों ही रूपों में हो सकता है। इसमें समूह साक्षात्कार अधिक परिप्रेक्ष्य, विवरण तथा सहजता प्रदान करते हैं। साक्षात्कार में पूरे समूह की अपेक्षा एक बड़े प्रतिदर्ष को शामिल

करना चाहिए। समूह साक्षात्कार की स्थिति में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं जैसे कक्षा में किन क्रिया–कलापों को अधिक बार कराना चाहिए? वह कौन सा तरीका है, जिससे परीक्षण या श्रेणी–निर्धारण को सुधारा जा सके ? समूह साक्षात्कार उतने ही वैध और विश्वसनीय होते हैं जितने कि सर्वेक्षण। साथ ही वे लागत की दृष्टि से भी लाभकारी होते हैं।

वैयक्तिक साक्षात्कार में उन अधिक संवेदनशील मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है, जिनके बारे में समूह में चर्चा करने से विद्यार्थियों को हिचक महसूस होती हो। तथापि वैयक्तिक साक्षात्कार, साक्षात्कारकर्ता के समय और परिणामों के विश्लेषण एवं प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से मंहगे होते हैं।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

5. अनुवर्ती सेवा की किन्ही दो कार्य प्रणालियों का स्वरूप लिखिए।

.....

.....

6. व्यावसायिक संगोष्ठी अथवा समूह सम्मेलन के द्वारा अनुवर्ती सेवा का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है?

.....

.....

7. अनुवर्ती सेवा के प्रमुख उपकरणों के नाम लिखिए।

.....

.....

8. साक्षात्कार के प्रमुख लाभ बताइये।

.....

.....

## 9.6 अनुवर्ती अध्ययन की समस्याएँ एवं समाधान

अनुवर्ती अध्ययन में कतिपय–समस्याओं का सामना अध्ययन के दौरान अध्ययनकर्ताओं को करना पड़ता है। इसमें सबसे प्रमुख समस्या भूत पूर्व छात्रों से सन्तोषजनक प्रत्युत्तर या प्रतिक्रिया का न होना है। ऐसा देखा गया है कि भूतपूर्व छात्र अनुवर्ती अध्ययन के विषय को गम्भीरता की दृष्टि से नहीं लेते हैं तथा प्रश्नावली भरने या अन्य सूचनाएँ प्रदान करने में उदासीनता का प्रदर्शन करते हैं।

भूतपूर्व छात्रों का सहयोग न मिलने की दशा के अतिरिक्त रोजगारदाताओं तथा उद्योगपतियों एवं अभिभावकों की उदासीनता भी अनुवर्ती अध्ययन की दूसरी प्रमुख समस्या है। वे अनुवर्ती अध्ययन को निरर्थक व अनुपयोगी मानकर इसमें उत्साह नहीं दिखाते हैं।

उपर्युक्त समस्याओं के समाधान हेतु प्रत्येक विद्यालय अपने निर्देशन कार्यक्रम का आयोजन इस प्रकार संचालित करें कि विद्यालय जीवन में रहते हुए ही छात्रों को अनुवर्ती अध्ययन की उपयोगिता एवं उसके महत्व को इस प्रकार से अवगत कराया जाय कि वे अनुवर्ती अध्ययन में सहयोग देना अपना कर्तव्य समझें जिससे उनके साथ–साथ समाज का भी लाभ होता है। रोजगारदाताओं, अभिभावकों एवं अध्यापकों को समाज शिक्षा के माध्यम से अनुवर्ती अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में शिक्षित किया जाय और उन्हें इस बात की आवश्यकता का

आभास कराया जाये कि उसमें सहयोग करना उनका सामाजिक एवं नैतिक दायित्व भी है। उन्हें इस बात का भी भान होना चाहिए कि वे ऐसा करके राष्ट्र एवं अध्येताओं के सर्वांगीण विकास में सहयोग करे रहे हैं, क्योंकि अनुवर्ती अध्ययन से विद्यालय या परामर्शदाता अध्येताओं का अनुदेशन एवं आवश्यक वातावरण के लिए अभिप्रेरित कर उनके कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन कर सकता है। अध्यापक के लिए विषयवस्तु, अध्येताओं को ज्ञान कौशल और अभिवृत्तियों को प्राप्त कराने के माध्यम या उपकरण ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा साधन भी है जिनकी सहायता से अध्येता अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके और वही शिक्षा का वास्तविक ध्येय भी है।

अतः अनुवर्ती अध्ययन को निरर्थक और अनुपयोगी मानकर इसमें उदासीनता का परिचय देना राष्ट्र हित में अहितकर है।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

9. अनुवर्ती अध्ययन की समस्याओं एवं उनके समाधान के उपायों का वर्णन कीजिये।

.....

.....

10. भूतपूर्व छात्रों का अनुवर्ती अध्ययन क्यों आवश्यक है?

.....

.....

## 9.7 सारांश

प्रस्तुत इकाई में अनुवर्ती सेवा के अर्थ एवं उसके उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है, अनुवर्ती सेवाओं के अभाव में व्यावसायिक निर्देशन अधूरा रहता है। अनुवर्ती सेवा निर्देशन कार्यक्रम का अंग है। अनुवर्ती अध्ययन परामर्श और निर्देशन कार्यक्रम की सफलता एवं मूल्यांकन के लिए आवश्यक है।

स्नातक होने से पूर्व विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों के सम्बन्ध में उन परिस्थितियों एवं सम्भावनाओं का पता लगाना आवश्यक है जिससे छात्र अपनी शिक्षा जारी रख सके। यदि छात्र का विद्यालय छोड़ना आवश्यक है तो परामर्शदाता उसके लिए बहिर्गमन साक्षात्कार की व्यवस्था करके उसके समस्याओं के नये समाधान एवं नई योजनाओं के विषय में सुझाव भी दे सकता हैं।

विद्यालय को अपने भूतपूर्व छात्रों को अनुवर्ती सेवा प्रदान करने का कार्य भी करना चाहिए। इसके द्वारा वह अपने निर्देशन कार्यक्रमों में सुधार कर सकता है। भूतपूर्व छात्रों की अनुवर्ती समीक्षा के लिए प्रश्नावली, पद्धति, पत्रों का आदान–प्रदान टेलीफोन सम्भाषण, साक्षात्कार तथा भूतपूर्व छात्रों के रोजगारदाताओं एवं अन्य अधिकारियों से विचार–विमर्श का सहारा लिया जा सकता है। इनमें प्रश्नावली एवं साक्षात्कार पद्धति विशेष रूप से प्रचलित हैं। इसके साथ ही इस इकाई के अध्ययन की प्रमुख समस्याएँ और उनके समाधान पर चर्चा की गई है।

## 9.8 अभ्यास के प्रश्न

1. अनुवर्ती सेवा से क्या तात्पर्य है? अनुवर्ती सेवा के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए।
2. अनुवर्ती अध्ययन की समस्याओं एवं उनके समाधान के उपायों का विस्तृत वर्णन कीजिए।
3. विभिन्न साधनों के माध्यम से अनुवर्ती सेवा के क्रियाकलापों को बताइए।

## 9.9 चर्चा के बिन्दु

1. अनुवर्ती सेवा की कार्य प्रणाली किस प्रकार की होनी चाहिए? चर्चा कीजिए।
2. विद्यालय छोड़ चुके विद्यार्थियों की अनुवर्ती सेवा किस प्रकार उपयोगी है? चर्चा कीजिए।

## 9.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

(1) अनुवर्ती सेवा निर्देशित कार्यक्रम का एक अंग है। इसके अभाव में निर्देशित कार्यक्रम की प्रभावशीलता का सही अनुमान लगाना कठिन है। इस सेवा के माध्यम से व्यक्ति स्वयं की प्रगति से परिचित हो पाता है।

(2) अनुवर्ती सेवा के दो उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

(i) समायोजन के विषय में स्पष्ट जानकारी

(ii) समायोजन अवसरों का ज्ञान अथवा जानकारी

(3) भूतपूर्व छात्रों से प्राप्त सूचनाओं से विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों एवं उसकी उपयोगीता और उपलब्धि के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जिसके आधार पर सुधार किया जा सकता है।

(4) अधिगम का सम्वर्धन करना, अधिकाधिक विकास में विद्यार्थियों की सहायता करना, अन्तः क्रिया के लिए ऐसा प्रेरक परिवेश प्रदान करना है जिससे अधिगम तथा आगे का विकास हो सके।

(5) i. स्कूल जा रहे विद्यार्थियों का सर्वेक्षण इसके अन्तर्गत छात्रों का सर्वेक्षण कर उनका शैक्षिक स्तर देखा जाना चाहिए तथा छात्रों के लिए कौन से पाठ्यक्रम तथा कार्य के अलावा कौन–कौन सी क्रियायें सहायक हो सकती हैं।

ii. स्कूल छोड़ चुके छात्रों का सर्वेक्षण।

(6) इसके माध्यम से शैक्षणिक समस्याओं में विशिष्ट सहायता प्राप्त होती है। अतः संगोष्ठी एवं समूह सम्मेलन शिक्षा से सम्बन्धित संगठनों द्वारा प्रयुक्त एक सामान्य साधन है।

(7) अनुवर्ती सेवा के प्रमुख उपकरण सर्वेक्षण प्रपत्र और साक्षात्कार हैं। सर्वेक्षण प्रपत्र के माध्यम से विद्यार्थियों के मूल्य निर्धारण तथा साक्षात्कार से विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय कार्यक्रम, परामर्शदाता एवं अध्यापकों के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(8) साक्षात्कार उपकरण से विद्यार्थियों की अनुक्रियाओं का अभिलेखन कर प्रतिवेदन तैयार किया जा सकता है।

(9) अनुवर्ती अध्ययन की सबसे बड़ी समस्या भूतपूर्व छात्रों से सन्तोषजनक प्रत्युत्तर या प्रतिक्रिया का न होना है। इस समस्या के समाधान हेतु प्रत्येक विद्यालय का यह नैतिक दायित्व है कि वह अपने निर्देशन कार्यक्रम का आयोजन इस प्रकार करे कि विद्यालय जीवन में ही विद्यार्थियों को अनुवर्ती अध्ययन की उपयोगिता एवं महत्व की जानकारी हो जाय।

(10) भूतपूर्व छात्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर परामर्शदाता अपने वर्तमान कार्य में सुधार ला सकता है तथा वर्तमान छात्रों की समस्याओं के समाधान में भूतपूर्व छात्रों के अनुभवों से लाभान्वित हुआ जा सकता है।

## 9.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें


1. सिंह, राम पाल, 2009, अग्रवाल पब्लिकेशन संजय प्लेस, आगरा।
2. जायसवाल, सीताराम, 2007/2008 : शिक्षा के निर्देशन एवं परामर्श, अग्रवाल, पब्लिकेशन, आगरा।

# खण्ड– 04 : व्यावसायिक एवं कार्य शिक्षा में विद्यालय की भूमिका

## खण्ड परिचय

खंड चार में व्यावसायिक एवं कार्य शिक्षा में विद्यालय की भूमिका के विषय में वर्णन किया गया है। अन्य खण्ड की भांति इस खण्ड में भी तीन इकाइयां हैं। इस खण्ड की तीनों इकाई इस प्रकार हैं–

इकाई 10 : करियर सूचना

इकाई 11 : कैरियर निर्देशन

इकाई 12 : विशिष्ट समूह का प्रशिक्षण

इकाई 10 कैरियर सूचना से संबंधित है जिसमें कैरियर सूचना सेवा क्या है? इसके विषय में विस्तार से बताया गया है। करियर में ऐतिहासिक परिवर्तन, कैरियर सूचनाओं के स्रोत, कैरियर सूचना का वर्गीकरण तथा कैरियर सूचनाओं के प्रसारण के विषय में भी विस्तार से समझाया गया है। कैरियर प्रबंधन के इतिहास के अंतर्गत वर्णन करते हुए इसके अनेक सिद्धांतों के विषय में भी बताया गया है जिसमें उद्देश्य कारक सिद्धांत, विषय परक कारक सिद्धांत तथा क्रिटिकल संपर्क सिद्धांत प्रमुख रूप से वर्णित किया गया है। कैरियर सूचना स्त्रोत के विषय में बताते हुए यह समझाया गया है कि श्रव्य–दृश्य सामग्री व्यवसाय से संबंधित विस्तृत सूचनाओं को प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यवसाय के वर्गीकरण को भी विस्तार से बताया गया है जिसमें विषयानुसार वर्गीकरण, व्यवसाय का राष्ट्रीय वर्गीकरण इत्यादि का उदाहरण सहित प्रस्तुतीकरण दिया गया है।

इकाई 11 जो कि करियर निर्देशन से संबंधित है। इस इकाई के विषय में बताते हुए समझाया गया है कि कैरियर निर्देशन की आवश्यकता क्या है तथा आवश्यकताओं की पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं। कैरियर निर्देशन के कौन–कौन से क्षेत्र हैं तथा करियर निर्देशन के प्रमुख कार्य कौन–कौन से हैं और कैरियर निर्देशन का उद्देश्य क्या हो सकता है तथा क्या होना चाहिए इस विषय में भी विस्तार से समझाया गया है। इसके अतिरिक्त निर्देशन के मॉडल के विषय में बताते हुए समझाया गया है कि निर्देशन के चार चरण हैं जिसमें स्वयं को समझना, परिस्थितियों के मांग के अनुसार समायोजन करना, भावी दशाओं के लिए स्वयं को तैयार करना तथा व्यक्तिगत क्षमताओं को विकसित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही साथ शैक्षिक निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन, सामाजिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, सामूहिक निर्देशन, निर्देशन कार्यक्रम का संगठन एवं शिक्षा तथा इन सब में विद्यालय का क्या उत्तरदायित्व होता है इसके विषय में भी स्पष्ट प्रस्तुतीकरण दिया गया है।

इकाई 12 जो की विशिष्ट समूहों के प्रशिक्षण से संबंधित है। इसके अंतर्गत उच्च माध्यमिक स्तर पर जो महत्वपूर्ण व्यावसायिक पाठ्यक्रम होते हैं उनका विवरण प्रस्तुत किया गया है जिसमें कृषि क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम, वाणिज्य क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम, गृह विज्ञान क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम, चिकित्सेत्तर क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं तकनीकी क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम का विस्तार से वर्णन किया गया है। विशिष्ट समूहों के प्रशिक्षण के क्या उद्देश्य हैं और उनकी क्या आवश्यकता होती हैं तथा उनके प्रशिक्षण से संबंधित क्या चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं इसका सुझाव भी दिया गया है साथ ही साथ महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु कौशल विकास के कौन–कौन से कार्यक्रम है इस पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया है।

# इकाई– 10 : कैरियर सूचना

## इकाई की संरचना

10.1 प्रस्तावना

10.2 इकाई के उद्देश्य

10.3 कैरियर सूचना सेवा

10.4 कैरियर में प्रबन्धन का इतिहास

10.5 कैरियर सूचना स्रोत

10.6 व्यावसायों का वर्गीकरण

10.7 कैरियर सूचनाओं का प्रसारण

10.8 सारांश

10.9 अभ्यास के प्रश्न

10.10 चर्चा के बिन्दु

10.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

10.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें

## 10.1 प्रस्तावना

कैरियर सूचना का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को शैक्षिक अवसरों के सम्बन्ध में सूचनाएं प्रदान करना है। ये अवसर विभिन्न स्तरों पर विद्यमान है तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों से तथा उपलब्ध व्यवसायों से सम्बन्धित होते हैं। इसके द्वारा विशिष्ट पाठ्यक्रम या उपर्युक्त क्षेत्रों से संबंधित विषय के बारे में जागरूकता प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इससे एक लाभ यह है कि विद्यार्थी कार्य की दुनिया के सम्पर्क में आता है। जहां से वह यह समझ सकता है कि कार्य की प्रकृति और प्रणाली किस प्रकार की होती है तथा विभिन्न कार्यों को करने के लिए किस प्रकार के कौशलों की आवश्यकता पड़ती है?

विद्यार्थियों के लिए कैरियर सूचनाएं अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में छात्रों को विभिन्न शैक्षिक एवं व्यावसायिक सूचनाओं की आवश्यकता निरंतर बनी रहती है। इन सूचनाओं के द्वारा उनको अपने भविष्य की दिशा निर्धारित करने एवं अपनी रूचि एवं योग्यतानुरूप व्यवसाय चयन करने में सहायता प्राप्त होती है। विभिन्न व्यवसायगत सभी सूचनायें एकत्र करना एवं छात्रों को उनकी जानकारी प्रदान करना शिक्षा संस्थान का एक प्रमुख कार्य है।

वास्तव में विद्यार्थी आनुवंशिक गुणों से समन्वित होने के कारण अपने अन्दर वृद्धि, विकास तथा अधिगम की मानवीय संभावनाओं को लेकर संसार में आते हैं। कैरियर सूचना के रूप में अध्यापक को ऐसा स्वर्णित अवसर मिलता है जब वह होनहार बच्चों के साथ क्रिया–प्रतिक्रिया करते हुए उनके अंदर मानवीय संभावनाओं के विकास को सावधानी और विचारपूर्वक निर्देशन की प्रविधियों के प्रयोग से गति देते हैं। यदि प्रत्येक बच्चे में निहित शक्ति का परिपूर्ण विकास करना है और मानव जीवन की पूर्ण गुणवत्ता से बच्चों को समुन्नत करना है तो बालक की प्रकृति प्रदत्त शक्तियों के विकास के लिए समृद्ध परिवेश एवं सुविचारित पालन–पोषण की नितांत आवश्यकता है।

मानवीय संभावनाओं के विकास के लिए शिक्षाशास्त्रियों ने शैक्षिक संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका को अंगीकार किया है। विद्यार्थी अपने अध्यापक से न केवल किसी विषय के ज्ञान पर अधिकार करना सीखता है, अपितु वह समुचित जीवन मूल्यों, अभिवृत्तियों तथा आदतों का विकास करना भी सीखता है।

## 10.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो जाएंगे कि –

1. कैरियर सूचना सेवा की उपयोगिता एवं कार्य से परिचित हो सकेंगे।
2. कैरियर के ऐतिहासिक परिवर्तनों को समझ सकेंगे।
3. कैरियर सूचना के सोतों से परिचित हो सकेंगे।
4. कैरियर सूचना का वर्गीकरण कर सकेंगे।
5. कैरियर सूचना के प्रसारण की उपयोगिता एवं आधुनिक कार्य पद्धति का विश्लेषण कर सकेंगे।

## 10.3 कैरियर सूचना सेवा

कैरियर सूचना सेवा छात्रों को कैरियर के स्वरूप के बारे में जानकारी प्रदान कराता है। इसके द्वारा विशिष्ट पाठ्यक्रम से संबंधित विषय के बारे में व्यवसायिक अवसरों के प्रति जागरूकता विकसित करने में भी सहायता मिलती है। साधारण शब्दों में कैरियर सूचना के माध्यम से छात्र के किसी व्यवसाय के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता, प्रवेश की विधि, बौद्धिक योग्यता, आर्थिक जरूरतें तथा भविष्य में उन्नति के अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अतः कैरियर सूचना सेवा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये जा सकते हैं–

- विविध कैरियर, उनके लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यताओं एवं उनसे प्राप्त रोजगार के अवसरों की विस्तृत जानकारी एकत्र करना।
- छात्रों की अपनी योग्यतानुरूप व्यवसायिक कार्यक्रम के बारे में सूचना देना तथा उन्हें चुनने में सहायता करना।
- विविध कैरियर और उनसे प्राप्त रोजगार के अवसरों के पारस्परिक अन्तर्सम्बन्धों को समझने में छात्रों की सहायता करना।
- विशिष्ट व्यावसायिक कार्यक्रमों जैसे आई0आई0टी0, मेडिकल, पालीटेक्निक, कम्प्यूटर इत्यादि की प्रवेश परीक्षाओं, उसके लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता इत्यादि की विशिष्ट सूचना एकत्र कर समय–समय पर छात्रों का उचित मार्गदर्शन करना।
- छात्रों को राष्ट्र की शैक्षिक, व्यावसायिक एवं औद्योगिक संरचनाओं के बारे में अवगत कराना।

अतः कैरियर से संबंधित सभी जानकारी छात्रों को शिक्षा संस्थाओं में उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे छात्रों का पथ प्रदर्शन किया जा सके। यह सर्वविदित है कि छात्रों में बौद्धिक एवं वैयक्तिक भिन्नताओं के कारण उनकी योग्यता रूचि, अभिरूचि अलग–अलग होती है। विविध कैरियर के लिए भी विविध योग्यताओं वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है। अतः देश की प्रगति के लिए इन दोनों में तारतम्य स्थापित करना आवश्यक है, जिससे छात्रों को उचित व्यवसायों में लगाया जा सके। शिक्षा के प्रारम्भिक स्तर से ही छात्रों को इन विविध अवसरों के बारे में अवगत कराना चाहिए। शिक्षा संस्थाओं को विभिन्न व्यवसायों के बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए और उनके समस्त स्रोतों की सूचना उनके पास उपलब्ध होनी चाहिए।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. कैरियर सूचना सेवा का क्या महत्व है?

.....

.....

2. कैरियर सूचना सेवा में संस्थाओं की क्या भूमिका है?

.....

.....

## 10.4 कैरियर में प्रबन्धन का इतिहास

कैरियर की पसंद में समय के साथ द्रुत परिवर्तन आना प्रारम्भ हो गया, सामाजिक संरचना, सामाजिक एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं ने 20वीं शताब्दी के अंत तक, विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत की। कैरियर प्रबंधन एक व्यक्ति द्वारा कैरियर के सक्रिय और उद्देश्यपूर्ण प्रबंधन का वर्णन करता है। कैरियर प्रबंधन कौशल को शामिल करने वाले विचारों की ब्लूप्रिण्ट मॉडल है। डिजिटल कैरियर साक्षरता द्वारा वर्णित किया गया कौशल है।

मुख्य कौशल में एक के वर्तमान कैरियर पर प्रतिबिंबित करने की क्षमता, श्रम बाजार पर शोध, निर्धारित करना कि क्या शिक्षा आवश्यक है, अवसर खोलने और कैरियर में परिवर्तन करने की क्षमता है। एक व्यक्ति का निर्णय तीनों कारकों पर निर्भर हो सकता है उद्देश्य कारक, व्यक्तिपरक कारक और महत्वपूर्ण सम्पर्क सिद्धांत जिनका विवरण निम्नलिखित है–

- **उद्देश्य कारक सिद्धान्त** : यह सिद्धान्त मानता है कि आवेदक तर्कसंगत हैं, इसलिए चुनाव, नौकरी के ठोस लाभ के उद्देश्य के आकलन के बाद प्रयोग किया जाता है। कारक में वेतन, अन्य लाभ, स्थान, कैरियर की उन्नति आदि के लिए अवसर शामिल हो सकते हैं।
- **विषयपरक कारक सिद्धान्त** : यह सिद्धान्त बताता है कि निर्णय लेने में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों का वर्चस्व है। नौकरी की स्थिति, संगठन की प्रतिष्ठा और अन्य समान कारक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **क्रिटिकल संपर्क सिद्धान्त** : यह सिद्धान्त इस विचार को आगे बढ़ाता है कि निर्णय लेने में संगठन के साथ बातचीत करते समय एक उम्मीदवार की टिप्पणियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उदाहरण के लिए भर्ती कैसे उम्मीदवार के संपर्क में रहता है, प्रतिक्रिया की तत्काल और इसी तरह के कारक महत्वपूर्ण हैं यह सिद्धान्त अनुभवी पेशेवरों के साथ अधिक मान्य है।

ये सिद्धान्त मानते हैं कि उम्मीदवारों को नियोक्ताओं और कैरियर की एक स्वतंत्र पंसद है। वास्तव में नौकरियों की कमी और वांछनीय नौकरियों के लिए मजबूत प्रतिस्पर्द्धा गंभीर रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया को देखते हैं। कई बाजारों में कर्मचारियों को विशेष कैरियर का काम करना है, क्योंकि उन्हें उन सभी कार्यों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था, जो उन्हें उपलब्ध था।

## 10.5 कैरियर सूचना स्रोत

इस इकाई में हम विविध सूचना स्रोतों के बारे में कुछ विस्तार से चर्चा करते हैं। आप किसी व्यवसाय अथवा व्यावसायिक कार्यक्रम के बारे में जानकारी कहां से प्राप्त करते हैं? हम जानते हैं कि बहुत सी सरकारी और प्राइवेट एजेन्सियों के अपने सूचना केन्द्र हैं, जहां से आपको आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सकती है। विभिन्न वेबसाइट, ई पत्रिकाओं के अतिरिक्त सभी राज्यों में सरकारों से रोजगार खोले हैं, निर्देशन ब्यूरो, राजकीय शैक्षिक प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र के निर्देशन केन्द्र, राजकीय शैक्षणिक एवं व्यावसायिक केन्द्र, व्यावसायिक शैक्षिक संस्थाएं तथा प्रशिक्षण संस्थाएं विविध व्यवसायों और व्यवसायिक कार्यक्रमों संबंधी सूचनाएं प्रदान करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त व्यवसायगत सूचना सामग्री समाचार पत्रों एवं व्यवसायिक पत्रिकाओं से भी प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार की पत्रिकाएं छात्रों के लिए बहुत उपयोगी होती हैं, कुछ संस्थाएं किसी व्यवसाय विशिष्ट से संबंधित पृथक रूप से भी सूचनाएं प्रदान करती हैं जैसे कुछ व्यवसायों से संबंधित विवरण 'मोनोग्राफ' तथा व्यक्ति विशेष की जीवनियों या आत्मकथाओं से प्राप्त हो सकते हैं। श्रव्य–दृश्य सामग्री जैसे पोस्टर, चार्ट, फिल्म इत्यादि भी विभिन्न

व्यवसायों से संबंधित विस्तृत सूचनायें प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त पारम्परिक माध्यम जैसे अखबारों और पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापन तथा विविध व्यवसायों के बारे में आलेख व्यवसायिक सूचना एकत्र करने के शक्तिशाली माध्यम हैं।

इन सभी स्रोतों से एकत्र सामग्री को परामर्शदाता वर्गीकृत करके सूचना केन्द्र पर रख सकता है। सूचनाओं का वर्गीकरण एक चार्ट के रूप में बनाकर सूचना केन्द्र में रखा जा सकता है।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

3. कैरियर की पसंद का विषयपरक सिद्धांत क्या है?

.....

.....

4. कैरियर सूचना के प्रमुख स्रोत क्या हैं?

.....

.....

## 10.6 व्यावसायों का वर्गीकरण

### वर्णानुसार वर्गीकरण

इस विधि के अनुसार विभिन्न व्यवसायों को वर्णानुसार वर्गीकृत करके उनके बारे में विभिन्न सूचनाएं प्रदान की जा सकती हैं जैसे ए, बी, सी, डी, ई..... इत्यादि। अतः 'ए' वर्ण से एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव सेवाओं, 'बी' में बिजनेस, 'ई' के अन्तर्गत इन्जीनियरिंग तथा 'एम' के अन्तर्गत मेडिकल सेवाओं के बारे में सूचनायें संग्रहित की जा सकती है। प्रत्येक वर्ग के अन्तर्गत इसके लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता प्रवेश विधि, प्रवेश परीक्षा संबंधी सूचना, पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी एवं रोजगार के अवसरों का विवरण दिया जा सकता है।

### विषयानुसार वर्गीकरण

वर्गीकरण का एक तरीका विद्यालय में पढ़ाये जाने वाले विषयों के आधार पर हो सकता है। इस वर्गीकरण के अन्तर्गत प्रत्येक विषय को पढ़ाने के बाद आवश्यक रोजगार एवं व्यवसायिक अवसरों की विस्तृत सूचनाओं का संकलन किया जा सकता है। जैसे वाणिज्य, विज्ञान, कला, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि विषयों को पढ़ने के बाद भविष्य में मिलने वाले अवसरों की सूची।

### मिश्रित विधि

उपर्युक्त दोनों ही विधियों में कुछ गुण तथा कमियां पाई जाती हैं। अतः परामर्शदाता दोनों विधियों को मिलाकर एक मिश्रित रूप अपना सकता है, जिसके अनुसार व्यवसायों को विद्यालयीय विषयों के आधार पर बड़े–बड़े समूहों में वर्णानुसार वर्गीकृत किया जाता है जैसे विज्ञान की पढ़ाई के बाद मिलने वाले व्यवसायों का विवरण फिर इन व्यवसायों का वर्णानुसार विभाजन और उनके बारे में विस्तृत सूचनाओं का संकलन।

### व्यवसायों का राष्ट्रीय वर्गीकरण

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने व्यवसायों का अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय वर्गीकरण, 1968 नामक दस्तावेज का प्रकाशन किया। उसको आधार मानकर महानिदेशक रोजगार तथा प्रशिक्षण श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने एक दस्तावेज प्रकाशित किया है, जिसका नाम व्यवसायों का राष्ट्रीय वर्गीकरण, 1968 है।

व्यवसायों का राष्ट्रीय वर्गीकरण के अन्तर्गत चार अंग समाहित हैं–

संभाग, समूह, परिवार और व्यवसाय। उसमें आठ संभाग 95 समूह 950 परिवार और लगभग 2500 व्यवसाय सम्मिलित हैं।

श्रम मंत्रालय ने भी व्यवसायों का राष्ट्रीय वर्गीकरण को व्यवसायों का राष्ट्रीय वर्गीकरण के रूप में पुनरालोकित कर दिया है। इसमें छह संख्या के कोड हैं। इसमें कौशल वाले भाग को महत्व प्रदान किया गया है। रोजगार कार्यालयों में व्यावसायिक निर्देशन इकाई कार्यरत हैं। दरअसल जब भी रोजगार ढूंढने वाले लोग रोजगार कार्यालय पहुंचते हैं तो पहले उनका पंजीकरण होता है और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को व्यवसायों का राष्ट्रीय वर्गीकरण कोड नम्बर प्रदान कर दिया जाता है, जो कि शैक्षिक योग्यता, अनुभव तथा प्राप्त प्रशिक्षण आदि पर आधारित होता है। पोस्टर, चित्र, फिल्म, टेपरिकार्डिंग, पत्रक, पुस्तक तथा व्यवसाय विशेष से संबंधित सभी सूचनाएं पकत्र करने का पर्याप्त स्थान होना चाहिए।

एक व्यवसाय से संबंधित सामग्री एक ही स्थान पर उपलब्ध होनी चाहिए। पुस्तकों तथा दूसरे प्रकाशनों में उपलब्ध सामग्री को शीघ्र उपलब्ध कराने की एक प्रभावशाली प्रणाली उपयोग करनी चाहिए, जिससे समय व्यर्थ न हो। व्यवसायिक सूचना के संकलन के लिए नई प्रविधि का आविश्कार किया जा रहा है।

## 10.7 कैरियर सूचनाओं का प्रसारण

सूचनाएं एकत्र करना तथा उन्हें वर्गीकृत करने मात्र से है। व्यावसायिक सूचना केन्द्र का कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता, वरन् वास्तविक कार्य तो एकत्रित सूचनाओं को छात्रों तक पहुंचाना है। इसके अभाव में ये सेवायें निरर्थक होंगी। सूचनाओं के प्रसारण में व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। सामूहिक विधियों में कक्षा के अन्तर्गत व्यवसायिक सूचनाओं संबंधी चर्चा करवाना, अभिस्थापन वार्ता एवं भाषण का आयोजन करना, कैरियर मेला एवं प्रदर्शनी, वास्तविक कार्यस्थल में छात्रों को ले जाकर व्यवसाय विशेष के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना आदि विधियों का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यवसाय विशेष के अधिकारी को विद्यालय में आमंत्रित करके छात्रों के साथ वार्तालाप करवाया जा सकता है। यही नहीं, स्थानीय व्यक्तियों द्वारा भी स्थानीय व्यवसायों और इनके अवसरों की चर्चा विद्यालयों में कराई जा सकती है। वेबसाइट एवं पुस्तकालय में एक व्यवसायिक सूचना केन्द्र की स्थापना कर विविध वेबसाइट एवं ई पत्रिकाएं तथा अन्य द्वारा भी ये जानकारियां छात्रों तक पहुंचाई जा सकती हैं। इनके अतिरिक्त विद्यालय के सूचनापट्ट का प्रयोग भी इस ध्येय हेतु किया जा सकता है।

पोस्टर, चार्ट, दृश्य–श्रव्य माध्यम, फिल्म, अखबार के विज्ञापन आदि के द्वारा भी छात्र समूहों के सूचनाएं उपलब्ध करवाई जा सकती हैं। सामूहिक विधियों के अतिरिक्त व्यक्तिगत तौर पर छात्र छात्र विशिष्ट की आवश्यकतानुरूप उसे व्यावसायिक सूचनाएं उपलब्ध करवाई जा सकती हैं। छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर अपनी रूचि एवं अरूचि के अनुरूप व्यवसाय का चयन कर उसके बारे में प्रोजेक्ट लेने के लिए अध्यापक अथवा परामर्शदाता प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे छात्र का ज्ञानवर्धन तो होगा ही उसे अपनी रूचि के अनुरूप व्यवसाय के बारे में समस्त जानकारी भी उपलब्ध हो जायगी।

सूचना प्रसारण के विविध उपकरण हैं जैसे– व्यवसायिक साहित्य, जीवन कथा, व्यवसायिक विषय सार, व्यवसायिक सारांश, व्यवसायिक लघु सूचना पत्रक, व्यवसाय निर्देशिका, कार्यों की श्रृंखला, व्यापार और औद्योगिक विवरणात्मक साहित्य, भर्ती से संबंधित साहित्य, पोस्टर, चार्ट, लेख और निबन्ध, समुदाय सर्वेक्षण, अर्थ संबंधी प्रतिवेदन या कार्य विश्लेषण, दृश्य–श्रव्य साधन, संगणक।

पढ़ने वाले छात्रों के लिए इस प्रकार के सम्मेलनों एवं प्रदर्शनियों का आयोजन कराया जाता है, जिसमें विभिन्न व्यवसाय से जुड़े हुए लोग उनके बारे में चर्चा करते हैं और छात्रों को आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं। किसी व्यवसाय विशेष अथवा व्यवसाय समूहों का वास्तविक स्थितियों से परिचय कराने के लिए छात्रों के समक्ष विभिन्न व्यवसायों को चलचित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है। छात्रों को निकटवर्ती औद्योगिक प्रतिष्ठानों के भ्रमण हेतु ले जा सकते हैं। इससे उनको विभिन्न व्यवसायों की प्रत्येक सूचनाएं विस्तार से प्राप्त हो सकती हैं तथा वहां के कार्यकलापों से परिचित होने का अवसर प्राप्त हो सकता है। आजकल व्यवसायों से जुड़े मेलों के आयोजन का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। इन मेलों में विविध व्यवसाय के लोग भाग लेते हैं, जिससे विस्तृत सूचनाएं

एक जगह पर मिल जाती हैं। आजकल इन मेलों का महत्व बढ़ता जा रहा है और देशी विदेशी सभी व्यावसायिक संगठन इनमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। व्यवसायिक मेलों की भांति व्यवसायिक जागरूकता शिविरों के आयोजन द्वारा भी विविध व्यवसायिक पाठ्यक्रमों एवं उनसे मिलने वाले रोजगार के अवसरों की जानकारी छात्रों को प्रदान की जा सकती है।

इन सभी विधियों के अतिरिक्त व्यवसाय संबंधी सूचनाओं को विभिन्न पाठ्यविषयों में भी शामिल किया जा सकता है। जैसे प्रारम्भिक तथा उच्चतर प्राथमिक कक्षाओं की गणित पुस्तकों में भूगोल, अर्थशास्त्र आदि की पुस्तकों में विविध व्यवसायों के विकास, उनके कारण होने वाली आर्थिक प्रगति तथा राजनीति एवं सामाजिक परिवर्तनों के फलस्वरूप हुई औद्योगिक क्रान्तियों, औद्योगिक विकास तथा उनसे उत्पन्न रोजगार के अवसरों की सूचना भी छात्र को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विविध व्यवसायों के महत्व और जरूरत की जानकारी देती है। इससे उन्हें अपना भावी व्यवसाय सुनिश्चित करने में सहायता प्राप्त होती है।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी** :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

5. कैरियर सूचना के प्रसारण की व्यक्तिगत विधि क्या है?

.....

.....

6. कैरियर सूचना के प्रसारण की सामूहिक विधि क्या हैं?

.....

.....

## 10.8 सारांश

कैरियर सूचना उन विद्यार्थियों की सहायता करने का एक प्रयास है, जो नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे वे विद्यार्थी होते हैं, जिन्होंने या तो विद्यालय छोड़ दिया है अथवा अभी विद्यालय में अध्ययनरत हैं। विद्यालय कुछ इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है, जिनसे विद्यार्थियों के रोजगार की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। वे आवश्यकताएं विशेष प्रकार की होती हैं, जो कि स्थानन कुशल व्यक्तियों अथवा निर्देशन कुशल व्यक्तियों की समेकित सेवाओं द्वारा पूरी की जाती हैं। यह एक ऐसी क्रिया है, जो प्रधानाचार्य, उपबोधक, अध्यापक, व्यवसाय अध्यापक और राज्य रोजगार अभिकरणों, निजी अभिकरणों तथा समुदाय की सहायता की भी अपेक्षा रखती है। यह सेवा उन विद्यार्थियों के लिए अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है, जो विद्यार्थी अध्ययनकाल पूरा करने से पहले ही स्वयं को औपचारिक शिक्षा से हटा लेते हैं। जो विद्यालय में पढ़ने के साथ–साथ अंशकालीन कार्य करना पसन्द करते हैं अथवा अवकाश के समय या विद्यालय के समय के पश्चात् अथवा सप्ताहान्त में कार्य करना पसन्द करते हैं। जो उच्चतर माध्यमिक स्तर के पश्चात् औपचारिक शिक्षा छोड़ देते हैं।

विद्यार्थियों में समय के साथ कैरियर की पसंद में द्रुत गति से परिवर्तन आना आरम्भ हो गया। कैरियर पसंद तीन सिद्धान्तों पर आधारित है। कैरियर सूचना के सरकारी और गैर सरकारी विभिन्न स्रोत हैं। समाचार पत्र एवं व्यवसायिक पत्रिकाएं छात्र–छात्राओं के लिए विशेष उपयोगी होते हैं। कैरियर सूचना का वर्गीकरण विषय, व्यवसाय वर्णानुसार किया जाता है। कैरियर सूचना के प्रसारण हेतु विविध विधियां उपयोगी हैं जैसे– वार्ता, भाषण, वेबसाइट, ई–पत्रिकायें भी उपयोगी हैं।

## 10.9 अभ्यास के प्रश्न

1. स्वरोजगार के विकल्पों की व्याख्या कीजिए।
2. एक कैरियर सूचना केन्द्र बनाने हेतु उसकी रूप रेखा एवं कार्यों का विवरण दीजिए।

## 10.10 चर्चा के बिन्दु

1. कैरियर में प्रबन्धन के इतिहास पर विस्तृत चर्चा कीजिए।
2. कैरियर सूचनाओं का विस्तृत प्रसारण किस प्रकार किया जा सकता है? चर्चा कीजिए।

## 10.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. कैरियर सूचना सेवा विद्यार्थियों को कैरियर के चयन, सम्बन्धित आवश्यक योग्यता, प्रवेश की विधि, बौद्धिक योग्यता, आर्थिक पक्ष आदि के बारे में जानकारी देती है।
2. शिक्षा संस्थाओं को विभिन्न व्यवसायों के बारे में विस्तृत एवं पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए, जिससे वह छात्रों का सही मार्गदर्शन कर सके।
3. कैरियर की पसंद का विषयपरक सिद्धान्त विषय को पढ़ाने के बाद आवश्यक रोजगार एवं व्यवसायिक अवसरों की विस्तृत सूचनाओं से है।
4. कैरियर सूचना के प्रमुख स्रोत वेबसाइट ई पत्रिकायें, समाचार पत्र व्यवसायिक पत्रिकायें आदि हैं।
5. कैरियर सूचना के प्रसारण की व्यक्तिगत विधि छात्रों की व्यक्तिगत रूचि को जानकर उससे सम्बन्धित प्रोजेक्ट या व्यवसाय को लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
6. कैरियर सूचना के प्रसारण की सामूहिक विधि व्याख्यान, कैरियर मेला एवं प्रदर्शनी आदि है।

## 10.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें


1. S. Nageshwara Rao (2004), Guidance & Counseling, New Delhi: Discovery Publishing House
2. Barkhi B.G. & Mukhopadhyay, (2008- 10th Reprint), Guidance and Counselling: A Manual, New Delhi: Sterling Publishers Private Limited
3. Kochhar S.K., (2007), Educational and Vocational Guidance in Secondary Schools, New Delhi: Sterling Publishers Private Limited.
4. Singh Yogesh Kumar (2005), Guidance and Career Counselling, A.P.H. Publishing Corporation, New Delhi.
5. अग्रवाल जे0सी0, (1989), *एजुकेशन वोकेशनल गाइडेन्स एण्ड काउंसिलिंग,* दहेली दुआवा हाउस।
6. ओबराय, एस0सी0, (1993), *शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श,* मेरठ : लायल बुक डिपो।
7. जयसवाल, सीताराम, (1992), *शिक्षा में निर्देशन एवं परामर्श,* आगरा : विनोद पुस्तक मन्दिर।
8. जॉस आर्थर जे (1963), *'प्रिन्सिपिल्स ऑफ गाइडेन्स'* न्यूयार्क : मैकग्राहिल बुक कम्पनी।
9. दुवे, रमाकान्त, (1982), शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के मूल आधार, मेरठ : राजेश पब्लिशिंग हाउस।
10. पाण्डेय, के0पी0, (1987), *शैक्षिक* तथा व्यावसायिक निर्देशन के आधार, दिल्ली : अमिताश प्रकाशन।
11. सिंह, रामपाल, (2011), *शैक्षिक एवं व्यवसायिक निर्देशन ,* आगरा : अग्रवाल पब्लिकेशन।
12. सिंह, सुनीता एवं कनौजिया आरती, (2009), *शिक्षा में निर्देशन एवं परामर्श,* लखनऊ : आलोक प्रकाशन।

# इकाई– 11 : कैरियर निर्देशन

## इकाई की संरचना


11.1 प्रस्तावना

11.2 इकाई के उद्देश्य

11.3 कैरियर निर्देशन की आवश्यकता

11.4 कैरियर निर्देशन का क्षेत्र

11.5 कैरियर निर्देशन के प्रमुख कार्य

11.6 कैरियर निर्देशन का उद्देश्य

11.7 निर्देशन के मॉडल

11.8 निर्देशन कार्यक्रम का संगठन और शिक्षा

11.9 सारांश

11.10 अभ्यास के प्रश्न

11.11 चर्चा के बिन्दु

11.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

11.13 कुछ उपयोगी पुस्तकें


## 11.1 प्रस्तावना

आधुनिक जीवन की जटिलताओं के कारण युवाओं पर नए दायित्व आ गये हैं। आज उन्हें नए कौंशलों तथा क्षमताओं की आवश्यकता है जो पूर्वकाल के अपेक्षाकृत सरल समाज में अपेक्षित नहीं थे। जिन कौशलों और क्षमताओं या योग्यतओं की उन्हें आज आवश्यकता है, उनका सम्बन्ध उपलब्ध जानकारी और अपने द्वारा अपनाए गए व्यवसायों में भी पर्याप्त जानकारी ढूंढने से है जो उनकी प्रगति के लिए आवश्यक होती है। विद्यार्थियों में इन कौशलों तथा क्षमताओं को विकसित करने के लिए अध्यापकों में भी नवीन क्षमताओं की आवश्यकता होती है ताकि वे विद्यार्थियों के कैरियर को निर्देशित कर सकें। कुछ विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत अधिक कैरियर निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। सामान्यतः कुछ ऐसे विद्यालय हैं जिनमें एक सुव्यवस्थित निर्देशन सेवा प्रदान की जाती है। वस्तुतः निर्देशन का कोई विकल्प नहीं है अपितु ये तो समग्र शैक्षिक प्रक्रिया के अभिन्न अंग होते हैं। कैरियर निर्देशन सेवाओं के प्रावधान की अपेक्षा है कि इस उद्यम में अध्यापक तथा अन्य कार्मिक अपनी भूमिका निभाएं।

जिस प्रकार मानव में व्यक्तिगत भिन्नता पायी जाती है और एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न होता है, उसी प्रकार कैरियर में भी भिन्नता पायी जाती है। एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय से अपनी प्रकृति, माँग और अपेक्षा में भिन्न होता है। इसी मनुष्यगत एवं व्यवसायगत भिन्नता पर व्यावसायिक निर्देशन की आधारशिला रखी हुई है।

वर्तमान शताब्दी में मनोविज्ञान का साहित्य बहुत ही तीव्रगति से समृद्ध हुआ है। मनोविज्ञान के प्रायः सभी शोधों, प्रयोगों तथा अनुसंधानों का बाहुल्य हो गया है। व्यक्तिगत भेद के सिद्धान्त का प्रतिपादन इसी युग की देन है। प्रत्येक व्यक्ति बौद्धिक क्षमता, रूझान, अभिरूचि तथा अन्य मानसिक शक्तियाँ लेकर जन्म लेता है जो दूसरे व्यक्ति की शक्तियों से भिन्न होती है। यही नहीं, अपनी इस जन्मजात क्षमताओं में परिवर्तन भी प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग से करता है यह समझना आवश्यक है कि दो व्यक्ति सर्वथा समान नहीं होते। व्यावसायिक निर्देशन के सम्पूर्ण कार्यक्रम का यही आरम्भ बिन्दु है।

## 11.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो जायेंगे कि –

1. कैरियर निर्देशन की आवश्यकता एवं उसके क्षेत्र को समझ सकेंगे।
2. कैरियर निर्देशन के प्रमुख कार्यों से परिचित हो सकेंगे।
3. कैरियर निर्देशन के मॉडलों की व्याख्या कर सकेंगे।
4. कैरियर निर्देशन के प्रयोजनों को समझ सकेंगे।
5. कैरियर निर्देशन कार्यक्रम में विद्यालय की भूमिका निर्धारित कर सकेंगे।

## 11.3 कैरियर निर्देशन की आवश्यकता

मानव जीवन संघर्ष से परिपूर्ण रहता है। सम्पूर्ण जीवन काल में मनुष्य अपने समायोजन की समस्या से जूझता रहता है। अपने व्यक्तिगत जीवन में सामंजस्य, तालमेल एवं संगति लाना अब मानव के लिए कठिन होता जा रहा है। क्योंकि हमारी सामाजिक व्यवस्था जटिल होती जा रही है। शैक्षिक दृष्टि से अच्छी उपलब्धि वाला, व्यावसायिक दृष्टि से सफल व्यक्ति भी अपने व्यक्तिगत जीवन में मानसिक, सांवेगिक, चारित्रिक, नैतिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक विकास की दृष्टि से समस्याग्रसत हो सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि व्यक्ति का संतुलित विकास ना होने के कारण अनेक प्रकार की कुण्ठाएँ एवं ग्रन्थियाँ उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। जिसका कुप्रभाव उसके शैक्षिक एवं व्यवसायिक जीवन पर भी पड़ता है। जब मनुष्य अपनी सवयं की समस्याओं को ना तो समझ पाता है और ना ही सुलझाने में अपने–आप को सक्षम पाता है तब उसे निर्देशन की आवश्यकता होती है।

## 11.4 कैरियर निर्देशन का क्षेत्र

मानव जीवन संघर्ष से परिपूर्ण रहता है। सम्पूर्ण जीवन काल में मनुष्य अपने समायोजन की समस्या से जूझता रहता है। अपने व्यक्तिगत जीवन में सामंजस्य, तालमेल एवं संगति लाना अब मानव के लिए कठिन होता जा रहा है। क्योंकि हमारी सामाजिक व्यवस्था जटिल होती जा रही है। शैक्षिक दृष्टि से अच्छी उपलब्धि वाला, व्यावसायिक दृष्टि से सफल व्यक्ति भी अपने व्यक्तिगत जीवन में मानसिक, सांवेगिक, चारित्रिक, नैतिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक विकास की दृष्टि से समस्याग्रसत हो सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि व्यक्ति का संतुलित विकास ना होने के कारण अनेक प्रकार की कुण्ठाएँ एवं ग्रन्थियाँ उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। जिसका कुप्रभाव उसके शैक्षिक एवं व्यवसायिक जीवन पर भी पड़ता है। जब मनुष्य अपनी सवयं की समस्याओं को ना तो समझ पाता है और ना ही सुलझाने में अपने–आप को सक्षम पाता है तब उसे निर्देशन की आवश्यकता होती है।

### बोध प्रश्न

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. व्यक्ति को निर्देशन की आवश्यकता कब होती है?

.....

.....

2. कैरियर निर्देशन का क्षेत्र क्या है?

.....

.....

## 11.5 कैरियर निर्देशन के प्रमुख कार्य

कैरियर निर्देशन के निम्न कार्य हैं –

- विद्यार्थी जिस कैरियर का चयन करना चाहते हैं उनकी अर्हता तथा उनके कार्य, कर्तव्य तथा उत्तरदायित्वों से अवगत कराना।
- स्वयं अपनी योग्यताओं आदि का पता लगाने में विद्यार्थी की सहायता करना तथा चयनित कैरियर से उनका सामंजस्य स्थापितकरना।
- स्वयं अपने तथा समाज के हित की दृष्टि से विद्यार्थी की योग्यता तथा रूचियों का मूल्यांकन करना।
- विद्यालय शिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों में इस बात का अवसर प्रदान करना कि विद्यार्थी को विभिन्न प्रकार के कार्यों का अनुभव प्राप्त हो सके।
- विद्यार्थी को आलोचनात्मक दृष्टि से विभिन्न प्रकार के कैरियर विकल्पों में सहायता प्रदान करना और प्राप्त व्यावसायिक सूचनाओं के विश्लेषण की विधि सिखाना।
- विद्यार्थियों में शिक्षकों तथा अन्य निर्देशन कार्यकर्ताओं के प्रति विश्वास उत्पन्न करना जिससे वे उनसे अपनी समस्याओं पर विचार विमर्श करने में उत्साहित हों।
- विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं द्वारा जो कैरियर प्रशिक्षण दिया जाता है उसके विषय में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करने में विद्यार्थी की सहायता करना।
- विद्यालय शिक्षण की अवधि में ऐसी सहायता देना कि व्यक्ति आगे चलकर अपने कार्य की परिस्थितियों तथा अन्य कार्यकर्ताओं से समायोजन स्थापित कर सके।
- कार्य में दक्षता प्राप्त करने के लिए दीर्घकालीन प्रशिक्षण की आवश्यकता के प्रति विद्यार्थी को सचेष्ट करना।
- प्रत्येक विद्यार्थी को कैरियर दक्षता प्राप्त करने की अवैज्ञानिक विधियों से सावधान करना।

## 11.6 कैरियर निर्देशन का उद्देश्य

कैरियर निर्देशन का उद्देश्य छात्रों की योग्यताओं, अभिरूचियों और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने को ढालने में सहायता प्रदान करना है। दूसरे शब्दों में इसका तात्पर्य वांछित दिशा में विकास करने में विद्यार्थी की सहायता करना है और बदलते समय और समाज की आवश्यकताओं तथा मांगों के अनुकूल स्वयं को बनाना है।

कैरियर निर्देशन का उद्देश्य घर, विद्यालय और समकक्ष सम्बन्धों जैसी प्राथमिक समूह शक्तियों के एकत्रीकरण के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना है। ये वे शक्तियाँ हैं जो विद्यार्थियों की किशोरावस्था के लिए आधार बनाती हैं और फिर उन शक्तियों को एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण में परिवर्तित करती है। कैरियर निर्देशन, मुख्य रूप से इन शक्तियों के विभिन्न वैशिष्ट्य पहलुओं पर बल देता है क्योंकि ये विद्यार्थियों के ज्ञान, स्वीकरण और स्वयं की दिशा पहलुओं को प्रभावित करता है। शैक्षिक योजना, रोजगार चयन, वैयक्तिक स्वीकरण के क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं और अवसरों के अनुसार अपने विकास के लिए विद्यार्थियों को सेवाएं प्रदान करना माध्यमिक स्तर पर निर्देशन सेवाओं का मूल कार्य है।

इस प्रकार निर्देशन का प्रयोजन व्यक्तिगत संतुष्टि और सामाजिक उपयोगिता है जिसमें विद्यार्थी, अध्यापक, अभिभावक आदि सम्मिलित हैं। आत्म–स्थितिपरक सम्बन्धों को समझने और उनसे निबटने के लिए व्यक्ति की क्षमता में सुधार करना आवश्यक है। बच्चों, किशोरों और युवकों के दुर्व्यवहार में योगदान करने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों में से कुछ दूरदर्शन–कार्यक्रमों, चलचित्र, कामिक और पत्रिकाएं हैं जिनमें हिंसा प्रसारणों, डरावने दृश्यों, लज्जाहीनता तथा उत्कृ'टता और नैतिकता के सिद्धान्तों के अनादर से सामना होता है।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

3. कैरियर निर्देशन का सर्वाधिक प्रमुख कार्य क्या है?

.....

.....

4. कैरियर निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य क्या हैं?

.....

.....

## 11.7 निर्देशन के मॉडल

विभिन्न क्षेत्रों में तीव्र गति से परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के निर्देशन के लिए व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। निर्देशन के चार चरण हैं, जैसे – स्वयं को समझना, परिस्थितियों की मांगों के अनुसार समायोजन करना, भावी दशाओं के लिए स्वयं को ढालना और तैयार करना तथा स्वपूर्ति करना एवं वैयक्तिक क्षमताओं को विकसित करना। इसलिए कहा जा सकता है कि निर्देशन की आवश्यकता आज के युग में बहुत बढ़ गयी है क्योंकि यह जीवन के सभी पहलुओं से सम्बन्धित है।

निर्देशन की धारण मनोवैज्ञानिकों की वैयक्तिक भिन्नताओं की खोज है। प्रत्येक व्यक्ति की रूचि योग्यताएं, भिन्न–भिन्न होती हैं इस कारण उन्हें किस प्रकार पथ प्रदर्शित किया जाये। इस बात की समस्या पैदा हो जाती है क्योंकि बिना उचित पथ प्रदर्शन के व्यक्ति समाज में उचित समायोजन नही कर पाते। अतः उन्हें निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धान्त के आधार पर निर्देशन की दार्शनिक विचारधारा का जन्म हुआ।

निर्देशन के मुख्यतः तीन मॉडल हैं जो सर्वाधिक आवश्यक तथा उपयोगी है जो व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करते हैं–

1. शैक्षिक निर्देशन
2. व्यावसायिक निर्देशन
3. वैयक्तिक सामाजिक निर्देशन

### 1. शैक्षिक निर्देशन :

यह व्यक्ति की सहायता करने की वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति अपनी शिक्षा के लिए सर्वाधिक अनुकूल परिवेश में अपने आपको स्थापित कर सके। यह व्यक्ति के शैक्षिक कार्यक्रम को बुद्धिमत्तापूर्वक योजना बनाने के लिए सहायता करने से जुड़ा है ताकि व्यक्ति सफलतापूर्वक उस कार्यक्रम को कार्यान्वित कर सके जिसे समाज अपने लिए और उसके लिए उचित समझता है। यह पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और अध्ययन से जुड़ा है।

### 2. व्यावसायिक निर्देशन :

उचित व्यवसाय का चुनाव करने, उसके लिए तैयारी करने, उसमें प्रवेश करने तथा प्रगति करने में व्यक्ति की सहायता करने की प्रक्रिया व्यावसायिक निर्देशन कहलाता है। व्यावसायिक निर्देशन माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों में शैक्षिक, पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों और व्यावहारिक पाठ्यक्रमों के रूप में व्यापारिक तथा वाणिज्यिक पाठ्यक्रमों की श्रेणियों से सम्बन्धित है।

व्यावसायिक निर्देशन देते समय निर्देशन को दो तत्व सामने रखकर चलना पड़ता है : प्रथम कैरियर के लिए वांछित योग्यताओं की सूची अर्थात् अमुक व्यवसाय के लिए स्तर के दक्षता/योग्यता की आवश्यकता पड़ती है, कितनी तथा किस प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता होती है। किस प्रकार की अन्य क्षमताओं, रूचियों तथा

अभिरूचियों, शिक्षा, अनुभव आदि की जरूरत होती है? द्वितीय उस विद्यार्थी की कैरियर के योग्य कितनी अनुकूलता है।

## 3. वैयक्तिक सामाजिक निर्देशन :

वैयक्तिक सामाजिक निर्देशन में सामाजिक भावात्मक और अवकाश समय के उपयोग का निर्देशन सम्मिलित है। यह वैयक्तिक निर्देशन से सम्बन्धित है जिसमें भावात्मक समायोजन तथा सामायोजन आदि सम्मिलित है। वैयक्तिक निर्देशन का प्रयोजन व्यक्ति के उसके भौतिक, शारीरिक, भावात्मक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास में उसकी सहायता इस प्रकार करना कि वह संतोषप्रद और सफल समायोजन स्थापित कर सके।

इसके अतिक्ति मनोरंजनात्मक मार्गदर्शन चुनने में व्यक्ति की सहायता इस प्रकार करना कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं के अनुकूल ऐसे क्रियाकलापों का चयन कर सके जो उसका संतुलन बनाये रखने में सहायक हों।

निर्देशन के तीनों प्रकार शैक्षिक, व्यावसायिक तथा वैयक्तिक, निर्देशन प्रदान करने के लिए दो मॉडल प्रयोग में लाये जा सकते हैं।

(i) वैयक्तिक निर्देशन
(ii) समूह निर्देशन

## (i) वैयक्तिक निर्देशन :

यह निर्देशन वास्तव में उस प्रकार की सहायता है जो एक समय में एक व्यक्ति को प्रदान की जाती है चाहें वह शिक्षा जगत् से जुड़ी समस्याओं के लिए हो, अथवा व्यावसायिक जगत तथा व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित समस्याओं के लिए हो।

उपर्युक्त प्रकार के निर्देशन में व्यक्ति समस्या समाधान हेतु स्वयं निर्देशनकर्ता से सम्पर्क करता है अथवा कभी–कभी अन्य व्यक्ति अभिभावक आदि द्वारा लाया जाता है। वैयक्तिक निर्देशन में व्यक्ति को शैक्षिक एवं व्यावसायिक जगत की सम्पूर्ण जानकारी निर्देशनकर्ता द्वारा उपलब्ध करायी जाती है तथा विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय लेने में सहायता की जाती है। आवश्यकतानुसार बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व, परीक्षण, रूचि परीक्षण अभिक्षमता आदि का प्रशासन व्यक्तिगत रूप से करते हुए व्यक्ति को उसकी योग्यताओं और अभिक्षमताओं से परिचित कराया जाता है। परीक्षण की इन मानकीकृत तकनीकों के माध्यम से व्यक्ति को उस व्यक्ति विशेष की विशिष्ट या संभावित योग्यताओं को ज्ञात करके उनके विकास हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है। इस आधार पर उसको ऐसी सूचनाएं प्रदान की जा सकती है जिनसे उस व्यक्ति को शैक्षिक तथा व्यवसाय सम्बन्धी निर्णय लेने के अथवा अन्य प्रकार के प्रतियोगी विकल्पों के सम्बन्ध में निर्णय लेने में सहायता मिल सके।

वैयक्तिक निर्देशन में समय अधिक लगता है तथा अधिक समय में बहुत कम संख्या में लाभान्वित हो पाते हैं। अतः यह अपेक्षाकृत कम उपयोगी माना जाता है।

## (ii) समूह निर्देशन :

यह निर्देशन कई प्रकार की क्रियाओं के लिए बहुत उपयुक्त है। समूह निर्देशन से छात्रों और निर्देशन कर्मियों के मध्य एक ऐसा सम्बन्ध स्थापित हो जाता है जिसमें दूसरे प्रकार की निर्देशन सेवाओं का मार्ग प्रशस्त होने में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं अथवा + 2 धारा के छात्र विद्यालय के उपबोधक की सहायता से अपने लिए उपयोगी विषयों का चयन करते हैं तथा वे उपबोधक की वार्ता के द्वारा ''अपने कैरियर को प्रभावी ढंग से बनाने की योजना बनाते हैं।

समूह निर्देशन से अनुभवों और अपरिचित परिस्थितियों की जानकारी मिलती है। विद्यालय के विषय में पूर्व जानकारी जैसे यहाँ क्या–क्या सुविधाएं उपलब्ध है तथा वहाँ की रीति नीति क्या है? इससे वे स्वयं को उसी के अनुसार रखने का प्रयास कर सकते हैं। समूह निर्देशन से ही व्यक्तिगत परामर्श का मार्ग प्रशस्त होता है। समूह निर्देशन से छात्र तथा निर्देशक कर्मी दोनों के समय और श्रम की बचत होती है। समूह निर्देशन से सामान्य समस्याओं पर सामूहिक ध्यान केन्द्रित होता है। समूह में होने से व्यक्ति विशेष की समस्या का समाधान अधिक आसानी से हो जाता है। समूह निर्देशन से यह जागरूकता भी विकसित होती है कि जो भी समस्या हो व्यक्ति

विशेष के लिए नई है। समूह में वह समस्या की चर्चा स्वीकृति युक्त तनावमुक्त वातावरण में करता है जिससे वह संवेगात्मक तनाव से मुक्त हो जाता है। समूह में चर्चा करने पर जो सुझाव दिये जाते हैं वे सबके लिए ग्राह्य होते हैं।

समूह निर्देशन के दौरान मुक्त एवं अनौपचारिक वातावरण समूह चर्चा का एक ऐसा सुयोग्य अवसर प्रदान करता है जिसमें वह छात्रों को समूह परिस्थिति में प्रतिक्रिया करते देखता है और इस प्रकार उनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर लेता है जो अन्यथा संभव नहीं हो पाती है।

## 11.8 निर्देशन कार्यक्रम का संगठन और शिक्षा

विद्यार्थियों के आर्थिक व सामाजिक वातावरण का ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात परामर्शदाता को चाहिए कि वह बालक के बौद्धिक स्तर की माप करें। निर्देशन में बौद्धिक स्तर का बड़ा महत्व है। कभी–कभी तो केवल बौद्धिक स्तर के आधार पर भी व्यक्तियों का श्रेणी–विभाजन करते हुए देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, हम बर्ट के श्रेणी–विभाजन को ले सकते हैं। वे कहते हैं कि 150 बुद्धिलब्धि वाले अच्छे प्रशासक, 130–150 बुद्धिलब्धि वाले अच्छे टेक्नीशियन, निम्न श्रेणी के अच्छे प्रशासक, 115–130 बुद्धिलब्धि वाले अच्छे दक्ष श्रमिक होते हैं।

बुद्धि के सम्बन्ध में माप करते समय ध्यान रखना चाहिए कि बुद्धि के दो तत्व होते हैं –(1) सामान्य बुद्धि–तत्व तथा (2) विशिष्ट बुद्धि–तत्व। परामर्शदाता को दोनों ही तत्व की माप अनेक बुद्धि परीक्षणों द्वारा कर सकता है। इसके लिए परामर्शदाता को विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का सहारा लेना चाहिए। उसे मौखिक बुद्धि–परीक्षण, सामूहिक बुद्धि–परीक्षण, शक्ति व गति परीक्षणों के अलावा क्रियात्मक परीक्षणों आदि सभी प्रकार के परीक्षणों की सहायता लेनी चाहिए। उसके द्वारा विभिन्न परीक्षणों का प्रयोग कर सकता हैं– विशिष्ट तत्वों की माप के लिए निर्देशक को विशिष्ट योग्यताओं की माप हेतु अलग–अलग से परीक्षण अपनाने चाहिए। इस प्रकार विभिन्न विशिष्ट योग्यताओं का माप करने के पश्चात परामर्शदाता को बच्चे की बुद्धि का मापन करना आवश्यक है।

परामर्शक को निर्देशन कार्य के लिए बालक की रूचि का भी पता लगा लेना चाहिए। इसके लिए उनकी रूचि का माप करना चाहिए। इस प्रकार विद्यार्थी का अध्ययन विभिन्न पहलुओं से करके एक निष्कर्ष निकालना चाहिए। यदि हम बच्चे की विभिन्न मापों को ग्राफ पर अंकित करें तो एक छवि बन जायेगी। इसे हम पार्श्व–चित्र कहते हैं। इसका एक काल्पनिक नमूना नीचे दिया गया है

मनोवैज्ञानिक परीक्षण–

- बुद्धि के मौलिक परीक्षण
- शब्द–भण्डार परीक्षण
- भाटिया परफामेंस टेस्ट
- संगीत परीक्षण
- यांत्रिक परीक्षण
- निष्पत्ति परीक्षण
- चित्र निर्माण परीक्षण
- व्यक्तिगत परीक्षण
- शारीरिक दक्षता परीक्षण
- स्थिरता परीक्षण
- टरमन स्केल

समस्त प्रकार के मापन के पश्चात् अन्त में पुनः एक साक्षात्कार करना चाहिए। इस साक्षात्कार के बाद यदि कोई शंका रह गई है तो उसका समाधान निर्देशन द्वारा करना चाहिए। शंकाओं के समाधान, छात्र के सामाजिक व

आर्थिक वातावरण तथा विभिन्न मापों के आधार पर अन्त में निर्देशक को अपना विवरण लिखकर प्रस्तुत करने चाहिए।

## विद्यालय का दायित्व

निर्देशन क्षेत्र में विद्यालय का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अच्छे प्रशासन हेतु यह आवश्यक है कि प्रधानाचार्य दायित्वशाली शासक हो, जिससे विद्यालय के सम्पूर्ण कार्य सुचारु रूप से सम्पन्न हो सकें। इस प्रकार निर्देशन सम्बन्धी समस्त कार्य चाहे वे केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित हों या राज्य सरकार द्वारा या किसी अन्य संस्था द्वारा, उसी समय सफलतापूर्वक सम्पन्न किये जा सकते हैं जब प्रधानाध्यापक योग्य शासक हो। बिना योग्य प्रधानाध्यापक के अच्छी से अच्छी योजना भी सफल नहीं हो सकती है। समस्त संस्थाएं प्रधानाध्यापक के माध्यम से ही कार्य करती हैं। इस प्रकार वही निर्देशन कार्यक्रम का प्रमुख व्यक्ति है। अतः सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि उनका निर्देशन में पूर्ण विश्वास हो तथा हृदय में इस कार्यक्रम से जुड़ा है। निर्देशन हेतु वह स्कूल में उचित वातावरण बना सकता है, समस्त अध्यापक वर्ग को इस कार्यक्रम में भाग लेने को उत्साहित कर सकता है। परामर्शदाता के माध्यम से कार्यक्रम की सफलता ज्ञात कर सकता है तथा कमियों को दूर कर सकता है।

परन्तु यह समझ लेना कि अकेला प्रधानाध्यापक ही सब कुछ कर सकता है, भूल होगी, क्योंकि कोई कार्यक्रम, चाहे वह निर्देशन हो या और कोई, उस समय तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि समस्त कार्मचारी सहयोग न दें। प्रधानाध्यापक निर्देशन योजना को लागू कर सकता है, उसे प्रकाशित कर सकता है, परन्तु वास्तविक रूप से उस कार्यान्वित अध्यापक वर्ग ही कर सकता है। अतः निर्देशन कार्यक्रम में अध्यापकों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है।

विद्यालय–जीवन निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, अतः इस अवस्था में ही किसी भी प्रकार का परिवर्तन सम्भव है, बाद में नहीं। छात्रों में आवश्यक परिवर्तन, आवश्यक गुण एवं योग्यताएं विद्यालय ही प्रदान कर सकता है।

विद्यालय में 'विविध पाठ्यक्रम' चलता है। छात्र अपनी योग्यता के अनुसार विषय–चयन नहीं कर सकता है। उसके विचार अन्य तथ्यों से भरे रहते हैं, जिनके आधार पर वह विषयों का चयन करता है। अतः उचित विषयों का चयन कराने में विद्यालय का महत्वपूर्ण दायित्व है।

विद्यालय छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। अन्य कोई भी संस्था ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि छात्र अपने कार्य–जीवन का अधिकांश समय स्कूल में ही व्यतीत करता है।

विद्यालय ही एक ऐसी संस्था है जो छात्र का अति निकट से अध्ययन करती है। वह उससे सम्बन्धित समस्त सूचनाएं एकत्रित कर सकता है तथा छात्र के सम्बन्ध में पक्षपातरहित राय दे सकता है। इसके अलावा जन–साधारण का भी स्कूलों पर पूर्ण विश्वास होता है।

### बोध प्रश्न

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

5. निर्देशन के कितने मॉडल हैं?

.....

.....

6. निर्देशन के कितने प्रकार हैं?

.....

.....

7. बुद्धि के कौन से दो तत्व हैं?

.....

.....

## 11.9 सारांश

कैरियर निर्देशन का उद्देश्य अपने बारे में तथा कैरियर के विकल्पों के बारे में अध्येता को पर्याप्त जानकारी प्राप्त कराने में सहायता प्रदान करना है, ताकि वह विद्यालय और समुदाय में उपलब्ध शैक्षिक अवसरों का अत्यधिक बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करने में सक्षम हो सके। निर्देशन छात्र विशेष को दी जाने वाली एक ऐसी सहायता है, जिसके द्वारा वह बुद्धिमत्तापूर्ण चुनाव करता है और अपने जीवन में सुसमायोजन बनाए रखता है। बुद्धिमत्तापूर्ण चुनाव करने की योग्यता जन्मजात नहीं होती, इसका विकास करना पड़ता है। निर्देशन का आधारभूत उद्देश्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी–अपनी क्षमता के अनुसार ऐसी योग्यता विकसित कर ले, जिससे वह अपनी समस्याएं खुद हल कर सकें और अपना समायोजन ठीक से कर सके। छात्र से संबंधित आधारभूत आंकड़ों/सूचनाओं का संकलन करने की वे तकनीकें, जिन्हें निर्देशक प्रायः उपयोग में लाते हैं, वे हैं। मानकीकृत अथवा अमानकीकृत प्रविधियां। अमानकीकृत तकनीकों के अंतर्गत हैं– साक्षात्कार, निर्धारण मापनी, प्रश्नावली, प्रेक्षण, समाजमिति, जीवनी/आत्मकथा, संचयी–वृत्त तथा वृतांत–अभिलेख। मानकीकृत तकनीकों में हैं– अभिरूचि, बुद्धि, अभिक्षमता तथा व्यक्तित्व के विशेषकों/शीलगुणों के मापने के उपकरण।

इस इकाई में कैरियर निर्देशन की आवश्यकता तथा उसके व्यापक क्षेत्र के बारे में पर्याप्त चर्चा की गई है। कैरियर निर्देशन का कार्य स्वयं अपनी योग्यताओं आदि का पता लगाने में विद्यार्थी की सहायता करना तथा चयनित कैरियर से उनका सामन्जस्य स्थापित करना है। कैरियर निर्देशन का प्रयोजन घर, विद्यालय, धर्म और समकक्ष शक्तियों के एकत्रित के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना है। कैरियर निर्देशन देते समय निर्देशन के दो तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। प्रथम कैरियर के वांछित योग्यताओं की सूची तथा कैरियर हेतु, रूचि, क्षमता आदि की अनुकूलता पर भी ध्यान देना चाहिए।

## 11.10 अभ्यास के प्रश्न

1. कैरियर निर्देशन की आवश्यकता की व्याख्या कीजिए।
2. कैरियर निर्देशन के व्यावसायिक निर्देशन मॉडल की व्याख्या कीजिए।
3. वैयक्तिक सामाजिक निर्देशन के प्रकारों का वर्णन कीजिए।

## 11.11 चर्चा के बिन्दु

1. कैरियर निर्देशन में मनोवैज्ञानिक परीक्षण किस प्रकार उपयोगी हैं? चर्चा कीजिए।
2. निर्देशन कार्यक्रम के संगठन में विद्यालय के उत्तदायित्व पर चर्चा कीजिए।

## 11.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. जब मनुष्य अपनी स्वयं की समस्याओं को न समझ पाता है न सुलझाने में अपने आप को सक्षम पाता है।
2. कैरियर निर्देशन का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। इसके अन्तर्गत विद्यार्थी और कैरियर प्रमुख रूप से आते हैं।
3. विद्यार्थी जिन कैरियर का चयन करना चाहते हैं उनकी अर्हता, कार्य, कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों से अवगत कराना है।
4. कैरियर निर्देशन का प्रमुख प्रयोजन व्यक्तिगत संतुष्टि एवं सामाजिक उपयोगिता है।
5. निर्देशन के तीन माडल हैं। शैक्षिक, व्यवसायिक, वैयक्तिक/सामाजिक माडल
6. निर्देशन के दो प्रकार हैं– वैयक्तिक एवं सामूहिक

7. सामान्य बुद्धि तत्व एवं विशिष्ट बुद्धि तत्व

## 11.13 कुछ उपयोगी पुस्तकें


1. S. Nageshwara Rao (2004), Guidance & Counseling, New Delhi: Discovery Publishing House
2. Barkhi B.G. & Mukhopadhyay, (2008- 10th Reprint), Guidance and Counselling: A Manual, New Delhi: Sterling Publishers Private Limited
3. Kochhar S.K., (2007), Educational and Vocational Guidance in Secondary Schools, New Delhi: Sterling Publishers Private Limited.
4. Singh Yogesh Kumar (2005), Guidance and Career Counselling, A.P.H. Publishing Corporation, New Delhi.
5. अग्रवाल जे0सी0, (1989), *एजुकेशन वोकेशनल गाइडेन्स एण्ड काउंसिलिंग,* दहेली दुआवा हाउस।
6. ओबराय, एस0सी0, (1993), *शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श,* मेरठ : लायल बुक डिपो।
7. जयसवाल, सीताराम, (1992), *शिक्षा में निर्देशन एवं परामर्श,* आगरा : विनोद पुस्तक मन्दिर।
8. जॉस आर्थर जे (1963), *'प्रिन्सिपिल्स ऑफ गाइडेन्स'* न्यूयार्क : मैकग्राहिल बुक कम्पनी।
9. दुवे, रमाकान्त, (1982), शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के मूल आधार, मेरठ : राजेश पब्लिशिंग हाउस।
10. पाण्डेय, के0पी0, (1987), *शैक्षिक* तथा व्यावसायिक निर्देशन के आधार, दिल्ली : अमिताश प्रकाशन।
11. सिंह, रामपाल, (2011), *शैक्षिक एवं व्यवसायिक निर्देशन ,* आगरा : अग्रवाल पब्लिकेशन।
12. सिंह, सुनीता एवं कनौजिया आरती, (2009), *शिक्षा में निर्देशन एवं परामर्श,* लखनऊ : आलोक प्रकाशन।

# इकाई– 12 : विशिष्ट समूहों का प्रशिक्षण

## इकाई की संरचना

12.1 प्रस्तावना

12.2 इकाई के उद्देश्य

12.3 उच्च माध्यमिक स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण व्यावसायिक पाठ्यक्रम

12.4 कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम

12.5 वाणिज्य क्षेत्र से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम

12.6 गृह विज्ञान क्षेत्र से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम

12.7 चिकित्सोत्तर क्षेत्र से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम

12.8 तकनीकी क्षेत्र से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम

12.9 विशिष्ट समूहों के प्रशिक्षण के उद्देश्य एवं आवश्यकता

12.10 विशिष्ट समूहों के कौशल प्रशिक्षण सम्बन्धी चुनौतियाँ

12.11 चुनौतियों को दूर करने हेतु सुझाव

12.12 महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु कौशल विकास

12.13 सारांश

12.14 अभ्यास के प्रश्न

12.15 चर्चा के बिन्दु

12.16 बोध प्रश्नों के उत्तर

12.17 कुछ उपयोगी पुस्तकें

## 12.1 प्रस्तावना

वर्तमान समय में भारतीय शिक्षा की स्थिति विषम है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् भी छात्र बेरोजगार हैं। भारत में व्यावसायिक शिक्षा का इतिहास बहुत पुराना है। पहला भारतीय कौशल संस्थान कानपुर में विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य कौशल विकास को औपचारिक शिक्षा से जोड़कर व्यावसायिक क्षेत्र में प्रगति करना है। असंरचित क्षेत्रों में भी कौशल विकास की आवश्यकता है। युवाओं को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करके रोजगार प्राप्ति के साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसके लिए रोजगार के विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। प्रस्तुत इकाई में विशिष्ट समूहों के प्रशिक्षण के बारे में चर्चा की गई है।

## 12.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

1. उच्च माध्यमिक स्तर पर महत्वपूर्ण व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
2. कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विषय में वर्णन कर सकेंगे।
3. वाणिज्य क्षेत्र से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विषय में विस्तृत जानकारी दे सकेंगे।
4. गृह विज्ञान से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विषय में बता सकेंगे।
5. चिकित्सोत्तर क्षेत्र से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार से वर्णन कर सकेंगे।

6. तकनीकी क्षेत्र से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विषय में विस्तार से स्पष्टीकरण दे सकेंगे।
7. इलेक्ट्रिकल क्षेत्र से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विषय में जानकरी प्रसारित कर सकेंगे।
8. महिला सशक्तिकरण हेतु कौशल विकास कार्यक्रमों का वर्णन कर सकेंगे।

## 12.3 उच्च माध्यमिक स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण व्यावसायिक पाठ्यक्रम

व्यावसायिक शिक्षा का प्रत्यय भारत के लिए नया नहीं है ब्रिटिश शासन के समय भी अनेक समितियों द्वारा इस पर सवाल उठाए गए। माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53) एवं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964–66) ने भी इस पर चर्चा की। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य बालक को भावी जीवन के लिए तैयार करना भी होना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा से बालक के सर्वांगीण विकास के साथ–साथ राष्ट्रीय उत्पादन में भी वृद्धि होगी, अतः माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर आर्थिक व सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित कौशलों का ज्ञान कराना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक तकनीकों का ज्ञान कराना एवं विभिन्न कौशलों को व्यावसायिक रूप में सिखाना आवश्यक है। इसके लिए पाठ्यक्रम में व्यावसायिक ज्ञान, कौशलों, तकनीकों आदि को सम्मिलित करना होगा जिससे छात्र अपना अध्ययन पूरा करके जीवकोपार्जन हेतु सक्षम हो सकें। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964–66) द्वारा प्रस्तावित 10+2+3 शैक्षिक संरचना में +2 स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण की बात की गई है। आदिशेषैया समिति ने भी कक्षा–10 की सामान्य शिक्षा के बाद शिक्षा को दो धाराओं सामान्य शिक्षाधारा एवं व्यावसायिक शिक्षाधारा में विभाजित करने की बात की है। इस समिति के अनुसार, व्यावसायिक शिक्षाधारा में छात्रों को तकनीकी, सम्बन्धित विज्ञानों, कृषि या अन्य प्रायोगिक कार्य करके कौशलों को सिखाना होगा।

सामान्य शिक्षाधारा में समय का विभाजन निम्नवत होना चाहिए–

भाषा – 15 प्रतिशत

समाजोपयोगी उत्पादन कार्य – 15 प्रतिशत

चयनित विषय (तीन) – 70 प्रतिशत

चयनित विषयों में अनिवार्य भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाएं, गणित, अर्थशास्त्र, रसायन शास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल, जीव–विज्ञान, इतिहास, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, कला, शारीरिक शिक्षा, गृहविज्ञान, मनोविज्ञान, भौतिकी आदि में से कोई तीन विषय हो सकते हैं।

व्यावसायिक शिक्षाधारा में समय का विभाजन निम्नवत होना चाहिए–

भाषा – 15 प्रतिशत

समाजोपयोगी उत्पादन कार्य – 15 प्रतिशत

चयनित विषय (तीन) – 70 प्रतिशत

व्यावसायिक चयनित विषयों में कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, अन्न–संग्रहण, कृषि अर्थशास्त्र, जंगल उत्पाद, बैंकिंग, कार्यालय प्रबन्ध, टंकण, कार्यालय यंत्र चालक, विपणन, विक्रेता, चिकित्सा, पैरामेडिकल, टेक्सटाइल, फोटोग्राफी, तकनीशियन, पुस्तकालय, प्रबन्धन आदि हो सकते हैं।

छात्रों को सामान्य अथवा व्यावसायिक शिक्षा धारा में जाने की पर्याप्त छूट होगी, यह पाठ्यक्रम सेमेस्टर प्रारूप एवं क्रेडिट प्रणाली के अनुरूप है।

10+2 स्तर पर सम्भावित कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रम निम्न हैं–

| क्रमांक | व्यावसायिक क्षेत्र | पाठ्यक्रम |
|---|---|---|
| 1. | इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल कम्प्यूटर, कम्प्यूटर इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग |

| | | |
|---|---|---|
| 2. | टेलीकम्युनिकेशन | रेडियो फ्रिक्वेसिंग, इंजीनियरिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग, माइक्रो–इलेक्ट्रॉनिक्स, कन्ट्रोल सिस्टम |
| 3. | कम्प्यूटर विज्ञान | सॉफ्टवेयर, कोडिंग, हार्डवेयर, डाटाबेस मैनेजमेंट, प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग |
| 4. | फैशन डिजाइनिंग | टेक्सटाइल, डिजाइनिंग |
| 5. | टूरिज्म सम्बन्धी | ट्रैवेल एण्ड टूरिज्म, फण्ड ऑफिस, बेकरी तथा कन्फेक्शनरी, मास मीडिया स्टडी, मीडिया प्रोडक्शन |
| 6. | कृषि | फसल विज्ञान, कृषि यांत्रिक उर्वरक, कीटाणुनाशक दवाइयां, फल संरक्षण, मछली पालन, कृषि अर्थशास्त्र, कृषि आधारित उद्योग, भूमि संरक्षण |
| 7. | वाणिज्य | कार्यालय प्रबन्ध, लेखा पालन, कर कानून, स्टोर कीपिंग, बीमा, आयात–निर्यात, टंकण |
| 8. | गृह विज्ञान | भोजन संरक्षण, पोषण, कैन्टीन प्रबन्ध, बेकरी, कान्फेक्शनरी, ड्रेस डिजाइनिंग, सिलाई, कढ़ाई, बाल विकास एवं परिवार परिचर्चा, आंतरिक सज्जा |
| 9. | चिकित्सेत्तर | फार्मेसी, एक्स–रे, बहु–उपयोगी स्वास्थ्य सेवा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग, बहु उद्देश्य, स्वास्थ्य शिक्षा |
| 10. | तकनीकी | हार्डवेयर मरम्मत, ग्रामीण तकनीकी, स्कूटर, कार सुधारक, घड़ी सुधार, जल–आपूर्ति |

कुछ अन्य प्रमुख व्यावसायिक पाठ्यक्रम निम्न हैं–

1- डिजिटल मार्केटिंग

2- इवेन्ट मैनेजमेंट

3- एनिमेशन, ग्राफिक्स एवं मल्टीमीडिया

4- इंटरनेशनल ट्रेड मैनेजमेंट

5- पुस्तकालय सेवा

6- न्युट्रीशियन कोर्स

7- कैटरिंग मैनेजमेंट

8- जीवन बीमा

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी** :

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. 10+2 में शिक्षा को दो धाराओं में विभाजित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

.....

.....

2. वाणिज्य के क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण के प्रमुख पाठ्यक्रमों के नाम बताइए।

.....

.....

## 12.4 कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम

भारत में व्यावसायिक शिक्षा में प्रशिक्षण देने हेतु भारत सरकार द्वारा अनेकों प्रयास किये जा रहे हैं। 15 जुलाई, 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का प्रारंभ किया गया, 15 जुलाई को राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की स्थापना के निम्न उद्देश्य हैं–

(i) असंरक्षित क्षेत्रों में कौशल विकास को बढ़ावा देना।

(ii) विभिन्न सेक्टरों तथा राज्यों में कौशल प्रशिक्षण क्रियाओं को बढ़ावा देना।

(iii) कौशलयुक्त भारत के सपने को पूरा करना।

(iv) कौशलयुक्त प्रयासों में समन्वय स्थापित करना।

(v) केन्द्रीय स्तर पर एक सशक्त संस्थागत फ्रेमवर्क प्रदान करना।

(vi) कौशल विकास हेतु क्रियान्वयन फ्रेमवर्क तैयार करना।

(vii) देश में कौशलयुक्त क्रियाओं को बढ़ावा देना।

(viii) विभिन्न सेक्टरों के कारीगरों के पुनः प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण उन्नयन हेतु प्रयास करना। इसका संचालन कौशल विकास एवं लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा होता है।

(ix) कृषि, खाद्य संरक्षण तथा पोषण से सम्बन्धित ज्ञान व कौशल प्रदान करना।

पुरानी परम्पराओं के खेती–खलिहानों से अब कार्पोनेट फार्मिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। स्किल इण्डिया मिशन द्वारा विद्यालयी स्तर पर खाद्य संरक्षण पर आधारित अनेक पाठ्यक्रम हैं।

### बोध प्रश्न

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

3. भारत में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का प्रारंभ कब किया गया?

.....

.....

4. राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का संचालन किसके द्वारा किया जाता है?

.....

.....

## 12.5 वाणिज्य क्षेत्र से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम

वाणिज्य से सम्बन्धित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में कार्यालय प्रबन्धन, लेखा पालन, कर कानून, स्टोर कीपिंग, बीमा, आयात–निर्यात, टंकण आदि प्रमुख हैं। कार्यालय प्रबन्धन के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य ऑफिस प्रबन्धन, सॉफ्टवेयर कार्यक्रम जैसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, एक्सेल, वर्ड, पावर–प्वाइंट आदि आते हैं। छात्र लेखा सम्बन्धी जानकारी, लेखा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जैसे क्विक बुक्स आदि भी प्राप्त करते हैं। डिग्री पाठ्यक्रम के अंतर्गत कर्मचारियों के साथ बेहतर संवाद हेतु सम्प्रेषण कौशलों का भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

बीमा से सम्बन्धित प्रशिक्षण भी वाणिज्य के अंतर्गत सम्मिलित है। इसमें प्रशिक्षणकर्ताओं को नेटवर्किंग के बारे में बताया जाता है, उन्हें प्रेरित किया जाता है जिससे उन्हें बीमा का कार्य कठिन ना लगे। सम्प्रेषण कौशलों का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। बाजार के निवेश सम्बन्धी उतार–चढ़ाव की भी जानकारी दी जाती है।

टैक्स से सम्बन्धित प्रशिक्षण में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, जी.एस.टी., रिटर्न आदि से सम्बन्धित जानकारी व कौशल दिए जाते हैं, कर से सम्बन्धित अद्यतन जानकारियां उपलब्ध कराई जाती है। स्टोर कीपिंग से सम्बन्धित कौशलों में छात्र को यह प्रशिक्षण दिया जाता है कि वह किस प्रकार स्टोर में रखे हुए सामग्रियों के रखरखाव सही प्रकार से कर सकें। इसमें एक्सेल सॉफ्टवेयर आदि की भी जानकारी दी जाती है। कितनी सामग्री खरीदी गई, कितनी खर्च की गई एवं कितनी खराब हुई, इनका रिकॉर्ड रखना भी सिखाया जाता है।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

5. टैक्स से सम्बन्धित कौन से प्रशिक्षण आवश्यक होते हैं?

.....

.....

6. कार्यालय प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण में कौन से सॉफ्टवेयर की जानकारी दी जाती है?

.....

.....

## 12.6 गृह विज्ञान के क्षेत्र से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम

गृह विज्ञान से सम्बन्धित व्यावसायिक प्रशिक्षण में प्रमुख पाठ्यक्रम भोजन संरक्षण, पोषण, कैन्टीन प्रबन्ध, कुकरी, कान्फेक्शनरी, ड्रेस डिजाइनिंग, सिलाई, कढ़ाई, बाल–विवाह एवं परिवार परिचर्या, आंतरिक सज्जा आदि सम्मिलित हैं।

भोजन संरक्षण तकनीकी एक बहु–अनुशासनात्मक पाठ्यक्रम है। इसके अंतर्गत सुखाने, शीतीकरण, किण्वन आदि पुरानी विधियों के साथ–साथ नवीन आधुनिक विधियां जैसे डिब्बाबंदी, पाश्चुरीकरण, प्रशीतीकरण, रसायनों को मिलाना आदि भी सिखाए जाते हैं। आधुनिक समय में अधिकांश लोग अपनी डाइट (खानपान) में सुधार एवं स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में पोषण से सम्बन्धित सेवाओं की आवश्यकता बढ़ जाती है। पोषण सम्बन्धी प्रशिक्षण से स्वस्थ जीवन–शैली के आधार तत्वों की जानकारी होती है, इससे खुशहाल तथा उत्पादक जीवन जीने में तथा सर्वोत्तम प्रदर्शन में सहायता मिलती है। कुकरी से सम्बन्धित प्रशिक्षण में कार्य स्थल सम्प्रेक्षण, टीम–वातावरण में कार्य करने, औद्योगिक ज्ञान आदि सम्मिलित है। इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रशिक्षण आते हैं–

1. कलिनरी स्किल एण्ड टेक्निक्स

2. पोषण एवं खाद्य स्वच्छता
3. भोजन एवं पेय मूल्य नियंत्रण
4. व्यावसायिक सम्प्रेषण एवं वृत्तिक विकास
5. बैकिंग एवं पेस्ट्री कौशल अभ्यास
6. खाद्य एवं पेय पदार्थ सम्बन्धी कार्य अभ्यास

ड्रेस डिजाइनिंग से सम्बन्धित प्रशिक्षण में फैशन इंडस्ट्री के बारे में बताया जाता है। पोर्टफोलियो बनाना, हैण्ड्स ऑन अनुभव देना आदि सम्मिलित है।

आन्तरिक गृह–सज्जा के अंतर्गत रंग–मनोविज्ञान, फैब्रिक के बारे में समझ, स्थान प्रबन्धन। दीवार सज्जा, आभासी डिजाइनिंग, अद्यतन डिजाइनिंग ट्रेन्ड, पोर्टफोलियो प्रबन्धन, गृह पुनर्निर्माण आदि सम्मिलित है।

बाल विकास एवं परिवार परिचर्चा के प्रशिक्षण के अंतर्गत बच्चों की वृद्धि एवं विकास सम्बन्धी विज्ञान एवं मनोविज्ञान, परिवार की देखभाल आदि सम्मिलित है। बच्चों एवं परिवार के स्वस्थ जीवन हेतु आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

7. आहार संरक्षण तकनीकी पाठ्यक्रम बहु–अनुशासनात्मक क्यों है?

.....

.....

8. बाल विकास एवं परिचर्चा के प्रशिक्षण में किस प्रकार के मनोविज्ञान का ज्ञान प्रदान किया जाता है?

.....

.....

## 12.7 चिकित्सेत्तर क्षेत्र से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम

चिकित्सेत्तर कार्यक्रम मुख्यतः पेशोन्मुखी होते हैं। इसमें विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके अन्तर्गत फार्मेसी, एक्स–रे, बहु–उद्देशीय स्वास्थ्य सेवाएँ, दन्त चिकित्सा आदि सम्मिलित है। इसमें छात्र को वास्तविक जीवन के चिकित्सकीय परिस्थितियों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। फार्मेसी से सम्बन्धित प्रशिक्षण में विभिन्न रोगों से सम्बन्धित दवाइयों एवं उनके रासायनिक संघटक आदि सम्मिलित होते हैं। इसमें रिटेल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, चिकित्सकीय वितरण केन्द्रों, फार्मेसी इन्फोर्मेटिक्स, एम्बुलेटरी केयर फार्मेसी आदि सम्मिलित है।

नर्सिंग से सम्बन्धित प्रशिक्षण के द्वारा छात्रों में मूलभूत कौशल आ जाते हैं तथा वे विपरीत परिस्थितियों में आने वाली चुनौतियों का सामना करने हेतु सक्षम हो जाते हैं। उन्हें आवश्यक सुरक्षात्मक एवं जोखिम प्रबन्धन प्रशिक्षण भी प्रदान किए जाते हैं।

बहु–उपयोगी स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित प्रशिक्षण में स्वास्थ्य विकास एवं स्वस्थ व्यवहार आदि सम्मिलित हैं। इसके द्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धी क्षेत्रों में वृत्तिक क्षमताओं के विकास में सहायता मिलती है। सुरक्षित एवं उच्च गुणवत्तायुक्त प्राथमिक देखभाल आदि से सम्बन्धित कौशलों का विकास आवश्यक है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में खतरों की पहचान करने तथा नुकसान को कम करने से सम्बन्धित कौशल एवं संसाधन होने आवश्यक है। दन्त चिकित्सा से सम्बन्धित क्षेत्रों में एन्डोडान्टिक्स, ओरल केयर आदि से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिए जाते हैं।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

9. दवाइयों के रासायनिक मिश्रण अनुपात की जानकारी किस पाठ्यक्रम में दी जाती है?

.....

.....

10. नर्सिंग के प्रशिक्षण में सुरक्षात्मक एवं जोखिम प्रबन्धन का प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है?

.....

.....

## 12.8 तकनीकी क्षेत्र से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम

इसके अन्तर्गत हाईवेयर मरम्मत, ग्रामीण तकनीकी, स्कूटर–कार सुधार, घड़ी सुधार, जल आपूर्ति आदि सम्मिलित हैं। तकनीकी प्रशिक्षण में किसी विशिष्ट क्षेत्र में डिजाइन करने, विकसित करने, कार्यान्वित करने, रख–रखाव करने, संचालित करने हेतु आवश्यक कौशल प्रदान किए जाते हैं। इसमें कम्प्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्किंग, नेटवर्क प्रशासन आदि सम्मिलित हैं।

ग्रामीण तकनीकी के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु उपयुक्त विकास को सुविधाजन्य बनाने, आवश्यक आधारित कौशल सम्मिलित हैं। ऑटोमोबाइल इन्जीनियरिंग के अन्तर्गत स्कूटर एवं कार सुधार आदि आते हैं।

जल आपूर्ति से सम्बन्धित प्रशिक्षण में जल प्रबन्धन सम्बन्धी कौशल प्रदान किए जाते हैं। इसमें जल संसाधन के नियंत्रण एवं बहाव का प्रबन्धन होता है जिससे इसका अधिकाधिक प्रभावी उपयोग हो सके, बाधों के अच्छे जल–प्रबन्धन के द्वारा बाढ़ के कारण हुए दुश्प्रभावों व क्षतियों को रोका जा सकता है।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

11. तकनीकी क्षेत्र से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कोई दो पाठ्यक्रम बताइए।

.....

.....

## 12.9 विशिष्ट समूहों के प्रशिक्षण के उद्देश्य एवं आवश्यकता

वर्तमान समय में सरकार ने कौशल विकास को प्राथमिकता दी है। कौशल विकास हेतु कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन प्रारम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत 2017–19 के मध्य 1.17 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है।

### विशिष्ट समूहों के प्रशिक्षण के उद्देश्य

देश के अधिकाधिक युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार परक बनाना, रोजगार के नए–नए क्षेत्र खोजना एवं उन्हें विकसित करना आदि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रमुख उद्देश्य हैं। इसके अतिरिक्त विशिष्ट समूहों के प्रशिक्षण के अन्य

उद्देश्य निम्न हैं–

1. अधिक से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार योग्य बनाना और अपनी आजीविका हेतु सक्षम बनाना।
2. आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी जो उचित शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उनके अर्न्तनिहित कौशलों की पहचान कर प्रशिक्षित करना।
3. युवाओं को उनकी अभिरूचि, क्षमता और योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
4. युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा के साथ–साथ कम्प्यूटर आधारित शिक्षा प्रदान करना।
5. बेरोजगार युवाओं को रोजगार के योग्य बनाकर राष्ट्र के विकास में सम्मिलित करना।

### विशिष्ट समूहों के प्रशिक्षण की आवश्यकता

देश के युवाओं एवं महिलाओं को सशक्त करना हमारे लिए अत्यन्त आवश्यक है। कौशलों में प्रशिक्षण प्राप्त करके ही वे राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या की औसत आयु 29 वर्ष है, अतः साढ़े चार करोड़ से भी अधिक जनसंख्या काम करने वाले आयु वर्ग की है। भारत में 10वीं कक्षा तथा उच्च शिक्षा के बीच पढ़ाई छोड देने वाले छात्रों का प्रतिशत 36 प्रतिशत है।

ऑकड़ों के अनुसार 53 प्रतिशत भारतीय नियुक्ति करने वाले लोगों को लगता है कि आरम्भिक पदों पर रिक्तियों का प्रमुख कारण कौशलों के प्रशिक्षण में कमी है। रोजगार तथा रोजगार की योग्यता के बीच एक बड़ी खाई है। भारतीय युवाओं की आकाक्षांओं एवं नियुक्ति प्रदान करने वालों की अपेक्षाओं में सम्बन्ध कम है। अतः भारत में कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण अत्यन्त आवश्यक है।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

12. विशिष्ट समूहों के प्रशिक्षण का एक प्रमुख उदेश्य बताइए।

.....

.....

13. भारत में कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों है?

.....

.....

## 12.10 विशिष्ट समूहों के कौशल प्रशिक्षण सम्बन्धी चुनौतियाँ

2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। 67.2 करोड़ जनसंख्या 15–59 वर्ष के आयु–वर्ग की है। अतः भारत में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। लगभग 25 करोड़ व्यक्ति 15 से 24 वर्ष आयु–वर्ग के हैं जो जनसंख्या का 21 प्रतिशत है। यदि इस कार्यशील युवा जनसंख्या की शक्तियों का सदुपयोग होगा तो यह राष्ट्र विकास में सहायक होगा। यदि इस युवा वर्ग को सही प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ तो यह देश के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, भारत में विशिष्ट समूहों के कौशल प्रशिक्षण सम्बन्धी चुनौतियाँ निम्न हैं–

1. शैक्षिक जगत द्वारा प्राप्त ज्ञान एवं उद्योगों की आवश्यकता के मध्य सम्बन्धों की कमी।
2. कौशल विकास कार्यक्रमों का बाजार की माँग के अनुरूप न होना।

3. उच्च शिक्षा में गैर–तकनीकी क्षेत्रों जैसे–कला, वाणिज्य व विज्ञान की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। अधिकांश युवा उत्पादन एवं सेवा–क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
4. भारत की राष्ट्रीय कौशल विकास नीति में वर्ष 2022 तक लगभग 50 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया था परन्तु यह लक्ष्य प्राप्त करना कठिन प्रतीत होता है।
5. 50 करोड़ युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 7 लाख प्रशिक्षकों की आवश्यकता होगी। यह भी कठिन प्रतीत होता है।
6. भारत में तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों की कमी है।
7. कौशल विकास कार्यक्रमों के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार–प्रसार न होने के कारण लोगों में इसकी जानकारी का अभाव है।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

14. भारत में वर्तमान जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस आयु वर्ग की है?

.....

.....

15. विशिष्ट समूहों के प्रशिक्षण सम्बन्धी कोई एक महत्वपूर्ण चुनौती बताइए।

.....

.....

## 12.11 चुनौतियों को दूर करने हेतु सुझाव

केवल बुनियादी व सामान्य शिक्षा बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा में पर्याप्त नहीं है। यूनेस्को (2005) में भी युवाओं को कार्य क्षेत्र एवं बेहतर जीवन के लिए तैयार करने हेतु माध्यमिक शिक्षा में सुधार को आवश्यक बताया है। इसके लिए वांछित कौशलों जैसे प्रायोगिक कौशलों, सूचना एवं संचार तकनीकी का समावेश, उद्यमिता कौशल विकास आदि महत्वपूर्ण है। भारत में ऐसी शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करनी होगी जिसमें कौशल विकास हेतु माध्यमिक शिक्षा की आवश्यकता न हो, व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने की उसे स्वतन्त्रता होनी चाहिए। कौशल विकास प्रशिक्षण में आने वाली चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव निम्न हैं–

1. विद्यालयी स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को लागू करना जिससे युवा अपने अभिरूचि के अनुरूप विकल्पों को चुनने के लिए स्वतन्त्र हों जिससे उन्हें व्यावहारिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हो सके।
2. कौशल विकास योजना के उपयुक्त क्रियान्वयन पर ध्यान देना।
3. कौशल विकास के पाठ्यक्रमों को अद्यतन आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित करना।
4. कौशल विकास योजना की गुणवत्ता एवं उपयोगिता पर हमेशा ध्यान दिया जाना चाहिए।
5. औपचारिक शिक्षा एवं कौशल विकास के मध्य सन्तुलन बनाए रखना।
6. कौशल विकास योजनाओं से सम्बन्धित शोध एवं विकास के लिए गुणकत्ता युक्त सस्थानों की स्थापना की जाए।

7. कौशल विकास को बाजार की मांग के अनुरूप बनाया जाए।

8. योजनाएँ आर्थिक क्षेत्र में हो रहे बदलावों के अनुरूप होने चाहिए।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

16. औपचारिक शिक्षा एवं कौशल विकास के मध्य सन्तुलन बनाए रखना क्यों आवश्यक है?

.....

.....

17. कौशल विकास योजनाएँ आर्थिक क्षेत्र में हो रहे बदलावों के अनुरूप क्यों होनी चाहिए?

.....

.....

## 12.12 महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु कौशल विकास

वर्तमान समय में शिक्षा के सभी क्षेत्रों में महिलाएँ अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण से उच्च शिक्षा में 2014–15 में महिलाओं की शिक्षा प्राप्त करने की स्थिति की जानकारी मिलती है जो निम्न है–

| | | |
|---|---|---|
| कला संकाय | – | 32.96 प्रतिशत |
| विज्ञान संकाय | – | 12.22 प्रतिशत |
| वाणिज्य संकाय | – | 11.77 प्रतिशत |
| इन्जीनियरिंग | – | 3.57 प्रतिशत |

आँकड़ों से स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा के सभी क्षेत्रों में बालिकाएँ शिक्षा प्राप्त कर रही हैं परन्तु लैंगिक असमानता है। बालिकाओं की साक्षरता दर एवं शैक्षिक स्तर में हुई प्रगति को उत्साहजनक माना जा सकता है।

भारत की 71.2 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में निवास करती है। यहाँ महिलाओं की समस्याएँ अधिक जटिल है। शिक्षा, कौशल एवं रोजगार के अभाव में अधिकांश ग्रामीण महिलाएं घरेलू कार्यों में लगी रहती है। सतत विकास के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए भारत के नीति निर्माताओं ने स्त्रियों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएँ चलाई हैं जो निम्न है–

1. **स्किल इण्डिया**– देश के विकास के लिए यह आवश्यक है कि अधिक से अधिक लोगों को कौशल युक्त बनाया जाय। पुरुषों एवं महिलाओं दोनों का विकास साथ–साथ होना चाहिए, महिलाओं के कौशलयुक्त होने से वे अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों को उठा सकती हैं तथा आत्मनिर्भर हो सकती है।

   स्किल इण्डिया मिशन के अन्तर्गत चलने वाले प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' का लक्ष्य महिलाओं की उन्नति, विकास एवं सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के लिए विकास को सकारात्मक वातावरण तैयार करना है। महिलाएँ अपनी योग्यताओं का उपयोग कर सके, वे शिक्षा, रोजगार, समान कार्य के लिए समान वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा आदि का लाभ उठा सके। केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

   सरकार द्वारा कई विभागों एवं संस्थाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ा गया है। ये विभाग महिलाओं में कौशल

विकास के साथ–साथ उन्हें रोजगार भी प्रदान करते हैं। कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं को बैंकिग कोर्स, सिलाई–कढ़ाई, ब्यूटीशियन कोर्स, नर्सिंग, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, हस्तशिल्प आदि से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इस प्रकार महिलाएँ तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वावलम्बी बन सकती है।

2. **दीन दयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना**– ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा चलाई जा रही यह योजना ग्रामीण महिलाओं के विकास हेतु कार्य कर रही है। इस कार्यक्रम में ग्रामीण गरीब युवाओं को रोजगार दिया जाता है। उनकी निगरानी की जाती है एवं प्रगति हेतु प्रयास किए जाते हैं। बाजार के लिए आवश्यक कौशलों की कमी, गरीबी आदि के कारण आ रही बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार उन्हें उच्च गुणवत्तायुक्त संस्थानों में महिलाओं के लिए न्यूनतम एक तिहाई सीट आरक्षित होती है। इन योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए इनके प्रचार–प्रसार की भी उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

18. ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का सशक्तिकरण क्यों नहीं हो पा रहा है?

.....

.....

19. ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के कौशल विकास हेतु कौन सी योजना चलाई जा रही है?

.....

.....

## 12.13 सारांश

उच्च माध्यमिक स्तर पर प्रमुख व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में इलेक्ट्रानिक इन्जीनियरिंग, टेलीकम्यूनिकेशन, कम्प्यूटर विज्ञान, फैशन डिजाइनिंग, टूरिज्म, कृषि, वाणिज्य, गृह विज्ञान, चिकित्सेत्तर, तकनीकी, डिजिटल मार्केटिंग, इवेंट मैनेजमेंट, इन्टरनेशनल ट्रेड मैनेजमेंट, ब्यूटीशियन, पुस्तकालय सेवा आदि प्रमुख हैं। विशिष्ट समूहों के प्रशिक्षण का प्रमुख उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार परक बनाना है। कौशल विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण की प्रमुख चुनौती बाजार की मांग के अनुरूप कौशलों की कमी है। इसे दूर करने हेतु कौशल विकास को बाजार की आवश्यकताओं एवं आर्थिक क्षेत्र में हो रहे बदलावों के अनुरूप होने की आवश्यकता है।

## 12.14 अभ्यास के प्रश्न

1. उच्च माध्यमिक स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के नाम बताइए।
2. तकनीकी से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के नाम बताइए।
3. विशिष्ट समूहों के प्रशिक्षण के उद्देश्य एवं आवश्यकता बताइए।
4. विशिष्ट समूहों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित चुनौतियां एवं उनके समाधान के उपाय बताइए।
5. महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु कौशल विकास की भूमिका का वर्णन कीजिए।

## 12.15 चर्चा के बिन्दु

1. नवीन क्षेत्रों में कौशल विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण की चर्चा करेंगे। चर्चा कीजिए।

2. विशष्ट समूहों को प्रशिक्षण दिया जाना क्यों आवश्यक है? चर्चा कीजिए।

## 12.16 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. छात्रो को रोजगार शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 10+2 के पश्चात् सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा धारा में विभक्त करने की आवश्यकता पड़ी।
2. कार्यालय प्रबन्धन, लेखा पालन, कर कानून, स्टोर कीपिंग, बीमा, आयात–निर्यात, टंकण।
3. 15 जुलाई 2015।
4. कौशल विकास एवं लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा।
5. इन्कम टैक्स रिटर्न फाइल, जी०एस०टी० रिटर्न आदि।
6. माइक्रोसॉफ्ट आउट लुक।
7. आहार संरक्षण तकनीकी एक बहु अनुशासनात्मक पाठ्यक्रम है क्योंकि इसके अन्तर्गत अनेक क्षेत्र सम्मिलित हैं।
8. बाल विकास एवं वृद्धि सम्बन्धी मनोविज्ञान।
9. फार्मेसी।
10. जिससे विपरीत परिस्थितियों में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें।
11. ग्रामीण तकनीकी, हार्डवेयर मरम्मत।
12. युवाओं को रोजगार परक माना।
13. क्योंकि भारतीय युवाओं की आकाक्षाओं एवं नियुक्ति प्रदान करने वालों की अपेक्षाओं में सम्बन्ध कम है।
14. युवा वर्ग की।
15. शैक्षिक जगत द्वारा प्राप्त ज्ञान का उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप न होना।
16. जिससे व्यक्ति को रोजगारपरक बनाया जा सके।
17. जिससे राष्ट्र के आर्थिक विकास में सहायता मिल सके।
18. क्योंकि महिलाएं अशिक्षित है एवं कौशल प्रशिक्षण का अभाव है।
19. दीन दयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना।

## 12.17 कुछ उपयोगी पुस्तकें


- कुमार एस० (2017), समावेशी विकास के लिए जरूरी है कौशल विकास, कुरुक्षेत्र, मासिक पत्रिका (अंक 11) सितम्बर, 2017 पृ०स० 35–37
- सिंह, एस0 (2006), कौशल विकास, दिल्ली : अग्नि प्रकाशन।
- पाण्डेय, के०पी० (2005). शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन, आगरा : विनोद पुस्तक मन्दिर।

# खण्ड– 05 : व्यावसायिक एवं कार्य शिक्षा की नवीन प्रवृत्तियाँ

## खण्ड परिचय

प्रस्तुत खण्ड में व्यावसायिक एवं कार्य शिक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। इस खण्ड में हम कार्य शिक्षा की विभिन्न समितियों एवं उनके कार्य, स्थानन सेवा एवं कार्य शिक्षा की नवीन प्रवृत्तियों के विषय में भी चर्चा करेंगे। व्यावसायिक एवं कार्य शिक्षा की चर्चा तीन इकाईयों में विभाजित कर करेंगे, जिनका विवरण इस प्रकार है–

**इकाई–13** में व्यावसायिक एवं कार्य शिक्षा की महत्वपूर्ण एजेन्सियों, एन.सी.ई.आर.टी. एवं एन.सी.ई.आर.टी. के कार्य शिक्षा सम्बन्धी प्रबन्धन, ए.आई.सी.टी.ई. एवं इसके कार्यों के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया है।

**इकाई–14** में स्थानन सेवा के विषय में अध्ययन करेंगे। स्थानन सेवाओं का अर्थ, स्थानन सेवाओं की परिभाषा, स्थानन सेवाओं के उद्देश्य, स्थानन सेवा का संगठन, स्थानन सेवा के सोपान, स्थानन सेवा के प्रकार, शैक्षिक स्थानन सेवा, व्यावसायिक स्थानन सेवा, स्थानन सेवा की कठिनाइयों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है।

**इकाई–15** में कार्य शिक्षा के विषय में अध्ययन करेंगे। कार्य शिक्षा की प्रस्तावना, कार्य शिक्षा का अर्थ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कार्य शिक्षा के उद्देश्य एवं नवीन प्रवृत्तियों के विषय में बताया गया है।

# इकाई– 13 : व्यावसायिक एवं कार्य शिक्षा की एजेंसियाँ

**इकाई की संरचना**

13.1 प्रस्तावना

13.2 इकाई के उद्देश्य

13.3 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.)

13.3.1 एन. सी. ई. आर. टी. के कार्यक्रम

13.3.2 एन. सी. ई. आर. टी. के संघटक

13.3.3 एन. सी. ई. आर. टी. के विभाग

13.3.4 एन. सी. ई. आर. टी. के कार्य–शिक्षा सम्बन्धी सुझाव

13.4 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

13.5 सारांश

13.6 अभ्यास के प्रश्न

13.7 चर्चा के बिन्दु

13.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

13.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

## 13.1 प्रस्तावना

2020 सर्वे रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में भारत को विश्व में 33वां स्थान प्राप्त है। 2018 में 40वां व 2019 में 39वां स्थान था। इसका अभिप्राय है कि भारत में शिक्षा व्यवस्था में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है। 2021 में अब यह 32वें स्थान पर है। विश्व की सर्वोत्तम शिक्षा प्रणाली में भारत संतोषजनक स्थान रखता है। भारत में विविधता पूर्ण शिक्षा व्यवस्था भी आकर्षण का केन्द्र रही है। इतने विशाल जनसंख्या और जनसंख्या वाले देश में सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था की देखरेख करने एवं दिशा देने, मानक तय करने, पाठ्यक्रम निर्मित करने का कार्य देश में कई राष्ट्रीय स्थान प्राप्त संस्थायें कर रहीं हैं। इस इकाई में हम इन्हीं संस्थाओं के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे।

## 13.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

1. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
2. एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा संचालित कार्यक्रम व गतिविधियों का विस्तार से वर्णन कर सकेंगे।
3. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के संघटक को बता सकेंगे।
4. एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा दिये गये कार्य शिक्षा सम्बन्धी सुझावों की सूची बना सकेंगे।
5. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के उद्देश्यों को समझ सकेंगे।
6. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के कार्यों का विस्तार से वर्णन कर सकेंगे।

## 13.3 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1 सितम्बर 1961 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य स्कूल शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर

पर प्रयास करना है। प्रारम्भ में माध्यमिक शिक्षा प्रसार कार्यक्रम निदेशालय, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निदेशन ब्यूरो, पाठ्य पुस्तक ब्यूरो, बेसिक शिक्षा राष्ट्रीय संस्थान, श्रव्य–दृश्य राष्ट्रीय संस्थान जैसे अनेक राष्ट्रीय संस्थानों को मिलाकर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गयी थी। यह एक स्वायत्त तथा पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार के द्वारा पोषित संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, विशेष रूप से स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार को सहयोग व परामर्श देना है जिससे शिक्षा सम्बन्धी नीतियों व कार्यक्रमों का समुचित ढंग से निर्धारण व क्रियान्वन हो सके।

### 13.3.1 एन. सी. ई. आर. टी. के कार्यक्रम

एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 निम्न कार्यक्रम व गतिविधियों का संचालन करती है–

1. शिक्षा की सभी साखाओं में अनुसंधान कार्य करना।
2. सेवारत एवं सेवा पूर्व अध्यापक प्रशिक्षण के उच्च स्तरीय कार्यक्रम चलाना।
3. शैक्षिक पुनर्निर्माण के कार्य में संलग्न संस्थाओं के लिये प्रसार सेवाओं का आयोजन करना।
4. शिक्षण की उन्नत तकनीकों व नवाचारों को बढ़ावा देना।
5. विद्यालय शिक्षा से सम्बन्धित सभी मामलों में विचारों तथा सूचनाओं के लिये एक निकासी गृह के रूप में कार्य करना।
6. शैक्षिक सूचनाओं को संकलित व संबन्धित करना।
7. माध्यमिक शिक्षा का गुणात्मक उन्नयन करने के कार्यक्रमों को लागू करने में शिक्षा संस्थाओं की सहायता करना।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का वास्तविक नियन्त्रण मुख्य रूप से इसके सामान्य निकाय व कार्यकारिणी समिति के अधीन रहता है। एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 का सामान्य निकाय वास्तव में इसका नीति निर्धारक निकाय है। केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मन्त्री इस निकाय के अध्यक्ष होते हैं। सभी राज्यों के शिक्षा मन्त्री, यू0 जी0 सी0 के अध्यक्ष, विश्वविद्यालयों के चार कुलपति, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, केन्द्रीय विश्वविद्यालय संगठन के आयुक्त, भारत सरकार के द्वारा मनोनीत चार अध्यापक तथा कार्यकारिणी के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं। यह निकाय नीति सम्बन्धी उच्चस्तरीय निर्णय लेने के लिये सक्षम है।

### 13.3.2 एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 के संघटक

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के आठ संघटक हैं–

1. राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली
2. केन्द्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान, नई दिल्ली
3. पंडित सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल
4. क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर
5. क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल
6. क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर
7. क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, मैसूर
8. क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, शिलांग

### 13.3.3 एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 के विभाग

वर्तमान में क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अग्रांकित विभागों के माध्यम से अपने कार्य कर रहा है–

1. प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

2. अध्यापक शिक्षा एवं प्रसार विभाग
3. भाषा विभाग
4. विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग
5. शैक्षिक सर्वेक्षण एवं प्रदत्त प्रक्रियन विभाग
6. शैक्षिक अनुसंधान एवं नीति परिप्रेक्ष्य विभाग
7. सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग
8. कला एवं सौन्दर्यशास्त्र शिक्षा विभाग
9. शैक्षिक मनोविज्ञान एवं शिक्षा के आधार विभाग
10. विशिष्ट आवश्यकता वाले समूहों की शिक्षा विभाग
11. कम्प्यूटर शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी सहायता विभाग
12. प्रकाशन विभाग
13. महिला अध्ययन विभाग
14. शैक्षिक मापन तथा मूल्यांकन विभाग

शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिये भारत सरकार ने एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 की स्थापना की थी। इसके लिये यह अनुसंधान व नवाचार को सहयोग देती है। पाठ्यक्रमों में सुधार तथा पाठ्यवस्तु को समन्वित तथा पाठ्यवस्तु की रचना का कार्य भी यह करती है। एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 अध्यापक निर्देशिका, छात्र कार्य पुस्तिका, प्रयोगशाला सामग्री शिक्षण, शैक्षिक चलचित्र भी तैयार करती है।

### 13.3.4 एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 के कार्य–शिक्षा सम्बन्धी सुझाव

एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 कार्य–शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। शिक्षा आयोग की सिफारिश के आधार पर इस संस्था ने 1975 में ''दसवर्षीय स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम–एक प्रारूप'' नामक दस्तावेज प्रस्तुत किया जिसमें विद्यालय स्तर पर कार्यानुभव को पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया। इस संस्था ने निम्न माध्यमिक स्तर पर कक्षा 9 व 10 के लिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा व अध्ययन योजनाएं इस प्रकार प्रस्तुत की है–

1. प्रथम भाषा– मातृ भाषा
2. द्वितीय भाषा– हिन्दी, अंग्रेजी
3. तृतीय भाषा– अंग्रेजी, भारतीय भाषा
4. गणित
5. सामाजिक विज्ञान– इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान
6. विज्ञान
7. कला
8. कार्यानुभव
9. शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा व खेल

एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 ने 1976 में 'Higher Secondary Educatio and its Vocationalization' नामक दस्तावेज तैयार किया जिसमें शिक्षा के व्यवसायीकरण की प्रकृति व क्षेत्रों, प्रवेश, समय आवंटन आदि के विषय में रूपरेखा प्रस्तुत की।

**उच्च माध्यमिक स्तर पर ( कक्षा 11 व 12 ) के लिए पाठ्यवस्तु की रूपरेखा–**

| विषय | समय अवधि (प्रतिशत) |
|---|---|
| भाषा | 25 % |
| सामान्य अध्ययन | 25 % |
| समाजिक विज्ञान व मानविकी | 75 % |
| व्यावसायिक तथा प्रयोगात्मक कार्य | 75 % |

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने 1983 में स्कूल पाठ्क्रम के पुनर्मूल्यांकन का कार्य किया एवं 1985 में ''National Curriculum for Primary and Secondary Educatin" -A Frame Work नामक दस्तावेज तैयार किया। जिसमें भाषा, कला, विज्ञान आदि विषयों के साथ कार्यानुभव एवं समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों को महत्वपूर्ण स्थान दिया। एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 ने 1988 में कक्षा 9 व 10 के लिए संशोधित पाठ्यचर्चाएं भी प्रस्तुत की। सन् 2000 में एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन तैयार किया जिसमें उसने कार्यानुभव को अधिक व्यापक शब्द *कार्य शिक्षा* नाम दिया। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क–2000 ने कार्य शिक्षा के प्रत्यय पर बल दिया तथा कहा कि कार्य शिक्षा में करायी जाने वाली क्रियाएं कार्य शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये दी जानी चाहिए ताकि बालक हस्तकार्य कौशलों को सीख सकें। छात्रों में कार्य शिक्षा के साथ सहयोग, आत्माभिव्यक्ति, सहनशीलता, प्रेमभाव, मदद भावना आदि गुणों का विकास किया जा सके। कार्य शिक्षा के सैद्धांतिक ज्ञान के साथ प्रयोगात्मक कार्य पर भी बल दिया जाये ताकि छात्र कार्य शिक्षा के तथ्य, प्रत्यय, सिद्धांत, विभिन्न कार्यों को करने की विधियों से परिचित हो सकें। छात्रों में सेवा प्रक्रिया आदि की समझ विकसित की जाये ताकि अधिक से अधिक बालक उत्पादक कार्यों को सीख सकें।

नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का सन् 2000 का प्रारूप निम्नवत है–

| **विषय** | **कालांश (प्रति सप्ताह)** |
|---|---|
| दो भाषा | 14 |
| गणित | 7 |
| विज्ञान | 9 |
| सामाजिक विज्ञान | 9 |
| कार्य शिक्षा | 2 +2 (विद्यालय के बाहर) |
| कला शिक्षा | 2 |
| शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा | 2 |
| **योग** | **45** |

उच्च माध्यमिक स्तर पर कार्य शिक्षा को आवश्यक विषय के रूप में रखा जाये। माध्यमिक स्तर पर 10 प्रतिशत समय कार्य शिक्षा पर दिया जाना चाहिये। उच्च माध्यमिक स्तर पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की रूपरेखा निम्नवत है–

| **विषय** | **कालांश (प्रति सप्ताह)** |
|---|---|
| दो भाषाएं | 14 |
| तीन वैकल्पिक विषय | 24 |
| सामान्य अध्ययन | 3 |

| | |
|---|---|
| कार्य शिक्षा | 2 +2 (विद्यालय के बाहर) |
| शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा | 2 |
| **योग** | **45** |

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. एन.सी.ई.आर.टी. का पूरा नाम बताइये।

.....

.....

2. एन.सी.ई.आर.टी. के दो क्षेत्रीय संस्थानों के नाम बताइये।

.....

.....

3. एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 के दो विभाग के नाम बताइये।

.....

.....

4. एन.सी.ई.आर.टी. ने किस वर्ष स्कूलों के लिए 10 वर्शीय पाठ्यक्रम दिया?

.....

.....

5. एन.सी.ई.आर.टी. ने कार्य शिक्षा के लिए प्रति सप्ताह कितने कालांश की सिफारिश की?

.....

.....

## 13.4 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

सन् 1987 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम के तहत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण शिक्षा परिषद है। परिषद ने विभिन्न अध्ययन बोर्डों तथा क्षेत्रीय समितियों के माध्यम से एक स्वतंत्र सचिवालय के द्वारा कार्य करना आरम्भ किया। यह परिषद राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों और उच्च कोटि की तकनीकी संस्थाओं को अधिक प्रभावी सहभागिता और अधिक विकेन्द्रित तरीके से कार्य करने में सहयोग प्रदान करती है।

### अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के कार्य

1. छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में अध्ययन के सभी कार्यक्रमों के दाखिलों को विनियमित करना।

2. तकनीकी शिक्षा हेतु अध्ययन बोर्डों को सक्रिय बनाना।
3. यह सुनिश्चित करना कि दाखिले अनुमोदित दिशा–निर्देशों के अनुसार किये गये हैं।
4. तकनीकी शिक्षा की नई संस्थाओं की स्थापना को प्रभावी रूप से करना तथा अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अध्ययन के नये कार्यक्रम आरम्भ करना।
5. तकनीकी शिक्षा की क्षेत्रीय समितियों को सुदृढ करना।
6. शिक्षा की वास्तविक लागत के आधार पर वास्तविक शुल्क संरचना को निर्धारित करने हेतु मार्गदर्शी निर्देश निर्धारित करना।
7. निजी क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा की सहभागिता को बढ़ावा देना।
8. तकनीकी शिक्षा संस्थानों को प्रदान की जा रही सेवाओं पर खर्च को वहन करने के लिए राजस्व सृजित करना।
9. उच्च कोटि की तकनीकी संस्थाओं को स्वायत्तता प्रदान करना।
10. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद चयनात्मक आधार पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत, तकनीकी संस्थाओं को सम–विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए भी मानदण्ड निर्धारित करेंगी।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

6. ए.आई.सी.टी.ई. का पूरा नाम बताइये।

.....

.....

7. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ?

.....

.....

8. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के दो कार्य बताइये।

.....

.....

## 13.5 सारांश

भारत में विविधता पूर्ण शिक्षा व्यवस्था भी आकर्षण का केन्द्र रही है। इतने विशाल जनसंख्या और जनसंख्या वाले देश में सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था की देखरेख करने एवं दिशा देने, मानक तय करने, पाठ्यक्रम निर्मित करने का कार्य देश में कई राष्ट्रीय स्थान प्राप्त संस्थायें कर रहीं हैं। इस इकाई में हमने इन्हीं संस्थाओं के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1 सितम्बर 1961 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य स्कूल शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करना है। यह निकाय नीति सम्बन्धी उच्चस्तरीय निर्णय लेने के लिये सक्षम है। इस संस्था ने निम्न माध्यमिक स्तर पर कक्षा 9 व 10 के लिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा व अध्ययन योजनाएं इस प्रकार प्रस्तुत किया। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क–2000 ने कार्य शिक्षा के प्रत्यय पर बल दिया तथा कहा कि कार्य शिक्षा में करायी जाने वाली क्रियाएं कार्य शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये दी जानी चाहिए ताकि बालक हस्तकार्य कौशलों को सीख सकें। छात्रों में कार्य शिक्षा के साथ सहयोग, आत्माभिव्यक्ति, सहनशीलता, प्रेमभाव, मदद भावना आदि गुणों

का विकास किया जा सके।

सन् 1987 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम के तहत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यह परिषद राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों और उच्च कोटि की तकनीकी संस्थाओं को अधिक प्रभावी सहभागिता और अधिक विकेन्द्रित तरीके से कार्य करने में सहयोग प्रदान करती है।

## 13.6 अभ्यास के प्रश्न

1. एन.सी.ई.आर.टी. की स्थापना कब हुई?
2. एन.सी.ई.आर.टी. के विभागों के नाम बताइये?
3. एन.सी.ई.आर.टी. कार्य शिक्षा सम्बन्धी सुझावों पर प्रकाश डालिए?
4. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए?
5. तकनीकी शिक्षा परिषद के प्रमुख कार्य बताइये?

## 13.7 चर्चा के बिन्दु

1. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के कार्यों के विषय में चर्चा कीजिए।
2. अध्यापक शिक्षा एवं प्रसार विभाग तथा कला एवं सौदर्यशास्त्र शिक्षा विभाग की उपयोगिता पर चर्चा कीजिए।
3. तकनीकी शिक्षा हेतु अध्ययन बोर्डों को सक्रिय बनाने में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की भूमिका क्या है? चर्चा कीजिए।

## 13.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद।
2. (i) क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान– भोपाल।

   (ii) क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान– मैसूर।
3. (i) अध्यापक शिक्षा एवं प्रसार विभाग।

   (ii) कला एवं सौन्दर्यशास्त्र शिक्षा विभाग।
4. सन् 1975 में।
5. 2 कालांश विद्यालय में तथा 2 कालांश विद्यालय के बाहर।
6. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद।
7. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को 1987 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ।
8. (i) छात्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में दाखिले को विनियमित करना।

   (ii) तकनीकी शिक्षा हेतु अध्ययन बोर्डों को सक्रिय करना।

## 13.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें


1. पाठक, पी0 डी0 (2004), भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएं।
2. गुप्ता, एस0 पी0 एवं गुप्ता, अलका (2012), भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन।
3. शर्मा, आर. ए. (2009), भारतीय शिक्षा का इतिहास विकास एवं समस्याएं, मेरठ : आर. एल. बुक डिपो।

# इकाई– 14 : स्थानन सेवाएं

**इकाई की संरचना**

14.1 प्रस्तावना

14.2 इकाई के उद्देश्य

14.3 स्थानन सेवा का अर्थ

14.4 स्थानन सेवा की परिभाषा

14.5 स्थानन सेवा के उद्देश्य

14.6 स्थानन सेवा का संगठन

14.7 स्थानन सेवा संगठन के चरण

14.8 स्थानन सेवा के प्रकार

14.8.1 शैक्षिक स्थानन सेवा

14.8.2 व्यावसायिक स्थानन सेवा

14.9 स्थानन सेवा की समस्यायें

14.10 सारांश

14.11 अभ्यास के प्रश्न

14.12 चर्चा के बिन्दु

14.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

14.14 कुछ उपयोगी पुस्तकें

## 14.1 प्रस्तावना

आज के जटिल एवं प्रतिस्पर्द्धात्मक युग ने निर्देशन की महत्ता को बढाया है। जहां एक ओर जीविकोपार्जन की कठिनाइयां बढ रही हैं तो दूसरी ओर व्यवसाय के नये–नये कोर्स खुलते जा रहे हैं। छात्रों के लिए ऐसी स्थिति में रुचि, क्षमता तथा योग्यता के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करना, सही व्यावसायिक कोर्स का चयन करना, किसी चुनौती से कम नहीं है। छात्रों को प्रदान किये जाने वाला सफल निर्देशन उन्हें शैक्षिक एवं व्यावसायिक चयन, चुनौतियों, लक्ष्य निर्धारण एवं सही वृत्तिक चयन में सहायक होता है। निर्देशन द्वारा छात्रों को उनकी योग्यताओं तथा रुचियों को समझने, उन्हें यथा सम्भव विकसित करने, जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने और सामाजिक सामंजस्य में स्वः मूल्यांकन करने में सहायता प्राप्त होती है। समय की मांग को देखते हुए निर्देशन का स्वरूप पहले से कहीं अधिक व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक हुआ है।

वर्तमान में छात्र व्यवसाय जगत की जटिलता एवं प्रतिस्पर्द्धा के परिवेश में बडे हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में कुछ ही जागरुक छात्र व्यावसायिक सूचनाएं प्राप्त करके उचित समय पर अपना व्यावसायिक लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं किन्तु अधिकांश छात्र व्यावसायिक सूचना के अभाव में किसी भी व्यवसाय में बिना अपनी योग्यता, क्षमता एवं रुचि को समझते हुए प्रवेश ले लेते हैं। जिसके कारण वह असन्तोष, तनाव एवं दबाव में रहते हैं जिसका प्रभाव उनकी व्यावसायिक कार्य क्षमता पर पडता है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि छात्रों को उनकी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार उन्हे उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। छात्रों को मार्गदर्शन एवं निर्देशन प्रदान करने में स्थानन सेवाओं का महत्वपूर्ण स्थान है।

## 14.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

1. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के बारे में जान सकेंगे।
2. एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 द्वारा संचालित कार्यक्रम व गतिविधियों का विस्तार से वर्णन कर सकेंगे।
3. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के संघटक को बता सकेंगे।
4. एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 द्वारा दिये गये कार्य शिक्षा सम्बन्धी सुझावों जान सकेंगे।
5. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के उद्देश्यों को समझ सकेंगे।
6. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के कार्यों का विस्तार से वर्णन कर सकेंगे।

## 14.3 स्थानन सेवा का अर्थ

स्थानन सेवा वह सेवाएं हैं जो छात्रों को उपयुक्त पाठ्यक्रम चयन, पाठ्यसहगामी क्रियाओं, व्यावसायिक कोर्स के चयन, जीविकोपार्जन हेतु उपयुक्त शैक्षिक प्रशिक्षण के चयन में सहायता प्रदान करती हैं। वर्तमान में प्रचलित पाठ्यक्रमों की विविधता, पाठ्यक्रम विस्तार एवं नवीन व्यावसायिक कोर्सों ने स्थानन सेवाओं की आवश्यकता को बढ़ा दिया है। स्थानन सेवाएं छात्रों को पाठ्यक्रम के चयन में निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करती हैं। स्थानन सेवा छात्रों को प्रदान की जाने वाली वह सेवाएं हैं जिनके द्वारा छात्र अपनी क्षमताओं के अनुसार व्यवसाय चयन एवं शैक्षिक प्रशिक्षण में प्रवेश के समय उचित आंकलन/निर्णय ले सकें ताकि वह उक्त विषय में अपनी क्षमताओं का उचित उपयोग कर सके। स्थानन सेवाओं द्वारा छात्र जीविकोपार्जन एवं व्यावसायिक चयन में अपनी योग्यताओं एवं व्यक्तिगत क्षमताओं एवं गुणों को ध्यान में रखकर उचित निर्णय ले सकता है अतः स्थानन सेवाएं छात्रों को उचित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती हैं।

## 14.4 स्थानन सेवा की परिभाषाएं

स्थानन सेवा के विषय में विभिन्न विद्वानों एवं शिक्षा–शास्त्रियों ने निम्न विचार व्यक्त किये हैं जो कि स्थानन सेवाओं के अर्थ को समझने में सहायक हैं –

**एण्ड्रू तथा विले के अनुसार** – "स्थानन सेवा, उन सभी क्रियाओं की ओर संकेत करती हैं जो कि छात्र के किसी जीविका में तथा शैक्षिक प्रशिक्षण में प्रवेश के समय सहायतार्थ की जाती है जिससे वह इनमें पर्याप्त समायोजन स्थापित कर सकें।"

(Placement refers to all the activities performed in assisting the student to make and adequate adjustment to the next step in training whether that he is taking a full or part time job or making a choice of additional educational training. **–Andrew and Wclley** )

**क्लिफोर्ड प्री0 फ्रोक्लिच** – "नियुक्ति सेवा का सम्बन्ध छात्रों के नवीन पद को ग्रहण करने में उनकी सहायता करने से है। इस प्रकार नियुक्ति सेवाएं जीविकोपार्जन को ढूंढने या विद्यालय की क्रियाओं में उचित स्थान प्राप्त करनें में छात्रों की सहायता करती हैं।"

(Placement is concerned with helping pupils to take the next step, what ever. It may be such as placement service assist pupils in finding job, it also help them find their place in appropriate extra-curricular. In essence, it helps them make use of their opportunities. – **Cliford P. Froehlch**)

**डोनिंग के अनुसार** – "नियुक्ति सेवा वह सेवा है जिसकी रूपरेखा छात्रों को उपयुक्त पाठ्यक्रम, कक्षा के बाहर की क्रियाओं या अंशकालिक या पूर्णकालिक नियुक्ति के चयन में सहायता प्रदान करती है।"

(Placement is a service with the guidance programme designed to assist students in the selectçion of suitable courses or curricula, extra-class activities and part time and full-time employment. - **Downing** )

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि स्थानन सेवाओं में निम्नांकित क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है –

1. छात्रों के व्यक्तित्व, गुण एवं क्षमताओं के आधार पर उचित रोजगार/व्यवसाय सम्बन्धी सूचना प्रदान करना।

2. छात्रों को विभिन्न व्यावसायिक संगठनों में प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करना।
3. विभिन्न प्रकार की नियुक्ति, संस्थाओं में प्रवेश के नियम, छात्रवृत्ति आदि की जानकारी रखना।
4. विभिन्न व्यावसायिक कोर्सों की वर्तमान स्थिति की सूचना रखना।
5. छात्रों को अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुसार व्यवसाय एवं शैक्षिक प्रशिक्षण में प्रवेश लेने की विभिन्न विधियों की जानकारी प्रदान करना।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. स्थानन सेवा किसे कहते हैं? संक्षिप्त में बताइये।

.....

.....

2. स्थानन सेवा में व्यक्ति किन गुणों को ध्यान में रखते हुये निर्णय ले सकता है?

.....

.....

3. एण्ड्रू तथा विले के अनुसार स्थानन सेवा की परिभाषा बताइये।

.....

.....

4. स्थानन सेवा की किन्ही दो क्रियाओं को बताइये।

.....

.....

## 14.5 स्थानन सेवाओं के उद्देश्य

स्थानन सेवा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

### 1. उचित पाठ्यक्रम के चयन में सहायक

स्थानन सेवाओं द्वारा छात्रों को उनकी योग्यता एवं क्षमताओं को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें उपयुक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम के चयन में सहायता प्रदान की जाती है जिससे वह उपयुक्त पाठ्यक्रम का चयन कर जीविकोपार्जन में सहायक हो सके। विद्यालय स्तर पर छात्रों के समक्ष यह समस्या आती है कि वह किस विषय/कोर्स का चयन करें, स्थानन सेवाएं उन्हे उपयुक्त मार्गदर्शन प्रदान कर पाठ्यवस्तु/कोर्स के चयन में सहायता प्रदान करती हैं।

### 2. उपयुक्त व्यवसाय के चयन में सहायक

जीविकोपार्जन हेतु उचित व्यवसाय का चयन करना एवं व्यवसाय हेतु उचित पाठ्यक्रम का चयन करना छात्रों के लिए एक जटिल समस्या है। स्थानन सेवाओं द्वारा छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं पाठ्यक्रम चयन हेतु उनके मानक की सूचना प्रदान की जाती हैं इस प्रकार स्थानन सेवाएं उचित व्यवसाय चयन में सहायक होती हैं।

### 3. पाठ्यसहगामी क्रियाओं में प्रतिभागिता हेतु सहायता प्रदान करना

छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु पाठ्यगामी क्रियाएं जितनी आवश्यक हैं उतनी ही पाठ्यसहगामी क्रियाओं की भी आवश्यकता है। छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु पाठ्यसहगामी क्रियाओं की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। विद्यालय स्तर पर समय–समय पर वाद–विवाद, खेलकूद, क्लब, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्काउट गाइड, क्राफ्ट, एन0सी0सी0 एवं विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। स्थानन सेवाएं छात्रों की रुचि एवं क्षमता के अनुसार उन्हें विभिन्न पाठ्यसहगामी क्रियाओं में प्रतिभागिता हेतु उचित मार्गदर्शन प्रदान करती हैं ताकि छात्र पाठ्यसहगामी क्रियाओं में न केवल प्रतिभाग कर सकें अपितु अपनी क्षमता का उचित प्रदर्शन कर सकें।

### 4. छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक

स्थानन सेवाओं द्वारा छात्रों को उचित व्यावसायिक, पाठ्यगामी एवं पाठ्सहगामी क्रियाओं के सर्वांगीण चयन में सहायता प्रदान की जाती है, छात्रों के विकास हेतु शारीरिक मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास आवश्यक हैं। स्थानन सेवाएं छात्रों के उनके शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक पक्ष को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें उचित कोर्स/व्यवसाय के चयन में सहायता प्रदान करती हैं ताकि छात्र के व्यक्तित्त्व के सभी पक्षों (शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक आदि) का उचित दिशा में विकास हो सके।

### 5. उचित प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायता करना

नियुक्ति एवं व्यवसाय चयन हेतु उचित शैक्षिक प्रशिक्षण प्राप्त करना अति आवश्यक है। अनुवर्ती सेवाएं छात्रों की क्षमतानुसार उन्हें विभिन्न शैक्षिक प्रशिक्षण की जानकारी, शैक्षिक प्रशिक्षण के विभिन्न संस्थान, प्रवेश के नियम एवं वर्तमान में उन्हें प्रवेश की आवश्यकता की जानकारी प्रदान करती है। स्थानन सेवा छात्रों को उचित प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए निर्णय लेने में सहायता प्रदान कराती है ताकि छात्र उचित सामंजस्य स्थापित कर अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सके।

### 6. शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना

स्थापन सेवाएं छात्रों को उनकी रुचि, दक्षता एवं शारीरिक योग्यतानुसार उन्हे विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम कोर्स, संस्थाएं प्रवेश के नियम आदि की जानकारी प्रदान की जाती हैं जिससे छात्र अपनी रुचि, योग्यता एवं परिस्थिति के अनुसार उचित व्यवसाय हेतु शैक्षिक प्रशिक्षण प्राप्त करने में सहायक होती हैं।

### 7. पूर्णकालिक नियुक्ति प्राप्ति में सहायक

शिक्षा प्राप्ति के पश्चात छात्र का उद्देश्य उचित व्यवसाय प्राप्त कर जीविकोपार्जन करना है। स्थानन सेवाएं छात्रों को विभिन्न व्यवसायों की जानकारी एवं उनसे सम्बंधित प्रशिक्षण कोर्स, प्राप्ति के साधन प्रवेश नियम एवं शैक्षिक प्रशिक्षण के उपरान्त विभिन्न रोजगार हेतु संस्थाओं की जानकारी प्रदान करती हैं। इस प्रकार स्थानन सेवाएं छात्र को पूर्णकालिक नियुक्ति प्राप्ति में सहायता प्रदान करती हैं।

### 8. अंशकालिक नियुक्ति प्राप्ति में सहायक

विद्यालय में कुछ छात्र आर्थिक अभाव के कारण अध्ययन करने में असमर्थ होते हैं एवं कुछ छात्र अंशकालिक कार्य कर अध्ययन जारी रखना चाहते हैं वह व्यवसाय के साथ–साथ अपनी शिक्षा भी प्राप्त करना चाहते हैं। स्थानन सेवाओं द्वारा उन्हें ऐसी संस्थाओं की जानकारी प्रदान की जाती है जहां वह व्यवसाय के साथ सायंकालीन दूरस्थ शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक सहायता तथा उन्हें छात्रवृत्ति, फीस माफी आदि की जानकारी भी प्रदान की जाती है। इस प्रकार स्थानन सेवाएं अंशकालिक नियुक्ति में सहायक होती हैं।

## 14.6 स्थानन सेवा संगठन

स्थानन सेवाएं छात्र के सर्वांगीण विकास में सहायक भूमिका निभाती हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि स्थानन सेवाओं को और अधिक प्रभावशाली बनाया जाए। स्थानन सेवाओं को प्रभावशाली बनाने हेतु उनके संगठन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। विद्यालय स्थानन सेवाएं ऐसा स्थान हैं जहां विभिन्न प्रकार के छात्र व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण स्थानन सेवाएं चाहते हैं। अतः स्थानन सेवाओं को और अधिक प्रभावशाली ढंग से

स्थापित किया जा सकता है। विद्यालय में स्थानन सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित किए जाने हेतु स्थानन सेवा संगठन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

**एमरी स्टूप्स ने** विद्यालय में स्थानन सेवा के संगठन के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं–

1. स्थानन सेवा को विद्यालय सेवा का एक भाग समझा जाए।
2. स्थानन सेवा का संगठन विद्यालय संगठन का ही एक अन्तरंग भाग होना चाहिए।
3. स्थानन सेवा का संगठन विद्यालयी शिक्षा उद्देश्यों पर आधारित हो ताकि छात्रों को अधिक से अधिक लाभ हो सके।
4. स्थानन सेवा के उद्देश्य विद्यालय के स्वरूप तथा नियुक्ति के आधार पर पूर्व निश्चित हों।
5. स्थानन सेवा के संगठन में विद्यालय के कर्मचारियों की भागीदारी आवश्यक होनी चाहिए।
6. स्थानन सेवा से सम्बन्धित व्यक्तियों के कार्यों का विभाजन हो तथा संगठन का रूप ऐसा हो जहाँ सभी में सहयोग की भावना का विकास करे।
7. स्थानन सेवा का कार्यालय ऐसे स्थान पर हो जहाँ सभी छात्रों की पहुँच आसान हो।
8. स्थानन सेवा हेतु परामर्श समिति का गठन किया जाना चाहिए जिसमें विद्यालय प्रबंन्धक, शिक्षक एवं कर्मचारी सलाहकार सदस्य के रूप में कार्य करें। सलाहकार समिति स्थानन सेवा एवं अन्य विभिन्न संस्थाओं जैसे शैक्षिक, व्यावसायिक, सामुदायिक सदस्यों के साथ समन्वयक रूप में कार्य करें। सलाहकार समिति द्वारा समय–समय पर अनुवर्ती सेवा के क्षेत्र में शोध, परामर्श, परीक्षण, मूल्यांकन कार्य का निरीक्षण किया जाना चाहिए।
9. स्थानन सेवा हेतु कर्मचारियों, सहायक एवं लिपिक का चयन किया जाना चाहिए।
10. विद्यालय, अभिभावक एवं प्रबंधक के मध्य समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।
11. पाठ्यक्रम में संवर्धन एवं परिमार्जन हेतु विद्यालय को समय–समय पर सूचना प्रदान की जायें।
12. स्थानन सेवाओं, राज्य रोजगार सेवाएं एवं अन्य व्यक्तिगत सेवाओं के मध्य समन्वय स्थापित किया जाए।
13. प्रशिक्षण एवं व्यवसाय के मध्य समन्वय स्थापित किया जाए।
14. विभिन्न प्रकार के व्यवसायों एवं नौकरियों का विश्लेषण करना एवं नियुक्ति प्राप्ति हेतु स्थानन सेवाओं से छात्रों को परिचित कराया जाना चाहिये।

## 14.7 स्थानन सेवा संगठन के चरण

**हैच एवं डेसील** ने स्थानन सेवा संगठन के निम्नलिखित चरण बताए हैं–

### 1. कर्मचारियों का चयन

स्थानन सेवा संगठन के उचित क्रियान्वयन हेतु योग्य कर्मचारियों का उचित प्रकार से चयन अत्यन्त आवश्यक है। स्थानन सेवा में उन्हीं कर्मचारियों को लिया जाना चाहिए जो उक्त कार्य में अपनी रुचि प्रदर्षित करें। स्थानन सेवा संगठन हेतु ऐसे अधिकारी का चयन किया जाना चाहिए जो विद्यालय, क्षेत्र, विभिन्न संस्थाओं आदि से सम्पर्क स्थापित कर सकें। कर्मचारियों का चयन उनकी योग्यता एवं प्रशिक्षण प्राप्ति के आधार पर किया जाना चाहिए जहाँ छात्र प्रवेश लेना चाहते हैं वहां के कर्मचारियों को कार्य व्यवसाय एवं समुदाय की उचित जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। स्थानन सेवा संगठन कर्मचारी में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए –

- निर्देशन एवं परामर्श कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त हो।
- शिक्षण के साथ–साथ अन्य कोर्स का योग्यतानुसार अनुभव प्राप्त हो।
- समुदाय के विभिन्न अंगों, व्यावसायिक कोर्स गतिविधियों की जानकारी रखते हों।

- परामर्शकर्ता के रूप में अनुभव प्राप्त हों।
- छात्र, विद्यालय, समुदाय एवं संस्थानों के मध्य सम्पर्क स्थापित कर सकता हो।

### 2. भौतिक सुविधाएं

स्थानन सेवा के उचित क्रियान्वयन हेतु एक कार्यालय होना चाहिए जहाँ छात्र स्थानन सेवा हेतु सम्पर्क कर सकें। स्थानन सेवा कार्यालय, परामर्शदाता कार्यालय के निकट होना चाहिए ताकि स्थानन अधिकारी शीघ्र ही परामर्श कार्यालय से आवश्यक सूचना प्राप्त कर सकें। कार्यालय हेतु स्थान का चयन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि जहां छात्र को सम्पर्क करने में असुविधा न हो। कार्यालय में उचित आलेख होने चाहिए। कार्यालय हेतु आवश्यक सामग्री यथा फर्नीचर, आलेख रखने हेतु अलमारी, विभिन्न प्रकार की फाइल, टेलीफोन, टाईप मशीन, कम्प्यूटर तथा अन्य भौतिक सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए।

### 3. प्रपत्रों की तैयारी

प्रपत्रों की तैयारी एवं उचित प्रकार से रखरखाव स्थानन सेवा का महत्त्वपूर्ण कार्य हैं क्योंकि इन प्रपत्रों में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं अंकित की जाती हैं। आलेख तथा प्रपत्र इस प्रकार रखे जाने चाहिए कि शीघ्र ही मिल जायें। प्रपत्र तैयार करते समय छात्रों की व्यावसायिक वरीयता पहले से ही भरवा लेनी चाहिए। आलेख एवं प्रपत्रों की एक सूची बनानी चाहिए जिससे उन्हें देखने में अधिक समय न लगे। आलेख का रखरखाव उचित प्रकार किया जाना चाहिए।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

5. स्थानन सेवा के दो उद्देश्य बताइये।

.....

.....

6. एमरी स्टूप्स के स्थानन सेवा संगठन से सम्बन्धित दो सुझाव बताइये।

.....

.....

7. स्थानन सेवा संगठन के सोपान बताइये।

.....

.....

## 14.8 स्थानन सेवा के प्रकार

विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली स्थानन सेवा को दो भागों शैक्षिक स्थानन सेवा व्यावसायिक स्थानन सेवा में विभाजित किया जा सकता है–

### 14.8.1 शैक्षिक स्थानन सेवा

शैक्षिक स्थानन सेवा वह सेवा है जो छात्रों के शैक्षिक अनुभव के चयन में सहायता प्रदान करती हैं। शैक्षिक स्थानन सेवा छात्रों को उनकी योग्यता, क्षमता, रुचि के अनुसार उचित शैक्षिक प्रशिक्षण के चयन में सहयोग प्रदान करती हैं। शैक्षिक स्थानन सेवाएं विद्यालयी क्रियाओं तक ही सीमित रहती हैं। शैक्षिक स्थानन सेवा का मुख्य कार्य

शैक्षिक अनुभव एवं प्रशिक्षण के उपयुक्त चयन में छात्रों की सहायता प्रदान करना है। शैक्षिक स्थानन सेवाएं सहाकारिता के सिद्धांत पर आधारित होती हैं जिसमें अध्यापक, परामर्शदाता तथा प्रधानाध्यापक सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। छात्रों को नवीन विद्यालय के वातारण तथा नवीन कक्षाओं की दशाओं में सामंजस्य हेतु शैक्षिक स्थानन सेवा की महती आवश्यकता हैं। शैक्षिक स्थानन सेवा के कर्मचारियों के लिए यह आवश्यक है कि वह छात्रों की रुचि, योग्यता, क्षमता, पारिवारिक एवं सामाजिक परिस्थितियों से अवगत हो एवं छात्र का एक प्रपत्र भी तैयार करें।

### शैक्षिक स्थापन प्रक्रिया

शैक्षिक स्थानन सेवा छात्रों को उचित शैक्षिक अनुभव के चयन हेतु प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं ताकि छात्र अपनी शैक्षिक क्षमताओं एवं शैक्षिक अनुभव प्रशिक्षण में समन्वय प्राप्त कर सकें। अतः शैक्षिक स्थानन सेवाओं में निम्नलिखित क्रियाओं को ध्यान में रखना चाहिए–

**1. रिकार्ड फाइल बनाना**– शैक्षिक स्थानन में छात्र का रिकार्ड रखना, सूचना प्रदान करते समय स्थानीय आवश्यकताओं, दशाओं एवं छात्र के व्यक्तित्व, गुण, रुचि, पारिवारिक स्थिति का ध्यान रखा जाना चाहिए।

**2. नियुक्ति की सूचना प्राप्त करना**– शैक्षिक स्थानन सेवा में परामर्शदाता के लिए यह आवश्यक हो कि वह वर्तमान के लिए आवश्यक पाठ्यक्रम एवं विभिन्न शैक्षिक कोर्सों की सूचना रखता हो। परामर्शदाता को शैक्षिक अवसरों की सम्पूर्ण सूचनाओं की जानकारी रखनी चाहिए ताकि वह उपयुक्त शैक्षिक स्थानन सेवा छात्रों तक शीघ्रता से पहुँचा सकें।

**3. कार्यात्मक सम्बन्ध स्थापित करना**– शैक्षिक स्थानन सेवा के उचित क्रियान्वयन हेतु परामर्शदाता को विद्यालय एवं सभी सहयोगियों के साथ अच्छे कार्यात्मक सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए क्योंकि शैक्षिक स्थानन सेवाएं अच्छे एवं समन्वयात्मक कार्यालय सम्बन्धों पर आधारित हैं। नियुक्ति सेवा के समस्त चरणों में आपसी समन्वय की आवश्यकता होती है ताकि योग्यताओं एवं ज्ञान का अधिकतम उपयोग किया जा सके। समन्वय एवं आपसी तालमेल के अभाव में शैक्षिक स्थानन सेवाएं प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर सकती हैं अतः आवश्यक है कि सभी की क्रियाओं में पर्याप्त तालमेल एवं अच्छे सम्बन्ध होने चाहिए।

**4. व्यक्तिगत साक्षात्कार**– छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं क्षमताओं को निर्धारित करने के उद्देश्य से उनके साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत साक्षात्कार छात्र की रुचि के अनुसार उन्हे विभिन्न पाठ्यक्रम एवं कोर्स के चयन में सहायक होते है।

**5. प्रपत्रों की तैयारी**– विद्यालय में सक्रिय क्लब एवं विभिन्न संगठनों की एक सूची बनाई जानी चाहिए। संगठनों के क्रिया कलापों से सम्बन्धित प्रपत्रों का रिकार्ड रखना चाहिए। क्लब एवं संगठनों में प्रतिभाग करने वाले छात्रों की भविष्य उपलब्धता की जानकारी परामर्शदाता को अवश्य होनी चाहिए।

**6. परामर्श सत्र का आयोजन**– शिक्षा के क्षेत्र में यह आवश्यक है कि प्रत्येक छात्र को समय–समय पर परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए ताकि छात्र अपनी क्षमता एवं रुचि के अनुसार उचित शैक्षिक पाठ्यक्रम का चयन कर सकें। छात्रों के लिए व्यक्तिगत परामर्श सत्र का आयोजन किया जाना चाहिए। परामर्श सत्र में छात्रों के परीक्षण, मूल्यांकन, उपलब्धियों तथा अन्य साधनों से एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण करना चाहिए।

### 14.8.2 व्यावसायिक स्थानन सेवा

विद्यालयी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात छात्र के समक्ष जीविकोपार्जन हेतु उचित व्यवसाय के चयन की समस्या उठ खड़ी होती हैं। ऐसे में व्यावसायिक क्रियाओं में छात्रों का स्थानान्तरण कराना विद्यालय का उत्तरदायित्व है। विद्यालय में उचित परामर्श द्वारा छात्रों को उचित व्यवसाय में नियुक्ति प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जाती हैं। चूंकि विद्यालय समाज का लघु रूप है अतः विद्यालय से अपेक्षा की जाती है कि वह छात्रों के व्यवसाय नियुक्ति में सहयोग प्रदान करें। व्यावसायिक स्थानन सेवा का सम्बन्ध छात्रों की रुचि एवं क्षमतानुसार अंशकालीन या पूर्णकालीन नियुक्ति प्राप्त करने में छात्रों की सहायता करना एवं व्यावसायिक नियुक्ति के लिए आवश्यक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने में छात्रों की सहायता करना। अतः व्यावसायिक स्थानन सेवा में निम्नलिखित क्रियाओं को ध्यान में रखना चाहिए–

**1. रिकार्ड फाइल बनाना**– नियुक्ति के लिए आवश्यक छात्रों की सूचनाओं तथा तथ्यों से सम्बन्धित रिकार्ड

फाइल बनायी जानी चाहिए। रिकार्ड में जीविका का पूर्ण पता एवं आवश्यक सूचनाएं होनी चाहिए ताकि उपयुक्त अवसर के उपलब्ध होने पर छात्रों से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें सूचना प्रदान की जा सके।

**2. नियुक्ति की सूचना प्राप्त करना**– व्यावसायिक परामर्श अधिकारी को रोजगार कार्यालय से विभिन्न व्यवसाय एवं नौकरियों से सम्बन्धित जानकारी रखनी चाहिए एवं रोजगार पाने वाले की आवश्यकता को भी समझना चाहिए। प्रत्येक रोजगार विज्ञापन हेतु एक रिकार्ड तैयार करना चाहिए एवं उचित प्रकार से उसका रखरखाव करना चाहिए। संभावित व्यावसायिक कार्यों एवं परिस्थितियों से सम्बन्धित सूचनाओं की एक फाइल बनानी चाहिए और नियोक्ताओं के सम्पर्क में अबोधक को रहना चाहिए।

**3. भावी नियोक्ता के साथ समन्वय स्थापित करना**– व्यावसायिक स्थानन सेवा अधिकारी को भावी नियोक्ता के साथ समन्वयात्मक सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि भावी नियोक्ता के साथ लगातार पत्राचार एवं दूरभाष किया जाना चाहिए। समय–समय पर भावी नियोक्ता के व्यक्तित्व की जानकारी के लिए साक्षात्कार भी किया जाना चाहिए।

**4. मीटिंग एवं परामर्श सत्र का आयोजन**– जीविकोपार्जन हेतु व्यवसाय चुनने वाले छात्रों के साथ समय–समय पर मीटिंग करनी चाहिए। विद्यालय के अन्तर्गत भी समस्त छात्रों के साथ सम्पर्क स्थापित करने हेतु परामर्श सत्र का आयोजन किया जाना चाहिए और उनकी व्यावसायिक नियोजन में सहायता प्रदान की जानी चाहिए। मीटिंग एवं परामर्श सत्र में छात्रों को सभी प्रकार की शैक्षिक एवं व्यावसायिक सूचनाएं प्रदान की जानी चाहिए।

**5. प्राप्त सूचनाओं की जाँच करना**– छात्रों को विभिन्न संस्थाओं से व्यवसाय एवं रोजगार से सम्बन्धित प्रदान की जाने वाली सूचनाओं की वैधता की जांच की जानी चाहिए। गलत सूचना के अभाव में छात्र निराश एवं उचित व्यवसाय नहीं चयन कर पायेगा। अतः परामर्श अधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रदान की जाने सूचनाओं की उचित प्रकार जांच कर ले।

**6. व्यावसायिक सिफारिश हेतु अभ्यर्थी का चयन करना**– विज्ञापन के लिए परामर्श अधिकारी द्वारा विभिन्न व्यवसायों में सिफारिश हेतु आवेदित अभ्यर्थी में से योग्य अभ्यर्थी का चयन करना चाहिए। स्थानन अधिकारी को आवेदित अभ्यर्थी में से योग्य अभ्यर्थी का चयन करना चाहिए।

**7. व्यक्तिगत सूचनाओं को भेजना**– परामर्श अधिकारी द्वारा आवेदक छात्रों की व्यक्तिगत एवं शैक्षिक सूचनाओं की जानकारी के फार्म विभिन्न रोजगार कार्यालय में भेजने चाहिए। भावी आवेदक से सम्बन्धी सभी सूचनाएं एवं तथ्य की फार्म में उचित जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। फार्म में रोजगार से सम्बन्धित आवेदक की समस्त सूचनाएं होनी चाहिए।

**8. भावी नियोक्ता से पूछताछ करना**– भावी आवेदक के फार्म भेजने के पश्चात परामर्श अधिकारी को यह जांच पड़ताल करनी चाहिए कि रोजगार प्रदान करने वाली संस्था अथवा व्यक्ति सिफारिश किए हुए अभ्यर्थी को रोजगार दे रही है या नहीं, अगर नौकरी प्रदान की जा रही है तो क्या आवेदक उसे करेगा या नहीं अगर करेगा तो वह कब से नियुक्ति में रहेगा। परामर्श अधिकारी प्रार्थना पत्र देने वाले अभ्यर्थी को रिपोर्ट कार्ड अवश्य बनाना चाहिए।

**9. आख्या तैयार करना**– प्रत्येक शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर परामर्श अधिकारी को एक आख्या तैयार करनी चाहिए जिसमें स्पष्ट रूप से यह अंकित हो कि कितने छात्रों ने व्यवसाय हेतु आवेदन किया, व्यवसाय का प्रकार या रोजगार विज्ञापनों की संख्या कितनी थी, कितने अभ्यर्थियों ने रोजगार की प्राप्ति की। रिपोर्ट की एक–एक कॉपी विद्यालय प्रशासन, विद्यालय कर्मचारियों, अभिभावकों एवं समाचार पत्रों में दी जानी चाहिए।

## 14.9 स्थानन सेवा की समस्यायें

1. स्थानना सेवा सन्दर्भ में छात्र एवं अभिभावक असमंजस में हैं। छात्र अपनी योग्यता के बजाय रुचि एवं धन प्राप्ति वाले व्यवसाय के चयन को ही वरीयता देते हैं। ऐसे मे स्थानन सेवा द्वारा प्रदान परामर्श अप्रभावी प्रतीत होता है।
2. विद्यालय स्तर पर स्थानन सेवाओं का अभाव है।
3. स्थानन सेवा हेतु प्रशिक्षित परामर्शदाताओं का अभाव है।

4. अधिकांश छात्र ग्रामीण परिवेश से होते हैं जिस कारण से वह नौकरी व व्यवसाय से सम्बन्धित जानकारी नहीं प्राप्त कर प्राते हैं।
5. आर्थिक अभाव व पिछड़ेपन के कारण बहुत से छात्र नवीन तकनीकियों के ज्ञान से परिचित नहीं हो पाते। केवल समाज के कुछ ही वर्ग स्थानन सेवाओं का लाभ उठा पाते हैं।
6. हमारे देश में बहुत से ऐसे व्यवसाय हैं जो विकासशील अवस्था में हैं ऐसे में उन व्यवसायों की उचित जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती और स्थानन सेवा उन क्षेत्रों में अपने लाभ नहीं प्रदान कर पाती परिणाम स्वरूप छात्र उन व्यवसायों हेतु सेवाओं से वंचित रह जाते हैं।
7. स्थानन सेवा के प्रति छात्रों मे अभिप्रेरणा का अभाव है। ज्यादातर छात्र व्यवसाय का चयन अपने अभिभावकों, पारिवारिक सदस्यों, मित्रों के परामर्श से ही कर लेते हैं ऐसे में वह पूर्ण क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं।
8. विभिन्न संस्थाओं एवं कम्पनियों द्वारा नौकरी हेतु व्यक्ति का चयन स्थानन सेवा द्वारा चयनित व्यक्ति न कर केवल विज्ञापन के आधार पर कर लिया जाता है जिस कारण स्थानन सेवाएं प्रभावहीन होती जा रही हैं
9. स्थानन सेवा एवं रोजगार कार्यालय में आपसी समन्वय के अभाव में स्थानन सेवा प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पाती हैं।
10. विभिन्न राज्यों द्वारा रोजगार सम्बन्धी सूचनाएं ग्रामीण परिवेश तक नहीं पहुँच पाती और न ही उनसे सम्बन्धित योजनाओं की सही जानकारी प्राप्त हो पाती है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण परिवेश में स्थानन सेवाएं उचित प्रकार कार्य नहीं कर पाती हैं।
11. शैक्षिक संस्थाओं, कॉलेज, व्यावसायिक केन्द्रों पर दी जाने वाली स्थानन सेवाओं को नियोक्ता अधिकारी द्वारा उचित महत्व न दिये जाने के कारण भी स्थानन सेवाएं प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पाती हैं।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

8. स्थानन सेवा के प्रकार बताइये।

.....

.....

9. स्थानन सेवा के मार्ग में आने वाली दो समस्यायें बताइये।

.....

.....

## 14.10 सारांश

वर्तमान में छात्र व्यवसाय जगत की जटिलता एवं प्रतिस्पर्द्धा के परिवेश में बडे हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में कुछ ही जागरुक छात्र व्यावसायिक सूचनाएं प्राप्त करके उचित समय पर अपना व्यावसायिक लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं किन्तु अधिकांश छात्र व्यावसायिक सूचना के अभाव में किसी भी व्यवसाय में बिना अपनी योग्यता, क्षमता एवं रुचि को समझते हुए प्रवेश ले लेते हैं। जिसके कारण वह असन्तोष, तनाव एवं दबाव में रहते हैं जिसका प्रभाव उनकी व्यावसायिक कार्य क्षमता पर पडता है।

स्थानन सेवा वह सेवाएं हैं जो छात्रों को उपयुक्त पाठ्यक्रम चयन, पाठ्यसहगामी क्रियाओं, व्यावसायिक कोर्स के चयन, जीविकोपार्जन हेतु उपयुक्त शैक्षिक प्रशिक्षण के चयन में सहायता प्रदान करती हैं। वर्तमान में प्रचलित

पाठ्यक्रमों की विविधता, पाठ्यक्रम विस्तार एवं नवीन व्यावसायिक कोर्सों ने स्थानन सेवाओं की आवश्यकता को बढ़ा दिया है। स्थानन सेवाएं छात्रों को पाठ्यक्रम के चयन में निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करती हैं। स्थानन सेवा के अनेक उद्देश्य होते हैं जिनमें उचित पाठ्यक्रम के चयन में सहायक, उपयुक्त व्यवसाय के चयन में सहायक, छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक आदि प्रमुख हैं। हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि स्थानन सेवाओं को और अधिक प्रभावशाली बनाया जाए। स्थानन सेवाओं को प्रभावशाली बनाने हेतु उनके संगठन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। स्थाना सेवा के अनेक चरण एवं प्रकार हैं। जिनकी सहायता से छात्रों का मार्गदर्शन किया जा सकता हैं।

## 14.11 अभ्यास के प्रश्न

1. स्थानन सेवा का अर्थ स्पष्ट करते हुए स्थानन सेवाओं के उद्देश्य बताइये।
2. स्थानन सेवा के संगठन पर प्रकाश डालिए।
3. स्थानन सेवा संगठन के सोपान बताइये।
4. स्थानन सेवा के प्रकार स्पष्ट कीजिए।
5. स्थानन सेवा के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन कीजिए।

## 14.12 चर्चा के बिन्दु

1. स्थानन सेवा की उपयोगिता के विषय में चर्चा कीजिए।
2. स्थानन सेवा संगठन व्यवस्था पर चर्चा कीजिए।

## 14.13 बोध प्रश्न के उत्तर

1. छात्रों को उचित व्यावसायिक चयन में सहायक सेवा स्थानन सेवा है।
2. छात्र जीविकोपार्जन एवं व्यावसायिक चयन में अपनी योग्यताओं एवं व्यक्तिगत क्षमताओं और गुणों को ध्यान में रखकर उचित निर्णय ले सकता है।
3. स्थानन सेवा उन सभी क्रियाओं की ओर संकेत करती है जो छात्र के किसी जीविका में तथा शैक्षिक प्रशिक्षण में प्रवेश के समय सहायतार्थ की जाती है जिससे वह पर्याप्त समायोजन स्थापित कर सके।
4. (i) छात्रों के व्यक्तित्व, गुण एवं क्षमताओं के आधार पर उचित रोजगार/व्यवसाय सम्बन्धी सूचना प्रदान करना।

   (ii) व्यावसायिक संगठनों में प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करना।
5. (i) उचित पाठ्यक्रम के चयन में सहायक।

   (ii) उचित व्यावसायिक पाठ्यक्रम के चयन में सहायक।
6. ((i) स्थानन सेवा को विद्यालय शिक्षा का एक भाग समझा जाये।

   (ii) स्थानन सेवा का संगठन विद्यालयी शिक्षा के उद्देश्यों पर आधारित हो।
7. (i) कर्मचारियों का चयन (ii) भौतिक सुविधाएं (iii) प्रपत्रों की तैयारी।
8. स्थानन सेवाओ के दो प्रकार हैं–

   (i) शैक्षिक स्थानन सेवा (ii) व्यावसायिक स्थानन सेवा
9. (i) विद्यालय स्तर पर स्थानन सेवाओं का अभाव।

   (ii) स्थानन सेवाओं हेतु प्रशिक्षित परामर्शदाताओं का अभाव।

## 14.14 कुछ उपयोगी पुस्तकें


1. रावत, आशा (2007), वृत्तिक निर्देशन तथा रोजगार सूचनाएं।
2. त्रिपाठी, मधुसूदन (2007), शिक्षा में निर्देशन परामर्श।
3. दुबे, रमाकान्त (2007), शौक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के आधार।
4. Sharma, N.R. (2007), Educational and Vocational Guidance.
5. Obrai, S. C. (2007), Educational Vocational Guidance and Councelling.

# इकाई– 15 : व्यावसायिक एवं कार्य शिक्षा की नवीन प्रवृत्तियाँ

**इकाई की संरचना**

15.1 प्रस्तावना

15.2 इकाई के उद्देश्य

15.3 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

15.4 कार्य शिक्षा का अर्थ

15.5 कार्य शिक्षा की विशेषताएं

15.6 कार्य शिक्षा के उद्देश्य

15.7 कार्य शिक्षा की नवीन प्रवृत्तियां

15.8 सारांश

15.9 अभ्यास के प्रश्न

15.10 चर्चा के बिन्दु

15.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

15.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें

## 15.1 प्रस्तावना

"शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य में शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों के सर्वोत्तम विकास से है। अतः मैं बालक की शिक्षा का प्रारम्भ उसे एक उपयोगी हस्तशिल्प सिखाकर और जिस समय से वह अपनी शिक्षा आरम्भ करता है, उसी समय से उसे उत्पादन करने के योग्य बनाकर आरम्भ करना चाहता हूँ।"

*– महात्मा गाँधी*

किसी राष्ट्र समाज, व्यक्ति के उन्नयन का मूलाधार ''शिक्षा'' मानी जाती है यही कारण है कि ज्ञानार्जन की एक क्रिया के रूप में शिक्षा अत्यंत प्राचीन काल से अविरल गतिशील बनी हुयी है। शिक्षा से समाज और संस्कृति को स्वरूप की प्राप्ति होती है तो शिक्षा का आश्रय लेकर राष्ट्र उत्पादनशीलता और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होता है। आर्थिक विकास में मजबूती आने से प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा संभव हो पाती है। शिक्षा का सम्बन्ध सिर्फ साक्षरता से ही नहीं है बल्कि शिक्षा चेतना, उत्तरदायित्व, उत्पादन, कौशल विकास, जीविकोपार्जन की भावना को जागृत करने से भी है। शिक्षा कार्यकुशलता का एक साधन है। वास्तव में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य व्यक्ति को आर्थिक उपयोगिता उत्पन्न कराना है। अतः शिक्षा आत्मनिर्भर होनी चाहिए। देश की वर्तमान शिक्षा पद्धति किसी भी तरह की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती है। गाँधी जी का विचार था कि शिक्षा केवल लिपिक तैयार करने का साधन नहीं है वरन व्यक्तित्व का विकास करने तथा सामाजिक परिवर्तन लाने का एक प्रभावी माध्यम होनी चाहिए। अतः शिक्षा को शिल्प प्रधान, क्रिया प्रधान व कार्य अनुभव पर आधारित होना चाहिए जिससे बालक श्रम के महत्व को समझ सकें तथा भविष्य में जीवनयापन करने योग्य बन सकें।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही शिक्षा में परिवर्तन की आवश्यकता को महसूस किया जाने लगा। गाँधी जी द्वारा प्रतिपादित शिल्प आधारित शिक्षा को राष्ट्र की शैक्षिक समस्याओं का सर्वोत्तम विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। यह महसूस किया गया कि शिल्प केन्द्रित शिक्षा को अधिक व्यापक बनाया जाए एवं कार्य केन्द्रित शिक्षा को सामाजिक उपयोगिता से जोड़ा जाये। सामाजिक उपयोग के उत्पादन कार्य को स्कूल शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान दिया जाये एवं इसे सभी विषयों से सम्बन्धित किया जाये। विद्यालय स्तर पर कार्य शिक्षा को अधिक व्यवस्थित एवं संगठित रूप में क्रियान्वित किया जाना चाहिए। कार्य शिक्षा में ऐसे कौशलों का विकास किया जाना चाहिए जो छात्रों की आवश्यकताओं पर आधारित हो एवं ज्ञानात्मक, बोधात्मक कौशलों का विकास कर मूल्य विकसित कर सकें।

## 15.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

1. कार्य शिक्षा का अर्थ एवं सम्प्रत्यय को स्पष्ट कर सकेंगे।
2. कार्य शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन कर सकेंगे।
3. कार्य शिक्षा की नवीन प्रवृत्तियों का वर्णन कर सकेंगे।

## 15.3 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह अनुभव किया जाने लगा कि देश की वर्तमान शिक्षा पद्धति किसी भी तरह की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। अतः शिक्षण प्रक्रिया में परिवर्तन की आवश्यकता है। वर्तमान समय की आवश्यकता को देखते हुए शिक्षा में सामान्य शिक्षा के साथ व्यवसाय आधारित शिक्षा को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। अतः विगत 50 वर्षों में कार्य/उत्पादन को शिक्षा के सभी स्तर में एक आवश्यक अंग के रूप में स्वीकार किया गया। कार्य शिक्षा का प्रारम्भ महात्मा गाँधी की बुनियादी शिक्षा–प्रणाली से प्रारम्भ हुआ। गाँधी जी चाहते थे कि विद्यालय में शिक्षा प्रणाली का केन्द्र बिन्दु समाजोपयोगी तथा उत्पादक अनुभवों की शिक्षा हो। बुनियादी शिक्षा के माध्यम से बालकों में अपने समाज की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से की जा सकती है इसलिए विद्यालयों का पाठ्यक्रम उपयुक्त एवं उपयोगी हस्तकला को केन्द्र बिन्दु मानकर निश्चित किया जाये।

13 मार्च 1937 में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में महात्मा गाँधी ने बेसिक शिक्षा सम्बन्धी अपनी योजना प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने कहा कि *'देश की वर्तमान शिक्षा पद्धति किसी भी तरह की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती है। इस शिक्षा द्वारा जो भी लाभ होता है उससे देश का 'कर' देने वाला प्रमुख वर्ग वंचित रह जाता है। अतः शिक्षा में अंग्रेजी के स्थान पर कोई अच्छा शिल्प जोड़ दिया जाये।'* सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से शिक्षा जहाँ तक हो किसी उद्योग के माध्यम से दी जाए जिससे पढ़ाई का खर्च पूरा हो सके।

1938 में जाकिर हुसैन समिति ने महात्मा गाँधी द्वारा प्रस्तुत शिक्षा योजना को स्वीकार किया तथा कहा कि *'शिक्षा की प्रक्रिया किसी उत्पादक शारीरिक कार्य पर केन्द्रित होनी चाहिए तथा बच्चों में विकसित की जाने वाली सभी योग्यताओं या उन्हे दिया जाने वाला प्रशिक्षण यथा सम्भव बालक के वातावरण को ध्यान में रखकर चुने गये हस्तशिल्प से सम्बन्धित होना चाहिए।'* बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में आधारभूत शिल्प– कताई, बुनाई, काष्ठ शिल्प, बागवानी, चर्म शिल्प या कोई अन्य मातृभाषा, गणित, सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान, कला, संगीत को सम्मिलित किया जाये। साढ़े पाँच घण्टे की स्कूल अवधि को निम्नानुसार विभक्त किया गया

| पाठ्यक्रम | अवधि (प्रतिदिन) |
|---|---|
| शिल्प | 3 घण्टा 20 मिनट |
| संगीत कला व गणित | 40 मिनट |
| मातृभाषा | 40 मिनट |
| सामाजिक अध्ययन व सामान्य विज्ञान | 30 मिनट |
| शारीरिक शिक्षा | 10 मिनट |
| अल्प अवकाश | 10 मिनट |

गाँधी जी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा–प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने एक नया

सम्प्रत्यय कार्यानुभव दिया। इसमें भारतीय विद्यालयों की शिक्षा प्रक्रिया को उत्पादक कार्यों में व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने पर बल दिया गया। **शिक्षा आयोग (1964–1966)** ने भी शिक्षा को उत्पादन से जोड़ने के लिए कार्य अनुभव के प्रत्यय पर बल दिया। भारतीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा के सभी स्रोतों पर कार्य अनुभव को महत्व प्रदान करने की सिफारिश की। आयोग के अनुसार हम यह सिफारिश करते हैं कि 'कार्य अनुभव को सभी प्रकार की शिक्षा, चाहे वह सामान्य हो या व्यावसायिक, का एक अभिन्न अंग के रूप में शुरू किया जाये। कार्य अनुभव स्कूल, घर, कारखाने, खेत, फैक्टरी या अन्य किसी भी उत्पादक कार्य में भाग लेना है।'' आयोग की सिफारिश के आधार पर एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा 1975 में स्कूलों के लिए एक दसवर्षीय पाठ्यक्रम का प्रारूप (The Curriculum for ten year School: A Frame work) नामक पुस्तक दस्तावेज का प्रकाशन किया गया। 1977 में ईश्वर भाई पटेल शिक्षा समिति का गठन किया गया जिसमें इस बात पर बल प्रदान किया गया कि जिस प्रकार महात्मा गाँधी ने बुनियादी शिक्षा प्रणाली में उत्पादक कार्यो पर प्राथमिकता प्रदान की है, उसी प्रकार वर्तमान शिक्षा प्रणाली में भी व्यावहारिक उत्पादन तथा सामाजिक दृष्टि से उपयोगी शैक्षिक क्रिया कलापों पर बल प्रदान किया जाये। इसके लिए समाजोपयोगी उत्पादक कार्य (SUPW) के प्रत्यय को पाठ्यक्रम में यथोचित स्थान दिया जाये।

**पटेल समिति** ने दस वर्षीय स्कूल समीक्षा समिति में महसूस किया कि कार्यानुभव कार्यक्रम में सामाजिक उपयोगिता का अभाव है तथा कार्यक्रम स्कूल के अन्य विषयों से सम्बन्धित नहीं हैं अतः सामाजिक उपयोग के उत्पादक कार्य को स्कूल शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान देना चाहिए तथा जहाँ तक सम्भव हो सके इसे सभी विषयों से सम्बन्धित होना चाहिए। पटेल समिति तथा आदिशेषैया समिति ने 'Learning to do' नाम से अपनी आख्या प्रस्तुत की जिसमें पाठ्यक्रम में मानविकी, विज्ञान के साथ समाजोपयोगी उत्पादक कार्य को स्थान देने की सिफारिश की। शिक्षा के विभेदीकरण के आधार पर दो धारायें सामान्य धारा व व्यावसायिक शिक्षा धारा होने की अनुशंसा की।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने शिक्षा के सभी स्तरों पर विद्यालय पाठ्यक्रम में कार्य के महत्व पर बल दिया। शिक्षा नीति में कहा गया कि कार्यानुभव एक ऐसा उद्देश्यपूर्ण हस्त कार्य है जो समाज के उपयोग की वस्तुओं व सेवा के रूप में परिणित होता है। इसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग मानते हुए पाठ्यक्रम में उचित स्थान दिया जाना चाहिए। कार्य अनुभव को शिक्षा के सभी स्तर पर योजनाबद्ध संगठित रूप से तथा बौद्धिक क्रियाओं से युक्त होना चाहिए जिससे यह छात्रों के लिए अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सके। कार्य अनुभव में सिखायी जाने वाली क्रियाएं छात्र की रुचि, क्षमताओं, योग्यताओं एवं आवश्यकताओं पर आधारित होनी चाहिए। कौशल एवं ज्ञान शिक्षा के स्तर के आधार पर निश्चित किये जायें। निम्न माध्यमिक स्तर पर पूर्व–व्यावसायिक कार्यक्रम एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यवसाय चयन की सुविधा दी जानी चाहिए। परस्पर सेवा तथा सहयोग के उपयुक्त कार्यक्रमों के द्वारा स्कूल तथा समुदाय को एक दूसरे के निकट लाया जाना चाहिए। अतः सामुदायिक सेवा तथा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के सार्थक व चुनौतीपूर्ण कार्यक्रमों में भाग सहित कार्यानुभव तथा राजकीय शिक्षा सेवा के अभिन्न अंग होने चाहिये। इन कार्यक्रमों में स्वावलंबन, चरित्र निर्माण व सामाजिक संकल्प की भावना के विकास पर जोर दिया जाना चाहिये। यह कार्यक्रम कौशलों में वृद्धि पर भी केन्द्रित होना चाहिये जिससे उनकी उत्पादकता बढ सके। एन0सी0ई0आर0टी0 (2000) द्वारा विकसित 'National Curriculum Frame Work for School Education' में कार्य अनुभव के स्थान पर अधिक व्यापक शब्द 'कार्य शिक्षा' का प्रत्यय दिया।

## 15.4 कार्य शिक्षा का अर्थ

कार्य शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि कार्य शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण मार्ग एवं एक ऐसा उद्देश्यपूर्ण शारीरिक हस्त कार्य है जो समाज के उपयोग की वस्तुओं या सेवाओं के रूप में परिणित होता है। कार्य शिक्षा समाज की आवश्यकताओं से सम्बन्धित उद्देश्यपूर्ण उत्पादक कार्य है जिसमें छात्र कक्षा तथा कक्षा के बाहर सामाजिक व आर्थिक क्रियाओं मे भाग लेते हुए, घर परिवार के विभिन्न कार्यों को करने तथा अपने भौतिक व सामाजिक वातावरण को समझने के लिए आवश्यक वैज्ञानिक सिद्धांतों, प्रक्रियाओं व तकनीकियों का ज्ञान प्राप्त करते हैं।

कार्य शिक्षा किसी शारीरिक एवं उत्पादक कार्य पर केन्द्रित शिक्षा है जिसमें विकसित की जाने वाली योग्यताओं एवं दिये जाने वाले प्रशिक्षण को किसी केन्द्रित हस्तशिल्प (कताई, बुनाई, काष्ठ शिल्प, बागवानी, आदि की बालक के वातावरण से लिया जाये) से सम्बन्धित है।

कार्य शिक्षा हस्त शिल्प/उद्योग आधारित शिक्षा है जिसके द्वारा विद्यार्थी विभिन्न हस्त कौशलों का रुचि अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर समाज के उपयोग की वस्तुओं एवं समाज सेवा में यथासम्भव योगदान प्रदान करता है। कार्य शिक्षा ललित कलाओं में छात्रों को प्रशिक्षित कर रोजगार प्राप्ति के योग्य बनाने में सहायता प्रदान करती है। इस प्रकार इसे सोद्देश्य या सार्थक कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जिसकी परिणति समुदाय के लिए उपयोगी वस्तुओं तथा सेवा के रूप में होती है। कार्य शिक्षा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का वह भाग है जिसमें छात्र को कक्षा में तथा कक्षा के बाहर सामाजिक व आर्थिक क्रियाकलापों में सहभाग करने के अवसर प्रदान करता है जिससे वह विभिन्न प्रकार के कार्यों तथा अपने भौतिक व सामाजिक वातावरण में निहित सिद्धांतों व प्रक्रियाओं को समझ सकें। छात्र उत्पादक शारीरिक कार्य परिस्थितियों का चयन, स्वास्थ्य, पोषण, भोजन, आवास, वस्त्र का क्रॉफ्ट, संस्कृति, मनोरंजन, सामुदायिक कार्य व समाज सेवा आदि किसी भी क्षेत्र में कर सकता है। कार्य शिक्षा छात्रों को उनकी आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं के अनुसार स्वयं समाजोपयोगी तथा हस्तकार्य करते हुए सामाजिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास है। कार्य आधारित शिक्षा के माध्यम से छात्र दैनिक जीवन की उपयोगी वस्तुओं का स्वयं निर्माण करके आत्मनिर्भर तथा मितव्ययी बन सकते हैं एवं परिवार तथा समाज के लिए उपयोगी हो सकते हैं। कार्य शिक्षा में छात्र विभिन्न प्रकार के उत्पादक कार्यों को करते हुए उन कार्यों में विशिष्टता प्राप्त कर सकते हैं तथा उसको अपना मुख्य व्यवसाय भी बना सकते हैं।

## 15.5 कार्य शिक्षा की विशेषताएं

1. कार्य शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण हस्तकार्य आधारित शिक्षा है जिसके अन्तर्गत छात्र समाज के उपयोग की वस्तुओं एवं सेवाओं को सीखता है।
2. कार्य शिक्षा समाज की आवश्यकताओं से सम्बन्धित उत्पादक कार्य प्रणाली है जिसमें छात्र विद्यालय तथा विद्यालय के बाहर सामाजिक तथा आर्थिक क्रियाओं को सम्पादित करता है।
3. कार्य शिक्षा ललित कलाओं में छात्र को प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार प्राप्ति के योग्य बनाने में सहायता प्रदान करती है।
4. कार्य शिक्षा में छात्र की आवश्यकताओं, रुचि, योग्यताओं एवं क्षमतानुसार समाजोपयोगी हस्तकार्य का प्रशिक्षण प्रदान कर सामाजिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है।
5. कार्य शिक्षा में विभिन्न प्रकार के कार्यों में विशिष्टता प्रदान कर छात्र को व्यवसाय एवं जीविकोपार्जन के अवसर प्रदान किये जाते हैं।
6. कार्य शिक्षा छात्र की विकासात्मक एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अवसर प्रदान करती है।
7. कार्य शिक्षा छात्र को कुशल एवं दक्ष कार्यकर्ता के रूप में विकसित करती है।
8. कार्य शिक्षा छात्र में स्वास्थ्य, अभिवृत्ति, समूह भावना, सामंजस्य एवं एकजुट होकर कार्य करने के गुण विकसित करती है।
9. कार्य शिक्षा छात्र में समाज के उपयोगी सदस्य बनने में सामूहिक कार्यों में अधिकतम योगदान करने की भावना का विकास करती हैं।
10. कार्य शिक्षा छात्र में आत्मनिरीक्षण, श्रम के प्रति निष्ठा, सहनशीलता, समूह भावना, सहानुभूति आदि सामाजिक मूल्यों का विकास करना तथा सामूहिक कार्य के प्रति उचित दृष्टिकोण प्रदान करती है।

## 15.6 कार्य शिक्षा के उद्देश्य

कार्य शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

1. छात्र को व्यवसाय तथा उत्पादक कार्यों से परिचित करना।
2. छात्र के अन्तर्गम श्रम व श्रमिकों के प्रति आदर भावना का विकास करना एवं स्वयं अपने हाथ द्वारा कार्य करने की प्रतिष्ठा की भावना का अनुभव करना।
3. विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में निहित सिद्धांतों की रूपरेखा की जानकारी प्राप्त करना।

4. छात्रों के मध्य सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता विकसित करना।
5. छात्र में सामुदायिक सेवाओं के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करना।
6. छात्र में सामाजिक भावना को जागृत करने के लिए प्रोत्साहित करना।
7. छात्र के अन्तर्गत स्वस्थ और वांछित अभिवृत्ति तथा समूह भावना के अन्तर्गत एकजुट होकर कार्य करने के गुणों का विकास करना।
8. छात्र में सामाजिक दृष्टि से जीवन के शाश्वत मूल्यों जैसे– आत्मविश्वास, काम के प्रति आदर, सहनशीलता, सहकारिता, सहयोग, सेवा भावना, देश भक्ति, त्याग, सत्य, निष्ठा आदि गुणों का विकास करना।
9. विभिन्न प्रकार के कार्यों के स्वरूप तथा नियमों को समझने के लिए छात्र को सहायता प्रदान करना।
10. छात्र को अध्ययन तथा धनोपार्जन के लिए उत्पादक कार्यों द्वारा प्रोत्साहित करना, ताकि वे उत्पादन द्वारा सीखने के साथ–साथ कुछ धन अर्जित कर सकें।
11. उत्पादक कार्यों से बालकों में अभिव्यक्ति व्यक्त करने के सुअवसर प्रदान करता है।
12. उत्पादक क्रियाकलापों द्वारा बालकों को वातावरण एवं परिस्थितियों के साथ नियन्त्रण एवं सामंजस्य करने में सहायता करता है।
13. छात्र में कौशल निरीक्षण शक्ति का विकास करता है।

## 15.7 कार्य शिक्षा की नवीन प्रवृत्तियां

परिवर्तन सृष्टि का नियम है। यदि समय–समय पर सामाजिक परिवर्तन न होते रहे हों तो विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। आधुनिक समाज में नयी–नयी तकनीकों के फलस्वरूप जिस गति से परिवर्तन हो रहा है वह नवाचार/नवीन प्रवृत्तियां कहा जाता है। नवीन प्रवृत्तियां एक ऐसा प्रत्यय है जो स्थापित विधियों, परम्पराओं, विचारों, वस्तुओं आदि में नवीनता को सम्मिलित करता है। वास्तव में नवाचार नवीन एवं पुरातन का एक ऐसा संगठन है जो एक नवीन ईकाई के रूप में अपनी विशिष्टताओं के साथ प्रकट होता है। तकनीकी एवं वैज्ञानिक विकास से शिक्षा का रूप परिवर्तित होता जा रहा है। औद्योगिकीकरण एवं व्यवसायीकरण ने भी शिक्षा को काफी प्रभावित किया है जनसंचार एवं यातायात के साधनों ने जनसंख्या की गतिशीलता को बढ़ाया है। ज्ञान का विस्फोट इतनी तीव्र गति से हो रहा है कि कार्य शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार बढ़ते चले आ रहे हैं।

इसके अन्तर्गत भोजन, आवास, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सामुदायिक कार्य एवं सेवाओं से सम्बन्धित साधारण एवं आवश्यक छोटे–छोटे कार्यक्रमों के साथ इसके अन्तर्गत ऐसे कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सम्मिलित किया जाता है जिसे छात्र सीखकर किसी न किसी उत्पादक कार्य को कर सके साथ ही इसमें इस प्रकार के क्रियाकलापों को भी शामिल किया जाता है जो समाज की तात्कालिक आवश्यकताओं तथा उपलब्ध सुविधाओं से सम्बन्धित हो। कार्य शिक्षा की नवीन प्रवृत्तियां निम्न प्रकार हैं–

### 1. मील प्लानिंग

भोजन व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकता है। भोजन पकाने की कला आग की खोज से प्रारम्भ हुई। तब से वर्तमान तक सभ्यता परिवर्तन के साथ भोजन में भी परिवर्तन होते आये हैं। परिवर्तित भोजन प्रणाली एवं विभिन्न प्रकार के व्यंजनो की उपलब्धता ने भोजन योजना प्रणाली की आवश्यकता को पैदा किया। व्यक्ति को प्रतिदिन के आहार में पोषण के सिद्धातों का क्रियान्वयन मील प्लानिंग है। यह व्यक्ति के बजट के अनुसार परिवार के सन्तुलित आहार की योजना से सम्बन्धित है। पोषण सिद्धांत द्वारा व्यक्ति का समय, श्रम व ऊर्जा की बचत होती है। भोजन योजना के द्वारा हम परिवार के सदस्यों की पसन्द एवं नापसन्द की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। भोजन योजना के अन्तर्गत छात्रों को सन्तुलित आहार के विषय में जानकारी प्रदान की जाती है। भोजन पकाने की अनेक विधियों, भोजन प्रस्तुतीकरण एवं सन्तुलित आहार को मील प्लानिंग में किया जाता है। भोजन योजना में भोजन की योजना एवं व्यवस्था किस प्रकार उचित तरह से की जाये का ज्ञान प्रदान किया जाता है। भोजन योजना के अन्तर्गत छात्र को निम्नलिखित क्रियाओं का ज्ञान प्रदान कराया जाता है–

1. पौष्टिक भोजन हेतु उचित भोजन सामग्री का चयन करना।
2. परिवार की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार भोज्य पदार्थ का चयन करना।
3. भोजन में पोषण, प्रोटीन, कार्बोहाईड्रेट, वसा, विटामिन आदि पोषक तत्वों की प्राप्ति के स्रोत एवं उनके कार्यों की जानकारी प्रदान करना।
4. विभिन्न आयु समूह के लोगों की आवश्यकताओं एवं बजट के अनुसार भोजन की योजना बनाना।
5. भोजन पकाने की विभिन्न विधियों जैसे– उबालना, तलना, भाप देना, भूनना, वेक एवं ग्रील आदि से परिचित कराना।
6. भोजन में पोषक तत्वों की जानकारी प्रदान करना।
7. विभिन्न प्रकार से भोज्य पदार्थ बनाने की विधियों का ज्ञान प्रदान करना।
8. भोज्य प्रदार्थों की उपलब्धता, मूल्य आदि के विषय में जानकारी प्रदान करना।

## 2. गृह प्रबन्धन एवं आंतरिक सज्जा

तीव्र औद्योगीकरण आधुनिकीकरण ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से निकालकर काम काजी बना दिया है। महिलाओं पर कार्य स्थल के साथ घर की भी जिम्मेदारी है। अतः आवश्यकता है कि गृह प्रबन्धन व्यवस्था की शिक्षा प्रदान की जाये। कार्य शिक्षा में छात्रों को सीमित एवं उपलब्ध संसाधनों के साथ किस प्रकार घर एवं कार्यक्षेत्र में आंतरिक साज–सज्जा की जाये के कौशलों से परिचित कराया जाता है ताकि छात्र न केवल घर को उचित प्रकार व्यवस्थित कर सकें बल्कि आंतरिक सज्जा को व्यवसाय के रूप में भी चयन कर सकें। गृह प्रबन्धन एवं आन्तरिक सज्जा में निम्न क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है–

1. गृह कला के विभिन्न सिद्धान्तों एवं विधाओं की जानकारी प्रदान करना।
2. गृह व्यवस्था से सम्बन्धित कौशलों का विकास करना।
3. रसोई घर, कमरे, हॉल आदि के व्यवस्था एवं प्रबन्ध की जानकारी प्रदान करना।
4. फ्लोर डेकोरेशन, फ्लावर मेकिंग, पेंटिग, लाईटिंग आदि की जानकारी प्रदान करना।
5. कपड़े एवं घर में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न उपकरणों की जानकारी एवं उचित रख–रखाव की विधियों से परिचित कराना।
6. कम्प्यूटर एडेड डेकोरेशन की जानकारी प्रदान करना।
7. खान–पान के टेबल मैनर से परिचित कराना।
8. होटल एवं कैटरिंग यूनिट से सर्वे कराना।
9. फैशन के अनुरूप गृह सज्जा का प्रत्यय विकसित करना।

## 3. खाद्य प्रसंस्करण एवं आहार प्रबन्धन

औद्योगिकीकरण ने मनुष्य के सामाजिक, सांस्कृतिक, रहन–सहन, खान–पान को बहुत अधिक प्रभावित किया है। 21वीं शताब्दी में आर्थिक एवं सामाजिक विकास ने मनुष्य की दिनचर्या को ही बदल दिया है। महिलाओं ने घर की चार दीवारी से निकलकर आर्थिक विकास में सहयोग दिया है। कामकाजी होने के कारण अब महिलाएं गृह कार्य में इतना समय नहीं दे पाती हैं। वे ऐसे भोजन की उपलब्धता पर निर्भर हैं जो उन्हे शीघ्र ही प्राप्त हो जाये। आधुनिकीकरण के इस दौर से भोजन प्रणाली भी प्रभावित हुई है। अब हर व्यक्ति किसी भी आयोजन में भोजन आर्डर पर ही मांगना पसन्द करते हैं जो उनके समय एवं ऊर्जा दोनों की ही बचत करते हैं। वर्तमान में ऐसी कई संस्थाएं एवं होटल हैं जो भोजन को व्यक्ति के घर पर उपलब्ध कराते हैं। कार्य शिक्षा माध्यमिक स्तर पर छात्र को खाद्य प्रसंस्करण तथा आहार प्रबन्ध के अवसर प्रदान करती हैं ताकि छात्र खाद्य प्रसंस्करण एवं आहार प्रबन्धन को आंशिक या पूर्णकालिक रोजगार बना सके। खाद्य प्रसंस्करण एवं आहार प्रबन्धन में छात्रों को निम्नलिखित जानकारी प्रदान की जाती है–

1. खाद्य प्रसंस्करण में छात्र को भोजन को सुरक्षित रखने की विभिन्न विधियों से परिचित कराया जाता है।
2. खाद्य प्रसंस्करण की विभिन्न विधियों का ज्ञान प्रदान करना।
3. भोज्य पदार्थ खरीदने एवं लम्बे समय तक उन्हें सुरक्षित रखने के तरीकों से परिचित कराना।
4. भोजन प्रस्तुतीकरण की विभिन्न विधियों से परिचित कराया जाता है।
5. व्यक्ति के बजट के हिसाब से भोजन तैयार करने की विधियों एवं विभिन्न आयोजन पर भोजन की व्यवस्था एवं प्रस्तुतीकरण किस प्रकार किया जाये की विधियों से परिचित कराना।
6. भोज्य पदार्थों के लेबल, उनकी पैकिंग एवं स्टोरेज की विधियों से परिचित कराना।
7. उपलब्ध सामग्री के हिसाब से आहार प्रबन्ध इकाई की योजना एवं स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की जानकारी प्रदान करना।

### 4. बाल संरक्षण एवं शिशु गृह प्रबन्धन

वर्तमान समय में बाल्य देखभाल गृह प्रबन्धन को एक व्यवसाय के रूप में देखा जा रहा है। कामकाजी महिलायें कार्य के समय में अपने बच्चों को ऐसे स्थान पर छोड़ना पसन्द करती हैं जहां उनके बच्चों की बेहतर से बेहतर देखभाल की जा सके। विद्यालय स्तर पर यदि कार्य शिक्षा में बाल्य देखभाल एवं क्रेच मैनेजमेन्ट की शिक्षा दी जाये तो यह माँ की अनुपस्थिति में बच्चे के लिए बेहतर बिकल्प हो सकते हैं। बाल्य देखभाल एवं क्रेच शिक्षा न केवल उन्हे भावी परिवार के सन्तुलन में सहायक होगी बल्कि वह उक्त शिक्षा को व्यवसाय के रूप में भी चयन कर सकते हैं। इसके अन्तर्गत छात्रों को निम्न शिक्षा प्रदान की जाती है–

1. बाल्यावस्था में होने वाली बृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करना।
2. बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक एवं गतिक विकास का ज्ञान प्रदान करना।
3. क्रेच व्यवस्था में बालकों की आवश्यकता की जानकारी प्रदान करना।
4. बाल्य देखभाल से सम्बन्धित विभिन्न क्रियाओं की जानकारी प्रदान करना।
5. बालकों की पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पहचान करना।
6. बालकों से सम्बन्धित दवाइयों एवं प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान प्रदान करना।
7. बालकों की स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी प्रदान करना।
8. बाल्यावस्था में होने वाली सामान्य बीमारियां एवं उपचार के साधनों का ज्ञान प्रदान करना।
9. क्रेच व्यवस्था हेतु बजट एवं लेखा–जोखा का ज्ञान प्रदान करना।
10. बालकों के आयु वर्ग के हिसाब से खेल तकनीकी शिक्षा प्रदान करना।

### 5. पोषण शिक्षा

आधारभूत संतुलित आहार प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है। अतः माध्यमिक स्तर पर कार्य शिक्षा के अन्तर्गत आहार शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आहार शिक्षा में छात्रों को निम्नांकित कौशलों का ज्ञान प्रदान किया जाता है –

1. विभिन्न प्रकार के भोजन, उनकी प्राप्ति के साधन एवं भोजन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री एवं उनके कार्यों की जानकारी प्रदान करना।
2. सन्तुलित आहार का अर्थ, महत्व की जानकारी प्रदान करना।
3. कुपोषण एवं कुपोषण को प्रभावित करने वाले कारकों की जानकारी प्रदान करना।
4. अच्छी भोजन आदतों से परिचित कराना।
5. भोजन को सुरक्षित रखने की विधियों से परिचित कराना।

6. विभिन्न खाद्य पदार्थों से उत्पन्न होने वाली बीमारियों एवं उनसे बचाव के उपाय से परिचित कराना।
7. विद्यालय जाने वाले छात्र को सामान्य सन्तुलित आहार सम्बन्धी समस्याओं एवं उनके प्रति जागरुकता की जानकारी प्रदान करना।
8. स्वास्थ्य एवं व्यक्ति के अनुसार सन्तुलित आहार की प्लानिंग करना।

## 6. स्वास्थ्य शिक्षा

स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अतः छात्र के सर्वांगीण विकास हेतु उनका स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। विद्यालय जाने वाले छात्र के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें स्वास्थ्य से सम्बन्धित सामान्य जानकारी प्रदान की जाये एवं उन्हे स्वास्थ्य के प्रति जागरुक किया जाये। स्वास्थ्य शिक्षा में छात्र को निम्नांकित जानकारी प्रदान की जाती है –

1. स्वास्थ्य का अर्थ एवं विभिन्न प्रकार (शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक स्वास्थ्य) का ज्ञान प्रदान करना।
1. कुपोषण एवं प्रभावित करने वाले कारकों का ज्ञान प्रदान करना।
2. संक्रमित एवं असंक्रमित बीमारियों से परिचित कराना।
3. बाल्यावस्था में होने वाली सामान्य बीमारियों की पहचान एवं बचाव के उपायों से परिचित कराना।
4. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक करना।
5. प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी प्रदान करना।
6. शारीरिक स्वास्थ्य हेतु योगा, ध्यान एवं शारीरिक अभ्यास की जानकारी देना।
7. समय–समय पर दिये जाने वाले टीकों एवं दवाइयों की सामान्य जानकारी प्रदान करना।
8. स्वास्थ्य सम्बन्धी स्वस्थ आदतों की जानकारी प्रदान करना।
9. समय–समय पर स्वास्थ्य सम्बन्धी दी जाने वाली चिकित्सकीय जाँचों की जानकारी प्रदान करना।

## 7. सम्प्रेषण शिक्षा

सम्प्रेषण, शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है। बिना सम्प्रेषण के शिक्षा और शिक्षण दोनों की कल्पना नहीं की जा सकती है। अतः माध्यमिक स्तर पर सम्प्रेषण तकनीकी का ज्ञान छात्र के लिए अति आवश्यक है सम्प्रेषण तकनीकी में छात्र को निम्नांकित ज्ञान प्रदान किया जाता है –

1. सम्प्रेषण का अर्थ एवं सम्प्रेषण के विभिन्न माध्यम, मुद्रित व अमुद्रित सम्प्रेषण का ज्ञान प्रदान करना।
2. सम्प्रेषण प्रक्रिया से छात्रों को परिचित कराना।
3. सम्प्रेषण में प्रयुक्त होने वाले दृश्य एवं श्रव्य साधनों का ज्ञान प्रदान करना एवं उन्हें प्रयोग की विधियों से परिचित कराना।
4. जनसंचार साधनों यथा समाचार–पत्र, रेडियो, टेलीविजन, कम्प्यूटर, इन्टरनेट, सोशल मीडिया एवं शैक्षिक चैनलों की जानकारी प्रदान करना।
5. दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम एवं तकनीकियों से परिचित कराना।
6. सम्प्रेषण हेतु टेलीकान्फ्रेसिंग, वीडियो कान्फ्रेसिंग, सोशल इन्टरनेट साइट्स का प्रयोग आदि के विषय में जानकारी प्रदान करना।

## 8. सूचना एवं संचार तकनीकी

सूचना एवं संचार साधनों द्वारा हम पलक झपकते दूर दराज में स्थित किसी भी देश में प्राप्त जानकारी को पा सकते हैं। इन्टरनेट, कम्प्यूटर एवं विभिन्न सोशल साइटों ने संचार में क्रांति ला दी है। वैश्वीकरण के इस युग

में आवश्यक है कि हम सम्पूर्ण विश्व में होने वाली घटनाओं, गतिविधियों, जानकारी, शोध आदि से जुड़ रहे हैं। अतः कार्य शिक्षा में संचार तकनीकी की आवश्यकता पर बल दिया गया है। संचार तकनीकी में छात्रों को निम्न विषयवस्तु से सम्बन्धित जानकारी प्रदान की जाती है–

1. संचार के विभिन्न साधनों से परिचित कराना एवं उनके उपयोग की जानकारी प्रदान करना।
2. कम्प्यूटर शिक्षा की जानकारी देना।
3. कम्प्यूटर के विभिन्न पार्ट्स की जानकारी देना।
4. संचार हेतु प्रयुक्त होने वाले हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर उपकरणों की जानकारी प्रदान करना।
5. इण्टरनेट एवं संचार के अन्य माध्यम जैसे वीडियो कान्फ्रेसिंग, डाटा अपलोडिंग, सोशल साइट्स इण्टर्ऐक्शन आदि की जानकारी प्रदान करना।
6. विभिन्न वेवसाइट्स, सैटेलाइट आदि की जानकारी प्रदान करना।
7. पॉवरप्वाइंट प्रस्तुतीकरण, कम्प्यूटर उपयोग, स्लाइड बनाना आदि का सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक ज्ञान प्रदान करना।

## 9. उपभोक्ता शिक्षा

उपभोक्ता शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें व्यक्ति को वस्तु की सही प्रहचान, उचित मूल्य एवं वस्तु विनिमय नियम या उपभोक्ता कानूनों की सही जानकारी हो सके। अतः आवश्यक है कि दैनिक उपभोग की वस्तुओं तथा उनकी गुणवत्ता की पहचान एवं मानकों की जानकारी छात्रों को उपलब्ध करायी जाये। उपभोक्ता शिक्षा में निम्न बिन्दुओं को सम्मिलित किया जाता है–

1. वस्तुओं की गुणवत्ता एवं मानकों तथा मानक चिन्हों का ज्ञान प्रदान करना।
2. खरीद फरोख्त की उचित जानकारी प्रदान करना।
3. उपभोक्ता वस्तुओं पर लगने वाले करों की जानकारी प्रदान करना।
4. उपभोक्ता हितों से जुडे हुए कानून एवं अपने बजट के बेहतर उपभोग की जानकारी प्रदान करना।
5. उपभोक्ता सम्बन्धित समस्याओं यथा जमाखोरी, कालाबाजारी आदि की जानकारी प्रदान करना।
6. उपभोक्ता कानून एवं उत्तरदायित्वों की जानकारी प्रदान करना।

## 10. पर्यावरण शिक्षा

औद्योगिक क्रांति के बाद से ही प्रकृति का दोहन खतरनाक स्तर पर बढ गया है क्योंकि जहाँ अन्य सभी जीव–जन्तु पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होते हैं वहीं मनुष्य प्रकृति के जैव व अजैव घटकों में अत्यधिक परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। मानवीय जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि से पारिस्थितिक पिरामिड पर भार बढ़ा है जिससे खाद्य श्रृंखला असंतुलित हो रही है साथ ही मनुष्य ऐसे पदार्थों का उपभोग करता है जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। इनसे पारिस्थितिक असन्तुलन की समस्या उत्पन्न हो रही है। अतः आवश्यक है कि छात्रों को पर्यावरण शिक्षा प्रदान की जाये। पर्यावरण शिक्षा में छात्रों को निम्नलिखित बिन्दुओं का ज्ञान प्रदान किया जाता है–

1. पर्यावरण शिक्षा का अर्थ एवं पर्यावरण संरक्षण।
2. पर्यावरण प्रदूषण एवं इसके दुष्परिणाम से परिचित कराना।
3. पर्यावरण स्वच्छता का ज्ञान प्रदान करना।
4. पर्यावरण संरक्षण एवं जागरुक कार्यक्रमों का ज्ञान प्रदान करना।
5. बिजली, पानी, ईंधन के साधनों के उचित प्रयोग की विधियों की जानकारी प्रदान करना।
6. ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों के प्रयोग की विधियों की जानकारी प्रदान करना।

7. प्रदूषण व्यवस्थापन की विभिन्न विधियों की जानकारी प्रदान करना।

## 11. फैशन डिजाइनिंग एवं टेक्सटाइल

वस्त्र मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है यह न केवल सर्दी, गर्मी से बचातें हैं बल्कि सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। कपड़े व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी प्रदर्शित करते हैं। प्राचीनकाल से ही मनुष्य वस्त्रों के प्रति आकर्षित रहा है। सभ्यता एवं समय के परिवर्तन के साथ ही वस्त्रों की डिजायन एवं रंग आदि में परिवर्तन होता है। आधुनिक समय में व्यक्ति वस्त्रों के प्रति अधिक सजग हुआ है। व्यक्ति फैशन के अनुसार वस्त्रों के चयन को प्राथमिकता देता है अतः फैशन एवं टेक्सटाइल डिजाइनिंग को छात्र एक व्यवसाय के रूप में चयन कर सकते हैं। कार्य शिक्षा के अन्तर्गत फैशन एवं टेक्सटाइल डिजाइन में छात्रों को निम्नांकित क्रियाओं का ज्ञान प्रदान कराया जाता है–

1. प्रिंटिंग की विभिन्न तकनीकियों की जानकारी प्रदान करना एवं प्रिंटिंग के विभिन्न प्रकार जैसे फैबरिक प्रिंटिंग, ब्लाक प्रिंटिंग, टाई एण्ड डाई, स्क्रीन प्रिंटिंग, बाटिग प्रिंटिंग आदि की जानकारी प्रदान करना।
2. फैशन के अनुसार वस्त्र एवं प्रिंटिंग की जानकारी प्रदान करना।
3. विभिन्न प्रकार के वस्त्रों की जानकारी एवं फैशन के अनुसार वस्त्र एवं प्रिंटिंग की जानकारी प्रदान करना।
4. वस्त्रों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न उपकरणों की पहचान करना।
5. वस्त्र सिलाई के विभिन्न सैंपल की जानकारी प्रदान करना एवं ड्राफ्ट, कटिंग, सिलाई एवं कढ़ाई आदि की जानकारी प्रदान करना।
6. कपड़ों के नाप, कटिंग, विभिन्न प्रकार की कढ़ाई आदि की जानकारी प्रदान करना।
7. बुनाई की विभिन्न डिजाइनों की जानकारी प्रदान करना।
8. कपडों की रिपेयरिंग एवं मरम्मत की समझ उत्पन्न करना।
9. वस्त्रों के अनुसार कढ़ाई, सिलाई, बुनाई आदि की समझ उत्पन्न करना।
10. वस्त्रों के प्रति सृजनात्मकता की समझ उत्पन्न करना।
11. व्यक्ति में मौसम एवं फैशन के अनुसार वस्त्र चयन की समझ उत्पन्न करना।

## 12. क्राफ्ट शिक्षा

प्राचीन काल से ही भारत हस्तकला में निपुण रहा है। यहां के हस्तकला से निर्मित वस्तुओं को बहुत पसन्द किया जाता है। मनुष्य अपने घर की सजावट में भी हाथ से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करता रहा है। अतः क्राफ्ट शिक्षा बालकों को प्राथमिक कक्षा में प्रदान की जानी चाहिये। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रॉफ्ट शिक्षा का स्तर कक्षा अनुरूप होना चाहिये। क्रॉफ्ट शिक्षा द्वारा न केवल छात्र हस्त कौशल सीखता है बल्कि मनोरंजन एवं संतोष भी प्राप्त करता है। क्रॉफ्ट शिक्षा के अन्तर्गत निम्न क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है –

1. क्राफ्ट शिक्षा के विभिन्न प्रकारों की जानकारी प्रदान करना।
2. पेपर द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं– फलों, सब्जियाँ, जानवर एवं सजावट की वस्तुओं का ज्ञान प्रदान करना।
3. क्ले एवं मिट्टी से निर्मित उपकरणों का निर्माण एवं मूर्तियां बनाना आदि का ज्ञान प्रदान करना।
4. जूट, कपड़ा, रूई एवं धागों से विभिन्न प्रकार की सजावट की वस्तुओं का निर्माण करना।
5. पेपर एवं विभिन्न वस्तुओं से बने उपकरणों के उचित रखरखाव की तकनीकियों की जानकारी प्रदान करना।
6. घर में व्यर्थ पड़ी चीजों से जरूरत की वस्तुएं बनाना।
7. कपड़ों एवं अन्य सामग्री से खिलौने एवं उपयोग की वस्तुएं बनाना।

8. विभिन्न प्रकार की मोमबत्ती बनाना।
9. लकड़ी, सेरेमिक, प्लास्टिक एवं विभिन्न धातुओं से सजावट की वस्तुएं एवं अन्य उपकरण बनाना।
10. पेंटिंग एवं पेंटिंग के विभिन्न प्रकार एवं रंगों की जानकारी प्रदान करना।

### 13. कम्प्यूटर शिक्षा

सूचना एवं संचार तकनीकी ने मनुष्य के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। कम्प्यूटर के आगमन से आधुनिक जीवन में एक क्रांति सी आ गयी है। आज जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें कम्प्यूटर का प्रयोग न किया जा रहा हो। कम्प्यूटर के माध्यम से बड़ा से बड़ा कार्य भी शीघ्रता एवं शुद्धता से हो सकता है। संख्या की गणना, अक्षरों का याद रखना, गणितीय प्रश्नों को हल करना, संगीत, मनोरंजन, आदि सभी कार्य शीघ्रता से हो जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कम्प्यूटर की उपयोगिता असीमित है। कम्प्यूटर शिक्षा के अन्तर्गत छात्रों को निम्न ज्ञान प्रदान किया जाता है–

1. कम्प्यूटर एवं उसके विभिन्न उपकरणों का ज्ञान प्रदान करना।
2. कम्प्यूटर के उपयोग की समझ विकसित करना।
3. दैनिक जीवन में कम्प्यूटर के उपयोग को प्रोत्साहन देना।
4. कम्प्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर उपकरणों की जानकारी प्रदान करना एवं उनके उपयोग की समझ पैदा करना।
5. कम्प्यूटर टाईपिंग की समझ उत्पन्न करना।
6. कम्प्यूटर की बेसिक जानकारी, भाषा, उपकरण, कमांड, सिस्टम आदि की जानकारी प्रदान करना।
7. कम्प्यूटर विन्डोज के उपयोग की समझ पैदा करना।
8. कम्प्यूटर के विभिन्न टूल्स, एम.एस. वर्ड, एम. एस. एक्सेल, स्लाइड बनाना, प्रोसेसिंग, टैक्स्ट, चार्ट, ग्राफ, एनीमेशन आदि की जानकारी प्रदान करना।
9. एडिटिंग, फार्मेटिंग आदि की जानकारी प्रदान करना।
10. कम्प्यूटर के विभिन्न उपकरणों के रखरखाव की तकनीकियों की जानकारी प्रदान करना।

### 14. विद्युत उपकरणों के रखरखाव

विज्ञान एवं तकनीकी ने विभिन्न विद्युत उपकरणों का आविष्कार किया है। जिनका प्रयोग मनुष्य दिन–प्रतिदिन के उपयोग में करता है। समय–समय पर इन उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव आवश्यक है। कार्य शिक्षा के अन्तर्गत विद्युत उपकरणों के रखरखाव से सम्बन्धित जानकारी प्रदान की जाती है ताकि छात्र न केवल घर में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों को रिपेयर कर सके अपितु इसे भविष्य में व्यवसाय कें रूप में भी चयन कर सके। इसके अन्तर्गत छात्र को निम्न जानकारी प्रदान की जाती है–

1. दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले साधारण विद्युत उपकरणों के रखरखाव, मरम्मत की जानकारी प्रदान करना।
2. विद्युत उपकरणों के प्रयोग में उचित सुरक्षा युक्तियों की जानकारी प्रदान करना।
3. विद्युत उपकरणों से सम्बन्धित सामान्य जानकारी एवं समझ उत्पन्न करना।
4. विद्युत विज्ञान के साधारण एवं मौलिक सिद्धांतों की जानकारी प्रदान करना।
5. घरेलू उपकरणों जैसे– प्रेस, टी0वी0, रेडियो, बल्व, बिजली की मशीन आदि को ठीक करने की समझ विकसित करना।

### 15. कृषि शिक्षा

भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि को भारत का प्रधान उद्योग कहा जाता है इसके बावजूद भारत कृषि शिक्षा

के क्षेत्र में पिछड़ा है। अतः आवश्यक है कि छात्रों को कृषि शिक्षा प्रदान की जाये। माध्यमिक स्तर पर कृषि शिक्षा में छात्रों को निम्नलिखित क्रियाओं का अध्ययन कराया जाना चाहिये–

1. कृषि से सम्बन्धित सामान्य जानकारी प्रदान करना।
2. पेड़ों के रखरखाव, कताई, बुनाई आदि की जानकारी प्रदान करना।
3. कृषि हेतु मिट्टी की पहचान करना।
4. कृषि से सम्बन्धित बीज खाद्य एवं कीटनाशकों की पहचान करना।
5. मौसम अनुसार फसल की पहचान करना।
6. कृषि हेतु विभिन्न नवीन तकनीकियों का ज्ञान प्रदान करना।
7. बागवानी से सम्बन्धित सामान्य जानकारी प्रदान करना।
8. विभिन्न प्रकार के वृक्ष एवं उनके औषधीय गुणों की पहचान करना।
9. मत्स्य पालन, पशुपालन, मक्खी पालन आदि के विषय में ज्ञान प्रदान करना।

### 16. नेशनल कैडेट कोर

सन् 1946 में पं0 एच0एन0 कुंजरन की अध्यक्षता में एन0सी0सी0 की स्थापना का सुझाव दिया गया। परिणामतः स्वतंत्रता के उपरान्त 16 जुलाई 1948 को रक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना की गयी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसका प्रशासन एवं नियंत्रण रक्षा मंत्रालय के अधीन है। रक्षा मंत्री एवं रक्षा सचिव इसके सर्वोच्च प्रशासक हैं। इसका प्रधान अधिकारी लेफ्टीनेंट जनरल रैंक का सेनाधिकारी डायरेक्टर जनरल होता है। एन0सी0सी0 में मानकों को पूरा करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। दो वर्षीय जूनियर कोर्स करने वाले कैडेटों को 'A' प्रमाण पत्र, दो वर्षीय सीनियर कोर्स करने वाले कैडेटों को 'C' प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। एन0सी0सी0 का ध्येय वाक्य 'एकता और अनुशासन' है। एन0सी0सी0 के निम्नलिखित उद्देश्य हैं–

1. छात्रों में चरित्र, साहचर्य, अनुशासन, नेतृत्व शक्ति, धर्म निरपेक्षता, रोमांचकता और निःश्वार्थ सेवा की भावना का विकास करना है।
2. छात्रों में कुशल नेतृत्व शक्ति का विकास एवं देश की सुरक्षा और संरक्षा हेतु प्राणोत्सर्ग करने की भावना का विकास करना।
3. सशस्त्र सेना में जीवन वृत्ति (कैरियर) बनाने के लिए युवाओं को प्रेरित करना।
4. छात्रों में सहयोग, प्रेम, सेवा की भावना का विकास करना।

एन. सी. सी. के प्रमुख कार्यकलाप्रों को निम्न भागों में बांटा गया है–

1. शिविर प्रशिक्षण।
2. संस्थागत (विद्यालय) प्रशिक्षण।
3. सामुदायिक विकास प्रशिक्षण।
4. साहसिक कार्य प्रशिक्षण।
5. युवा विनिमय कार्यक्रम।

### 17. राष्ट्रीय सेवा योजना

2 अक्टूबर 1969 को राष्ट्रीय सेवा योजना अस्तित्व में आया। यह एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य सामुदायिक सेवा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास करना है। एन.एस.एस. राष्ट्रीय एवं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति में विशेष योगदान देता है। इसके अन्तर्गत विद्यार्थियों में राष्ट्रीय चेतना, समाज सेवा के कार्यों में सहभागिता करना, परस्पर सहयोग से रचनात्मक कार्यों को करने हेतु प्रशिक्षण, खाली

समय के उचित सदुपयोग पर बल दिया जाता है। एन.एस.एस. का मुख्य ध्येय वाक्य 'सामुदायिक सेवा द्वारा शिक्षा और शिक्षा द्वारा सामुदायिक सेवा' है। एन.एस.एस. में निम्नलिखित प्रमुख क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है–

1. स्वच्छता
2. पर्यावरण की शुद्धता
3. वृक्षारोपड़
4. परिवार कल्याण कार्यक्रम
5. पुष्टाहार कार्यक्रम
6. प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा
7. श्रमदान एवं समाज सेवा के कार्यक्रम
8. महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम
9. मानवाधिकार का प्रसार
10. जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम
11. सड़क निर्माण एवं मरम्मत
12. ग्रामीण विकास के कार्यक्रम
13. मनोरंजन कार्यक्रम
14. समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण कार्यक्रम
15. सरकारी योजनाओं का ज्ञान प्रदान करना
16. तालाबों पोखरों का निर्माण एवं मरम्मत।
17. सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन
18. विद्यालय का सौन्दर्यीकरण
19. कुष्ठ रोगियों की सेवा
20. जनसंचार माध्यमों के उपयोग की जानकारी देना आदि।

### 18. स्काउट एवं गाइड

सर्वप्रथम बेडन पॉवेल ने दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के समय शत्रुदल की सूचनायें प्राप्त करने के लिए स्काउट एवं गाइड नाम से एक संगठन बनाया। भारत में सर्वप्रथम श्रीराम बाजपेयी ने 1913 में बाल सेवादल के नाम से इसको अस्तित्ववान बनाया। सन् 1950 में देश में बने तत्सम्बन्धी विविध संगठनों को समन्वित करके भारत स्काउट और गाइड नामक एक राष्ट्रीय संगठन बनाया। स्काउट एवं गाइड का मुख्यालय दिल्ली में है। बालकों को स्काउट और बालिकाओं को गाइड कहा जाता है। 8–11 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों को शेर (Cubs), 12–17 वर्ष के बालकों को स्काउट एवं 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों को रोबर्स कहा जाता है। 7–10 वर्ष की बालिकाओं को बुलबुल (Blue Birds) 11–15 वर्ष की बालिकाओं को गाइड एवं 16 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं को रैन्जर (Ranger) कहा जाता है। स्काउट एवं गाइड का ध्येय वाक्य 'कोशिश करो, सेवा करो' है। स्काउट एवं गाइड के उद्देश्य निम्नवत हैं –

1. बालक एवं बालिकाओं को अनुशासित जीवन जीने हेतु प्रशिक्षित करना।
2. परमार्थ की भावना का विकास करना।
3. उत्तम स्वास्थ्य एवं आदर्श चरित्र का निर्माण

4. बालक एवं बालिकाओं में समाज सेवा एवं देश सेवा के प्रति आदर की भावना का विकास करना।
5. ईश्वर के प्रति प्रेम एवं आस्था का जागरण करना।
6. विश्व बन्धुत्व की भावना का विकास करना।

स्काउट एवं गाइड कार्यक्रम में निम्नलिखित क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है–

1. शिविर प्रशिक्षण
2. सामुदायिक कार्य प्रशिक्षण
3. प्राथमिक चिकित्सा
4. प्रौढ़ साक्षरता
5. वृक्षारोपड़
6. मनोरंजन एवं खाली समय का उचित सदुपयोग
7. कुष्ठ रोगी सेवा
8. चेतना एवं समय की उन्नति
9. स्वच्छता आदि।

**19. रेडक्रास**

रेडक्रास एक अन्तर्राष्ट्रीय समाज सेवी समिति है। इसकी स्थापना 1963 में की गयी थी। भारत में रेडक्रास की स्थापना 1920 में की गयी। भारत में इस संस्था का मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रत्येक जिले में रेडक्रास की एक समिति होती है। रेडक्रास का अध्यक्ष जिलाधिकारी तथा सचिव मुख्य चिकित्साधिकारी होते हैं। यह समिति जनपद में रेडक्रास से सम्बन्धित क्रियाकलापों का संचालन करती है। इसके अन्तर्गत एक यूनियन रेडक्रास सोसाइटी की स्थापना 1975 में की गयी। रेडक्रास की स्थापना का मुख्य उद्देश्य युद्ध पीड़ित घायलों की सेवा के साथ–साथ प्रत्येक स्थान पर पीड़ितों की सहायता कर मानवीय मूल्यों की रक्षा करना है। सार्वजनिक स्थानों, मेलों व उत्सवों के साथ–साथ प्राकृतिक आपदाओं सूखा, बाढ़, आगजनी, दंगों आदि के समय भी यह संस्था अपनी सेवा प्रदान करती है। रेडक्रास से विद्यार्थियों को स्वास्थ्य और जीवन रक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव और मित्रता, विश्वशांति जैसे वैश्विक मूल्यों का ज्ञान आसानी से कराया जा सकता है।

**बोध प्रश्न**

**टिप्पणी :**

(क) निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. एन0 सी0 ई0 आर0 टी0 ने किस सन् में कार्य शिक्षा का प्रारूप बनाया?

   .....
   .....

2. कार्य शिक्षा की दो विशेषताएं बताइये।

   .....
   .....

3. कार्य शिक्षा के दो उद्देश्य स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

4. कार्य शिक्षा की किन्ही चार प्रवृत्तियों को स्पष्ट कीजिए?

.....

.....

5. भारत में स्काउट गाइड का प्रारम्भ किसने किया?

.....

.....

## 15.8 सारांश

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही शिक्षा में परिवर्तन की आवश्यकता को महसूस किया जाने लगा। गाँधी जी द्वारा प्रतिपादित शिल्प आधारित शिक्षा को राष्ट्र की शैक्षिक समस्याओं का सर्वोत्तम विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। यह महसूस किया गया कि शिल्प केन्द्रित शिक्षा को अधिक व्यापक बनाया जाए एवं कार्य केन्द्रित शिक्षा को सामाजिक उपयोगिता से जोड़ा जाये।

13 मार्च 1937 में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में महात्मा गाँधी ने बेसिक शिक्षा सम्बन्धी अपनी योजना प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने कहा कि *'देश की वर्तमान शिक्षा पद्धति किसी भी तरह की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती है। इस शिक्षा द्वारा जो भी लाभ होता है उससे देश का 'कर' देने वाला प्रमुख वर्ग वंचित रह जाता है। अतः शिक्षा में अंग्रेजी के स्थान पर कोई अच्छा शिल्प जोड़ दिया जाये।'* सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से शिक्षा जहाँ तक हो किसी उद्योग के माध्यम से दी जाए जिससे पढ़ाई का खर्च पूरा हो सके।

**शिक्षा आयोग (1964–1966)** ने भी शिक्षा को उत्पादन से जोड़ने के लिए कार्य अनुभव के प्रत्यय पर बल दिया। भारतीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा के सभी स्रोतों पर कार्य अनुभव को महत्व प्रदान करने की सिफारिश की। 1977 में ईश्वर भाई पटेल शिक्षा समिति का गठन किया गया जिसमें इस बात पर बल प्रदान किया गया कि जिस प्रकार महात्मा गाँधी ने बुनियादी शिक्षा प्रणाली में उत्पादक कार्यो पर प्राथमिकता प्रदान की है, उसी प्रकार वर्तमान शिक्षा प्रणाली में भी व्यावहारिक उत्पादन तथा सामाजिक दृष्टि से उपयोगी शैक्षिक क्रिया कलापों पर बल प्रदान किया जाये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने शिक्षा के सभी स्तरों पर विद्यालय पाठ्यक्रम में कार्य के महत्व पर बल दिया। शिक्षा नीति में कहा गया कि कार्यानुभव एक ऐसा उद्देश्यपूर्ण हस्त कार्य है जो समाज के उपयोग की वस्तुओं व सेवा के रूप में परिणित होता है।

कार्य शिक्षा किसी शारीरिक एवं उत्पादक कार्य पर केन्द्रित शिक्षा है जिसमें विकसित की जाने वाली योग्यताओं एवं दिये जाने वाले प्रशिक्षण को किसी केन्द्रित हस्तशिल्प (कताई, बुनाई, काष्ठ शिल्प, बागवानी, आदि की बालक के वातावरण से लिया जाये) से सम्बन्धित है। उपरोक्त अध्ययन में कार्य शिक्षा की विशेषताएं, उद्देश्य एवं कार्य शिक्षा की नवीन प्रवृत्तियों पर विशेष रूप से चर्चा किया गया जिसके अध्ययन से आप लाभान्वित होंगे।

## 15.9 अभ्यास के प्रश्न

1. कार्य शिक्षा की विशेषताएं बताइये।
2. कार्य शिक्षा के उद्देश्यों को बताइये।
3. कार्य शिक्षा सम्बन्धी शिक्षा नीति के सुझाव स्पष्ट कीजिए।
4. कार्य शिक्षा की प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए।
5. राष्ट्रीय सेवा योजना को स्पष्ट कीजिए।

6. उपभोक्ता शिक्षा पर प्रकाश डालिए।

## 15.10 चर्चा के बिन्दु

1. कार्य शिक्षा की उपयोगिता पर चर्चा कीजिए।
2. कार्य शिक्षा की नवीन प्रवृत्तियों पर चर्चा कीजिए।

## 15.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. सन् 2000 में
2. (i) हस्तकार्य आधारित शिक्षा (ii) ललित कला में छात्रों को प्रशिक्षित करना
3. छात्रों को व्यवसाय तथा उत्पादक कार्यों से परिचित कराना
4. (i) कम्प्यूटर शिक्षा (ii) पोषण शिक्षा (iii) सूचना एवं संचार शिक्षा (iv) उपभोक्ता शिक्षा
5. सन् 1913 में श्रीराम बाजपेयी ने स्काउट गाइड का प्रारम्भ किया।

## 15.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें


1. पाठक, पी0 डी0 (2004), भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएं।
2. गुप्ता, एस0 पी0 एवं गुप्ता, अलका (2012), भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन।
3. शर्मा, आर. ए. (2009), भारतीय शिक्षा का इतिहास विकास एवं समस्याएं, मेरठ : आर. लाल. बुक डिपो।
4. पाण्डेय, बी0 बी0 (2012), शिक्षा में नवाचार एवं आधुनिक प्रवृत्तियां मेरठ : आर. लाल. बुक डिपो।

## शान्तिपुरम् (सेक्टर-एफ), फाफामऊ, प्रयागराज – 211013

"अपने भाइयों को मै सचेत करना चाहता हूँ कि मोम न बनें और आसानी से पिघल न जायें। छोटी-छोटी सी बातों के लिए ही हम अपनी भाषा को या संस्कृति को न बदलें।"

राजर्षि पुरूषोत्तमदास टंडन

# उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

# प्रयागराज

शान्तिपुरम् (सेक्टर-एफ), फाफामऊ, प्रयागराज - 211013

www.uprtou.ac.in

टोल फ्री नम्बर- 1800-120-111-333